खण्ड-348, अंक-2
बुधवार, 8 माघ, शक संवत् 1902
(28 जनवरी, 1981 ई0)

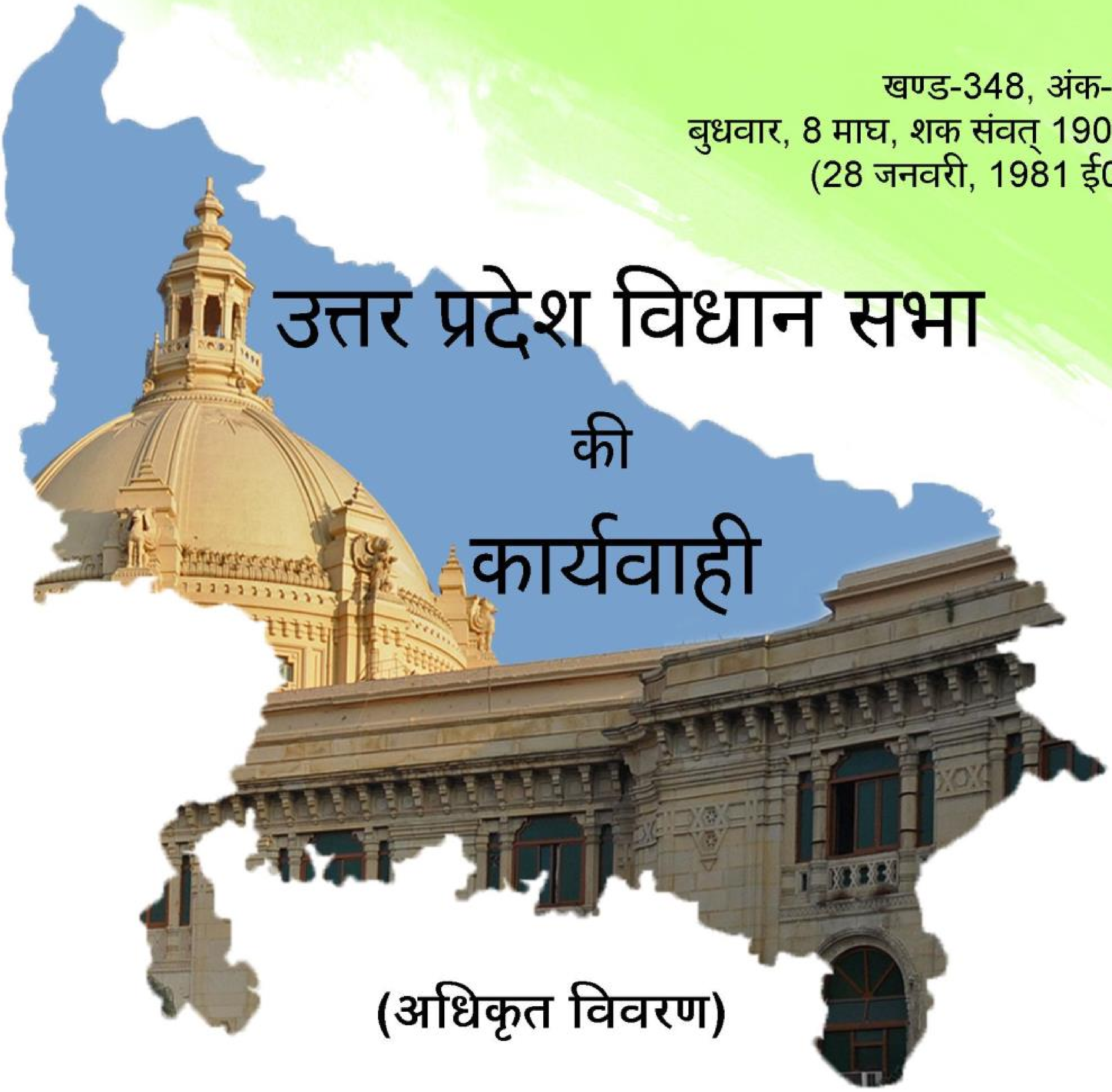

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	29–33
प्रश्नोत्तर ..	35–132
व्यवस्था का प्रश्न ..	132
हरदोई जनपद के माधोगंज व मल्लावां ठेके पर बिकने वाली जहरीली शराब के पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	132–133
बस्ती जनपद के डुमरिया गंज तहसील के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	133
बांदा जिले की कर्वी तहसील में होने वाली चकबन्दी को रोकने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	133–134
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सामूहिक अवकाश तथा प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	134
जनपद प्रतापगढ़ में तथा विशेषकर पट्टी तहसील में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	134–135
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	135
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	135
यू० पी० स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एन्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	136
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अठाइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किये जाने के कारण सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति ..	136–138
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अठाइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	138
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	138
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	138
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	139

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) .. 139

उत्तर प्रदेश राज्य भन्डागार निगम लखनऊ का 20वां वार्षिक लेखा विवरण 1977-78 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 139

कुमाऊं मन्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की षष्ठम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 139

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधायक, 1980 (संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा जाय) .. 140

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) .. 140

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 (संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) .. 140

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. 140

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. 140-141

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. 141

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (शोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 141

उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 141

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 141

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 142

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त प्रशासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 142

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 142

औचित्य का प्रश्न लिये जाने की मांग .. 142-143

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं .. 143

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विशेषाधिकार समिति के समक्ष विधान सभा सदस्य श्री श्रीकृष्ण गोयल के उपस्थिति होने के लिए सदन की अनुज्ञा दिये जाने के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना .. 143

पायोनियर एवं स्वतन्त्र भारत समाचार-पत्रों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 144

राजस्व मन्त्री, श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 144–145

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 146

श्री हरिवंश सहाय द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना को लिये जाने की माँग .. 147

नेता सदन और सदन की वैधानिकता के सम्बन्ध में औचित्य .. 147–153

राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य विपक्षी दलों के सदस्यों को सभा मंडप में प्रवेश पर रोक के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 154–164

विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित कतिपय मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करन हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 164–165

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 165–167

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. 167–168

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 168–196

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 196

नत्थियां .. 197–265

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सचिवालय पटेश्वर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 363

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अब्दुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊबल, श्री — वाराणसी
ए० सी० ग्राइस, श्री — कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर

कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भन्डारी, श्री — देवरिया
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) — एटा
कैलाश टन्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया

खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री मुरादाबाद
खुर्शीद अहमद, श्री बहराइच
खैरुल बशर, श्री आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
गया सिंह, श्री उन्नाव
सत्येन्द्र चन्द्र, गुड़िया श्री नैनीताल
गुलाब सिंह, श्री देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री इटावा
गोवरधन तिवारी, श्री अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री इटावा
गौरी शंकर भय्या, श्री बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री पिथौरागढ़
छत्तर सिंह, श्री बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
छेदी लाल, श्री गोंडा
जंग बहादुर, श्री जौनपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री खीरी
जमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी

जयदीप सिंह, श्री बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री फैजाबाद
जोराज सिंह मौर्य, श्री मुरादाबाद
झग्गड़ सिंह, श्री मेरठ
झिलमिट राम, श्री गाजीपुर
तपेश्वर, श्री आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री जालौन
दल सिंगार, श्री आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री बस्ती
दीना नाथ, श्री बस्ती
दीपक कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
दीप नरायन बन महन्थ, श्री गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री बहराइच
देवेन्द्र पान्डेय, श्री सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री मेरठ
धमवीर सिंह त्यागी, श्री मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री देवरिया
नत्थू लाल, श्री हरदोई

नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल कुमार, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
बिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी

बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भास्कर पान्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भीम सिंह, श्री — मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पान्डेय, श्री — बलिया
मंगल देव, श्री — गोंडा
मन्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पान्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकन्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर

मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुंशी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ, श्री	मिर्जापुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजमंगल पान्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायन, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पान्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद

बुद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भू नाथ श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि श्री, — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव नारायण सिंह नगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहाँपुर
सन्त बक्स रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद

सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री	मेरठ

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 28 जनवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

[उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोंडा जिले के ग्राम भोजपुर एवं महरी गेढ़हावा का राप्ती नदी से कटाव

*1--श्री माता प्रसाद पाण्डे तथा श्री राम आसरे पासवान--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भोजपुर तथा महरी गेढ़हावा तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा, राप्ती नदी के कटाव से पूरी तरह कट रहे हैं ? जिससे हरिजनों के बहुत से मकान नदी में कट के चले गये ? यदि हां, तो उनको बसाने की तथा गांव के कटान रोकने की क्या योजना बनायी गयी ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां। कथित ग्राम राप्ती नदी से कट रहे हैं।

कटान से प्रभावित निवासियों को अन्यत्र बसाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। समुचित सर्वेक्षण के पश्चात् इन गांवों की सुरक्षा के लिए योजना बनाने का प्रस्ताव है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो सर्वेक्षण की बात कही गयी है, यह सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जायगा और क्या उसकी कोई निश्चित अवधि बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसी गांव के पास एक पम्प कैनाल बनायी जा रही है। यह दोनों गांव के बगल से पम्प कनाल बनायी जा रही है। इसके आदेश मैंने दे दिये हैं, 6 महीने से काम शुरू हो गया है। जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर दिया जायगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह गांव कट रहा है, तो मेरी सूचना को सही मानकर इस गांव से बिल्कुल मिला हुआ "सरजू नहर पम्प हाउस" बन रहा है। यह भी इसी कटान में आ जायगा क्योंकि इसको राप्ती नदी काट रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी "एन्टी इरोजन वर्क" तत्काल शुरू करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह पम्प कैनाल का काम पक्का हो रहा है। इससे दोनों को बचाने का काम हो जायगा क्योंकि पम्प कैनाल पक्की बन रही है। इससे यह गांव भी बच जायगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

पम्प कैनाल इस गांव के पूरब आधा कि0 मी0 पर बन रही है और गांव पश्चिम से कट रहा, तो मैं चाहूंगा कि पत्थर के बोल्डर्स के ठोकर बनवा दें ताकि गांव कटान से बच जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि पम्प हाउस पक्की बन रही है । इससे कटान के काम को रोकने का भी काम किया जा रहा है । इससे गांव का कटान बच जायगा ।

ड्रेनेज खंड, बस्ती के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2--श्री मोहम्मद नबी --

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-7-80 को प्रश्नकर्ता द्वारा 15 आरोपों के साथ जो शिकायती-पत्र द्वितीय ड्रेनेज खंड, बस्ती के अधिकारियों के विरुद्ध दिया गया, जिसमें लाखों रुपये के गोलमाल करने की बात भी दर्शायी गयी है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्राप्त शिकायती-पत्र में अंकित शिकायतों की जांच के आदेश 23 सितम्बर, 1980 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिये गये हैं ।

श्री मोहम्मद नबी--

मान्यवर, 6 महीने हो गये, जो पत्र मैंने दिया था, उसमें 10 लाख रु0 के गोलमाल करने की बात मैंने बतायी थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । उसके विपरीत मुझे अधीक्षण अभियन्ता शेर सिंह के पत्र संख्या 8175, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 और 479, दिनांक 23 जनवरी, 1981 द्वारा बताया गया है कि वह पत्र मेरा गायब हो गया है, कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो क्या मन्त्री जी उस पत्र की छानबीन कराकर, जांच कराकर । सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ? उसमें 10 लाख का गोलमाल हो रहा है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह देखा गया कि जांच में विलम्ब हुआ । इसीलिये मैंने इसको विजिलेन्स को दे दिया है । अब इसकी जांच विभाग नहीं करेगा । अब विजिलेन्स ही इसकी छानबीन करेगा ।

श्री मोहम्मद नबी--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि किस विभाग के किस अधिकारी द्वारा जाँच करायी जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह पत्र चीफ इंजीनियर बाढ़ को दिया गया था लेकिन उन्होंने जांच में विलम्ब किया, इसलिये इसकी जांच विजीलेंस को दे दी गई है ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सूचित किया कि उनका पत्र गायब कर दिया गया है, एक अधिकारी ने इसको स्वीकार किया है, तो क्या मंत्री जी, इस सम्बन्ध में जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं, उनको तत्काल निलंबित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मूल पत्र है, मूल पत्र सरकार में है। उसकी कापी जो दी गयी थी, उस सम्बन्ध में कहा गया है कि वह नहीं मिली। मूल पत्र तो सरकार के पास है।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उनका जो शिकायती पत्र था, वह गायब हो गया है और मंत्री जी ने कहा है कि मामला विजीलेंस को दे दिया है, तो इस पत्र में क्या-क्या शिकायतें थीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चीफ इंजीनियर ने जांच टाइम से नहीं की, इसलिए हमने कहा कि मामला सीरियस हो सकता है, इसलिए विजीलेंस को दे दिया गया ताकि सही ढंग से छानबीन हो सके।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या मूल पत्र को सदन के पटल पर रखवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जो मूल पत्र है, इसकी जांच तो विजीलेंस करेगा।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जो घपले की इन्क्वायरी विजीलेंस को दी गयी, तो क्या इनके रहते हुए विजीलेंस की इन्क्वायरी सदन के समक्ष आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जमरानी बांध का निर्माण

*3--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जमरानी बांध के लिये कितना धन आवंटित किया गया था, इसमें कितना खर्च हुआ है, कितना कार्य हो चुका है, कितना बाकी है, कब तक योजनायें पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, यह सूचना कब तक इकट्ठी होगी ? मैंने सदन शुरू होने के पहले मंत्री जी को पत्र लिखा था और मंत्री जी ने जांच करने का वचन दिया था । अभी तक सूचना इकट्ठी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न 22-8-1980 का है । यह स्थगित हुआ है, अक्तूबर, 80 में । इस वक्त भी सूचना इकट्ठी की जा रही है । आप बतायें सूचना कब तक इकट्ठी हो जायगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने खुद महसूस किया है कि विलम्ब हुआ है । अगले बुधवार के लिये रख दें, इसका जवाब दे दिया जायगा ।

भरखनी ब्लाक, जिला हरदोई के अन्तर्गत ट्यूबवेल का निर्माण

*4--श्री राम औतार दीक्षित (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरखनी ब्लाक, जिला हरदोई में वर्ष 1979 तक कितने ट्यूबवेल निर्मित किये गये तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भरखनी ब्लाक जिला हरदोई में वर्ष 1979 तक 13 नलकूप निर्मित किए गये । इनमें से कोई नलकूप अभी कार्यरत नहीं हैं ।

शारदा नहर, जिला हरदोई के ठेकेदारों का पंजीकरण

*5--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर हरदोई के द्वितीय उप खंड में जनवरी से मार्च, 1980 के दौरान जिन ठेकेदारों से कार्य कराया गया था वे सब ठेकेदार ठेका प्राप्त करने की तिथि के पूर्व विभाग द्वारा पंजीकृत थे ? यदि नहीं, तो उनको ठेका किस प्रकार दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । इनमें से केवल 15 ठेकेदार पंजीकृत थे ।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने कार्यादेश निर्गत करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि अपंजीकृत ठेकेदारों को कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व पंजीकृत करा लिया जाता । उन्हें इस सम्दर्भ में भविष्य के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आज साढ़े 10 बजे तक न तो मुझे क्वेश्चन का जवाब मिला और न एजेंडा मिला । आन्सर का पता लगे बिना मैं सप्लीमेन्टरी नहीं पूछ सकता हूं । इसको दूसरे बुधवार तक के लिये स्थगित कर दिया जाय । पता ही नहीं था कि क्वेश्चन आज लगा है ।

श्री अध्यक्ष--

यह देख लिया जायेगा कि आपको पहुंचा कि नहीं पहुंचा है ।

विकलांग व्यक्तियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण

*6--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार सरकारी नौकरियों में विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)--

जी नहीं । सरकारी नौकारियों में वर्ग 1, 2, 3 व 4 की सेवाओं में समाज के अक्षम व्यक्तियों (फिजीकली हैन्डीकैप्ड) के लिये 2 प्रतिशत पद पहले से ही आरक्षित है ?

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि विकलांगों के लिये 2 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है, तो विभिन्न वर्गों में विकलांगों में जो कर्मचारी हैं, उनका आरक्षण में कितने प्रतिशत कोटा पूरा कर दिया गया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अभी तक 108 विकलांगों को सेवायोजित किया गया है ।

श्री मित्र सेन--

वर्ग 1, 2, 3 और 4 में जो 2 प्रतिशत का आरक्षण है, उसमें किन-किन श्रेणियों में कितने प्रतिशत की पूर्ति की गयी है । यदि नहीं, तो इस आरक्षण के आधार पर जब तक इसकी पूर्ति नहीं हो जायगी, तब तक दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, आरक्षण 2 प्रतिशत हुआ था लेकिन कठिनाई थी कि विकलांग की परिभाषा नहीं थी, अब हो चुकी है, तो उसके हिसाब से अब यह काम हो जायेगा ।

श्री मित्र सेन--

क्या मंत्री जी स्वयं तो विकलांग नहीं हैं ?

श्री हुकम सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विकलांग की परिभाषा जो पूर्ण की है वह कब और उसके बाद से कितने प्रतिशत का कोटा आपने पूरा किया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

विकलांग की परिभाषा में अंधे, बहरे और हड्डी के टूटे लोग आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में नौकरियों में आरक्षण के लिये विकलांगों को सुविधा देने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

विकलांग वर्ष में विशेष करके सहानुभूति है जिससे बहुत से विभागों जैसे शिक्षा आदि में उनको जगह देने की बात है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विकलांग के आरक्षण का कोटा क्या मंत्रि परिषद् में भी पूरा कर लिया गया है कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने विकलांग, जो नौकरी लायक हैं, जिनको आप 2 प्रतिशत आरक्षण देते हैं, क्या उनका कोई सर्वेक्षण विभाग ने अभी तक कराया है ? यदि हां, तो कब कराया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हर प्रकार के विकलांगों को, जो नौकरी लायक हैं या जो ट्रेनिंग के लायक हैं उनका सर्वेक्षण कराने का विचार करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, यह जनगणना से सम्बन्धित है और जनगणना चल रही है । इसके बाद जब वह आ जायगी तब पता चलेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जिन विकलांगों को रिजर्वेशन कोटा में नौकरी देंगे वह ठीक है, तो क्या फिर उनको पेन्शन देने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मेरा यह निश्चित मत है कि जो भी निर्देश विकलांगों के सम्बन्ध में है, उनका पालन नहीं हो रहा है । कई जगहों की जानकारी मुझे है । फाइनेन्शियल कारपोरेशन में हो रहा है, उसमें एक भी कैन्डीडेट नहीं लिया गया और कल भी वहां एक चुनाव हो रहा है, उसमें क्या होगा ? तो क्या मंत्री जी निश्चित आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर वहां विकलांगों को लिया जाय ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

माननीय सदस्य बतायें कि कहां पर उनको कठिनाई है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हरिजनों का निश्चित कोटा पूरा नहीं होता, जब 18 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रतिबन्ध लगा लिया । ऐसे ही विकलांगों का दो प्रतिशत

कोटा पूरा नहीं हो रहा है, उसको बढ़ा कर कम से कम 3 प्रतिशत तो कर दीजिए। इसके लिए क्या कोई नीति निर्धारित की जायेगी ? नीति निर्धारण के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी आप कुछ बतायेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन की भी कोई व्यवस्था की गई है ? वहां पर विकलांगों व हरिजनों का कोटा निर्धारित किया है ?

श्री छेदालाल चौधरी--

इस पर विचार किया जायेगा।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रोबेशन आफिसरों का साक्षात्कार

*7--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में प्रोबेशन अफसरों की नियुक्ति के लिए 19 जून, 1980 को साक्षात्कार किया गया था और उससे विभागीय कर्मचारियों के लिए यह प्रतिबन्ध लगा दिया था कि 35 वर्ष की आयु के ऊपर कोई कर्मचारी साक्षात्कार में शरीक नहीं हो सकता जिसके परिणाम स्वरूप कई उपयुक्त कर्मचारी इससे वंचित कर दिये गये ? यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया था और उसका उद्देश्य क्या था ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां।

चूंकि साक्षात्कार सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिए था अतः विभागीय कर्मचारियों पर भी आयु का प्रतिबन्ध लगाया गया था। आयु सीमा के प्रतिबन्ध का उद्देश्य प्रोबेशन आफिसर्स सेवा नियमावली के नियमों का पालन करना था।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोबेशन अफसरों की नियुक्ति के लिए जो साक्षात्कार हुआ था, उसमें जो आयु की सीमा निर्धारित की गयी थी, तो उस साक्षात्कार में विभागीय कर्मचारी को सम्मिलित होने की आज्ञा दी गयी थी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, यह आयु की सीमा 23 से 35 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को साक्षात्कार में शामिल करने की आज्ञा दी गयी थी। 23 से 35 वर्ष की आयु की सीमा के अन्दर जो व्यक्ति अर्ह थे, उसमें शामिल हो सकते थे, हो जायें।

श्री भीखा लाल--

साक्षात्कार में विभागीय कर्मचारियों की आयु सीमा के अनुसार शामिल किया गया। मान्यवर, इसका एक कन्ट्रडिक्ट्री जवाब भी आ गया कि साक्षात्कार सीधी भर्ती द्वारा किया जाना था। आयु सीमा के अन्दर विभागीय कर्मचारियों को शामिल होने की आज्ञा दी ? तो 35 वर्ष का प्रतिबन्ध वैभागिक कर्मचारियों पर लगाये जाने का क्या उद्देश्य था ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

यह एडहाक भर्ती होनी थी । जो आयु सीमा दूसरे व्यक्तियों के लिए रखी गयी वही वैभागिक कर्मचारियों के लिए भी रखी गयी थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि किसी भी सर्विस के लिए जो सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको उतने वर्ष की आयु में छुट दी जाती है--अगर 10 साल की सर्विस हो तो उसे दस साल की छूट मिल जाती है ? अगर हां, तो यह छूट इनको क्यों नहीं दी गई ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जो सेवा नियमावली है उसमें स्पष्ट है कि आयु सीमा और योग्यता के अनुसार ही वे लिए जायेंगे । इसमें ऐसी कोई बात नहीं है ।

हरिजन अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध गबन की शिकायत

*8--श्री राम औतार दीक्षित--(अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय में मार्च, 1978 में हुए 1,32,607 रु० गबन के मामले में विभागीय सम्परीक्षा में तत्कालीन हरिजन अधिकारी को साजिश में शामिल होना पाया गया था और इस विषय में गुप्तचर जांच भी हुई है ? यदि हां, तो अब तक शासन ने इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या उक्त अधिकारी को प्रारम्भिक सम्परीक्षा जांच में दोषी पाये जाने पर भी अभी तक इलाहाबाद से नहीं हटाया गया ? यदि हां, तो किस वजह से ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं । विभागीय सम्परीक्षा में केवल सन्देह व्यक्त किया गया है । मामले को गुप्तचर विभाग को सौंप दिया गया है ।

गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । रिपोर्ट के अभाव में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के अभाव में केवल सन्देह के आधार पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी इन अधिकारियों को इलाहाबाद जनपद से हटा दिया गया है ।

उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*9--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल के खिलाफ एक विधायक द्वारा अगस्त-सितम्बर, 1979 में शासन तथा उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की गयी थी कि उन्होंने किराये पर लिए गये भवन को निजी भवन एवं निजी भवन को उपनिदेशक कार्यालय बना दिया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो, सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अगस्त-सितम्बर, 1979 में कथित विधायक का शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कह दिया कि किसी विधायक का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या जो मैंने इससे पूर्व भी प्रश्न किया था उसकी जानकारी करायी गयी ? यदि हां, तो क्या सही है और क्या असत्य है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

माननीय सदस्य यदि शिकायती पत्र दे दें, तो निश्चित रूप से जानकारी करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी विधायक ने जो पत्र भेजा था, वह प्राप्त नहीं हुआ । माननीय माता प्रसाद जी ने जो प्रश्न किया उसके आधार पर कोई कार्यवाही करायेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जांच करा लेंगे, कोई शिकायती पत्र मुझे दे दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हरिजन विभाग ने मेरे ही जिले में करोड़ों रुपयों का गबन किया है । हरिजनों के नाम पर, पिछड़ी जाति के नाम पर, फर्जी नाम पर, गबन किया गया है, इसकी जांच आज तक नहीं कराई गई । डिप्टी डाइरेक्टर इसमें इनवाल्व है, इसने गबन किया । इसको बचाने की साजिश उच्च अधिकारी कर रहे हैं । माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि कब इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आप देखें । 8 अगस्त, 80 का यह प्रश्न है । एक बार स्थगित हो चुका है, 8 अक्तूबर, 1980 को । यह आप बताने का कष्ट करें कि कितने दिनों के अन्दर इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

शिकायत मिल जाय तो यथा शीघ्र करा लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह प्रश्न स्वतः यह स्पष्ट कर रहा है कि इनके विरुद्ध शिकायत है और शिकायत एक नहीं अनेकों हैं, बस्ती की, गोरखपुर की, अनेकों शिकायतें हैं । माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि इनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र है । इससे स्पष्ट है कि माननीय मन्त्री जी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं । इसलिए मन्त्री जी के विरुद्ध में सदन को गुमराह करने का नोटिस आपकी सूचना के लिए देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने इस सवाल को पहले स्थगित कराया अक्तूबर में...

श्री अध्यक्ष--

मैं बता चुका हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

स्थगित इस आधार पर किया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना एकत्र करके यहां तक पहुंचे कि माननीय सदस्य का कोई पत्र नहीं मिला। मान्यवर, सूचना किस बात की एकत्रित की जा रही है? दूसरी बात यह है कि आपने अभी यह व्यवस्था दी कि जब माननीय सदस्य ने दूसरा पत्र दे दिया जिसमें कि सारे तथ्य निहित हैं जो आरोप पिछले पत्र में लगाये गये थे, तो क्या माननीय मन्त्री जी उसके आधार पर जांच कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, पहले यह प्रश्न स्थगित हुआ था और जहां तक मुझे जानकारी है, उसमें यह नहीं था कि सूचना एकत्रित की जा रही है, लेकिन दूसरा पत्र जो आपको माननीय सदस्य ने दिया है, उसमें वे सारी शिकायतें हैं जो उन्होंने अपने पहले पत्र में लिखी थीं।

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि वह पत्र उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य उस पत्र की कापी दे दें, मैं निश्चित रूप से जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

जो पत्र माननीय बाला प्रसाद जी ने दिया है और जिसके आधार पर उन्होंने प्रश्न किया है उसमें इन्होंने सारी बातें लिखी हैं।

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, मैं जांच कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न में जो यह उल्लिखित है कि शासन तथा उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय विधायक का पत्र किन-किन उच्च अधिकारियों के कार्यालय से खोजा गया जहां से वह नहीं मिला?

श्री छेदा लाल चौधरी--

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह माननीय सदस्य का सवाल था और इसका उत्तर नहीं दिया गया । मैंने यह इसलिये पूछा है कि इस पत्र को खोजने की कोशिश की गई होगी, विभाग में उच्च अधिकारियों के कार्यालय में सचिव के कार्यालय में यह पत्र ढूंढा गया होगा जहां से वह नहीं मिल पाया । मन्त्री जी कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पत्र को खोजने का प्रयास नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपका निर्देश चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, क्या उस पत्र की खोज की गई ? इसकी आपको जानकारी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी को यह जानकारी है कि वह पत्र नहीं मिला । आप विशेष रूप से पूछ रहे हैं कि कहां-कहां पत्र को खोजने की कोशिश की गई । उनके पास इसकी जानकारी नहीं है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है ।

हरदोई जिले की कुण्डा नदी बांध परियोजना हेतु बोल्डरों की खरीद

*10--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सुरपालपुर, जिला हरदोई में कुन्डा नदी बांध योजना में 16 लाख रुपये के बजाय कुल 4 लाख रुपये का बोल्डर (पत्थर) क्रय किया गया जब कि भुगतान विभाग द्वारा 12 लाख रुपये का किया गया ? विभाग ने रिपोर्ट शासन को भेज दी कि समस्त उपरोक्त बोल्डर बाढ़ में बह गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुंडा परियोजना में पत्थर के लिए कितने लाख रुपये के टेन्डर हुये, कितने का कार्य हुआ और कितने रुपये का भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

14 लाख रुपये का टेन्डर हुआ था जिसमें से 11,21,572 रुपये का भुगतान किया गया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग ने शासन को इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट भेजी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसमें टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराई गई थी और उसके सम्बन्ध में जो शिकायत की गई थी वह सही नहीं पायी गई ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

शासन को क्या रिपोर्ट भेजी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा इसकी जांच टी0 ए0 सी0 से कराई गयी और जो शिकायत की गयी थी, वह निराधार थी बोल्डर की बात इसमें क्या ले आये । जो काम हुआ वह सही हुआ ।

(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 11 पुकारे जाने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, इसमें बहुत गबन हुआ है....

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह हरदोई का प्रश्न है एक प्रश्न और करने दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

6 कि0 मी0 सड़क बननी थी और केवल 4 कि0 मी0 तक पत्थर पहुंचे रिकार्ड में पूरा काम दिखा दिया गया जब कि वास्तव म पत्थर पहुंचे नहीं, यह योजना फेल हो गयी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी किलो मीटर सड़क बनी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं अगला प्रश्न बुला चुका हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के एक गबन का प्रश्न उठा रहे हैं, उसके बारे में हो सकता है चूंकि नये सदस्य हैं सवाल पूछने में कुछ गलती हो गयी हो, लेकिन जो मूल भाव है उसके लिए उनको संरक्षण मिलना नहीं चाहिये, जो भ्रष्टाचार के केस हैं, उसकी जांच होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

जो मूल भाव है उसका मंत्री जी ने उत्तर दे दिया । वह यह है कि जिस तरह से का किया जाना था वह ठीक उसी तरह से संपादित हुआ उसमें कोई गलती नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह---

उन्होंने स्पेसिफिक सवाल किया जितनी सड़क थी वह नहीं बनीं और बोल्डर नहीं पहुंचा ।

श्री राम आसरे वर्मा---

यह हरदोई का मसला है इसलिए एक प्रश्न करना चाहूंगा । क्या मंत्री जी इस बात के लिए तैयार हैं कि इस सदन की एक समिति इस मामले की जांच करे ? जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाये हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जो जांच हुई है, वह केवल ढकोसला बन कर रह गया है, जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाये हैं, वह सही हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह कटान रोकने का काम हो रहा है, सड़क बनाने के लिए यह कहां से उन्हें भ्रम हो गया, सड़क बनाने का काम सिंचाई विभाग नहीं करता, यह डंम्पर बनाने का काम हो रहा है, एक गांव में 4 बनने थे उसमें से 3 बने, दूसरे में 5 बनने थे उसमें 4 बने, तीसरे में 4 बनने थे उसमें सब बन गये, तो इस तरह से कुल 14 बनने थे और 12 बन गये । 14 लाख खर्च होना था जिसमें से 11 लाख खर्च हो गया । इस काम की जांच टी0 ए0 सी0 से कराई गयी और काम बिलकुल सही पाया गया । फक्ट यह है कि इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

मंत्री जी ने गुमराह करने वाले तथ्य दिये हैं, उन्होंने कहा सिंचाई विभाग सड़क नहीं बनवाता है । मंत्री जी को यह विदित होगा कि कुंडा परियोजना में जो टेंडर हुआ था, उसमें यह कंडीशन लगाई गयी थी कि मोटरेबल सड़क दी जायेगी और वह काम सिंचाई विभाग द्वारा हुआ । तो यह कहना कि सिंचाई विभाग की ओर से सड़क की बात नहीं थी, यह गलत है, दूसरी बात यह है कि क्या मंत्री जी इस विवरण की जांच पुनः किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप जवाब दे दें क्या पुनः जांच कराइयेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह कटान रोकने की योजना थी । 14 लाख रुपये का इसमें टेंडर हुआ था, लेकिन यह सड़क की बात कहते हैं, अब इसको मैं देखवा लूंगा । यह डंम्पर बनवाने के लिए किया गया था और यह 14 में से 12 बन गये हैं ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम गाजियापुर, मोलनापुर व चौहानपुर का घाघरा नदी से कटाव

*11--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गाजियापुर, मोलनापुर, चौहानपुर, तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ को घाघरा नदी के कटाव से बचाव के किये गत 3 साल में कितना रुपया मंजूर हुआ और उसमें कितना कार्य हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम गाजियापुर को बचाने हेतु केवल वर्ष 79-80 में 3 लाख रुपया आवंटित हुआ जिसमें से 1.27 लाख रुपया का कार्य हुआ। वित्तीय वर्ष 1977-78 एवं 78-79 में कोई धन आवंटित नहीं हुआ। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम मोलनापुर के कुछ पुरवों को भी सुरक्षा मिलती है। ग्राम चौहापुर की बाढ़ सुरक्षा हेतु अलग से सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री राज कुमार राय--

जो रुपया आवंटित हुआ था, इसमें से कितना काम हुआ, कितने बोल्डर बने थे, इसका विवरण मंत्री जी पूरा बता दें ? मेरी जानकारी के अनुसार जून, '80 तक बहुत थोड़ा कार्य हुआ था, बहुत थोड़े बोल्डर गिरे थे, पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ था।

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह योजना 5 प्वाइन्ट कुछ रुपयों की थी, जिसमें तीन ठोकरें बनी हैं। इसमें 2.37 लाख रुपया खर्च हुआ है। इनमें दो साल तक कोई रुपया आवंटित नहीं हुआ था। इस वर्ष फिर 60 लाख रुपये का खर्च हुआ है। माननीय सदस्य जिस बात के लिए कह रहे हैं, उसके लिए सर्वेक्षण हो रहा है और बाद में इसकी योजना बनाई जाएगी।

श्री राज कुमार राय--

यह जो 3 ठोकरों की बात बताते हैं, उसमें केवल थोड़ा सा अर्थ-वर्क उन पर हुआ है, आप उसकी जांच करा लें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य चाहते हैं, तो उसमें जांच करा ली जाएगी।

श्री राज कुमार राय--

जो इसका बकाया पैसा था, वह क्यों वापस किया जबकि दो साल से अब तक कटाव जारी है ? क्या पैसा भी मंजूर नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें जो पहले धन आवंटित किया गया था, पांच प्वाइन्ट कुछ लाख, उसके बारे में चीफ इंजीनियर ने मौके पर जाकर देखा और यह पाया कि इस पर इतना धन खर्च करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने बताया कि इसमें कुछ काम कम किया जा सकता है। उसी के अनुसार यह काम धन की कटौती करके किया गया। बाकी काम का सर्वेक्षण हो रहा है, बाद में देखा जाएगा कि उसमें क्या काम होगा।

श्री राम कुंवर सिंह--

इस बारे में मेरी जानकारी है कि इस पर जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, खर्च कुछ नहीं किया गया है और जो रिपोर्ट आई है, हम लोगों की जानकारी में वह बिलकुल गलत है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर उत्तर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा है कि इसकी जांच फिर से करा लूंगा ।

श्री पंचानन--

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पांच ब्वाइन्ट कुछ लाख रुपया स्वीकार हुआ था, उसमें से 2·27 लाख रुपया खर्च हुआ, तो इस प्रकार इसमें एक तिहाई रुपया भी खर्च नहीं हुआ, इस तरह से यह एक गम्भीर मसला है, तो जब घाघरा में तेजी से कटाव हो रहा है, उस पर स्वीकृत धन को खर्च न करने के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें जो लापरवाही बरते होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

गाजीपुर जिले में पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति

*12--श्री राम नरायन--

क्या सरकार को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद में जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1979 को पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति 3 लाख 48 हजार रुपये की धनराशि गाजीपुर जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के खाते में भी जमा है और अब तक उक्त धनराशि का वितरण पिछड़े वर्ग के छात्रों को नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां । किसी अधिकारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति स्वीकार न करने के लिये कार्यवाही वांछित नहीं है क्योंकि पिछड़ी जाति को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम नरायन--

गाजीपुर जनपद में 1979-80 में जो छात्रवृत्ति तीन लाख अड़तालीस हजार रुपये की पिछड़ी जाति के बच्चों को बांटने के लिए निर्धारित की गई थी और जब कि प्रदेश के हर जनपद में यह धनराशि बांटी गई, तो गाजीपुर जनपद में यह तीन लाख अड़तालीस हजार रुपये की धनराशि क्यों नहीं वितरित की गई ? मंत्री जी ने जवाब यह दिया है कि किसी अधिकारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति स्वीकार न करने के लिए कार्यवाही अवांछित नहीं थी । जब कि मेरा प्रश्न यह था कि गाजीपुर जनपद में जो रुपया शासन ने भेजा था वितरित करने के लिए वह क्यों नहीं वितरित किया गया ? प्रदेश में जब पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति वितरित की गई, तो गाजीपुर जनपद में क्यों नहीं वितरित की गई ? क्या मंत्री जी उस सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री जो थे, उस वक्त में उन्होंने यह कहा था कि छात्रों की जो संख्या है और जो उपलब्ध धनराशि है, उसको देखते हुए इनको छात्रवृत्ति न दी जाय बल्कि जो पुराने छात्र हैं, उनका नवीनीकरण कर दिया जाय ।

श्री धनी राम वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय छात्रवृत्ति का धन स्वीकृत हुआ था उस समय पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देना वैध था ? क्या उसके पहले ही पिछड़े वर्ग के छात्रों, पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को वजीफा देना बन्द किया गया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, यह हमारे समय में नहीं हुआ है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जो छात्रवृत्ति रोक दी गई और जो रुपया उनके पास जमा है, यह तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो आदेश दिया था वह जबानी दिया था या लिखित आदेश दिया था ? क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राम नरायन—

क्या केवल गाजीपुर जनपद के लिए ही ऐसे आदेश दिए गए थे या किसी और जिले के लिए भी दिए गए थे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1979–80 के लिए शासन की नीति थी कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय और इसीलिए शासन ने यह रुपया गाजीपुर जिले में भेजा, तो इसे उस वर्ष में वितरित न करने के क्या कारण हैं ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसे आदेश कर दिए थे । मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी तो फरवरी में बर्खास्त हो चुके थे, यह गलत उत्तर क्यों दिया जा रहा है ? आप इनको फटकार सुनाइये और सही उत्तर दिलाइये ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 3 लाख 48 हजार रुपया बकवर्ड वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में देने हेतु वर्ष 1979–80 के बजट में प्राविधान किया गया था जो इस माननीय सदन ने पास किया था, तो क्या कारण है कि रुपये का वितरण नहीं किया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की धनराशि को देने से

रोका गया ? यदि हां, तो सरकार के कौन से आदेश के आधार पर इसे रोका गया और किस-किस जिले में ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

तत्कालीन मुख्य मंत्री ने ऐसे छात्रों की संख्या और धन की उपलब्धि को देख कर इसको रोका था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू हो गया तो उस समय यह निर्णय किया गया कि जब लोकप्रिय सरकार आयेगी, तो नीति सम्बन्धी मामला उसके सामने आयेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

अब तो लोकप्रिय सरकार आ गयी है । एक साल का बजट भी पास हो गया था । दूसरा बजट भी आने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 3 लाख 48 हजार रुपये वितरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह तो हम सुन ही नहीं पाये ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप पुनः उत्तर दे दें ।

श्री राम आसरे शर्मा--

मान्यवर, इनसे कहिए कि ये निर्भीक होकर उत्तर दें । ऐसा लगता है कि ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब सरकार की क्या नीति है, इसका आप उत्तर दे दें और यह भी बता दें कि अब तक वितरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अभी नीति शासन के विचाराधीन है । जब तय हो जायेगी, तो सदन को बता दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इसमें मान्यवर, नीति के विचार करने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से इसका जवाब दिलवा दिया जाये । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, यह नीति विषयक सवाल है । मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दे दें ?

(व्यवधान)

श्री छत्तर सिंह---

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को बरखास्त कर दिया जाये । जो मंत्री उत्तर नहीं दे सकते उनको हटा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष---

आपने प्रश्न किया था कि यह वितरित क्यों नहीं हुआ, इस सम्बन्ध में क्या नीति है । माननीय समाज कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया कि अभी विचाराधीन है । अब यह उचित है या अनुचित है, यह हम नहीं बता सकते । उन्होंने उत्तर दे दिया ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

जैसा मैं समझ पाया हूं, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया 3.48 लाख के बारे में, उसमें दो बातों में कन्फ्यूजन है । यह 3.48 लाख रुपये का मामला विचाराधीन है या यह नीति ही विचाराधीन है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को वजीफा दिया जाये या नहीं दिया जाये ? या उस पैसे के वितरण पर निर्णय नहीं हो रहा है ?

श्री राम आसरे वर्मा---

मंत्री जी का हर जवाब अस्पष्ट है । माननीय मुख्य मंत्री जी से आप इसका जवाब दिलवा दें । यह नीति विषयक मसला है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राम आसरे जी, आप कृपया बैठिए । माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, प्रश्न यह है कि यह जो 3.48 लाख वाला मामला है, वह विचाराधीन है या पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति देने का प्रश्न विचाराधीन है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

मान्यवर, पिछली सरकार ने इसकी घोषणा की थी और जून में ही कई विद्यार्थी आये थे, जिनको स्कालरशिप नहीं मिली थी । इस वजह से वे परीक्षा नहीं दे पाये थे, उन्होंने यह प्रश्न रखा था । जब इसकी जांच की गयी तो मालूम हुआ कि पिछली सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन आर्थिक प्राविधान नहीं किया था । यह नीति सरकार के विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बताया कि लड़के उनसे मिले थे, चूंकि छात्रवृत्ति उनको नहीं मिली थी, इसलिए वे इम्तहान नहीं दे सके और पिछली सरकार ने नीति घोषित कर दिया लेकिन पैसे का प्राविजन नहीं किया था ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मैंने यह कहा था कि पूरा प्राविजन नहीं किया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की सूचना दूंगा। मान्यवर, मैंने एक जी०ओ० की कापी पिछले सत्र में सदन को दिखायी थी कि पिछली सरकार ने सिद्धान्ततः घोषित कर दिया था कि प्रत्येक पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृति दी जायगी। इसलिए जितना पैसा आवंटित किया गया था वह उतना पैसा नहीं था कि सभी बच्चों को मिल जाता। यह पिछले सदन की कार्यवाही में आ चुका है। इस प्रश्न से भी स्पष्ट है कि धन का आवंटन तो था। इसलिए यह परस्पर विरोधी है। इन्होंने कहा कि विचाराधीन है, यह भी स्पष्ट होने की जरूरत है कि यह सरकार क्या पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृति देना स्वीकार करती है और क्या यह भी विचाराधीन है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को कितनी छात्रवृति दी जायगी? मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि जितने का आश्वासन दिया था, उसके अनुसार पूरा प्राविधान नहीं किया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पिछली सरकार ने जल्दी में घोषित कर दिया, आप उसकी उस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दें, जो मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी नोटिस दीजियेगा।

उस्का—लखनापार बांध एवं ककरही—गोनहां बांध जिला बस्ती के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*13—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में उस्का—लखनापार बांध तथा ककरही—गोनहां बांध में जिन किसानों की जमीन ली गई है उनके जमीन का मुआवजा तथा जिन किसानों के खेतों से मिट्टी ली गई उनको फसल का मुआवजा दिया गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत बांधों के लिए अध्याप्त की गई जमीन का मुआवजा भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित प्रक्रियायें पूरी न होने के कारण अभी नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही मुआवजे का वितरण किया जायेगा।

उस्का—लखनापार बांध एवं ककरही—गोनहां बांध बनाने में जिन किसानों के खेतों से मिट्टी ली गई है उसकी फसल एवं मिट्टी का मुआवजा ठेकेदारों द्वारा देय है। किसी कृषक को मुआवजा न मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरजू नहर परियोजना, जिला बस्ती की कालोनियों का निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण

*14—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज के विकास खंड इटवा, भुनवापुर तथा डुमरियागंज में नहरों की कालोनी बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस कालोनी के लिए सर्वप्रथम जमीन एक्वायर के लिये क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विकास खण्ड भुनवापुर को छोड़कर शेष दो विकास खण्डों इटवा तथा डुमरियागंज में कालोनी बनाना प्रस्तावित है । इन स्थानों पर कालोनी के लिए सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

1—डुमरियागंज विकास खण्ड में 6.30 एकड़ भूमि का अर्जन प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 23-1-79 को भेजा गया था जिसकी विज्ञप्ति राजकीय गजट में अक्तूबर 1979 में प्रकाशित हुई । इस विज्ञप्ति पर कृषकों द्वारा आपत्ति की गई जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया ।

2—डुमरियागंज तहसील के ही ग्राम भानपुर में कालोनी के निर्माण हेतु 2.699 एकड़ भूमि अर्जन का प्रस्ताव तहसीलदार डुमरियागंज को भूमि अधिग्रहण हेतु दिनांक 5-5-80 को भेजा गया था इस प्रस्ताव के परीक्षण के समय कुछ त्रुटियां पाई गईं । अतः प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा रद्द कर दिया गया पुनः 3.254 एकड़ भूमि का संशोधित प्रस्ताव तहसीलदार को भेजा गया जिस पर अग्रिम कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा रही है ।

3—विकास खण्ड इटवा में कालोनी हेतु 2.32 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के लिए भूमि अध्याप्ति प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोरखपुर को अगस्त 1979 में भेजा गया था । इस भूमि का प्रकाशन धारा 4 (1) के अन्तर्गत नवम्बर 79 में हो चुका है । धारा 6 के प्रकाशन हेतु प्रकरण विशेष भूमि कार्याधिकारी, लखनऊ को सितम्बर 1980 में भेजा जा चुका है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जैसा कि आपने फरमाया कि दो-दो बार जमीन के लेने की बात कही गयी, एक बार कलेक्टर ने उसको अस्वीकृत कर दिया, एक बार तहसीलदार ने अस्वीकृत कर दिया । जिन जमीनों को लेने के लिए आपके नहर विभाग ने पसन्द किया और जब घेराबन्दी शुरू हुई, नपवाना शुरू हुआ, तो गरीब आदमी तो सता दिये गये । सिर्फ लोगों के दबाव के कारण दो-दो बार प्रस्ताव छोड़ा गया, खाली दबाव में, कोई लीगल बात नहीं थी । तो क्या माननीय मन्त्री जी पुनः जांच करायेंगे कि जिन जमीन को पुनः लिया गया था, उसको लिया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो डुमरियागंज में जमीन ली गयी थी उसमें पहले कब्रिस्तान थी । इसलिये उस जमीन को छोड़ना पड़ा । दूसरी बार फिर जमीन के लिये किया

गया । लेकिन उसमें तमाम उस तरह की बातें थीं । जिलाधिकारी ने जांच करके दूसरी भूमि को रिकमेंड किया । इस प्रकार जहां पर जमीन के लिये बात थी, उसमें संशोधन करके बना दिया गया है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, कब्रिस्तान नहीं था । एक खेत में कब्रिस्तान बना दिया गया था । क्या उसका खसरा-खतौनी में जिक्र किया है ? मेरी सूचना को सही मानकर इनको बनाने के लिये और सेंटीमेंट्स को कुरेदने के लिये कब्र बना दी गयी थी । मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे कि वहां पर कब्रिस्तान नहीं था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने खुद देखा था और कहा । माननीय सदस्य कहते हैं, तो फिर जानकारी करा लेंगे ।

कानपुर जिले के ग्राम शहबाजपुर के निकट राम गंगा नहर का कटाव

*15-श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत 9 अगस्त, 1980 को जनपद कानपुर के ब्लाक ककवन के अन्तर्गत गांव शाहबाजपुर के पुल के पास रामगंगा नहर के कट जाने का क्या कारण था और नहर कटने से कितने गांव जलमग्न हुए थे तथा उनमें कितने-कितने प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ ? प्रश्नकर्ता द्वारा सूचना देने के कितने दिन बाद नहर बांधी गयी तथा सूचना के बावजूद 2 सितम्बर, 1980 तक परगनाधिकारी के वहां न पहुंचने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 9 व 10 अगस्त, 1980 की रात्रि में जनपद कानपुर के ब्लाक ककवन के अन्तर्गत ग्राम शहबाजपुर के पास पश्चिमी इलाहाबाद शाखा नहर कट गयी थी, जिसका कारण क्षेत्र में भारी वर्षा तथा नहर की पटरी पर कट के स्थान पर कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से लगाये और छिपाये गये पाइप थे ।

क्षेत्र में भारी वर्षा तथा रिन्द नदी की भीषण बाढ़ के जल से नहर का पानी भी मिल गया था, जिससे क्षेत्र के 8 ग्राम प्रभावित हुये तथा 100 एकड़ फसल में 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई ।

नहर 13 अगस्त, 1980 को सायंकाल तक बांध दी गयी थी ।

दिनांक 12-8-80 को परगनाधिकारी ने ककवन का स्वयं निरीक्षण करके शहबाजपुर कैम्प स्थापित करने को आदेशित किया और वे स्वयं कैम्प में जाने के लिए इसी तिथि पर रवाना हुए । किन्तु ककवन और शहबाजपुर के बीच पाण्डव नदी एवं भीषण वर्षा पानी के फैलाव से ककवन रसूलाबाद रोड सात स्थानों पर अवरुद्ध हो जाने और आवागमन का कोई साधन तथा नाव उपलब्ध न होने के कारण रास्ते से लौट गये ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह है कि इस नहर में ज्यादा पानी डाल दिया गया था । उसकी वजह से नहर कट गयी और पानी भर गया । उत्तर जो आया

है, वह तथ्य को छिपाने वाला आधा है। मेरे पास डाकूमेन्ट्री प्रूफ मौजूद हैं। तो, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इसकी जांच नहर विभाग के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जिसको डी0 आर0 ओ0 कहते हैं, उन्होंने 18-9-80 को जांच की थी और उस जांच में उन्होंने यह स्वयं स्पष्ट किया है कि यह नहर अपने आप कट गयी थी और पानी भरा। उससे इतना नुकसान हुआ। वह पत्रांक 1321, दिनांक 27-9-80 का है। तो, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब यह प्रमाणित है और एक मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी है, तो नहर अपने आप कटने की बात प्रमाणित है तो, इस आधार पर क्या माननीय मन्त्री जी इस नुकसान को देखते हुये कम से कम मुआवजा देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो बात कही गयी है, ऐसी बात नहीं है। नहर की क्षमता 1787 क्यूसेक थी लेकिन जिस समय नहर कटी वह 996 क्यूसेक पर चल रही थी अर्थात ज्यादा पानी नहीं था। लेकिन बहुत ज्यादा वर्षा हुयी। अगस्त के महीने में 577 मिली मीटर वर्षा हुयी। जब कि अगले वर्ष 28 मिली मीटर थी। इस तरह से अधिक वर्षा से वाटर लाजिंग हुयी। इसलिए गांव वालों ने नहर को काटा क्योंकि उससे एक समस्या पैदा हो गयी थी कि पानी को कैसे निकालें। मान्यवर, सड़क भी जगह-जगह कट गयी थी तो लोगों ने मजबूरन सड़क को काट दिया। इसके बावजूद भी मैंने कहा जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ और वहां पर मुआवजा दे दिया जाय।

सरजू नहर खन्ड द्वितीय, मानपारा की मशीनों की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

*16--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना के सरजू नहर खंड 2 में काम प्रारम्भ नहीं हो पाया और पिछले 9 वर्ष से जो मशीन तथा दूसरे यंत्र थे उन पर प्रति वर्ष मरम्मत पर लाखों रुपया खर्च किया गया है जब कि मशीनें पूर्णतया बेकार सी हो गयी हैं ? यदि हां, तो मशीनों की मरम्मत पर कुल कितना खर्च हुआ ? किन-किन कंपनियों के द्वारा मरम्मत करायी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरजू नहर खंड द्वितीय, मानपारा 16 जनवरी, 1979 से सृजित हुआ था। अतः इस खंड द्वारा गत नौ वर्षों से मशीनों तथा दूसरे यंत्रों की मरम्मत पर काम करने का प्रश्न नहीं उठता। इस खंड में केवल चार मशीनें पूर्णतया बेकार हैं जिनकी मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है। अतः कम्पनियों के विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

उक्त खंड के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 से अब तक लगभग 18.58 लाख रुपये बेकारोपयोग अन्य मशीनों की मरम्मत पर व्यय किये गये।

नोट :--नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

विकास क्षेत्र भाटपार रानी एवं बनकटा जिला देवरिया में भूमिगत जल का स्तर तथा नलकूपों का निर्माण

*17--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के भाटपार रानी एवं बनकटा ब्लाकों में पानी का सतह ऊपर गया है तथा इस संबंध में अधिशासी अभियंता नलकूप, सिंचाई विभाग, देवरिया ने कोई सुझाव भेजा है ? यदि हां, तो वह सुझाव क्या है ? और पानी की सतह को नीचा करने हेतु कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । जनपद देवरिया के भाटपाररानी एवं बनकटा विकास क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर कुछ ऊपर आ गया है । अधिशासी अभियन्ता द्वितीय देवरिया ने इस क्षेत्र म परीक्षण के तौर पर 15 नलकूप भाटपार रानी तथा 10 नलकूप बनकटा विकास क्षेत्र में लगाने का सुझाव दिया था । प्रश्नगत क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भूमिगत जल का स्तर भी नीचा करने में सहायता मिलेगी ।

समाज कल्याण विभाग, इलाहाबाद मन्डल के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*18--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मंडल के वर्तमान उप निदेशक समाज कल्याण ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं अप्रैल/मई, 1980 में समाप्त की हैं, उनकी नियुक्ति एवं नियुक्ति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी उप निदेशक द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो इनकी सेवायें क्यों समाप्त की गयीं ? नियुक्त अधिकारी न होते हुए भी जिस अधिकारी ने उनके नियुक्ति आदेश जारी किये थे उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उनसे इन कर्मचारियों के वेतन की रिकवरी कर ली गई है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

इलाहाबाद मन्डल में विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा लिपिकों की तदर्थ 13 नियुक्तियों को अनियमित होने के कारण नये उप निदेशक ने 26-4-80 को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त समाप्त कर दिया । इन नियुक्तियों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी उप निदेशक द्वारा नहीं किया गया था ।

इस अनियमित नियुक्ति के लिये उत्तरदायी अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है । संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही करना संभव होगा ।

[दिनांक 28 जनवरी, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

[21 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आलमबाग, भोलाखेड़ा, लखनऊ की सड़क निर्माण सम्बन्धी पत्र

*2--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर में भोला खेड़ा, आलमबाग मोहल्ले एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण की गयी कालोनी के मध्य 13 फिट जगह पर मुहल्ले तथा कालोनी के निवासियों की सुविधा के लिए सड़क बनाने विषयक सिंचाई मंत्री को संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-8-80 पर दिये गये मन्त्री जी के आदेश के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखनऊ शहर में आलमबाग क्षेत्र में स्थित भोलाखेड़ा के निवासियों के आने-जाने की सुविधा हेतु नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और उसको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए सिंचाई विभाग ने स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया है ।

बैडमिन्टन के खिलाड़ी श्री संजय मेहरोत्रा एवं श्री अखिलेश चन्द्र का लन्दन में प्रशिक्षण

*3--श्री इयाम लाल बाजपेयी--

क्या खेलकूद मंत्री को पता है कि खेलकूद विभाग उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप 1979 की पत्रिका के पृष्ठ 7 पैरा 5 में वर्णित बैडमिन्टन में अतिरिक्त प्रतिभा बढ़ाने हेतु 1979 में दो खिलाड़ियों श्री संजय मेहरोत्रा और अखिलेश चन्द्र को एक प्रशिक्षक के साथ लन्दन भेजा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पत्रिका में बैडमिन्टन प्रशिक्षक का नाम क्यों नहीं प्रकाशित किया गया ? साथ ही अन्य खेलों को बेहतर बनाने के लिये उनको विशेष प्रशिक्षण हेतु क्यों नहीं भेजा गया ? और क्या यह सत्य है कि बैडमिन्टन खिलाड़ियों में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास का पुत्र भी था, जिसके लिए राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

खेलकूद मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

जी हां ।

पदनाम देना पर्याप्त समझा गया ।

अन्य खेलों में भी विभिन्न वर्षों में क्रीड़ा संघों की संस्तुति व विभाग की आर्थिक स्थिति के प्रकाश में विशेष प्रशिक्षण हेतु भेजा गया जैसा कि संलग्न तालिका से स्पष्ट है । जी हां । सम्बन्धित क्रीड़ा संघ की संस्तुति पर समुचित विचारोपरान्त ही इस खिलाड़ी को भेजा गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 197 पर) ।

सरजू नहर परियोजना बांध जिला बस्ती की बांसी ब्रान्च के निर्माण सम्बन्धी आवेदन-पत्र

*4—श्री कुबेर भंडारी, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री राम करन तथा श्री रामधनी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना बांध बांसी के कि0 मी0 59 से 64 के बीच के ग्राम रानीपुर, मैसामाफी नारायनपुर, करहना आदि की जनता ने अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खंड, बस्ती द्वारा नहर का मार्ग बदलने के विरोध में आवेदन पत्र दिनांक 23-5-80, 26-7-80, 30-9-80 व 28-10-80 दिये हैं। यदि हां, तो उन आवेदन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत बांसी ब्रांच के कि0 मी0 59 से 63 के बीच ग्राम रानीपुर, मैसामाफी, नारायनपुर, करहना आदि के कुछ व्यक्तियों ने समरेखन के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिनांक 23-5-80, 30-9-80 व 28-10-80 दिये हैं। दिनांक 26-7-80 का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। इन आवेदन-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी-अभिन्यता द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जिसके पूर्ण होने पर नहर के प्रस्तावित समरेखन के विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

*5—श्री जयराज गौतम—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

शारदा सहायक, हैदरगढ़ ब्रान्च पर पुल निर्माण की मांग

*6—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की हैदरगढ़ ब्रांच पर हरदोइया स्केप पर वर्ष 1977 में तीसरी फाल पर स्वीकृत पुल न बनने के कारण तथा स्केप में बराबर दो मीटर पानी बहते रहने के कारण अनेक गाँवों के छात्रों तथा क्षेत्रीय जनता का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। यदि हां, तो पुल न बनने का क्या कारण है तथा आवागमन जारी रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979-80 में हरदोईया स्केप के तीसरे फाल पर ग्राम बजगिहा एवं खवास खेड़ा के काश्तकारों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण पुल का निर्माण नहीं हो सका। इस पुल का निर्माण जून, 1981 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

सिंचाई विभाग के प्रभारित कर्मचारियों का वेतन

*7—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 170 रुपया पाने वाले कर्मचारियों का अब 120 रुपया ही दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुनः प्रभारित कर्मचारियों को 170 रुपया न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों के साथ मासिक वेतन भुगतान किया जायेगा, यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कार्य प्रभारित कर्मचारियों को जिनको न्यूनतम संहत वेतन 170 रु0 प्रतिमाह मिल रहा है उन्हें अब कुल 120 रुपया देने का प्रस्ताव नहीं है ।

कार्य प्रभारित अधिष्ठान में 170 रुपया प्रति मास पाने वाले तथा अन्य निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति ही वेतन आदि दिया जाना प्रस्तावित है ।

सिंचाई विभाग के ग्राफ आर्टिस्ट का वेतन मान

*8--श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

क्या सरकार को ज्ञात है कि वेतन असंगतियां समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु गठित मंत्रि परिषद की उप समिति (के निर्णय एवं प्रस्ताव) ने 1975 में यह सिफारिश की थी कि विभिन्न विभागों में कलाकारों के पदों पर कार्यरत हाई स्कूल या इंटर के बाद कम से कम 5 वर्ष का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला में डिप्लोमाधारी पद धारकों को 350-700 रु0 का वेतनमान दिया जाय बशर्ते कि सम्बन्धित पदों पर भर्ती हेतु चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ हो ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय के तदर्थ रूप से कार्यरत ग्राफ आर्टिस्टों को अक्तूबर, 1975 से उक्त वेतन मान का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में तदर्थ रूप से कार्यरत ग्राफ आर्टिस्टों को 350-700 का वेतनमान किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार अर्थ एवं संख्या निदेशालय में ग्राफ आर्टिस्टों के तीन पद हैं जिन पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति की गयी थी । इन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की अन्यत्र नियुक्ति के फलस्वरूप ग्राफ आर्टिस्ट के रिक्त पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को 350-700 रु0 का वेतनमान दिया जा रहा है ।

सिंचाई विभाग में ग्राफ आर्टिस्ट के पदों पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से न होने के कारण यह पद वेतनमान 300-500 में स्वीकृत हैं । इन पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में लाने तथा 350-700 रु0 का वेतनमान देने के सम्बन्ध में दिनांक 1-1-81 को शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

प्राइवेट बसों की रात्रि सेवा

*9--श्री राजकुमार राय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट बसों की रात में चलने की व्यवस्था बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें पुनः चलवाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति

*10—श्री पंचानन—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले दशमोत्तर कक्षाओं के पिछड़ी जाति के छात्रों को हरिजन छात्रों की भाँति छात्रवृत्ति देने की नीति में शासन कोई परिवर्तन करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो इन छात्रों को उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*11—श्री मित्रसेन—

[18वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के राजपत्रित कर्मचारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

*12—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने ऐसे हैं, जो लोक सेवा आयोग से अनुमोदित न होकर तदर्थ रूप से अपने वर्तमान पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या लोक सेवा आयोग से अनुमोदन हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

हरिजन समाज कल्याण विभाग में 278 राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं । इनमें से 161 अधिकारी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं है और तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ।

उक्त अधिकारियों के पदों के लिये नियमित चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकारियों की सेवा नियमावली तैयार करने के पश्चात् यथा शीघ्र कराया जायगा ।

आश्वासन समिति के नवां विशेष प्रतिवेदन की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*13—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का नवां विशेष प्रतिवेदन जो सदन के पटल पर रखा जा चुका है और जिसमें आश्वासन समिति 78-79 ने आश्वासन सं0 208/75 के सम्बन्ध में पृष्ठ सं0 8 पर जो 3 संस्तुतियां की हैं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आश्वासन समिति को गलत सूचना दिए जाने के लिए श्री रामराज शर्मा, जिलेदार को दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें कठोर चेतावनी निर्गत की गई, जिसकी सूचना आश्वासन समिति को पहले ही दी जा चुकी है तथा तत्कालीन सचिव, सिंचाई विभाग इस सम्बन्ध में आश्वासन समिति को 11-8-1978 की बैठक में खेद प्रकट कर चुके हैं तथा अपनी और विभाग की ओर से क्षमा याचना कर चुके हैं ।

अधिगृहित भूमि का कब्जा लेते समय लापरवाही बरतने के लिए श्री जसवंत सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता (अब सहायक अभियन्ता) को कठोर चेतावनी दी गयी, जो इनकी चरित्र पंजी में रक्खी गई । इसमें किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की साठ-गांठ होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है ।

प्रश्नगत अवैध कब्जे को हटाने के लिए एस० डी० एम०, गाजियाबाद की अदालत में वाद सं० 4/1978, दिनांक 24-6-78 को दायर किया जा चुका है । अब अगली तिथि 4-2-81 वास्ते सबूत नियुक्त हुई है । अदालती कार्यवाही सक्रिय रूप से जारी है ।

*14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[22वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैथना (अल्मोड़ा) पेयजल योजना की जांच

*15--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैथना (अल्मोड़ा) पेयजल योजना के बारे में कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो उसकी रपट क्या है ? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जी हाँ ।

नैथनवा (अल्मोड़ा) पेयजल योजना के निर्माण कार्य में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं और जांच के बाद उसमें दोषी पाये गये 2 सहायक अभियन्ताओं एवं एक अवर अभियन्ता को दंडित किया गया । जो अनियमिताएं पाई गईं वे मुख्यतः इस बात की थीं कि पाइपों की जुड़ाई में सावधानी नहीं बरती गई । नट-बोल्ट ढीले होने के कारण लीकेज था और कुछ स्थानों पर जितनी गहराई से पाइपों को डालना चाहिए था उतनी गहराई में अर्थ वर्क करके नहीं डाला गया ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*16--श्री गंगा सागर शंखवार तथा श्री कृष्णदत्त उर्फ बालराज--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० 22-9-80 को उनको जौनपुर के कुछ विधायकों की तरफ से वहां के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसकी जांच की मांग की गयी थी और निष्पक्ष जांच के लिए उक्त अधिकारी को

हटाने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक कौन कार्यवाही की गयी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच किये जाने हेतु मामला सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दिया गया है ।

सिंचाई विभाग, लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता, श्री ओ० पी० वैश्य के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*17--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई खंड प्रथम लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता (श्री ओ० पी० वैश्य) के विरुद्ध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी शाखा की ओर से ता० 17-6-80, 7-6-80, 28-6-80, 6-8-80 तथा 7-8-80 को शिकायती-पत्र शासन को प्रेषित करते हुए अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्रों पर शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश लखीमपुर शाखा के शिकायती पत्र दिनांक 7-6-80, 17-6-80, 28-6-80 एवं 6-8-80 शासन को नहीं प्राप्त हुए। परिषद् के पैड पर श्री के० सी० मिश्रा के हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिनांक 12-6-80, 14-6-80, 24-6-80, 7-8-80 एवं 31-8-80 प्राप्त हुये थे ।

उपर्युक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, सीतापुर से कराई गई है । जांच रिपोर्ट शासन को 22-1-1981 को प्राप्त हो गई है ।

शारदा सहायक खंड 45, जिला आजमगढ़ के ठेकेदारों का भुगतान

*18--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 45 का कार्यालय कार्य समापन के बाद इस वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980-81) के बीच ही हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके कार्य क्षेत्र में हुये पूर्ण कार्यों (पुलों एवं गूलों) का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । शारदा सहायक खंड 45 आजमगढ़ द्वारा गूलों का कार्य नहीं कराया जा रहा था । खंड द्वारा कराये गये कार्यों का अधिकतर भुगतान हो गया है और अवशेष कार्यों की जांच कर भुगतान की कार्यवाही शारदा सहायक खंड 32 एवं 52 आजमगढ़ द्वारा नियमानुसार की जा रही है ।

*19--श्री मोती लाल देहलवी--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी

*20--श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय हरिजन एवं समाज कल्याण आलमनगर, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गरम व ठंडी वर्दी आदि कब से नहीं दी गयी ? क्या सरकार उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारियों) को गरम व ठंडी वर्दी आदि की सुविधा देने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) आलमनगर, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गरम व ठंडी वर्दी नहीं दी गई हैं।

यह विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल के स्तर का है । अतः इस विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने के प्रश्न पर शिक्षा निदेशक से विचार विमर्श करके ही निर्णय लेना उचित होगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वेतन आयोग की रिपोर्ट

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री हरिवंश सहाय, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन तथा श्री पंचानन--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय मूर्ति प्रेम प्रकाश तथा श्री बंशीधर पांडेय की अध्यक्षता में गठित दोनों वेतन आयोगों की रिपोर्टें हाल में ही शासन को प्राप्त हो गई हैं ? क्या सरकार उक्त रिपोर्टों की प्रतियां सदन के पटल पर रखते हुये कृपया बतायेगी कि उन पर शासन ने अब तक क्या निर्णय लिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

वेतन आयोग (राज्य कर्मचारी) तथा वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) की रिपोर्टें दिनांक 26-11-1980 को शासन को प्रस्तुत की गई थीं । उक्त रिपोर्टों में की गई संस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व सम्भावित वेतन असंगतियों के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापों का परीक्षण किया जा रहा है ।

रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद शीघ्र छपाने का प्रयास किया जा रहा है । छपने पर सदन के पटल पर रख दिया जायेगा । सुविधा के लिए अंग्रेजी का सेट विधान सभा पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो परीक्षण किया जा रहा है, वह परीक्षण कौन कर रहा है ? उन परीक्षण करने वालों को क्या

इस आशय के आदेश दिये गये हैं कि न्यूनतम वेतन 550 रु0 समान कार्य के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन और अधिकतम में 1/6 अनुपात है आदि-आदि, अगर दिया गया है, तो वह बिन्दु क्या हैं, और परीक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इन सारे मामलों की रिपोर्ट मंत्रि परिषद् के सामने रखी गई थी। मंत्रि परिषद् में परीक्षण हो रहा है। बिन्दु क्या हैं किस प्रकार से तनख्वाहें मिलेगी, कितना वेतन बढ़ाया जायगा यह सब चीजें ऐसी हैं, जिनको इस स्टेज पर बताना जनहित में नहीं होगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह सब न्याय के अनुसार हर चीज की जायेगी उसके विपरीत कोई चीज नहीं होगी।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद छपवा रहे हैं और अंग्रेजी प्रति पुस्तकालय में एवेलेबुल है, जिस किसी को देखना हो देख सकते हैं। हिन्दी अनुवाद करवाने में इसमें काफी समय लगेगा और उसके बाद माननीय सदस्यों को दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर भी भेजा है कि सभी माननीय सदस्यों को पे कमीशन की रिपोर्ट की एक प्रति दी जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सारी रिपोर्ट का सारांश छपवा कर सदन के पटल पर रख कर माननीय सदस्यों को वितरित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, रियासत साहब की आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। उनकी आज्ञा का पालन किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षण और अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा और जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक राज्य कर्मचारियों और जो अन्य कर्मचारियों, जिनके बारे में रिपोर्ट है, उनको एकमुश्त सहायता देने के बारे में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो प्रतिवेदन सरकार को मिले हैं उनकी संख्या बहुत लम्बी है। मेरा विचार है सभी ने प्रतिवेदन दिया है। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है, इसमें वित्तीय भार की बात है किसी प्रकार की इस तरह की कोई सहायता देना या रिलीफ देना मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा।

श्री पंचानन--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों पर परीक्षण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इन ज्ञापनों को प्राप्त करने की सरकार ने क्या कोई प्रक्रिया निर्धारित किया है। अगर कोई प्रक्रिया है, तो क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सबसे पहले तो जो प्रतिवेदन शासन को मिले उनका तो रिपोर्ट में कोई जिक्र तक नहीं है। पे रिपोर्ट की सूचना पब्लिश कर दी गई थी, सभी लोग अपने ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है।

श्री पंचानन--

मैंने पूछा है कि ज्ञापन कहां देंगे, वह ज्ञापन सचिवालय में फेंक कर चले जायेंगे या कोई एजेन्सी निर्धारित की गई है कि इनकी सूचना दी गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिस तरह चाहें किया जायेगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

विज्ञापनों की बहुत बड़ी संख्या देखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोई अलग से मंत्रि परिषद् की कमेटी बना दी जाये ताकि जल्दी से इंतजाम कर लें और जो कर्मचारियों की उत्कंठा है वह शान्त हो सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जहां तक ज्ञापनों का सवाल है कि कहां दिये जायें, मेरा ख्याल है कि मैं स्वयं प्रतिदिन काफी संख्या में रिसीव करता हूं और मंत्रिगण रिसीव करते हैं, अधिकारीगणों को दिया जा सकता है, वे सब एक जगह आ जायेंगी। रही कमेटी की बात, इस पर कर्मचारियों ने भी, एक बड़ी भारी सभा हुई थी, उसमें अनुरोध किया था कि एक कमेटी बना दी जाये और सरकार भी इस पर सहमत है कि कमेटी बना दी जाये।

श्री मित्रसेन--

सचिवालय के भीतर और बाहर जो कर्मचारी हैं उनके समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करने के सिद्धान्त पर यह सरकार सहमत है या नहीं और दूसरे विभिन्न...

श्री अध्यक्ष--

यह तो इससे अलग प्रश्न है।

श्री मित्रसेन--

विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु क्या द्वि-पक्षीय वार्ता हेतु उनके प्रतिनिधियों को बुलायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने मान्यवर, पहले ही निवेदन किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और जिस चीज की आवश्यकता होगी वह की जायेगी।

श्री सूबेदार सिंह---

चूंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट की विसंगतियों को लेकर राज्य कर्मचारियों में असंतोष है और हर जनपद, तहसील में व्यापक रूप से आन्दोलन हो रहे हैं,

इस बात को दृष्टि में रखते हुए जबकि कार्यालयों में काम सफर कर रहा है, कोई अन्तरिम आश्वासन देंगे ताकि कर्मचारी आश्वस्त होकर आन्दोलन छोड़कर काम करें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, रिपोर्ट में विसंगतियां कहां से हुईं, इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, जल्दी इसका परीक्षण कराया जा रहा है, कर्मचारियों से भी अपील की है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो उन्हें भी अपना काम करना चाहिये

श्री ऊदल--

सब कर्मचारी हड़ताल भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, क्या मंत्री जी का ध्यान हाई कोर्ट और जिला जज की ओर भी गया है कि उनको क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अगर ऊदल जी की कृपा दृष्टि इस तरफ रहेगी, तो इन कामों पर कुछ रोक अवश्य लगेगी और जहां तक कि दूसरे लोगों का सम्बन्ध है किसी एक वर्ग से इसे सीमित नहीं किया गया है । जो परिधि में आते हैं, सब पर शासन का ध्यान गया और सब पर विचार किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि असंगतियों के बारे में ज्ञापनों का परीक्षण किया जा रहा है, तो परीक्षण कौन सी एजेंसी कर रही है ? क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब हाउस बुला लिया था, तो उसके बाद सदन के बाहर यह घोषणा की थी कि एक एनामली कमेटी नियुक्त की जायगी ? तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब सदन बुला लिया गया था, तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन से बाहर इस तरह की घोषणा करने का क्या औचित्य था ?

श्री अम्मार रिजवी--

सम्मानित सदस्य ने इस बात को एडमिट किया है कि सदन बुलाये जाने की सूचना से पहले माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी । इसका मतलब यह हुआ कि घोषणा हो चुकी थी जैसे ही पे कमीशन की रिपोर्ट आई है, इसके बाद कोई नीति सम्बन्धी घोषणा नहीं हुई है ।

श्री हरिवंश सहाय--

आपने जो इशारा किया है कि उनको बुलाकर उनको तत्काल सुनने का मौका देंगे तो क्या यह सही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर दे चुका हूं ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो समिति की घोषणा करने की बात कही गयी है, उनमें कितने-कितने सदस्य हैं और कब से जांच का काम शुरू होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सदस्य कौन होंगे इसकी घोषणा की जायगी । जो उपयुक्त लोग होंगे उस सिलसिले में उनको नियुक्त किया जायगा ।

श्री शंकर सिंह--

सरकार की ओर से बार-बार घोषणा हो चुकी है कि सभी सरकारी कार्य हिन्दी में होंगे लेकिन यह रिपोर्ट अंग्रेजी में आई है, तो इसका क्या कारण है ? दूसरे कोई ऐसे संगठन भी हैं जिनसे ज्ञापन प्राप्त नहीं हुई है और जो संतुष्ट हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है जब यह कमीशन गठित किया गया तो टर्म्स आफ रिफरेंस में सम्मानित सदस्य को इस बात को इंगित करना चाहिये था कि इसकी रिपोर्ट हिन्दी में हो । वैसे हम हिन्दी में अनुवाद करा रहे हैं । जहाँ तक ज्ञापनों का सम्बन्ध है सब लोगों ने ज्ञापन दिये हैं, उनकी एक लम्बी सूची है । यह बतलाना संभव नहीं है कि किसने ज्ञापन दिया है और किसने नहीं दिया है ।

श्री पंचानन--

क्या सरकार कोई ऐसी एजेंसी निर्धारित करेगी जहां कर्मचारी संगठन अपना प्रतिवेदन जमा कर सकें ?

श्री अम्मार रिजवी--

अभी तक जो प्रतिवेदन आ चुके हैं वे हमारे पास हैं । जब कमेटी की घोषणा हो जायगी, तो कमेटी के पास प्रतिवेदन दे सकते हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

जो जवाब आये हैं उनसे ऐसा लगता है कि जो नये वेतनमान हैं, उनके निर्धारण में काफी समय लग सकता है, तो क्या मंत्री जी कोई अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करेंगे जिससे नये वेतनमानों का क्रियान्वयन हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सूबेदार सिंह जी दूर की बात सोच रहे हैं, हम तो करीब की बात सोच रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों से ज्ञापन प्राप्त करने के लिये क्या कोई तिथि पहले से निर्धारित कर दी गयी थी कि इस-इस तिथि तक ज्ञापन लिये जायेंगे ? यदि हां, तो वह तिथि क्या थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात है कि वर्तमान के वेतनमान समान व युक्तिसंगत नहीं हैं ? निरंतर बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो वेतन मिलना चाहिये था और जिसके लिये कमेटी बनायी गयी थी, उसके अन्तिम निर्णय में काफी समय लगेगा, कर्मचारियों को कोई निर्धारित अन्तरिम सहायता न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, रिपोर्ट आने के बाद, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, हर तरफ से जितनी सर्विसेज हैं, करीब-करीब सब जगह से प्रतिवेदन मिले हैं । तो इस समय स्थिति यह है कि एक तरफ वेतनमान बढ़ाये भी गये हैं और कोई सन्तोष भी नहीं है । तो इन पर विचार किया जाना चाहिये और इनका परीक्षण किया जाना चाहिये । उसका परीक्षण किया जा रहा है । उससे पहले किसी को क्या दिया जाय, इसका परीक्षण करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है । अगर इस प्रकार की आपत्तियां न उठायी गयी होती, तो इस सम्बन्ध में निर्णय ले ही लिया गया होता ।

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव द्वारा ड्रेनों एवं पुलों का निर्माण

1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण खंड, उन्नाव द्वारा मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन ड्रेनों की सफाई गत वर्ष करायी गयी, कौन-कौन सी नई ड्रेनें प्रस्तावित हुईं ? क्या यह भी सही है कि हथौड़ा ड्रेन पर गत वर्षों से स्वीकृत गौरा एवं इसरापुर के पुलों का निर्माण कार्य भी खतरे में डाल कर स्थगित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई निर्माण खंड उन्नाव द्वारा मल्लावां क्षेत्र (विकास खन्ड) के अन्तर्गत किसी भी ड्रेन की सफाई का कार्य गत वर्ष (1979-80) में नहीं कराया गया । इस क्षेत्र में दो नई ड्रेन मुस्तफाबाद ड्रेन तथा करबल ड्रेन प्रस्तावित की गई हैं । यह सही नहीं है कि गौरा एवं इसरापुर के पुलों की स्वीकृति मूल हथौड़ा ड्रेन परियोजना में थी । इन पुलों की स्वीकृति तकनीकी सलाहकार समिति से प्राप्त कर ली गई है तथा उसके निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य सड़क एवं परिवहन निगम की बसों का मूल्य तथा उनकी मरम्मत एवं नीलामी

2--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम की एक नई बस की लागत कितनी बैठती है ? और यह नई बस कितने वर्ष तक बिना अतिरिक्त लागत लगाये चलती है ? क्या यह सत्य है कि नई से नई बस 1 वर्ष

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बाद ही खराब होने लगती है, फिर उस पर 80 हजार प्रतिवर्ष रख-रखाव पर व्यय किया जाता है ? उसके बाद भी अपने जीवन के पाँच वर्ष पूरे करने के पूर्व ही वह बस नीलाम कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की नई बस चेसिस का वर्तमान मूल्य लगभग 1.50 लाख रु0 है । प्रत्येक बस बाडी के निर्माण पर लगभग 50,000 रु0 की लागत आती है । सामान्यतः नई बस लगभग चार वर्ष तक चलती है और उस पर कोई विशेष मरम्मत का व्यय नहीं होता । लेकिन छोटी-मोटी मरम्मत आवश्यकतानुसार की जाती है । तीन वर्ष की अवधि के बाद सामान्यतः बड़ी मरम्मत का कार्य किया जाता है । इस प्रकार की बस का जीवनकाल 4,80,000 कि0 मी0 सामान्यतः है । यह सही नहीं है कि अपने जीवन के पांच वर्ष पूरे करने से पहले ही एसी बस नीलाम कर दी जाती है ।

राजकीय अधिकारियों को प्रदान की गयी वाहन की सुविधा

3--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अधिकारियों को जो राजकीय वाहन राजकीय कार्यों के लिए मिले हैं इस सुविधा को दुरुपयोग से बचाने के लिए जिला और प्रदेश स्तर पर गैर सरकारी समितियां गठित करने के लिए शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस नीति को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

परिवहन निगम के बस स्टेशन के निकट प्राइवेट बसों एवं मिनी बसों के अड्डे

4--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या परिवहन मन्त्री उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों के सामने की भूमि पर प्राइवेट बसों और मिनी बसों के मालिकों का आधिपत्य शासन की रजामन्दी से है ? यदि नहीं तो शासन इस आधिपत्य को समाप्त करके परिवहन निगम की आय बढ़ाने की दिशा में क्या उपाय सोच रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के नियम 93 के अन्तर्गत जिलाधिकारी नगरों में बस के अड्डों का स्थान निर्धारित करते हैं । उन्हें यह आदेश दिए गए हैं कि वे प्राइवेट बसों और मिनी बसों के अड्डे परिवहन निगम के बस स्टेशनों से कम से कम एक किलोमीटर दूर निर्धारित करें । जहां कहीं प्राइवेट बसों को परिवहन निगम के बस स्टेशनों के पास अनधिकृत रूप से खड़ी करने की शिकायतें मिलती है, उन्हें पुलिस तथा परिवहन विभाग के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जाती है ।

श्री भगवंत चौकीदार, के0 डी0 सिंह स्टेडियम लखनऊ को मारे पीटे जाने की घटना

5--श्री श्यामलाल वाजपेई--

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 अक्टूबर, 1980 को श्री भगवंत, चौकीदार के0 डी0 सिंह स्टेडियम, लखनऊ को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने लात-घूसों से पटक-पटक कर मारा, जिससे उसके गुप्तांग पर काफी चोटें आईं जिसके कारण से दो दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा ? इसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता ने 22 अक्टूबर, 1980 को मंत्री जी तथा 27 अक्टूबर, 1980 को सचिव खेलकूद को दे दी थी ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण--

श्री भगवंत, चौकीदार की शिकायत पर जांच किये जाने पर विस्तृत जांच कराई गई जिससे यह पता चला है कि मारपीट के आरोप ठीक नहीं थे ।

शाहजहांपुर के तिलहर में बस स्टेशन का निर्माण

6--श्री सत्यपाल सिंह यादव तथा श्री नाजिर अली--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तहसील मुख्यालय, तिलहर से पास होने वाली मेल तथा एक्सप्रेस बसों को तिलहर बाईपास पर रोकने की मांग को लेकर इस वर्ष किन-किन विधायकों एवं क्षेत्रीय जनता के कितने-कितने पत्र बरेली परिवहन निगम के अधिकारियों को प्राप्त हुए ? क्या इसी मांग को लेकर प्रश्नकर्त्ता विधायक एवं क्षेत्रीय जनता ने उक्त अधिकारियों को पूर्व सूचित कर कोई प्रदर्शन आदि भी किया था । यदि हां, तो इन अधिकारियों ने आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मार्ग पर मेल तथा एक्सप्रेस बसों को रोके जाने के लिए माननीय विधायक जी का पत्र तारीख 17 जून, 1980 को और भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका तिलहर का पत्र क्षेत्रीय-प्रबन्धक, बरेली को प्राप्त हुआ था । अब एक्सप्रेस बसों को तिलहर बाईपास पर रोकने के आदेश परिवहन निगम ने तारीख 5 अगस्त, 1980 को जारी कर दिये हैं । एक बुकिंग क्लर्क की तैनाती भी कर दी गई है । लोकहित में मेल बसों का इस स्थान पर रोका जाना सम्भव नहीं है ।

अरोड़ा पम्प नहर, बाराबंकी के मोटरबोट के डूबने की घटना

7--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास जुलाई सन् 1980 ई0 में अरोड़ा पम्प नहर, बाराबंकी जो नलकूप डिवीजन, द्वितीय, फैजाबाद के अन्तर्गत आता है का मोटर बोट नदी में डूब गई ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कथित बार्ज दिनांक 28 जून, 1980 की रात को न कि जुलाई, 1980 में डूब गया था ।

अत्यधिक वर्षा व बार्ज में कुछ लीकेज होने के कारण बार्ज में पानी भर गया था ।

नान्दी पम्प कैनाल, सुल्तानपुर की नाव, मोटर एवं बार्ज के डूबने की घटना

8--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 3 अगस्त, 1980 को नान्दी पम्प कैनाल सुल्तानपुर, जो कि फैजाबाद नलकूप, द्वितीय डिवीजन के अन्तर्गत आता है, की नाव मोटर सहित डूब गई ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था और क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री जी की सेवा में मास अगस्त, 1980 में श्री अंसार अहमद खां द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद सुल्तानपुर में नांदी पम्प नहर के अन्तर्गत कथित दुर्घटना में नाव, मोटर एवं बार्ज सहित दिनांक 29 जुलाई, 1980 की रात्रि में न कि 3 अगस्त, 1980 को डूबी थी । जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में आंधी व पानी के कारण बार्ज की छत उड़ जाने तथा बार्ज में पानी भर जाने से यह दुर्घटना हुई थी । श्री अंसार अहमद खां का माह अगस्त, 1980 का प्रश्नगत शिकायती पत्र खोजने पर भी शासन को नहीं प्राप्त हुआ ।

9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

ब्लाक महराजगंज, जिला आजमगढ़ के नलकूपों की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि

10--श्री दल सिंगार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक महराजगंज, आजमगढ़ में वर्ष 1978-79 में नलकूपों की नाली बनाने पर कितनी सीमेन्ट खर्च की गई है । क्या माननीय मंत्री जी उस खर्च की एक सूची सदन के पटल पर मय सनवार रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ब्लाक महराजगंज, जनपद-आजमगढ़ में वर्ष 1978-79 में नलकूपों की 2·9 कि0मी0 नाली साइफन एवं अन्य सिविल आदि कार्य में 1,578 बोरी सीमेन्ट खर्च की गई थी । इसके अतिरिक्त 694 बोरी सीमेन्ट नलकूपों की पुरानी नाली की मरम्मत, जीर्णोद्धार आदि कार्य में खर्च की गई थी । इसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 199 पर) ।

बकर मुण्डेश्वर, पुल विकास खण्ड, चौखौटिया, जिला अल्मोड़ा का निर्माण कार्य

11—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बकर मुण्डेश्वर, पुल विकास खंड, चौखौटिया, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है ? पुल के न बनने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री मन्सफीक आलम, अवर अभियन्ता, शारदा सहायक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

12—श्री पंचानन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्दर राय ग्राम व पोस्ट मादी सिपाह, जनपद आजमगढ़ का श्री मन्सफीक आलम, अवर अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 52, आजमगढ़ के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक 26-9-80 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच करायी गयी और जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जांच की कार्यवाही हेतु दो सहायक अभियन्ताओं की समिति गठित की गयी, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

13—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्रामोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बढ़यापार, गोरखपुर के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

14—श्री पंचानन—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि ग्रामोदय उ० मा० विद्यालय, बढ़यापार, गोरखपुर में कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त किये बिना वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में कक्षा 11 के हरिजनों छात्रों की क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय, गोरखपुर से प्राप्त कर अनियमित ढंग से व्यय की गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां।

ग्रामोदय उ० मा० विद्यालय, बढ़यापार, गोरखपुर के 11वीं कक्षा के 13 छात्रों को 7,143 रु० छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 1979-80 के लिए

स्वीकृत किये गये, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव के पत्रांक आई0 बी0/मान्यता/3, दिनांक 1-4-80 के द्वारा इस विद्यालय को वर्ष 1981 में इन्टर साहित्य वर्ग में परीक्षा देने हेतु मान्यता मिल गई थी ।

ग्राम जीवनपुर, आजमगढ़ का नलकूप

15--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम जीवनपुर का राजकीय नलकूप नं0 37, खराब होने के कारण सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नहीं दे पा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे ठीक कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम जीवनपुर (जियनपुर) का राजकीय नलकूप संख्या 37, खराब नहीं है । पुराना होने के कारण इस कूप का निकास कम होकर 10466 गैलन प्रति घन्टा हो गया है और कूप सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहा है ।

इस कूप के पुन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सगड़ी तहसील, आजमगढ़ के कूप रक्षकों की कथित सेवा समाप्ति

16--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 के बीच कितने कूप रक्षक कार्यरत थे ? इनमें से कितने कूप रक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं तथा कितने अपने पद पर बने हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेवा समाप्त किये गये कूप रक्षकों में से कितने को पुनः सेवा में ले लिया गया है ? क्या पुनर्नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में भूपेन्द्र सिंह, कूप रक्षक का शिकायती पत्र दिनांक 23-7-80 नलकूप विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 के बीच कुल 19 कूप रक्षक कार्यरत थे । इनमें से किसी भी कूप रक्षक की सेवायें समाप्त नहीं की गयी, बल्कि 7 कूप रक्षक स्वेच्छा से विभाग छोड़कर चले गये तथा पुनः कार्य पर नहीं वापस आये, शेष 12 कूप रक्षक सेवा में कार्यरत हैं । स्वेच्छा से विभाग छोड़कर जाने एवं आने के कारण उक्त सात कूप रक्षकों को पुनः सेवा में लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । दैनिक वेतन भोगी कूप रक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 23-7-80, उन्हें कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखे जाने के सम्बन्ध में है ।

मुहम्मदाबाद विकास क्षेत्र, आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

17--श्री पंचानन--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद विकास क्षेत्र में स्थित किन-किन उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों में 1979-80 तथा 1980-81 के लिए स्वीकृति हरिजन छात्रवृत्ति का भुगतान 15 अक्तुबर, 1980 तक नहीं किया गया है ? इनमें कौन-कौन से विद्यालय हैं जिन्होंने उक्त धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों को वितरित नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के नलकूप

18--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं और उनके लिए कितने आपरेटर नियुक्त हैं ? क्या यह सही है कि एक आपरेटर के जिम्मे कई नलकूपों को भी चलाने का कार्य है जिससे किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आजमगढ़ में कुल छिद्रित नलकूपों की संख्या 604 है जिसमें से 517 नलकूप चालू स्थिति में हैं । इन नलकूपों को चलाने के लिए 427 नियमित 73 कार्यप्रभारित अधिष्ठान में तथा 40 मस्टर रोल के आधार पर नलकूप चालक कार्य कर रहे हैं । साधारणत: एक नलकूप आपरेटर एक से अधिक नलकूप नहीं चलाते परन्तु विशेष परिस्थिति में जैसे नलकूप चालक के अवकाश आदि पर चले जाने से अस्थाई तौर पर दुहरा चार्ज दे दिया जाता है ।

ग्राम भटौली इब्राहिमपुर, जिला आजमगढ़ में नलकूप निर्माण की मांग

19--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भटौली इब्राहिमपुर, विकास क्षेत्र अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में राजकीय नलकूप स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

विधवाओं की पेंशन

20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निराश्रित विधवाओं के लिए नवीन प्रार्थना पत्रों पर पेंशन स्वीकृत करने पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पेंशन स्वीकृत करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं ।

21--श्री चेतराम गंगवार--

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले के ग्राम करहना, रानीपुर व नारायणपुर में सरजू नहर परियोजना का समरेखन

22--श्री राम फरन--

क्या सरकार को ज्ञात है कि सरजू नहर परियोजना बांसी ब्रांच हेतु जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद में ग्राम करहना, रानीपुर तथा नारायणपुर की पूर्वी सीमा से नहर को आधार लाइन की फरवरी, 1980 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (शारदा) श्री गौरी कान्त मिश्र द्वारा अनुमोदन के बाद ग्राम करहना के चक नं0 5 व 163 रानीपुर के चक नं0 498 तथा नारायणपुर के चक नं0 155 में निशानदेही का पत्थर लगाया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा उक्त आधार लाइन को बदलने का पुनः प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । इस नहर के अन्तिम समरेखन के समय यह जानकारी में आया कि नहर का अनुमोदित समरेखन ग्राम मसामाफी के श्मशान एवं ग्राम करहना के बाहरी भाग में बने मकानों से होकर जाता है । अतः नहर के समरेखन पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया ।

ब्लाक चिनहट, जिला लखनऊ की कठौता झील से जल निकासी की मांग

23--श्री प्रदीप कुमार यादव--

लखनऊ में ब्लाक चिनहट स्थित ग्राम इस्माइलगंज के उत्तर में एक बड़ी झील है जो हर बरसात में बढ़कर चिनहट के पास स्थित कठौता झील से मिल जाती है जिससे न केवल इस्माइलगंज, विजईपुर, पानीगांव कमता, तखवा आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाती है और लाखों रुपयों के फसल का नुकसान होता है बल्कि आवागमन में भी बाधा पड़ती है ? यदि हां, तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री वहां कोई नाला बनाकर कठौता झील का पानी गोमती नदी या किसी समीपवर्ती नाले में गिराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

24--श्री रियासत हुसैन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

25--श्री हरिवंश सहाय--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6ठें के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

26--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को जिनकी सेवा के 240 दिन पूरे हो गये हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत प्रभारित कर्मचारियों की भांति नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। 240 दिन पूरे हो जाने पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित किये जाने का कहीं कोई प्राविधान नहीं है।

गंडक नहर निर्माण खण्ड पंचम, जिला देवरिया के कर्मचारियों का परियोजना प्रतिकर भत्ता

27--श्रीमती गौरा देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत समस्त खंडों के कर्मचारियों/अधिकारियों को, जो 532 मल्टी परपज रिवर गंडक प्रोजेक्ट प्लान के लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं, परियोजना प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या गंडक नहर निर्माण खंड, पंचम, देवरिया के कर्मचारियों/अधिकारियों को परियोजना प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जौनपुर जिले के रसूलपुर-बघाड़ी एवं सोइथा खुर्द-बनुआडीह नाले का निर्माण

28--श्री जंगबहादुर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर जनपद के खुरहन विकास क्षेत्र में रसूलपुर से बघाडी तथा सोइथा खुर्द से बनुआडीह तक पानी निकासी के लिये नाले का निर्माण कराया गया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अधूरे नाले को शीघ्र पूरा कराया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जिले का सहजनवां ड्रेन एवं हथौड़ा ड्रेन पर पुल निर्माण

29--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव खंड के अन्तर्गत आने वाले हरदोई जनपद के विकास खंड बिलग्राम, माधोगंज, मल्लावां में ड्रेन, पुल एवं पुलियों से सम्बन्धित क्या-क्या कार्य वर्ष 1978 से 1980 में उन्नाव सिंचाई खंड द्वारा किये गये ? उक्त विकास क्षेत्र की उपेक्षा के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

हरदोई जनपद के विकास खंड बिलग्राम, माधोगंज, मल्लावां क्षेत्र में वर्ष 1978 से 1980 तक सिंचाई निर्माण खंड उन्नाव द्वारा सहजनवां ड्रेन पर दो पुल तथा हथौड़ा ड्रेन पर एक पुल का निर्माण कराया गया। उक्त क्षेत्र की कोई उपेक्षा नहीं की गई।

उन्नाव खण्ड षष्टम, उपखण्ड शारदा नहर, के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव खंड षष्टम उप खंड शारदा नहर उन्नाव के ठेकेदार श्री उदयबहादुर सिंह द्वारा अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के द्वारा अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 22-8-80 को माननीय मंत्री जी के यहां से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (शारदा) को भेजा गया ? यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार का दिनांक 19-8-1980 का एक शिकायती पत्र सिंचाई मंत्री जी के कार्यालय से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्तर) को प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र में अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितताओं व कराये गये कार्यों का पूर्ण रूप से भुगतान न करने के आरोप थे । इन आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खंड, शारदा नहर, उन्नाव ने की । आरोप निराधार पाये गये ।

उन्नाव खण्ड षष्टम, उप खण्ड शारदा नहर का कथित कार्यादेश

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव खंड षष्टम् उप खंड शारदा नहर, उन्नाव द्वारा दिसम्बर, 1979 से मार्च, 1980 तक 35 मील से 36 मील तक शारदा नहर की सिल्ट सफाई, 33 मील से 33 मील 4 फर्लांग तक शारदा नहर सिल्ट सफाई, बिहार माइनर 0 मील से 1 मील 4 फर्लांग तक सफाई लोदीपुर माइनर 0 से 1 मील तक सफाई, 35 से 36 मील के बीच ग्राम गौरापुर के 8 फाटक बन्द किये गये कार्य का किस-किस ठेकेदार के नाम कार्यादेश जारी करके कितना धन भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव खण्ड, षष्टम उपखण्ड शारदा नहर, उन्नाव के अन्तर्गत शारदा नहर, नाम की कोई नहर नहीं है । अपितु इस उपखण्ड के अन्तर्गत उन्नाव ब्रांच मील 33 से मील 39-5-330 और पुरवा ब्रांच मील 30 से मील 58-4 तक है ।

प्रश्न में उल्लिखित नहरें एवं रीच के कार्य के सम्बन्ध में कोई कार्यादेश नहीं जारी किया गया । अतः धन भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्ता द्वारा अखिल भारतीय आदर्श सेवक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई

स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार धांधलियों आदि के सम्बन्ध में दिनांक 1-10-1980 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर जिस पर मंत्री जी ने जांच के स्पष्ट आदेश दिये थे, जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अभी जांच की जा रही है ।

घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ की ड्रेनेज स्कीम

33--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1966 में आजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील में पानी निकासी के लिए विशेष ड्रेनेज स्कीम तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो उनमें कितनी ड्रेनेज बनी और शेष के बारे में क्या विचार है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ की घोसी तहसील में जल निकासी हेतु ताल लतोय ड्रेन व छोटी सरजू नदी की क्षमता की वृद्धि हेतु 1976 में योजना बनाई गई थी जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है ।

घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ की कच्ची नहरों की लाइनिंग की कथित योजना

34--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील के कच्चे नहरों की शाखाओं को बड़े नहरों की लाइनिंग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र से उक्त सम्बन्ध में धनराशि दिये जाने का आश्वासन दिया गया ? यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

आजमगढ़ के सिंचाई विभाग के छंटनी शुदा कर्मचारी

35--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सिंचाई विभाग के तीन साल तक सेवा पूर्ति किये हुए छंटनीशुदा कर्मचारियों को पुनः विभाग में रखने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत जालली-मासी मार्ग का निर्माण

36--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत जालली-मासी मोटर मार्ग को पक्का बनाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत-जालली-मासी मोटर मार्ग को पक्का करने का कार्य प्रगति पर है ।

अल्मोड़ा जिले के गनियाढ़योली-सिंगोली अम्याड़ी मार्ग का निर्माण

37--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गनियाढ़योली--सिंगोली--अम्याड़ी मोटर मार्ग के बनने से कितना जंगल कट रहा है ? क्या इस मार्ग के बनाने का वहां के ग्रामवासियों ने विरोध किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

अल्मोड़ा जनपद में गनियाढ़योली-सिंगोली-अम्याड़ी मोटर मार्ग का प्रथम 3 किलोमीटर बन चुका है । इस 12 किलोमीटर लम्बे प्रस्तावित मार्ग के शेष भाग पर विचारोपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जायेगा । शेष भाग में 3.44 हेक्टेयर वन भूमि का कटान होगा, जिसमें 470 वृक्ष आयेंगे । आरम्भ में थोड़े व्यक्तियों ने इस मार्ग का विरोध किया था ।

सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ताओं की चरित्र पंजिका

38--श्री दल सिंगार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यांत्रिक अवर अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 की समस्त चरित्र पंजिकायें (3/80 तक की) मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में आ गयी हैं ? अगर नहीं आयी हैं तो कब तक समस्त चरित्र पंजिका में मुख्य अभियन्ता कार्यालय में आ जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं से समस्त यांत्रिक अवर अभियन्तायों की चरित्र पंजिका प्राप्त करने हेतु बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं । आशा है कि मार्च 1981 के अन्त तक समस्त चरित्र पंजिका उपलब्ध हो जायेगी ।

ग्राम श्रीपतिखंड, जिला देवरिया में जमुनिया राजबाहा से कृषि को क्षति

39--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुंबेर भंडारी--

क्या तारांकित प्रश्न संख्या 2, दिनांक 10-9-80 से उत्तर के सन्दर्भ में सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पत्र दिनांक 16-1-80 की प्रति में वांछित मांगों एवं जमुनिया राजबहा, पडरौना, जिला देवरिया के निर्माण के समय पुलिया, छलका, साइफन, पुल आदि न बनाने के कारण ग्राम श्रीपति खंड (टेलग्राम) में उपस्थित कृषि व्यवधान को दूर करने हेतु कथित वंशा को पूर्ण करने का कार्य आदेश मंत्री जी दिये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में जो विधायकों के पत्र दिनांक 3-11-80 इस आशय के शासन को प्राप्त हुआ है कि फिजूलखर्ची को बचाने हेतु नहर के किनारे प्रस्तावित सड़क को प्रथम चक रोड तक ही बनाया जाय ?

यदि हां, तो वांछित मांगों के प्रति क्या कार्यवाही की गई तथा कार्य का पूर्ण प्रस्तावित विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर नगर में हरिजन छात्रावास का निर्माण

40—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में (नगर में) कोई हरिजन छात्रावास बनना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से स्वीकृत है ? कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? अब तक न बन पाने का कारण क्या है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां ।

छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1977-78 से है ।

अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

पहले जो भूमि उपलब्ध थी वह वांछित भूमि से कम थी । अब दूसरी भूमि उपलब्ध हो गई है । निर्माण कार्य अब शीघ्र प्रारम्भ हो जायगा ।

सीतापुर नगर में बाल भवन का निर्माण

41—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर में कोई बाल भवन बनना विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन की रूप रेखा क्या होगी और कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां ।

बाल भवन के निर्माण के लिये नगरपालिका, सीतापुर को 75,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है । बाल भवन में बच्चों को वाचनालय, खेलकूद आदि की सुविधा दी जायेगी तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये उपयोगी कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा ।

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, सीतापुर को 6 माह के अन्दर बाल भवन बनवाने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं ।

सम्पूर्णानन्द जेल शिविर सितारगंज, नैनीताल में लाही का उत्पादन

42—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द जेल शिविर सितारगंज कैम्प नैनीताल में वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 में कितना लाही का उत्पादन हुआ था ? उनका क्रय व कैसे प्रयोग किया गया था ? अगर बेचा गया तो उसकी दर क्या थी व किस फर्म को बेचा गया था ?

कारागार मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज से संबद्ध कृषि योग्य भूमि वर्ष 1975 में संयुक्त उद्यम को स्थानान्तरित कर दी गई थी। सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज में वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 में लाही का कोई उत्पादन नहीं हुआ था। संयुक्त उद्यम के फार्म में वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में लाही का उत्पादन क्रमशः 596.40 तथा 713.80 क्विंटल हुआ था। इसमें से वर्ष 1976-77 में 580 क्विंटल और वर्ष 1977-78 में 700 क्विंटल लाही संलग्न सूची में उल्लिखित फर्मों/संस्थाओं/व्यक्तियों को प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित दरों पर बेचा गया। शेष 16.40 क्विंटल तथा 13.80 क्विंटल का उपयोग बीज के रूप में किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 20 पर)

लखनऊ शाखा की बिजनौर माइनर का लखनऊ-कानपुर मार्ग का साइफन

43--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि लखनऊ शाखा की बिजनौर माइनर के नीचे से लखनऊ-कानपुर रोड के दोनों तरफ का बरसाती पानी निकालने हेतु जो पक्का पुल बना हुआ है, पानी निकालने की क्षमता कम होने के कारण तथा उसकी मरम्मत न कराने से वर्ष 1980 में 3 महीने तक मकानों में भरा था ? यदि हां, तो क्या सरकार 3 माह पानी भरे रहने के कारण हुई सम्पत्ति की हानि का मुआवजा नागरिकों को भुगतान करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखनऊ शाखा की बिजनौर माइनर के कि०मी० 1-4 पर स्थित साइफन पर्याप्त क्षमता का है और उसमें वर्षा काल में किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं थी। उसके कारण वर्ष 1980 में कोई जल भराव नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

44--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पिपरासी बांध, जिला देवरिया का निर्माण एवं कर्मचारियों पर व्यय की गयी धनराशि

45--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला में इस सत्र तक पिपरासी बन्धे पर कुल राजकोष का कितना रुपया खर्च हुआ है तथा पिपरासी बन्धे के टूटने का कारण क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जनपद में निर्माणाधीन पिपरासी बांध पर 30 सितम्बर, 1980 तक 17.353 लाख रुपया व्यय हुआ है। यह बांध अभी तक नहीं टूटा।

46– श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि पिपरासी बन्धे पर कितने अधिशासी अभियन्ता एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रतिदिन का उनका खर्च क्या है तथा कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

पिपरासी बांध पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत हैं :––

1––अधिशासी अभियंता	1/6
2––सहायक अभियंता	1/2
3––अवर अभियंता	1 नं0
4––मेट	1 नं0
5––जिलेदार	1/6
6––अमीन	1/3

उपरोक्त कर्मचारियों पर दैनिक खर्चा लगभग 74/– है।

इस बांध की लम्बाई 9.0 किलोमीटर है जिसमें से अभी लगभग 2.7 किलोमीटर बांध का निर्माण होना बाकी है।

देवरिया जिले के छितौनी बांध के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि

47––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि देवरिया स्थित छितौनी बन्धे पर अब तक कुल कितने रुपये व्यय किए जा चुके हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

छितौनी बांध के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 1954–55 से 30–9–80 तक 1,396.85 लाख रुपया व इसके रख–रखाव पर 27.42 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

श्री झमन लाल शर्मा, उप–निदेशक, खेल–कूद के वेतन का भुगतान

48––श्री श्यामलाल बाजपेयी––

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झमनलाल शर्मा, उपनिदेशक, खेलकूद ने 1974 में क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ से डिप्लोमा इन फिजीकल एजूकेशन का कोर्स किया था, उस काल का वेतन उन्हें दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण––

जी हां। उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् के सचिव की अनुमति से श्री झमन लाल शर्मा, उप–निदेशक खेलकूद ने वर्ष 1973–74 में क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ से डिप्लोमा इन फिजीकल एजूकेशन का कोर्स किया था और इस अवधि का उन्हें वेतन दिया गया था।

गोरखपुर जिले के इटौवा बांध का निर्माण

49--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में इटौवा बांध के पूरा न होने के कारण लगभग 60 गांवों की फसल को प्रत्येक वर्ष की बाढ़ से क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो इस वर्ष की बाढ़ से अब तक कितनी धनराशि की क्षति हुई है तथा इस बन्धे के पूरा न होने के कौन-कौन से कारण हैं और यह बांध कब पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस वर्ष बाढ़ से लगभग 16 लाख रुपये की क्षति हुई है ।

इटौवा बांध के पूर्ण न होने के कारण हैं काश्तकारों द्वारा विरोध, समय से भूमि का अधिग्रहण न होना एवं न्यायालय द्वारा ग्राम कोठिया के बारे में स्टे आर्डर जारी करना । मामले में न्यायालय का निर्णय होने पर कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

रामगढ़ ताल, जिला गोरखपुर के जल निकासी योजना की माँग

50--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल के पानी के फैलाव को कम करने के लिए तथा आस-पास के गांवों के हजारों एकड़ की फसलों को बरबादी से बचाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्वी दक्षिण स्थित चौराहे से मलौनी बांध तक महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर 1 से तरकुलानी तक रामगढ़ ताल के तीन तरफ बांध बनाने की योजना है और तरकुलानी के पास राप्ती है और गौरी नदी के मिलान बिन्दु पर गौरी नदी पर जल निकासी हेतु किसी बड़े रेगुलेटर के बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजनाओं पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के परिवहन निगम के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

51--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वर्ष 80 में गोरखपुर क्षेत्र के राजकीय परिवहन निगम के प्रबन्धक के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर को श्री प्रदीप कुमार पान्डेय का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले की आमी नदी की बाढ़ नियंत्रण योजना

52--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1975 में गोरखपुर जिले के आमी नदी के किनारों पर मगहर से लेकर राप्ती के संगम तक बांध बनाने की परियोजना बनाई थी जिसे राजकीय बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ? क्या पुनः आमी नदी के बाएं तट पर मगहर से छताई तक बांध का सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1975 में नहीं बल्कि वर्ष 1976 में आमी नदी के दोनों किनारों पर मगहर से लेकर कौड़ीराम तक बांध बनाने की योजना को राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था ।

समिति ने बांध बनाने की अपेक्षा प्रभावित गांव को ऊंचा करना उचित समझा ।

पुनः अमी नदी के बाएं तट पर मगहर से छताई तक बांध बनाने की एक योजना दिनांक 15-4-80 को राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की मुख्य अभियंता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें कन्टूर सर्वेक्षण कराने की संस्तुति की गई है । यह सर्वेक्षण सर्वे आफ इन्डिया द्वारा किया जाना है ।

उस क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा के लिए स्थानीय जनता के मांग पर यह योजना बनाई जा रही है ।

गोरखपुर जिले की गंडक नहर एवं मधुबनी शाखा पर पुल निर्माण की मांग

53—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में गंडक नहर शाखा एवं मधुबनी शाखा के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर पुल आवागमन हेतु बनाने की शासन एवं स्थानीय अधिकारियों से माह जून, 1980 ई० से अब तक मांग की गई है ? क्या इसमें सिसवनियां, नदुआ बाजार, धौली भावचक, बेलवा काजी के पास क्रमशः नदाद, बलिया नाला एवं रेहाव पर आवागमन हेतु पुल की मांग की गई है जिसमें नहर का पानी गिरता है ? यदि हां, तो इस पर कार्य कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जून, 1980 से अब तक उक्त अवधि में ग्राम सिसवनियां, नदुआ बाजार तथा बेलवा काजी जिसका सम्बन्ध नदाद एवं रेहाव नाला से है पर आवागमन हेतु पुल की कोई मांग नहीं की गई है । बलिया नाले के कि०मी० 10·2 पर एक पुल स्वीकृत है जो रुदौली, भावचक ग्राम के पास है । उक्त पुल के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले की महुई-मोहम्मदपुर माईनर के निर्माण सम्बन्धी शिकायत

54—श्री पंचानन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फतेहपुर मर्डाव विकास क्षेत्र में महुई-मोहम्मदपुर माईनर का निर्माण काम के बदले खाद्यान्न योजना में हुआ है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर मल्ल की कोई शिकायत जनवरी, 1980 में प्राप्त हुई है और उसकी जाँच एस० डी० एम० घोसी द्वारा 15 एवं 16 फरवरी, 1980 को की गई है ? यदि हां तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर मन्डल एवं मेरठ मन्डल सिंचाई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

55—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उ० प्र० के अन्तर्गत 3 वर्ष से अधिक दैनिक वेतन में कार्यरत गोरखपुर मन्डल व मेरठ मन्डल में कितने कर्मचारी हैं ? और इनके प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी का औचित्य दर क्या है तथा उन्हें कब तक रेगुलर किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर मन्डल, सिंचाई विभाग में नलकूपों का आवंटन

56—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मन्डल के किन-किन जिलों में राजकीय नलकूपों का आवंटन फरवरी, 1980 से इस सत्र तक कितना-कितना किया गया है ? तथा 1980-81 में राजकीय नलकूप किन-किन जनपदों, कितने-कितने लगाय जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फरवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक गोरखपुर मन्डल के आजमगढ़, बस्ती, के देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में क्रमशः 29, 30, 27 तथा 39 राजकीय नलकूपों का आवंटन सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है ।

वर्ष 1980-81 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 1050 राजकीय नलकूपों के लगाए जाने की योजना है । इनमें से 875 का जनपदवार आवंटन किया जा चुका है जिसका विवरण संलग्न तालिका के कालम 3 में दर्शाया गया है । वर्ष 1980-81 में प्रदेश के 12 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से 328 राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव है । इन नलकूपों का जनपदवार आवंटन संलग्न तालिका के कालम 4 में दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 202 पर) ।

देवां मेला में लगायी गयी बसें

57--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष देवा मेला में कितनी बसें चलाई गईं तथा उनसे कितनी आय हुई ? कृपया मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने परिवहन निगम के अधिकारियों ने दौरा करके देवां मेला बस व्यवस्था में अपना योगदान दिया तथा उनके दौरों में कितनी कारों का प्रयोग हुआ और उन पर कितना खर्च आया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवां मेला 1980 में कुल 71 बसें चलाई गई तथा उनसे 272255·30 रुपया की आय हुई । लखनऊ क्षेत्र के 7 अधिकारियों ने दौरा करके देवां मेला बस व्यवस्था में अपना योगदान दिया ।

इन अधिकारियों के दौरे में 7 कारों का प्रयोग हुआ । लगभग 2800·00 रु० खर्च हुआ ।

शिकोहाबाद रोडवेज डिपो में अग्निकांड

58--श्री धरम पाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 फरवरी, 1980 को शिकोहाबाद रोडवेज डिपो में हुए अग्निकांड के दोषी व्यक्ति कौन हैं ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

22 फरवरी, 1980 को शिकोहाबाद रोडवेज डिपो में हुए अग्निकांड में 28 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, तृतीय, मैनपुरी के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है । 9 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला पुलिस के विवेचनाधीन है ।

वाराणसी जिले की बाबतपुर रजबाहा की कमाण्ड एरिया में नलकूप निर्माण की मांग

59--श्री ऊधल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की वाराणसी जिले में निकलने वाली बाबतपुर रजबाहा के कमांड म ब्लाक बड़ागांव, पिडरा, रहुआँ, चोलापुर, चिरई गाँव के सभी गाँवों को जो नाद नदी के दक्षिण एवं वरुणा नदी के उत्तर पड़ते हैं सबकी सरकारी लिस्ट बना दी गयी है और राजकीय ट्यूबवेल लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी नीति के मुताबिक उक्त क्षेत्र नहर से दूर के क्षेत्रों में ट्यूबवेल को भी साथ-साथ लगवाने पर विचार करेगी और उक्त गांवों की लिस्ट को एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ट्यूबवेल हेतु जी0 डी0 सी0 कम्पनी से स्टार्टर की खरीद एवं वाराणसी जिले को स्टार्टर की आपूर्ति

60—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ट्यूबवेलों के लिए जी0 डी0 सी0 कम्पनी के स्टार्टर हजारों की संख्या में मंगाये गये हैं जो खराब हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं और ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इतने खराब तथा रद्दी स्टार्टर क्यों खरीदे गये, किसने खरीदा, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

61—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी ट्यूबवेल विभाग में जी0 डी0 सी0 कम्पनी के पचासों स्टार्टर भेजे गये हैं जो खराब तथा रद्दी हैं और नहीं चल रहे हैं । क्या यह सत्य है कि वाराणसी नलकूप विभाग ने मुख्य अभियन्ता को कम्पलेन्ट भी भेज दिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मिर्जापुर जिले के मेजा बांध का जल भराव

62—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेजा बांध (जिला मिर्जापुर) जो वर्ष 1970 से 1978 तक निर्धारित क्षमता तक भरा जा रहा था, उसे वर्ष 1979 तथा वर्ष 1980 में पूर्ण क्षमता तक क्यों नहीं भरा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेजा बांध (जिला मिर्जापुर) को वर्ष 1979 में कम वर्षा होने के कारण पूर्ण जल स्तर तक नहीं भरा जा सका। वर्ष 1980 में पुराने बांध के एक भाग की मिट्टी बैठ जाने के फलस्वरूप बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे पूर्ण क्षमता तक नहीं भरा गया ।

63—श्री ऊदल—

मेजा बांध वर्ष 1979 तथा वर्ष 1980 में निर्धारित क्षमता तक न भरे जाने के कारण प्रदेश को कितने राजस्व की हानि होगी तथा कितना खाद्यान्न कम उत्पादन होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेजा बांध का परिकल्प जलाशय को शतप्रतिशत वर्षा में पूर्ण जल स्तर तक भरे जाने के हेतु नहीं किया गया है । अतः वर्ष 1979 एवं 1980 में जलाशय के न भरे जाने के कारण राजस्व हानि एवं कम खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

64--श्री ऊदल--

जिस अधीक्षण अभियन्ता के कार्यकाल में मेजा बांध नहीं भरा गया है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही विभाग एवं शासन द्वारा की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

65-66--श्री ऊदल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

टिहरी जिले के वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्ग

67--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद के किस-किस मोटर मार्ग पर जून, जुलाई तथा अगस्त, 1980 के दौरान वर्षा होने के कारण मोटर मार्गों के अवरुद्ध होने के फलस्वरूप यातायात ठप रहा है तथा क्रमवार कितने-कितने दिनों तक ठप्प रहा तथा यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्प्रति किस-किस मार्ग पर यातायात चालू कर दिया गया है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

68--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[1-10-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 38 द्वारा उत्तरित]

मेरठ मंडल, सिंचाई विभाग में ड्रेनों का निर्माण

69--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल के किस-किस जनपद में गत 3 वर्षों में 2 लाख रुपये से कम लागत की ड्रेनेज विभाग द्वारा पानी की निकासी व ग्रामीण अंचलों में पानी के कटावों को रोकने के लिए परियोजनायें पूर्ण की गई हैं ? उनके नाम मेरठ मंडल में जनपदवार बताने की कृपा करेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाल विकास परियोजना, गोरखपुर में गबन

70--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर बाल विकास परियोजना का कार्यक्रम लागू है ? क्या यह सत्य है कि यहां के एक वरिष्ठ लिपिक द्वारा 18,000 रु0 गबन कर फरार होने की शिकायत इस समय शासन की जानकारी में आयी है ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां ।

(श्री छेदी लाल चौधरी)--

बाल विकास परियोजना गोरखपुर के एक वरिष्ठ लिपिक द्वारा 17,000 रु0 के गबन किए जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है। जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

वाराणसी जिले के मुसहर जाति के उत्थान की योजना

71--श्री ऊदल--

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले तथा मंडल में मुसहर जाति की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक उत्थान के लिए कोई प्लान सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र अपने सुझाव के साथ माननीय हरिजन कल्याण मंत्री को 19 सितम्बर, 1980 को दिया है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मुसहर जाति के उत्थान को बजट में जो 7.20 लाख का प्राविधान है उसकी योजना बनवाई जा रही है। माननीय सदस्य ने मुसहर जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित करने की जो मांग अपने पत्र दिनांक 19-9-80 में की है वह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय सदस्य ने दो विकास खंडों-पिंडरा व बड़ा गांव के ग्रामों का सर्वे कराने का सुझाव दिया है, जो विचाराधीन है।

लालचन्द्र मुसहर, ग्राम देवराई, जिला वाराणसी का लेखपाल पद हेतु प्रार्थना-पत्र

72--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहर जाति के एकाध छात्र यदि वह हाई स्कूल, इन्टर या ग्रेजुएट हैं तो उनको नौकरी में नहीं रखा जाता है ? ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि लालचन्द्र मुसहर, गाँव देवराई, पोस्ट कनकपुर, जिला वाराणसी ने लेखपाल के पद के लिए कमिश्नर वाराणसी एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को सन् 1980 में प्रार्थना-पत्र दिया था ? इसको न लेने का कारण क्या है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमायूं मन्डल, परिवहन निगम की बसें

73--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

परिवहन मंत्री बतायेंगे कि कुमाऊं रीजन में इस समय परिवहन विभाग के पास कुल कितनी बसें सही हालत में हैं, कितनी बसें वर्कशाप में मरम्मत के लिए खड़ी हैं ? क्या यह सही है कि टायर अथवा छोटी-छोटी त्रुटियों से गाड़ियां वर्कशाप में पड़ी रहती हैं ? इसके कारण यात्रियों व परिवहन विभाग को कितना नुकसान उठाना पड़ता है और निराकरण के क्या उपाय तत्काल किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कुमायूं क्षेत्र में निगम की कुल बसों की संख्या 330 है। साधारणतया इनमें से 260 बसें प्रति दिन संचालित होती हैं, लगभग 70 बसें मरम्मत हेतु

इस समय निर्माण में हैं। इस समय चूंकि टायरों का अभाव है। इस कारण कुछ बसें नहीं चल पा रही हैं। छोटी-मोटी मरम्मत के कारण बसें वर्कशाप में रुकती नहीं हैं। बल्कि जैसे तैयार हो जाती हैं, संचालन में चली जाती हैं। कुमायूं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार संचालन हेतु बसें उपलब्ध हैं। इसलिये हानि का प्रश्न नहीं है। टायरों की कमी की पूर्ति के लिए विशेष यत्न किया जा रहा है।

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बस दुर्घटनायें

74--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 19 अक्तूबर तथा 10 नवम्बर, 1980 को लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बस दुर्घटनायें हुई जिसमें अनेक व्यक्ति मर गये तथा घायल हुए? यदि हां, तो घटना का विवरण एवं कारण क्या है? दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। इस मार्ग पर 10 अक्तूबर, 1980 की दुर्घटना में 10 व्यक्ति मरे और 34 घायल हुए। 10 नवम्बर, 1980 की बस दुर्घटना में 8 व्यक्ति मरे और 54 घायल हुए। विवरण संलग्न है?

दुर्घनाओं की रोकथाम के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धकों को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 205 पर)।

हरिजन अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध गबन का आरोप

75--श्री मण्डलेश्वर सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन अधिकारी इलाहाबाद के कार्यालय में मार्च, 1978 वर्ष में हुए 1,32,607 रु0 के गबन के मामले में विभागीय संपरीक्षा म तत्कालीन हरिजन अधिकारी को गबन में शामिल होना पाया गया था? क्या इस विषय में गुप्तचर जांच भी हुई थी? यदि हां, तो अब तक शासन से इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त अधिकारी को प्रारम्भिक संपरीक्षा जांच में दोषी पाये जाने पर भी उसे दंडित करने के स्थान पर उसकी पदोन्नति अतिरिक्त विकास अधिकारी हरिजन के पद पर करके विभाग द्वारा उसके मनोवांछित स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं। विभागीय संपरीक्षा में केवल संदेह व्यक्त किया गया है।

मामला गुप्तचर विभाग को सौंपा गया है। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। रिपोर्ट के अभाव में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। संदेह के आधार पर एवं गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के अभाव म कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। अधिकारी की पदोन्नति सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हुई है।

अल्मोड़ा जिले में खोले गये विभिन्न विद्यालय

76—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

पर्वतीय विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1977-79 में जनता सरकार ने अल्मोड़ा जनपद में कितने प्राइमरी विद्यालय, कितने माध्यमिक विद्यालय, कितने उ० मा० विद्यालय, इन्टर कालेज खोले हैं और इस शिक्षा सत्र म अब तक कितने विद्यालय खोले गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

वर्ष 1977/1979 में तथा वर्तमान शिक्षा सत्र में अब तक अल्मोड़ा जनपद में निम्नलिखित विद्यालय खोलने के आदेश जारी किये गये हैं ।

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (दिसम्बर, 1980 तक)
1—प्राइमरी स्कूल	24	48	56	32
2—जूनियर हाई स्कूल	9	6	18	12
3—राजकीय हाई स्कूल	5	7	11	4
4—राजकीय इन्टर कालेज	2	1	4	1

सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित बेलदारों के नियमितीकरण की मांग

77—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बतायेगी कि सिंचाई विभाग में कार्यरत बेलदारों को कितने वर्षों के उपरान्त रेगुलर किया जाता है ? क्या यह भी सत्य है, शासन ने 1977 म तीन वर्ष पूरे होने पर बेलदारों को रेगुलर करने का निर्णय किया था ? यदि हां, तो 8-10 वर्ष से कार्यरत बेलदारों को अब तक रेगुलर नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभाग में कार्य प्रभारित बेलदारों को किसी निश्चित अवधि के उपरान्त रेगुलर करने का कोई नियम नहीं है । यह सही नहीं है कि 1977 में तीन वर्ष पूरे होने पर बेलदारों को रेगुलर करने का निर्णय लिया गया था । किसी निश्चित अवधि की कार्य प्रभारित सेवा के आधार पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले की केन नदी पर वृहद गंगऊ बांध परियोजना की मांग

78—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बांदा जनपद की केन नदी पर वृहद गंगऊ बांध सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए निश्चित कर लिया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वृहद गंगऊ बांध परियोजना से कितनी जल विद्युत् उत्पन्न होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

बांदा जिले में नलकूप निर्माण की मांग

79—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद में जिसमें सिंचाई सुविधाओं का अभाव है विश्व बैंक की सहायता के साथ आरम्भ की गयी लघु किसान सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं की राजकीय नलकूपों की व्यवस्था हेतु इस वित्तीय वर्ष में नलकूप लगाने के लिये पर्याप्त धन-राशि के नियतन का प्रस्ताव है जिससे जनपद में पर्याप्त संख्या में नलकूप लगाये जा सकेंगे ? यदि हां, तो क्या बांदा जनपद को 100 अतिरिक्त नलकूप आवंटित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विश्व बैंक की सहायता से कोई लघु किसान सिंचाई योजना सिंचाई विभाग में नहीं चलाई जा रही है । अतः इस योजना के अन्तर्गत नलकूप बनाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

80—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, बस्ती को दी गयी धनराशि

81—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, बस्ती को चेक तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा सन् 1979-80 में सरकार से किस-किस मद में, किस-किस तारीख को कितना रुपया, आर्डर चेक तथा क्रास चेक या बैंक ड्राफ्ट से भेजा गया तथा कब कैश हुआ ? क्या यह सही है कि डुप्लीकेट चेक द्वारा भी किसी-किसी विद्यालय को भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो कौन विद्यालय हैं ? उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

वर्ष 1979-80 में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती को निम्नांकित धनराशि प्राप्त हुई :—

(क) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु 34,00,000 रु० उप-निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 1980 को प्राप्त हुआ और दिनांक 1 मई, 1980 को कैश हुआ ।

(ख) पूर्वदशम् कक्षाओं में अनुसूचित जातीय छात्रों की पुस्तकीय सहायता स्वरूप 16,000 रु० उप निदेशक, हरिजन तथा समाज

(श्री छेदा लाल चौधरी)—

कल्याण, गोरखपुर से बैंक ड्राफ्ट द्वारा, दिनांक 19 मई, 1980 को प्राप्त हुआ जो, दिनांक 21 मई, 1980 को कैश किया गया ।

(ग) पूर्वदशम् कक्षाओं में अनुसूचित जाति छात्रों को पुस्तकीय सहायता हेतु 69,000 रु0 निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से बैंक ड्राफ्ट द्वारा, दिनांक 6 जून, 1980 को प्राप्त हुआ जो, दिनांक 6 जून, 1980 को कैश किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में नहरों, नालों एवं साइफनों के निर्माण की मांग

82—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में नहरों, नालों एवं साइफनों का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा ? क्या शासन अवगत कराएगा कि फैजाबाद मंडल के विधायकों की अगस्त, 1980 की मीटिंग में जो 12 राजकीय नलकूप हैदरगढ़ क्षेत्र के लिए प्रस्तावित हुए थे, उनका काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले की खानपुर माइनर के रुकुनुद्दीनपुर के रजबहे का निर्माण

83—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत स्थित हैदरगढ़ तहसील में खानपुर माइनर से जो रजबहा ग्राम शिराजपुर बेहटा होते हुये ग्राम रुकुनुद्दीनपुर के किसानों की सिंचाई सुविधा को देखते हुये शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था जो ग्राम बेहटा के सरहद तक बनकर रुक गया है, उसे ग्राम रुकुनुद्दीनपुर तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हैदरगढ़ तहसील में खानपुर माइनर के कि0 मी0 0.3 में बेहटा माइनर निकलती है जिसकी खुदाई पूरी हो चुकी है तथा इसमें पानी चल रहा है । बेहटा माइनर के कि0 मी0 1.0 दाहिने बैंक से मुहम्मदपुर माइनर निकली है जो ग्राम रुकुनुद्दीनपुर तक पानी पहुंचायेगी । मुहम्मदपुर माइनर 1.6 कि0 मी0 लम्बी है जिसमें से 1.0 कि0 मी0 की लम्बाई तक नहर खुद चुकी है । शेष 0.6 कि0 मी0 की लम्बाई में कार्य प्रगति में है और इस भाग के पूर्ण होने पर रुकुनुद्दीनपुर ग्राम तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो जायेगी । इस शेष भाग का निर्माण फरवरी, 1981 तक पूर्ण कर, शारदा सहायक की नहर बन्दी के पश्चात जून, 1981 में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है ।

परिवहन निगम, हरदोई डिपो की बसें

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 के अन्तर्गत हरदोई डिपो में कितनी बसें वर्तमान समय में वर्किंग आर्डर में हैं तथा कितनी बेकार खड़ी हैं ? क्या सरकार यातायात की समस्या को देखते हुए उक्त डिपो में नई बसें तथा उनकी संख्या बढ़ाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परिवहन निगम के हरदोई डिपो में इस समय 9 बसें हैं और सभी चालू हालत में हैं । हरदोई डिपो के अन्तर्गत इन बसों की संख्या के बढ़ाने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबन्ध किया जायेगा ।

बुन्देलखंड सम्भाग के लिए स्वीकृत नलकूप

85—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड सम्भाग में सिंचाई के लिए कितने राजकीय नलकूप वर्ष 1980-81 में मंजूर किये गये और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की जा रही है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बुन्देलखंड सम्भाग में सिंचाई के लिए वर्ष 1980-81 में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 101 नलकूपों का निर्माण स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त डी0 पी0 ए0 पी0 परियोजना में 72 नलकूप और बनाने के लिए स्वीकृत हैं । उपरोक्त नलकूपों के निर्माण तथा गत वर्ष छिद्रित नलकूपों के पूरा करने में क्रमशः 181 लाख तथा 115.20 लाख रु0 धनराशि इस वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने का प्राविधान है ।

बांदा जिले के लिए सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण

86—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दस वर्षों के दौरान बांदा जनपद में कितनी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है और उनके नाम क्या हैं ? प्रदेश सरकार ने कितनी परियोजनाओं का चयन किया है ? इन योजनाओं के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि शासन ने मंजूर की है ? उसके परिणामस्वरूप कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निम्नलिखित योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया—

1—पैसूनी डाइवर्जन योजना

2—ओहन फीडर योजना

3—औगासी पम्प नहर योजना

4—चिल्लीमल पम्प नहर योजना

वीर बहादुर सिंह]

5—गुन्टा बांध योजना

6—बरदहा बांध योजना

7—नहरों को पक्का करने की योजना

8—मसौनी पम्प नहर योजना

9—औरा पम्प नहर योजना

10—रासिन बांध योजना

11—बाधैन बांध योजना

12—पैसूनी कैनाल योजना

13—चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता वृद्धि योजना

14—सुरौली बुर्जुग पम्प नहर योजना

15—राजापुर पम्प नहर योजना

16—खरेली बांध योजना

17—अनुसुइया सरोवर योजना

18—गवाइन नाला योजना

19—केन नदी पर छोटे-छोटे वियर निर्माण सम्बन्धी योजना

20—सरगंगा बांध योजना

21—ढुरेडी पम्प नहर योजना

9 योजनाओं का चयन किया गया है ।

879 लाख रुपये ।

41940 हेक्टेयर ।

परिवहन निगम, देवरिया डिपो में गबन

87—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1974-75 में देवरिया डिपो में गबन के सम्बन्ध में जो कर्मचारी निलम्बित हुए थे, वे मामले अभी तक विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील रानीखेत में पेयजल योजनाओं का निर्माण

88—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में जल निगम द्वारा कितनी पेयजल योजनायें बनाई गई हैं और कहां-कहां उपरोक्त सभी योजनाओं के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

रानीखेत तहसील में मार्च, 1980 तक जलनिगम द्वारा 148 पेयजल योजनायें निर्मित की गई तथा वर्ष 1980-81 में 47 पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। उक्त समस्त योजनाओं पर 425·632 लाख रु0 व्यय किया जा चुका है।

गोरखपुर, राप्ती-गोरी नदी दोआब में कटान एवं उपधौलिया, जोगिया, सहोड़वा से सम्बन्धित फर्जी मस्टर रोल

89---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राप्ती-गोरा नदी दोआब के कटान से सम्बन्धित स्थान उपधौलिया, जोगिया, सहोड़वा, जंराम कोल आदि एवं फर्जी मस्टर रोल के संदर्भ में जुलाई, 1980 से अब तक कितनी शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य लोगों द्वारा प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जिले के परिवहन डिपो के कर्मचारियों का कार्यकाल

90---श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 के अन्तर्गत हरदोई डिपो में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कि लगातार 5 वर्षों से उसी जनपद में कार्य करते चले आ रहे हैं। उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या सरकार उन्हें अविलम्ब स्थानान्तरित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के लखनऊ विकलांग एवं हरिजन कर्मचारी की सेवा समाप्ति

91---श्री विनोद कुमार तिवारी---

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ में कार्यरत एक विकलांग स्टेनोग्राफर तथा एक हरिजन, जूनियर नोटर एन्ड ड्राफ्टर की सेवायें अकारण माह मई, 1980 में समाप्त कर दी गईं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन कर्मचारियों ने शासन स्तर पर अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार एवं अन्याय के विरुद्ध कोई अपील दाखिल किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? पीड़ित कर्मचारियों को सेवा में पुनः उसी पद पर लेने के लिए शासन ने अब तक क्या कदम उठाया ?

श्री छेदा लाल चौधरी---

जी हाँ, सेवा समाप्ति आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया। तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति तदर्थ एवं अस्थाई थी। विकलांग आशुलिपिक को

सेवायें उनके स्थान पर नियमित चयन के उपरान्त अभ्यर्थी की नियुक्ति के फलस्वरूप समाप्त की गई । हरिजन मोटर एन्ड ड्राफ्टर की सेवायें भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण समाप्त की गयी । हरिजन मोटर एन्ड ड्राफ्टर ने कोई अपील नहीं की । विकलांग आशुलिपिक को पुनः उसी पद पर लिये जाने के आदेश दिनांक 17-12-1980 को पारित हो चुके हैं ।

गोंडा चचरी मझांव गोंडा-घाघरा घाट मार्ग पर बस संचालन की मांग

92--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के गोंडा चचरी मझांव गोंडा-घाघरा घाट मार्ग पर बस चलाने हेतु कुछ सुझाव एवं प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे तथा इन मार्गों पर बस सेवा भी प्रारम्भ की गई थी फिर बंद भी कर दी गई, इसका कारण क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस मार्ग पर 1-8-1980 से 20-9-1980 तक बस सेवा चलायी गयी थी लेकिन अलाभकर होने के कारण बस संचालन तब बन्द कर दिया गया था ।

इस मार्ग पर परीक्षण के तौर पर तारीख 1-1-1981 से बस सेवा पुनः प्रारम्भ की गयी है ।

93--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी बांध परियोजना का निर्माण

94--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना कब आरम्भ हुई है और कब पूर्ण होगी ? अब तक कितना कार्य हुआ है ? उसमें कितने डिवीजन कार्य कर रहे हैं और किन-किन कम्पनियों को ठेका दे रखा है ? कितना धन उक्त परियोजना में व्यय होगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

टिहरी बांध परियोजना की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा वर्ष 1972 में हो गई थी तथा प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए थे । वर्ष 1979-80 से परियोजना का प्रथम मुख्य कार्य व्यवर्तन सुरंगों का निर्माण नियमित रूप से चल रहा है । परियोजना को अब से लगभग दस वर्षों में पूरे होने की आशा है ।

किए गए कार्यों का विवरण संलग्न है ।

कुल 25 डिवीजन ।

(देखिये तथ्यों 'च' आगे पृष्ठ 206 पर)

फूटकर अनेक छोटे ठेकेदारों के अतिरिक्त मेसर्स जैप्रकाश एसोशियेट्स, मेसर्स थापर इन्द्राफार कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन को तीन बड़े ठेके दिये गये हैं ।

जनवरी, 1979 की कीमतों के आधार पर परियोजना की लागत 827.30 करोड़ रु0 है ।

अल्मोड़ा जिले के पारकोट द्वारहाट सजगाड़ी में लघु सिंचाई गूलों का निर्माण

95--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में पारकोट द्वारहाट सजगाड़ी, ताड़ीखेत वि0 स0 अणा विकास खंड गरूड़, तहसील बागेश्वर में लघु सिंचाई गूलों के लिए फरवरी-मार्च, 1980 में टेन्डर किया गया है और ठेकेदारों को भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर जिले के ग्राम अहार स्थित अवंतिका देवी के मन्दिर के जीर्णोद्धार की मांग

96--श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अहार में स्थित अवंतिका देवी का मंदिर जिसके कागजात जीर्णोद्धार हेतु कई वर्षों से चल रहे हैं उसकी मरम्मत का कार्य कब शुरू होगा ? देरी का कारण क्या है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जिलाधिकारी बुलन्दशहर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संदर्भगत मंदिर के जीर्णोद्धार संबन्धी कोई कार्यवाही जिला स्तर पर विचाराधीन नहीं है और न ही शासन को संदर्भित किया गया है । फलस्वरूप, इस मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यवाही में देरी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

97-98-99--श्री खुशहाल सिंह रांगड़--

[2रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 190-191-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

परिवहन निगम, वाराणसी के परिचालकों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्नियुक्ति की मांग

100--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के वाराणसी तथा वाराणसी नगर रोडवेज सेवा में सन् 1975 से लेकर मार्च, 1977 तक कितने परिचालकों को नोटिस देकर बिना एक माह का वेतन दिये ही सर्विस से निकाल दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी तथा वाराणसी नगर रोडवेज में वर्ष 1975 से मार्च 1977 तक की अवधि में कोई ऐसा पारिचालक नहीं था जिसे एक माह का वेतन दिये बिना नोटिस देकर सेवा से निकाल दिया गया हो ।

101—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रेनिंगशुदा परिचालक थे और जिनकी इनकम भी ठीक रही है ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देकर तीन गलतियों को माफ कर पुनः बहाल करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन या परिवहन निगम के विचाराधीन नहीं है ।

नगर बस सेवा, इलाहाबाद के परिचालक, श्री लाल जी की सेवा समाप्ति

102—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लाल जी भू0 पू0 परिचालक नगर बस सेवा इलाहाबाद को 27-7-74 को सेवा से पृथक् कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उक्त परिचालक विभागीय परीक्षा के बाद नियुक्त किया गया ? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक के पत्रांक स्थापना 1-35 यू0 भू0 ह0/3437, दिनांक 8 सितम्बर, 1972 एवं पत्रांक स्थापना 1-74 (कार्यालय आदेश) 74442 नवम्बर, 1973 के द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को आदेश दिया था कि बिना नोटिस दिये एवं एक माह की तनख्वाह दिये किसी कर्मचारी को न निकाला जाय ? तो क्या लाल जी को नोटिस एवं एक माह की तनख्वाह दी गई थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री लाल जी को 27-7-74 के बाद नियुक्ति नहीं की गई । यह नियमित कर्मचारी नहीं थे बल्कि समय-समय पर 27-7-74 तक इन्हें अल्पकालिक रिक्तियों में नियुक्त किया जाता रहा । श्री लाल जी चूंकि अस्थायी कर्मचारी नहीं थे बल्कि अल्पकालिक रिक्ति में समय-समय पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी थे-नोटिस अथवा एक माह के वेतन का नियम इन पर लागू नहीं होता था ।

सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव, चतुर्थ उपखण्ड का हेड क्वार्टर

103—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खंड, उन्नाव के चतुर्थ उप खंड के सहायक अभियन्ता का हेड क्वार्टर हरदोई है, लेकिन उक्त सहायक अभियन्ता जुलाई के अन्तिम सप्ताह से उन्नाव में अपना हेड क्वार्टर बना कर रह रहे हैं ? यदि हां, तो यह किसके आदेश से रह रहे हैं ? और ऐसा आदेश देने का कारण क्या है ? क्या इस परिवर्तन से चतुर्थ उप खंड जो हरदोई जिले में है, वहां के कार्यों में बाधा नहीं पड़ रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, । सिंचाई निर्माण खन्ड, उन्नाव के चतुर्थ उपखन्ड का हेड क्वार्टर हरदोई है किन्तु दिनांक 1-8-80 से 3-10-80 तक संबंधित सहायक अभियन्ता उन्नाव में रहे ।

जिलाधिकारी उन्नाव के आदेश संख्या 2384/सी–आर० ए०, दिनांक 23 जुलाई, 1980 के अनुपालन में उक्त सहायक अभियन्ता उपरोक्त अवधि में उन्नाव में रहे। जिलाधिकारी ने यह आदेश उन्नाव जनपद के बाढ़ राहत कार्यों के संबंध में किये थे।

उक्त लगभग दो माह की अवधि में हरदोई जनपद के कार्यों में बाधा पड़ना स्वाभाविक था किन्तु बाढ़ राहत कार्यों के महत्व को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक था।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले ग्राम सोइया खुर्द, नगवा चक सुइया में भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

104––श्री जंगबहादुर सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि शारदा सहायक योजना के अन्तर्गत जौनपुर जनपद के खुटहन ब्लाक के ग्राम सोइया नगवा, गोसाईपुर, सौरंग्या के किसानों की भूमि अध्याप्त की गई थी जिसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं दिया गया तथा अभिलेखों से रकबा कम न करके उनसे पूर्ण लगान वसूली जा रही है ? यदि हां, तो सरकार शीघ्र ही उन्हें मुआविजा देने तथा सरकारी अभिलेखों को सही कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां। शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सोइया खुर्द, नगवा चक सइया में भूमि अध्याप्ति की गई थी जिसमें से ग्राम नगवां चक सुइया में अध्याप्ति भूमि का प्रतिकर वितरित हो गया है एवं ग्राम सुइया खुर्द में प्रतिकर वितरण होना शेष है। ग्राम गोसाईपुर चक सुइया का पुरवा है तथा परियोजना से प्रभावित नहीं है। अभिलेखों को सेही कराने हेतु व्यवस्था की जा रही है।

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र बदलापुर एवं खुटहन के नलकूप

105––श्री जंग बहादुर सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र बदलापुर एवं खुटहन में कितने राजकीय नलकूप लगे हैं और उनमें से कितने बेकार पड़े हुए हैं ? क्या शीघ्र ही उन्हें चलवाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र बदलापुर में 1 (एक) एवं खुटहन विकास क्षेत्र में 29 राजकीय नलकूप लगे हैं। बदलापुर विकास क्षेत्र में स्थित एक नलकूप चल रहा है तथा खुटहन विकास क्षेत्र के 2 राजकीय नलकूप संख्या 42 व 46 शाहगंज समूह फेल हो गये हैं। निर्माण के समय ही इन दोनों नलकूपों का मूल निकास कम पाया गया था और इस बात की आशा नहीं है कि पुनः निर्माण द्वारा इन जगहों पर पर्याप्त निकास प्राप्त होगा। अतः इन नलकूपों का पुनः निर्माण कर चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

106––श्री ऊदल––

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

107––श्री ऊदल––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर की मुसहर जाति के उत्थान के लिए योजना

108—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की वाराणसी जिले के सभी ब्लाकों में बड़े पैमाने पर मुसहर जाति गाँव-गांव में बसती है जिसकी आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक हालत बहुत ही बदतर है और इसे जनजाति में न रखकर अनुसूचित में रखा गया है ? क्या सरकार इसके सभी पहलुओं पर एक सर्वे कराकर इसके उत्थान की योजना सरकार बनायेगी ? जिसमें उद्योग, पशुपालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन एवं ट्राली रिक्शा, कुंआ व मकान की व्यवस्था हो ? क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि समाज में मुसहर जाति सब से गिरी हुई है और इसके लड़के तथा लड़कियां आर्थिक हालत दयनीय होने से प्राइमरी की भी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो क्या वाराणसी के मुसहरों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक आश्रम पद्धति का स्कूल ब्लाक चड़ागांव या ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में खोलने पर विचार करेगी ? क्या हरिजन कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जिले के मुसहरों के पास पानी पीने के लिए कुयें नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मुसहरों की प्रत्येक बस्ती में एक-एक पेयजल के लिये कुयें की व्यवस्था करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां। मुसहर जाति के उत्थान के लिये योजना बनवाई जा रही है। जिसमें गृह निर्माण गृह स्थल की लागत, भरण-पोषण, पाठशाला, सामुदायिक कल्याण केन्द्र, खेलकूद के लिये पार्क तथा पेयजल की सुविधायें देने हेतु 5 जनपदों, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया तथा सुल्तानपुर के जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं।

सिंचाई विभाग के पिछड़ी जाति के सिविल एवं मैकेनिकल अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति

109—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सिविल एवं मैकेनिकल के अधिशासी अभियन्ताओं का प्रमोशन अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर कर दिया गया है ? जिसमें पिछड़ी जातियों के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के रिजर्वेशन का ख्याल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया ? क्या सरकार जब तक इस पर विचार न कर ले उक्त प्रमोशन को रोकने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

वर्ष 1980 में सिंचाई विभाग में सिविल एवं मैकेनिकल के कुछ अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर की गई थी जिसमें पिछड़ी जाति के अधिशासी अभियन्ताओं के आरक्षण पर ध्यान दिया गया था।

अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का आधार ज्येष्ठता है और इस वर्ग के अधिशासी अभियन्ता यान्त्रिक प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये।

सिविल संवर्ग के अधिशासी अभियन्ताओं की वर्ष 1969 की ज्येष्ठता सूची माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। अतएव उक्त सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नामों पर विचार करने का प्रश्न नहीं था और ज्येष्ठता के विवादग्रस्त होने के कारण जनहित में अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति की गई है। अतएव पदोन्नति के प्रकरण को रोकने का प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय सड़क एवं परिवहन निगम, वाराणसी में बैटरी एवं स्टेयरिंग का गबन, अल्यूमूनियम की नीलामी

110--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 नग स्टेयरिंग एवं 276 बैटरी रा0 स0 प0 निगम, वाराणसी से गबन मार्च 1977 में कर दिया गया है? क्या यह सत्य है कि सेवा प्रबन्धक वाराणसी के कार्यालय से प्रसारित पत्र 733 दिनांक 25/26 मार्च, 1977 में इसका उल्लेख है? यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त गबन के खिलाफ कोई मुकदमा किया गया या नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

111--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 फरवरी, 1977 को 22,750 रु0 का अल्यूमुनियम का नीलाम वाराणसी में किया गया और 20 हजार रु0 का सामान मार्च 1977 में गबन किया गया? क्या यह सही है कि जो अल्यूमुनियम नीलाम की गयी वह नीलाम सेल से नहीं दिया गया और डिपों से माल मंगाने का आदेश सेवा प्रबन्धक ने दिया, ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

परिवहन निगम, वाराणसी द्वारा ट्रैक शाफ्ट एवं बियरिंग की खरीद

112--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, रोडवेज में 6 नग ट्रैक शाफ्ट अगस्त, 1977 में मंगाया गया जो वराणसी आटो ट्रेड के यहां रखा गया था? क्या यह सही है कि उक्त 6 नग ट्रैक शाफ्ट की दुकान से मंगाने का प्रमाण दुकान की चालान है और स्टोर में जमा होने का कोई प्रमाण 15 नवम्बर, 1977 तक नहीं है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सही है कि नवम्बर, 1977 में सेवा प्रबन्धक ने 27 नग इनर बियरिंग, 18 नग आउटर बियरिंग जो नया खरीदा गया उनको बेच दिया गया और उसकी पूर्ति पुराना उपरोक्त सामान लाकर रख दिया गया जिससे पांच हजार रुपये का नुकसान हुआ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर जिले के ग्राम लोहता में शारदा सहायक रजबहा पर पुल निर्माण की मांग

113--श्री जंगबहादुर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खंड करंजा करना शारदा सहायक रजबहा शाहगंज के ग्राम लोहता में पुल निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त थी ? यदि हां, तो अब तक पुल का निर्माण क्यों नहीं किया गया ? शीघ्र ही सरकार उसे निर्मित कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1980 की नहर बन्दी मे पुल का कार्य शुरू किया गया था परन्तु कम समय होने के कारण केवल नींव की खुदाई का कार्य ही हो पाया था । नहर चलने के कारण आगे कार्य नहीं कराया जा सका । 1981 की नहर बन्दी में यह कार्य जून, 1981 तक पूरा करा दिया जायेगा ।

ए0 आर0 टी0 ओ0 (ई0), परिवहन निगम, वाराणसी का कार्य काल

114--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 टी0 ओ0 आफिस वाराणसी में ए० आर० टी० ओ० (ई०) वाराणसी में दस वर्ष से है ? यदि हां, तो इनको अब तक वहां से क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सिंचाई विभाग खंड प्रथम, अदिलाबाद-ईसानगर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया कथित डीजल

115--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सिंचाई विभाग खंड प्रथम में सन् 1979-80 में अदिलाबाद-ईसानगर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एफलेक्स बांध एवं पुलिया बनाने हेतु मशीनों द्वारा जमीन से पानी निकालने के लिए साठ हजार लीटर डीजल लिया गया था ? यदि हां, तो डीजल का क्या उपयोग किया गया ? क्या यह सत्य है कि बिला पानी रेती से निकाले ही बांध तथा पुलिया का निर्माण कर दिया गया और तेल का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रिग्स प्रखंड, कानपुर द्वारा नलकूपों का निर्माण

116--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय उपखंड रिग्स खंड, कानपुर में वर्ष 1974-75 से वर्ष 1976-77 तक कुल कितने नलकूप बनाये गये ? प्रति नलकूप पर निर्माण का औसत व्यय क्या रहा ? कितने नलकूप असफल रहे ? क्या इनके निर्माण की तकनीकी आधार पर जाँच करई गई ? क्या यह सही है कि उप खंड अधिकारी द्वितीय के अधीन बनाये गये नलकूप अधिक असफल रहे ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

द्वितीय उप खंड रिग्स प्रखंड, कानपुर द्वारा वर्ष 1974-75 से वर्ष 1976-77 तक कुल 40 नलकूप बनाये गये ।

प्रति नलकूल निर्माण का औसतन व्यय 35,000 रु0 से 40,000 रु0 रहा है ।

उपरोक्त अवधि में श्री बी० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा निर्मित एक नलकूप तथा श्री राम नगीना राय, सहायक अभियन्ता द्वारा निर्मित 3 नलकूप कम निकास होने के कारण सफल नहीं हुए। इस विषय पर तकनीकी जाँच हो रही है ।

शिवपत डिग्री कालेज, बस्ती के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

117--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवपत डिग्री कालेज, बस्ती में वर्ष 1979-80 में कितने अनुसूचित जाति के छात्र बी0 ए0 प्रथम वर्ष, बी0 ए0 द्वितीय वर्ष एवं बी0 एड0 में अध्ययनरत रहे तथा क्या उन सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वर्ष 1979-80 में शिवपत डिग्री कालेज, सोहरतगढ़, जनपद बस्ती में विद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार बी0 ए0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 98 छात्रों को, बी0 ए0 द्वितीय वर्ष में विद्यालय द्वारा प्राप्त प्रगति आख्या एवं आवेदन पत्र के अनुसार 66 छात्रों को तथा बी0 एड0 में 15 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है ।

जौनपुर जिले के शाहगंज में सिंचाई विभाग द्वारा जमीन की खरीद एवं रख रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

118--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान शाहगंज, जिला जौनपुर में तहसील के दक्षिण शारदा सहायक सिंचाई विभाग ने 2 एकड़ जमीन 80 हजार रु0 में खरीदी है और वहां लाखों ईंटा रखवा गया है तथा कुछ मशीनें भी हैं ? और उस जमीन को तार बल्ली से फेन्सिंग भी की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जमीन क्यों खरीदी गयी और लाखों ईंटा क्यों बर्बाद किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। जौनपुर जनपद के अन्तर्गत कस्बा शाहगंज में 2·29 एकड़ जमीन 68,700 रुपये में स्टाफ के लिये कालोनी बनाने हेतु क्रय की गयी थी। जब तक उक्त भूमि पर आवास का निर्माण नहीं होता तब तक के लिये उक्त भूमि का उपयोग विभागीय स्टोर के रूप में किया जा रहा है जिसमें कांक्रीट मिक्सचर इत्यादि मशीनें रखी हुई हैं। उक्त क्षेत्र में नहरों तथा ड्रेनों पर जो पक्के कार्य स्वीकृत हैं उनके निर्माण हेतु एक लाख ईंटें भी क्रय करके रखी गई हैं।

119--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वह जमीन कब से खरीदी गयी है और क्या यह सत्य है कि वहां दो कर्मचारी उसकी देख-रेख के लिये रक्खे गये हैं उनको कितने रुपये तनख्वाह के रूप में अब तक देना पड़ा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त जमीन जून, 1977 में क्रय की गई थी। विभागीय स्टोर के देख रेख हेतु एक चौकीदार रखा गया है जिसे अब तक कुल 6,240 रु0 वेतन के रूप में दिये गये हैं।

टन्डवा पम्प कैनाल, जौनपुर की पाइप लाइन एवं विद्युत् सब स्टेशन का निर्माण

120--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टन्डवा, भैंसा निपार डीह पम्प, कैनाल गोमती नदी जौनपुर में जो बनायी गयी थी उसमें कितने रकबे की सिंचाई करने की योजना थी ? क्या यह सही है कि टंडवा में एक बहुत बड़ी पाइप लाइन लोहे की अलग से करीब 7/8 वर्षों से बनायी गयी है जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया ? पाइपों को जंग खा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि वह पाइप 10 लाख रु0 के ऊपर की है, जो बेकार पड़ी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

121--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि टंडवा में एक विद्युत् सब-स्टेशन बनाने हेतु 8 लाख रु0 विद्युत् विभाग को 10 वर्ष पूर्व ही सिंचाई विभाग ने दे दिया था ? यदि हां, तो उस रुपये का क्या हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

टन्डवा में 33/11 के0 वी0 ए0 का विद्युत् सब-स्टेशन बनाने हेतु सिंचाई विभाग ने दिसम्बर, 1976 में विद्युत् विभाग को 8·16 लाख रुपया दिया था। विद्युत् विभाग द्वारा मार्च, 1977 में ही टन्डवा पम्प नहर हेतु विद्युत् सब-स्टेशन का निर्माण करा दिया गया था।

सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड, रसड़ा, जिला बलिया द्वारा सामानों का खरीद

122—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि न्यू इलाहाबाद बोर्डिंग, हिन्द प्रोडक्शन, सुल्तानपुर इंजीनियरिंग, लन्दन इंजीनियरिंग, मुरादअहमद एण्ड संस, इलाहाबाद को सहायक अभियंता, नलकूप खंड प्रखंड, रसड़ा, जिला बलिया ने सामानों की सप्लाई हेतु आदेश, पी0-27/एस-6, पी0-30/एस-6, पी0-73/एस-6, पी0-66/एस-6, पी0-77/एस-6, पी0-43/एस-6, पी0-45/एस-6, पी0-97/एस-6, पी0-48/एस-6, पी0-56/एस-6, पी0-4/एस0-6, पी0-59/एस0-6, पी0-68/एस0-6, पी0-19/एस0-6, पी0-26/एस0-6, पी0-35/एस-6, पी0-47/एस0-6, पी0-55/एस0-6, पी0-57/एस0-6, पी0-63/एस0-6, टोटल नम्बर 20 सप्लाई आदेश 1973-74 दिए थे ? जिसका कुल रुपया एक लाख दस हजार सात सौ सत्तासी रुपए अस्सी पसे हैं और उक्त आदेशों का सामान पहुंच गया, एम0 बी0 कर दी गई ? यदि हां, तो आज तक 6 वर्ष बीत जाने पर भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग

123—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम, वाराणसी रीजन में कितने ऐसे कर्मचारी कई पदों पर 15 से 20 वर्षों तक लगातार कार्य करते आ रहे हैं, उनको अब तक पदोन्नति न देने का क्या कारण है ? कोई नियम ऐसा बना है कि परिचालक से क्लर्क एवं क्लर्क से ए0 टी0 आई0 बनाया जाय ? यदि हां, तो कितने फीसदी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्र में इस प्रकार के विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या लगभग 750 है । पदोन्नति इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस हेतु पदों की संख्या सीमित है ।

परिवहन निगम की सेवा नियमावली को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । राज्यादेश वर्ष 1972 और निगम के संकल्प वर्ष 1978 के अनुसार परिचालकों से क्लर्क और क्लर्क से यातायात निरीक्षक ग्रेड-2 में पदोन्नति की व्यवस्था है । प्रतिशत के बारे में अन्तिम स्थिति सेवा नियमावली बन जाने के बाद स्पष्ट होगी ।

परिवहन निगम के अधिकारियों को पदोन्नति

124—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उच्च पदों पर जो नियुक्तियां प्रदेश में की गई हैं उनको 3/4 वर्षों में ही पदोन्नतियां दे दी जा रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1978 के पूर्व केवल 16 अधिकारियों को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नति दी गई। दिनांक 10-7-78 को निगम ने संकल्प पारित करके 5 वर्ष का न्यूनतम अवधि प्रोन्नति के लिए निर्धारित कर दी है। इसके पूर्व कोई सेवावधि निर्धारित नहीं थी।

वाराणसी जिले में परिवहन वर्कशाप के निर्माण की योजना

125—श्री ऊबल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में एक वर्कशाप बनाने की योजना बहुत दिनों से विचाराधीन है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अब तक की गई है या नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने सूचित किया है कि वाराणसी जिले में एक नये डिपो कार्यशाला के निर्माण की योजना उनके विचाराधीन है किन्तु धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

126-127-128—श्री ऊबल—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15, 16, 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रस्योरा माइनर, सीतापुर से सम्बन्धित-पत्र

129—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के आसपास किसी दिन इस आशय का कोई पत्र मिला कि सीतापुर जिले में रस्योरा माइनर के जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता उसे कमाण्ड के बाहर कर दिया जाय? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

रस्योरा माइनर से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 11-11-80 को प्राप्त हुआ। रस्योरा माइनर के कुलावा नं० 3, 11, 13, 16, 18 के टेल पर पड़ने वाला ग्राम दारानगर का क्षेत्र जिसमें नहर से सुचारु रूप से सिंचाई नहीं हो पाती थी उस क्षेत्र को नलकूप निगम खंड, लखनऊ को दिनांक 13-9-80 को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

गोरखपुर जिले के मलौनी बांध की सड़क के निर्माण की मांग

130—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 23-3-78 को तत्कालीन सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत) ने गोरखपुर जिले के मलौनी बंधे को सड़क बनाये जाने के लिए आदेश दे दिये थे? यदि हां, तो मलौनी बंधे को पक्का कर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

(1) इस तरह का कोई आदेश नहीं मिल रहा है ।

(2) पूरे बांध पर सोलिंग है इसको पेन्ट करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के दोहरी घाट समानान्तर नहर का निर्माण

131--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड, आजमगढ़ के अन्तर्गत दोहरीघाट समानान्तर नहर का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और वह कब तक पूरा हो जायेगा ? इसके निर्माण में विलम्ब के लिए कौन से लोग उत्तरदायी हैं और क्या शासन उनके ऊपर कार्यवाही करने का विचार करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दोहरीघाट समानान्तर नहर का निर्माण कार्य सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 78-79 में प्रारम्भ किया गया था तथा इसको पूरा कराने का लक्ष्य जून, 1982 तक है । अतः इस समय निर्माण में विलम्ब के लिये कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

132--श्री मित्रसेन--

[2सरे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नहरों की पटरी को पक्की सड़क बनाये जाने की मांग

133--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनता शासन के तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने कहा था कि सरकार तत्काल नहरों के बगल की पटरी (सड़क) को कंकरीट तथा पीच करके जनता को सौंप देगी ? यदि हां, तो क्या नहरों के बगल की सड़क को पीच कराकर जनता को सौंपने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के दोराची नाले पर करमही ग्राम का पुल

134--श्री कुबेर भंडारी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के दोराची नाले में लगभग 4 लाख रु० से निर्मित पुल जो ग्राम करमही तहसील हाटा के समीप है, जिसके अपूर्ण अवस्था में दोनों तरफ, ईंट एवं मिट्टी के अभाव में पुल ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल की जगह पर पुनः नया पुल बनाने की कार्यवाही करेंगे ? क्या सरकार यह बतायेगी कि सम्बन्धित ठेकेदार को पूर्ण धनराशि अदा कर दी गयी है या शेष है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

देवरिया जनपद के तहसील हाटा के ग्राम करमही के निकट दोराची नाले पर सिंचाई विभाग द्वारा मई, 1980 में एक पुल का निर्माण लगभग 52,500 रु0 की लागत से पूरा कराया गया है । पुल इस वर्ष की भीषण वर्षा के उपरान्त भी ठीक हालत में मौजूद है । अतः नया पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है । ठेकेदार को अभी पूर्ण धनराशि अदा नहीं की गई है । लगभग 12,000 रु0 का भुगतान शेष है ।

परिवहन निगम, आजमगढ़ में हरिजन कर्मचारियों का आरक्षण

135--श्री पंचानन--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ का निर्माण कब हुआ ? आजमगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होने तथा 15 सितम्बर, 1980 के बीच वहां विभिन्न श्रेणी की कितनी नियुक्तियां की गयीं ? इन नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया थी तथा उनका क्या आधार था ? क्या इन नियुक्तियों में हरिजन आरक्षण कोटे को पूरा किया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रिग्स प्रखण्ड, कानपुर द्वारा निर्मित नलकूप

136--श्री मित्र सेन--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता, रिग्स खंड, कानपुर के विरुद्ध हमीरपुर राठ तहसील में वर्ष 1974-75 से 1976-1977 में बनवाये गये असफल नलकूपों पर जांच चल रही है ? यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर रिग्स खंड में ही अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थापित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

रिग्स प्रखंड, कानपुर में तैनात श्री बी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है ।

जनपद हमीरपुर में चट्टानी भूमि होने के कारण नलकूपों का निकास अनिश्चित रहता है । इस क्षेत्र में नलकूपों के असफल होने की तकनीकी जांच की जा रही है ।

हमीरपुर जनपद की हमीरपुर तहसील में 12 राजकीय नलकूप तथा राठ तहसील में 8 राजकीय नलकूपों का निर्माण वर्ष 1974-75 से 1976-77 के बीच श्री बी0 पी0 सिंह की देख-रेख में कराया गया था । इन बीस नलकूपों में से एक राजकीय नलकूप 40--राठ को छोड़कर शेष सभी राजकीय नलकूप सफल रहे ।

अतः इस आधार पर श्री बी0 पी0 सिंह की तैनाती रिग्स प्रखंड, कानपुर में किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हुई ।

श्री बी० पी० सिंह, भूतपूर्व सहायक अभियन्ता, रिंग्स प्रखंड, वाराणसी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

137---श्री मित्रसेन--

क्या इन्हीं अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध रिंग्स, वाराणसी में जब यह सहायक अभियन्ता पंचम थे तो एक रिंग मशीन पर मरम्मत पर सतरह लाख रुपये के फर्जी भुगतान का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मामले में जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर द्वारा नलकूपों, ट्रकों एवं लिफ्ट पम्पों की खरीद

138---श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में जनवरी, 1978 से मार्च, 1980 तक कितने मूल्य का क्रय नलकूपों, लिफ्ट पम्प कैनालों, ट्रकों एवं जीप के संयंत्रों का अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भंडार संगठन तथा परचेज कमेटी द्वारा किया गया ? क्या इस क्रय के लिये विधिवत् निविदाएं समाचार पत्रों के माध्यम से मांगी गयीं ? क्या सम्पूर्ण क्रय का विवरण मुख्य अभियन्ता को समयानुसार प्रस्तुत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अल्मोड़ा एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गृह निर्माण योजना

139---श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जनपद एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शासन ने अब तक कितने युवकों को पर्यटन गृह बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया है और उन युवकों ने किन-किन स्थानों में पर्यटन गृह बनाये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

पर्यटन गृह बनाने हेतु किसी युवक को शासन द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । इस वर्ष निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत ऋण/अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्वतीय अंचलों में प्रान्तीयकृत हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में वाणिज्य एवं विज्ञान विषय की मान्यता

140---श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय अंचल में प्रान्तीयकृत हाई स्कूल व इन्टर कालेजों सरकार विज्ञान, वाणिज्य विषय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रान्तीयकृत हाई स्कूल व इन्टर कालेज जो वांछित अर्हताओं की पूर्ति करते हैं, उनमें निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत विज्ञान एवं वाणिज्य विषय खोलने पर विचार किया जाता है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम धामपुर, कछिया, नरायनपुर आदि की बाढ़ नियंत्रण योजना

141--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धामपुर, कछिया, नरायनपुर, सिवा, बलरिया नुरुल्लहपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की बाढ़ पीड़ित गांव हैं, के पटवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें पटवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

गांवों की पटाई करने के सम्बन्ध में शासन के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर योजना कार्यान्वित की जायगी ।

ट्यूबवेल कारपोरेशन में सहायक अभियन्ताओं का साक्षात्कार

142--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु दिसम्बर, 1979 में कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो इस आधार पर कितने नियुक्तियां की गयीं ? इन नियुक्तियों में अभियन्ताओं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की गई अथवा कोई अन्य आधार अपनाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रथम चरण में 23 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए गये जिनमें से 3 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । द्वितीय चरण में 5 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए गये ।

हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट और अभियन्त्रण डिग्री में प्राप्त अंकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची के अनुसार नियुक्ति की गई ।

प्रदेश में नलकूप चालकों की आवश्यकता

143--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में कितने अतिरिक्त नलकूप चालकों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में अतिरिक्त नलकूप चालकों की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। उनकी पूर्ति यथाशीघ्र की जायगी।

144—श्री राम आसरे वर्मा—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

145—श्री राज कुमार राय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जौनपुर जिले के ग्राम जमुनिया में साइफन निर्माण की मांग

146—जंगबहादुर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद खुटहन ब्लाक में जमुनिया ग्राम की हरिजन बस्ती 1980 के वाटर लागिंग के कारण डूब गई थी तथा काफी मकान ध्वस्त हो गये थे? यदि हां, तो शीघ्र ही जमुनियां राजबहा पर सड़क के किनारे साइफन बनवाने की कृपा करें?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। किसी मकान के ध्वस्त होने की सूचना नहीं है। वहां की निचली भूमि में पानी भर जाने की समस्या दूर करने के लिए साइफन के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में जनपदवार नलकूपों का आवंटन

147—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश से विभिन्न जनपदों में वर्तमान वर्ष में लगने वाले नलकूपों का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? यदि हां, तो वे आंकड़े क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980-81 में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 1050 नलकूपों के निर्माण किए जाने का विचार है। इनमें से 875 नलकूपों का जनपदवार आवंटन कर दिया गया है। शेष 175 नलकूपों का भी आवंटन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक से घोषित राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 328 नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है जिसका आवंटन किया जा चुका है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

148—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1980 को तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

[श्रीमती गौरी देवी--]

माननीय मंत्री जी को लिखा था ? यदि हां, तो पत्र में लिखित शिकायतें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र, पनियरा तथा कौड़ीराम में नलकूपों का छिद्रण

149--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले के पनियरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980 के 1 जुलाई से 15 नवम्बर तक कितने नलकूपों का छिद्रण किया गया है और कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र में उसी अवधि में कितने नलकूपों का छिद्रण किया गया है ? क्या दोनों क्षेत्रों में नलकूपों के छिद्रण करने में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर जिले के पनियरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980 के 1 जुलाई से 15 नवम्बर तक 3 नलकूपों का छिद्रण किया गया है और उसी अवधि में कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र में एक नलकूप का छिद्रण किया गया है ।

दोनों क्षेत्रों में नलकूपों के छिद्रण में भारी अन्तर नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के हरिजन विद्यालयों को दिया गया अनुदान

150--श्री राज कुमार राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में हरिजन विद्यालयों को 1979-80 में अलग-अलग किस विद्यालय को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1979-80 में हरिजन विद्यालयों को कुल 2,10,218 रु० की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई जिसमें से आवर्तक अनुदान की धनराशि 1,80,738 रु० तथा अनावर्तक अनुदान की धनराशि 29,480 रु० थी ।

जिन विद्यालयों को उक्त अनुदान दिया गया, उनकी सूची संलग्न है ।

151--श्री राज कुमार राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 207 पर)

श्री गौरी कान्त मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

152--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री गौरी कान्त मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग की भ्रष्टता एवं चरित्रहीनता के सम्बन्ध में प्रदेश के सतर्कता विभाग ने कोई जांच की है जिसमें 10 प्रतिशत आरोप सिद्ध हो चुके है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सतर्कता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गौरी कान्त मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता (अब अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता) सिंचाई विभाग के विरुद्ध भ्रष्टता एवं चरित्रहीनता के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा छानबीन करायी गयी थी परन्तु आरोप सत्यापित नहीं हुये ।

खीडा-मछिया कोट, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा की साइफन योजना

153--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खीडा-मछियाकोट विकास खन्ड चौसुरिया, तहसील रानीखेत अल्मोड़ा में साईफन योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजना से कितनी भूमि सिंचित होगी, कब से योजना आरम्भ की गई है ? किस सन् तक निर्माण कार्य पूर्ण होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कालागढ़, रामगंगा परियोजना के वायरलेस आपरेटर एवं गेजरीडरों का पर्वतीय भत्ता

154--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ रामगंगा परियोजना में कार्यरत वायरलेस आपरेटर व गेजरीडरों को पर्वतीय भत्ता दिया जा रहा है और वे स्थायी किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । इन सभी कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जा रहा है । ये कर्मचारी कार्य प्रभारी अधिष्ठान के हैं अतः स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बस दुर्घटनायें

155--श्री मित्रसेन--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ-कानपुर रोड पर वर्ष 1979-80 में कितनी बस दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा राष्ट्रीय क्षति कितनी हुई ? दुर्घटनायें रोकने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर वर्ष 1979-80 में 28 दुर्घटनायें हुई जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई तथा लगभग 1,75,680 रु० की क्षति हुई। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धकों को कड़े निदेश जारी किये गये हैं।

फैजाबाद जिले के कतिपय विकास खण्डों में नलकूप छिद्रण

156-श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खंड अमानीगंज, मिल्कीपुर तथा हरीन्दनगंज में वर्ष 1978-79 और 1979-80 में कितने राजकीय नलकूप बोर हुए? उन नये नलकूपों के अभी तक चालू न किये जाने का क्या कारण है? इसके कौन लोग दोषी हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

157-श्री राज कुमार राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सिंचाई कार्यशाला, बरेली के लिपिक श्री राम गोविन्द शुक्ल की संदिग्ध सत्य निष्ठा

158-श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला, खंड बरेली ने श्री राम गोविन्द शुक्ल, वर्तमान लिपिक, नलकूप मंडल, बरेली को वर्ष 1969-70 व 1970-71 की सत्य निष्ठा संदिग्ध थी? और मुख्य अभियन्ता नलकूप पश्चिम ने श्री शुक्ल के तत्काल स्थानान्तरण आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो किस कारण से स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित नहीं हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, किन्तु मुख्य अभियन्ता, नलकूप पश्चिम ने श्री शुक्ला के स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई आदेश नहीं दिये थे।

लोअर माल रानीखेत मार्ग, चौबटिया-कुनिलाखेत मार्ग आदि के निर्माण हेतु पेड़ों का कटान

159-श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ला० निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा 3 मोटर मार्ग, लोअर मार्ग रानीखेत, चौबटिया कुनिला खेत-गनियाधोला, राना विशाल कोट मोटर माल से भारी मात्रा में जंगलों का कटान हो रहा है? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग को बनाये जाने का क्या औचित्य है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

लोअर माल रानीखेत के निर्माण से, जिससे लगभग 1,470 पेड़ कटेंगे, यातायात को सुविधा मिलेगी तथा वृहद् रानीखेत बनाने की जनमांग पूरी होगी।

चौबटिया–कुनिलाखेत मार्ग के निर्माण से, जिससे लगभग 2,500 पेड़ प्रभावित होंगे, 10 ग्रामों का तहसील तथा जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क हो जायेगा।

गनियादयोल–टाना–विशालकोट मार्ग के निर्माण से, जिससे लगभग 500 पेड़ कटेंगे, 12 ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी और स्थानीय सब्जी का ढुलान हो सकेगा।

अल्मोड़ा जिले की राम गंगा नदी पर मर्चुला का पुल

160–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में रामगंगा नदी पर स्थान मर्चुला में पैदल यात्रियों के लिए पुल कितने साल से बेकार पड़ा हुआ है और कब तक उसे अन्य स्थान पर निर्मित कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी––

प्रश्नगत पुल वर्ष 1968 से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। आवश्यकतानुसार इस पुल का अन्यत्र प्रयोग किया जा सकता है।

मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान) सिंचाई विभाग एवं मुख्य अभियन्ता गंगा कछार सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश के बीच झुरही नाला बांध परियोजना सम्बन्धी पत्र–व्यवहार

161–श्री ऊदल––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) श्री के० टी० जैन ने मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान वृहत् योजना) श्री एच० बी० महाजनी को दिनांक 17–3–80 को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश की सीमा के अन्दर अनुसूया आश्रम चित्रकूट (जिला सतना, म० प्र०) के निकट झुरही नाले पर प्रस्तावित बांध की एक परियोजना के सर्वेक्षण के लिये आवश्यक जंगल को साफ किये जाने की अनुमति मध्य प्रदेश से मांगी है ? यदि हां, तो अब तक की स्थिति क्या है ? क्या रिमांइडर के अलावा अधिकारी स्तर अथवा मन्त्री स्तर की वार्तायें भी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां।

मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान) सिंचाई विभाग, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 30–10–80 द्वारा सूचित किया है कि मामला मुख्य अभियन्ता (गंगा) कछार, सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश, रीवां से सम्बन्धित है। अतः प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 9–12–80 द्वारा मुख्य अभियन्ता (गंगा कछार), सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश, रीवां से सर्वेक्षण हेतु आवश्यक जंगल को साफ किए जाने की अनुमति दिलाये जाने हेतु लिखा गया है। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 9–12–80 द्वारा मुख्य अभियन्ता (गंगा) कछार, सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश, रीवां को लिखा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

बांदा जिले के नलकूप

162—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में 30 नवम्बर, 1980 तक कितने नलकूप लगे हैं ? कितने नलकूप इस समय चालू हालत में हैं और कितने बन्द हैं और वह कब से किस कारण से बन्द हैं ? वर्ष 1980-81 में जनपद को शासन से कितने नलकूप मिले ? क्या बांदा जनपद में विश्व बैंक की सहायता से भविष्य में नलकूपों का जाल बिछाने की योजना है ? यदि हां, तो सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बांदा जनपद में 30 नवम्बर, 1980 तक 188 राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ है, इसमें से 109 राजकीय नलकूप उर्जीकृत हैं जिनमें से 5 नलकूप फेल हो गये हैं ।

उपरोक्त में दो नलकूप क्रमशः 14-12-80 व 9-1-81 से यांत्रिक दोषों से बन्द हैं ।

वर्ष 1980-81 में जनपद को सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 37 नलकूप स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

जी नहीं । जनपद बांदा में विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों का जाल बिछाने का कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है, अतः ब्यौरे का प्रश्न नहीं उठता ।

163—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[चौथे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

आजमगढ़ जिले के दुबारी सूरजपुर बांध को पक्का किये जाने की मांग

164—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में दुबारी सूरजपुर बांध को पक्का कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

165—श्री मित्रसेन—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित] ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आर्थिक विकास योजना

166—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सम्पूर्ण आबादी में हरिजन आबादी का प्रतिशत क्या है ? उनके आर्थिक विकास के लिए छठी पंचवर्षीय

योजना में कौन-कौन सी योजनायें शासन के विचाराधीन हैं और वे प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है । छठी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों ने अपने आयोजनागत योजनाओं के लिए बजट प्राविधानों में से अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए धनराशियां मात्रीकृत की हैं । उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट रूप से कार्यरत हैं । उपरोक्त सभी योजनाओं का केन्द्र बिन्दु कृषि विकास पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों का विकास है । यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लाभार्थ हैं ।

सोन पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत घाघरा बैराज का निर्माण

167--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोन लिफ्ट कैनाल परियोजना में बनाये जा रहे बैराज पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ? क्या यह सत्य है जितना रुपया व्यय किया जा चुका है उसके हिसाब से कार्य बहुत कम हुआ है और इस कार्य में गड़बड़ घोटाला भी है ? यदि हां, तो इसकी जांच मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर इसी वर्ष किया था और मौजूदा अधिशासी अभियन्ता अम्बरीश चन्द्र अग्रवाल से जवाब भी तलब किया था ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सोन पम्प नहर परियोजना में बनाये जा रहे घाघरा बैराज तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों पर माह अगस्त, 1980 के अन्त तक 97.22 लाख रुपये का व्यय हुआ है । व्यय के अनुरूप कार्य न किए जाने एवं कार्य में गड़बड़ घोटाले का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस प्रकरण से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर द्वारा नलकूप, ट्रक, जीप आदि की खरीद

168--श्री रामऔतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1977-78, 1978-79, 1979-80 में नलकूप खंड, शाहजहांपुर में नलकपों, ट्रकों, जीपों और पम्प कैनालों के लिए कितनी धनराशि का सामान किन-किन फर्मों से किस दरों पर खरीदा गया और क्या इस खरीदारी के लिए समाचार-पत्रों द्वारा निविदायें भी मांगी गयी थीं ? क्या उपरोक्त खरीदारी की सूचना मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को उनके स्टैंडिंग आर्डर 74 के अधीन दी गयी थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उन्नाव खण्ड षष्टम, उपखण्ड शारदा नहर के जूनियर इन्जीनियर एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

169—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उन्नाव खंड षष्टम, उपखंड शारदा नहर, उन्नाव के जू० व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कितनी शिकायतें शासन व अधिकारियों को जनवरी, 1979 से अब तक दी गई ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न गत उपखंड के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जनवरी, 1979 से अब तक एक बार तथा 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

शिकायतों की जांच कराई गई । जांचोपरान्त शिकायतें सही नहीं पाई गईं ।

काली शंकर पाल, ठेकेदार सिंचाई विभाग के विरुद्ध रायबरेली थाने में लिखाई गई कथित रिपोर्ट

170—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि मार्च, अप्रैल, 1980 में काली शंकर पाल, ठेकेदार के विरुद्ध 45,000 रुपये गबन की रिपोर्ट थाना रायबरेली में दर्ज है ? यदि हां, तो गबन के मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, सिंचाई विभाग ने ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है । शेष प्रश्न नहीं उठाता ।

शारदा नहर, लखनऊ ब्रान्च का क्षतिग्रस्त फाल

171—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर खंड हरदोई के अन्तर्गत 16 अक्तूबर, 1980 की रात को लखनऊ ब्रांच के मील 38 पर हुई खांदी को कन्ट्रोल करने के लिए अधिकारियों ने नहर की स्केप को क्षमता से अधिक खोल दिया जिससे स्केप के नीचे की जो 3 फाल बह गई उन्हें पुनः निर्माण हेतु विभाग ने अब तक विभिन्न मदों में कितना धन व्यय किया और कितना कार्य हुआ ? तथा शेष कितना कार्य होना है ? और उस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होना है ? शेष अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ शाखा के मील 46-1 की खांदी के शीघ्र नियन्त्रित करने हेतु दिनांक 7 अक्तूबर, 1979 के रात्रि में हर्ड स्केप को खोला गया । स्केप 11 अक्तूबर, 1979 तक चलता रहा । मील 38-1 पर काश्तकारों द्वारा काटी गई खांदी को नियन्त्रित करने हेतु स्केप 17 अक्तूबर, 1979 को चलाया गया । स्केप की कुल क्षमता 1000 क्यूसेक्स के विरुद्ध स्केप में अधिकतम जल 679 क्यूसेक्स चलाया गया । अक्तूबर, 1979 में स्केप के दो फाल क्षतिग्रस्त हो गये ।

फालों के पुनः निर्माण की लागत 6 लाख रुपया है ।

फालों के क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्धारित करने के लिए जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

गण्डक नहर निर्माण खंड पांच, जिला देवरिया के श्री अभय कुमार सक्सेना की सेवा समाप्ति सम्बन्धी पत्र

172—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अभय कुमार सक्सेना का कोई इस आशय का शिकायती-पत्र कि गन्डक नहर निर्माण खंड-5, देवरिया से उनको नियम विरुद्ध सेवा निवृत्त कर दिया गया है ? प्रश्नकर्त्ता से उपरिपत्र के साथ 1 अगस्त, 1980 अथवा उसके आस-पास मिला ? यदि हां, तो मूल पत्र क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, विधायक का पत्र दिनांक 6 अगस्त, 1980 जो श्री अभय कुमार सक्सेना की सेवा समाप्ति तथा उनकी पुनर्नियुक्ति के विषय में था, विभाग में प्राप्त हुआ था। पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अभय कुमार की सेवायें सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार समाप्त की गई थीं अतः इस पर प्रमुख अभियन्ता ने किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी।

पिथौरागढ़ जिले के जनजाति क्षेत्र दारमा व व्यास में ग्राम सेवक केन्द्र की स्थापना की मांग

173—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ के जनजाति क्षेत्र दारमा व व्यास में कब तक ग्राम सेवक केन्द्र तथा विकास सम्बन्धी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिये जाने की है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जिला पिथौरागढ़ के जनजाति क्षेत्र दारमा व व्यास में अतिरिक्त ग्राम सेवक केन्द्र तथा विकास सम्बन्धी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

उन्नाव-हसनगंज मार्ग एवं उन्नाव-मलिहाबाद मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों पर बकाय यात्री-कर

174—श्री कुबेर भंडारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत चलने वाली उन्नाव से हसनगंज, उन्नाव से मोहान तथा उन्नाव से मलिहाबाद तक कितने प्राइवेट बसों के परमिट किन-किन व्यक्तियों के नाम से हैं तथा कितनी बसें चल रही हैं ? क्या यह भी सही है कि इन बसों पर लाखों रुपया यात्रीकर व रोड टैक्स का गत वर्षों से बकाया है ? यदि हां, तो यह यात्री कर व रोड टैक्स कितना-कितना है तथा बकाया कर को वसूलने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 211 पर।

श्री वीर बहादुर सिंह--

उन्नाव-हसनगंज मार्ग पर दो बसें तथा उन्नाव-मलिहाबाद (जिसका उन्नाव से मोहान एक भाग है) पर छः बसे चल रही हैं। इनके परमिट धारकों के नाम निम्नलिखित है :

1--श्री गोकरन मिश्र 2--श्री गिरजा शंकर पान्डे	उन्नाव से हसनगंज मार्ग
1--श्री वेनी माधव मिश्रा 2--श्री आशिक अली 3--श्री सैयद मेंहदी हुसेन 4--श्री युसुफ अली 5--श्री विपिन बिहारी जैसवाल 6--श्रीमती जहांआरा बेगम	उन्नाव से मलिहाबाद मार्ग

उपर्युक्त परमिट धारकों में से श्रीमती जहांआरा बेगम की बस पर 11,462.40 रु0 यात्री-कर का बकाया है। इस बकाये के विरुद्ध परमिट स्वामिनी द्वारा उप परिवहन आयुक्त (यात्री-कर) के यहां अपील प्रस्तुत की गई है जो कि निर्णय हेतु लम्बित है। मार्ग कर की धनराशि किसी भी बस पर बकाया नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध लस्तर घाटी नहर सम्बन्धी शिकायती-पत्र

175--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 के दौरान उनके पास टिहरी गढ़वाल जनपद के सिंचाई विभाग के टिहरी-गढ़वाल में स्थित अधिशासी अभियन्ता जिनके जिम्मे लस्तर घाटी की नहर का निर्माण कार्य है, के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कुल कितने शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुये ? तथा इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चार।

शासन को प्राप्त एक शिकायती-पत्र पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के माध्यम से जांच करायी गयी। जांच के फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्त दोषी पाये गये हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

अन्य तीन शिकायती-पत्र प्रमुख अभियन्ता स्तर पर प्राप्त हुये जिनके बारे में प्रमुख अभियन्ता द्वारा जांच कराई गई तथा जांच में पाई गई अनियमितताओं के बारे में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

टिहरी–ऋषिकेश मोटर मार्ग के सम्पर्क मार्ग का निर्माण

176—श्री विद्यासागर नौटियाल—

दिनांक 27–8–80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मार्ग पर मनेरी-भाली परियोजना के कितने भारी ट्रेलर्स चले ? यदि नहीं चले, तो इस मार्ग का अब किस लिए उपयोग किया जा रहा है और यह मार्ग अब किस विभाग के पास है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रश्नगत मार्ग पर ट्रेलर्स नहीं चले। सम्प्रति इसका उपयोग नहीं हो रहा है और यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है।

देवरिया जिले के ग्राम बलुआ, आफगान, बिन्दवलिया, सिहुरपुर आदि में रेगुलेटर निर्माण की मांग

177—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र, दिनांक 18–8–80 जिला देवरिया, ब्लाक भाटपार रानी एवं भटनी में गांवों में स्थित सुनआ नदी में ग्राम बलूआ, आफगान, बिन्दवलिया, झरनावाट, सरया, मोह मरौरा, धखीरकरन, धमसोरबुबे एवं खैराट के पास रेगुलेटर बनाने हेतु कोई प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

ग्राम बलूआ, आफगान में खनुआ नोल पर ग्राम सिंहपुर के पास रेगुलेटर के निर्माण का प्रस्ताव बना लिया गया है और विचाराधीन है। अन्य स्थलों पर रेगुलेटर निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

खीरी जिले की सुहेली परियोजना हेतु अध्याप्त भूमि का मुआवजा

178—श्री सतीश अजमानी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सुहेली परियोजना जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत जो भूमि निघासन क्षेत्र के किसानों की आई थी वहां पर लगभग 40 प्रतिशत लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजा न देने का क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद खीरी में सुहेली सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत निघासन तहसील में जो कृषकों की भूमि अध्याप्ति की गई है उसमें से लगभग 23.0 प्रतिशत का प्रतिकर वितरित नहीं किया जा सका है। धारा 6 (1) की अधिसूचना के प्रकाशित न होने तथा सक्षम अधिकारी से प्रतिकर की स्वीकृति न प्राप्त हो सकने के कारण लगभग 23.0 प्रतिशत का प्रतिकर वितरण नहीं हो सका है। धारा 6 (1) का प्रकाशन तथा मंडलायुक्त की स्वीकृति के पश्चात शीघ्र मुआवजा वितरित कर दिया जायगा।

आजमगढ़ जिले के ग्राम गजियापुर एवं रसूलपुर का नदी से कटाव एवं योजना

179--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में गजियापुर, रसूलपुर आदि गांवों को नदी के कटाव से बचाने के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जनपद में गजियापुर ग्राम को घाघरा नदी की कटान से बचाने के लिए 5·32 लाख रुपये की लागत की एक योजना निर्माणधीन है जिसके अन्तर्गत गजियापुर ग्राम के निकट तीन लघु ठोकरों के निर्माण का प्राविधान है । ग्राम रसूलपुर को बचाने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

दोहरीघाट पम्प कैनाल, आजमगढ़ की सिकरीकोल माइनर का निर्माण

180--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरी घाट (आजमगढ़) पम्प कैनाल की शाखा सूरजपुर माइनर से शाखा सिकरीकोल माइनर बनाने के लिए लगभग 20 वर्ष से किसानों की जमीन सरकार द्वारा ले ली गई है ? क्या उस जमीन पर आज तक माइनर नहीं बनाया गया है और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लगभग 10 वर्ष पूर्व जमीन ली गयी जिसमें कुछ भागों में सिकरी कोल माइनर का निर्माण कराया गया एवं कुछ भागों में, जनता के विरोध के कारण, माइनर का निर्माण अवरुद्ध हो गया है ।

आजमगढ़ जिले के बाढ़ग्रस्त ग्राम नारायनपुर, सिसवा, धर्मपुर

181--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धर्मपुर, कछिया नारायनपुर, सिसवां, बखरिया, नरूल्लाहपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं, के पटान की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । ग्रामों की पटाई के संबंध में शासन के ग्रामीण अभिन्यत्रण सेवा विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ नगर के पम्प हाउस

182--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ नगर में बरसात का पानी निकालने के लिए लगाए गये दोनों पम्प इस समय बेकार हैं ? यदि हां, तो यह कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ नगर में बरसात का पानी निकालने हेतु 8 पम्प हाउस हैं जो चालू हालत में हैं, अतः ठीक कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

हरिजन विद्यालय, आजमगढ़ का अनुदान

183--श्री राज कुमार राय--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में हरिजन विद्यालयों को 1979-80 में कितना अनुदान दिया गया ? अलग-अलग किस विद्यालय को कितना-कितना दिया गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1979-80 में हरिजन विद्यालयों को कुल रुपया २,10, 218 की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई । इस धनराशि में से रुपया 1,80,738 की धनराशि आवर्तक अनुदान तथा रुपया 29,480 की धनराशि अनावर्तक अनुदान है । जिन विद्यालयों को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान के रूप में सहायता दी गई, उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 213 पर) ।

परिवहन निगम के डिपो को बस का आवंटन

184--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में किस-किस डिपो पर कितनी-कितनी बसों का एलोकेशन पिछले तीन वर्षों में किया और उनमें से कितनी-कितनी बसें डिपों को दी गयीं ? 15-8-80 को कितनी बसें वर्कशाप में बेकार पड़ी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न डिपो को आवंटित की गयी तथा आवंटन के अनुसार दी गयी बसों का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है । दिनांक 15-8-80 को 1014 बसें अनुरक्षण, मरम्मत व अन्य कारणों से आफ रोड थी ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 217 पर)

परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित प्राइवेट बसें

185--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा प्राइवेट बस किराए पर ली गयीं ? यदि हां तो, किस आधार पर और कब से ली गयी ? इस समय कितनी-कितनी किस-किस डिपों में चल रही हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोक हित में निगम ने प्राईवेट बसें अनुबन्धित की हैं और उनका संचालन अपने मार्गों पर किया है। इसका कारण यह है कि निगम को पर्याप्त मात्रा में निर्माताओं से बस चेसिस उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यह योजना वर्ष 1976 से लागू की गयी है । अनुबन्धित बसों की डिपों क्रम से सूची संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 221 पर)

केन्द्रीय बन्दी सुधार गृह, नैनी, इलाहाबाद में भोजन बनाने की व्यवस्था

186--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या कारागार मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय बन्दी सुधार गृह नैनी म भोजन बनाने के तौर तरीके एवं उपकरण की व्यवस्थाएं कितनी वर्षों पुरानी हैं ? क्या सरकार भोजन निर्माताओं की परेशानियों को देखते हुए उनका आधुनिकीकरण कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां तो, कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

केन्द्रीय बन्दी सुधार गृह नैनी में भोजन के बनाने के तौर तरीकों एवं उपकरणों की जो व्यवस्थायें वर्ष 1969 ई0 में स्थापित नैनी केन्द्रीय कारगार के अनुरूप चली आ रही थी, उनमें शुचिता की दृष्टि से निरन्तर सुधार किया जाता रहा । उदाहराणार्थ खाना पकान के पात्रों मे भीतर से कलई की जाती है, आटा मशीन से गूंथा जाता है । सब्जियां धो कर काटी जाती हैं, पके हुये भोजन को धूल मिट्टी, बालू आदि से बचाया जाता है । रसोईघर में मक्खियों आदि के प्रवेश को रोकने के लिये जाली लगा दी गई हैं ।

जिस प्रकार भारतीय परिवारों में भोजन बनाया जाता है उसी का अनुसरण यथासम्भव बन्दी सुधार गृह नैनी में किया जा रहा है और सम्प्रति उसके आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं दीखती ।

मथुरा जिले की आगरा नहर की आधुनिकीकरण प्रायोजना

187--श्री कन्हैया लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष मथुरा जिले में आगरा कैनाल के रिमाडलिंग (गहरी व चौड़ी करने) हेतु कितने धन का प्राविधान था ? उसमें से कितना खर्च हो चुका है ? इस व्यय में से कितने कार्य के लिये टेंडर कब-कब मांगे गये और किस-किस अखबार में प्रकाशित हुए ? कितने रुपये का ठेकेदारों द्वारा तथा वर्क आर्डर द्वारा कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पिछले वर्ष (1979-80) में केवल मथुरा जिले में आगरा नहर को गहरा व चौड़ा करने हेतु आगरा से कोई धन का प्राविधान नहीं था । आगरा नहर के आधुनिकीकरण प्रायोजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के आय-व्ययक में कुल 125 लाख रुपये का प्राविधान था जिसमें से 11·36 लाख रुपये मथुरा जनपद में आगरा नहर को चौड़ा करने पर व्यय किये गये ।

उपरोक्त 11·36 लाख रुपये के व्यय में से 7·42 लाख रुपये का कार्य टेंडर आमंत्रित कर अनुबन्धों द्वारा कराया गया । समय-समय पर टेन्डर मांगने तथा अखबारों में प्रकाशित होने का विवरण संलग्न सूची में दर्शित है । शेष 3·94 लाख रुपये का कार्य वर्क आर्डर द्वारा कराया गया ।

उक्त समस्त कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया ।

(देखिये परिशिष्ट 'ठ' अ[illegible] पृ0 224 पर ।)

बाली घाट–दोफाड़ मार्ग, जिला अल्मोड़ा पर बस संचालन की मांग

188—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाली घाट डोफाड़ मोटर मार्ग तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में यात्री बस चलाने में क्या कठिनाई है ? उक्त मार्ग पर यात्री बस कब तक चलेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस मार्ग के कच्चा होने के कारण वर्षा ऋतु में बस संचालन में कठिनाई होती है। शेष अवधि में बस संचालन होता है। पिछली वर्षा के बाद दिनांक 14–9–80 से पुनः इस वर्ष पर बस संचालन आरम्भ हो गया था।

शाहजहांपुर के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन का स्थानान्तरण

189—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ए0 आर0 एम0 के स्थानान्तरण को रद्द करने के आदेश दिनांक 4–8–80 को माननीय मंत्री जी न चेयरमैन परिवहन विभाग को किए थे ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का ट्रान्सफर रद्द करने के आदेश जारी किये थे लेकिन बाद में लोकहित में उनको निरस्त कर दिया गया।

उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण गोरखपुर मण्डल के जीप की लागबुक

190—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण मण्डल, गोरखपुर को जब वाराणसी का कार्यक्षेत्र सौंपा गया था तो उस वक्त वहां की सरकारी जीप भी इनके पास थी ? और क्या यह सही है कि इस जीप को लगभग 2,500 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी की लागबुक आज तक नहीं भरी जा सकी है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ए0 जी0, यू0 पी0 द्वारा अपने आडिट रिपोर्ट में आपत्ति उठायी गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां। वर्तमान उप निदेशक वाराणसी मण्डल उप निदेशक गोरखपुर से लागबुक पूर्ण कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में ए0 जी0, यू0 पी0 द्वारा उठायी गयी किसी आपत्ति की जानकारी नहीं है।

गण्डक नहर मण्डल प्रथम गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता, श्री मंगत राम अरोरा के विरुद्ध शिकायती–पत्र

191—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गण्डक नहर मण्डल प्रथम, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता (मंगत राम अरोरा) के विरुद्ध वर्ष 1979 के मार्च में खेरा के पेड़ काट कर बेचना तथा वसूली रेगुलेटर पड़रीफाल तथा 5–7 रेगुलेटर

में फर्जी रोड़ा डम्पिंग की शिकायत भू० पू० विधायक द्वारा मई, 1979 में की गई थी ? जिसकी जांच में आरोप सिद्ध भी हो गया था और करीब डेढ़ लाख रुपये की रिकवरी का आदेश भी हुआ था ? क्या यह सही है कि इसी आधार पर श्री अरोरा का स्थानान्तरण पहाड़ी क्षेत्र को जनवरी, 1980 में कर दिया गया था ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण अब तक रोके जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री मंगत राम अरोरा, प्रभारी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र मई, 1979 में नहीं लेकिन अक्तूबर, 1979 में प्राप्त हुआ था ।

यह सही नहीं है कि शिकायती-पत्र के आधार पर श्री अरोरा का स्थानान्तरण किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के ग्राम ग्वालो, अरवामऊ, हाजीपुर के लिए स्वीकृत नाली

192--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में तहसील मिसरिख के ग्राम ग्वालो, अखामऊ, हाजीपुर, बरसुवा एवं उचोली का पानी निकालने के लिए कोई खारजा बनाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ? अब तक पूर्ण न हो पाने का क्या कारण है ? कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

खारजा (नाली) वर्ष 1965 से स्वीकृत है तथा वर्ष 1966 में बना दी गई थी । चांदपुर के कृषकों द्वारा इस ड्रेन के मील 1-3-100 से मील 1-5-200 तक पाट दिया गया तथा न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया । मुकदमें के निर्णय के पश्चात ही ड्रेन खोदने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

आजमगढ़ जिले के फतेहपुर ताल रतोय से नाली निकालने की माँग

193--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में स्थित फतेहपुर ताल रतोय को उसी तहसील के हाहा नाला में कच्ची व पक्की नाली द्वारा मिलाने की तथा पम्प से पानी निकालने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से यह कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । अतः कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरजू नहर परियोजना के चिकनिया माड़ साइफन एवं रामबोझ गोदाम से लोहे की छड़ का गबन

194--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि सरजू नहर परियोजना के चिकनियां, माड़ साइफन एवं रामबोझ गोदामों से लाखों रुपये मूल्य की लोहे की चादरें तथा अन्य सामान गोदाम से गायब हैं ? यदि हाँ, तो उक्त गोदामों में कितना-कितना सामान रखा था और इस वक्त कितना है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

(क) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रश्नगत गोदामों से केवल 1,350 रुपये का सामान गायब है ।

(ख) स्टोर्स में मुख्य निर्माण सामग्री की स्थिति निम्न प्रकार से है :

	रामबोझा	चिकनियां	मांड	योग
1--सीमेन्ट	3233 बोरी	..	..	3233
2--इस्पात सरिया	36.300 मी0टन	486.825	169.035	692.160
3--लोहे की चादर	2.364 मी0टन	..	..	2.364

(ग) उपरोक्त 'ख' में अंकित सामान में से 1,350 रु0 मूल्य की 3 कुंतल इस्पात की छड़ों की चोरी प्रकाश में आई जिसके सम्बन्ध में विभागीय जांच प्रचलित है तथा रुपयडीहा, जिला बहराइच में अपराध पंजीकृत है जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

गाजीपुर जिले की देवकली पम्प कैनाल का निर्माण

195--श्री राम नारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में देवकली पम्प कैनाल के निर्माण की अनुमानित अवधि एवं लागत की धनराशि कितनी तय थी और अब तक उस पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ? और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवकली पम्प नहर की अनुमानित लागत 290 लाख रुपये तथा क्षमता वृद्धि की अनुमानित लागत लगभग 1,429 लाख रुपये है । प्रथम चरण तीन वर्षों में तथा द्वितीय चरण चार वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था । इस परियोजना के निर्माण कार्यों पर प्रथम चरण में 229.04 लाख रुपये तथा द्वितीय चरण पर

1,008.74 लाख अक्तूबर, 1980 तक व्यय हो चुके हैं। प्रथम चरण के काय लगभग पूर्ण हो चुके हैं। परियोजना के शेष कार्य 1983 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं।

मथुरा जिले के लालपुर बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

196—श्री चन्दन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के लालपुर बांध में तहसील छाता के किन-किन ग्रामों की जमीनें आई हैं ? और कौन-कौन से किसानों की ? क्या उन किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सिंचाई विभाग, मोहम्मदपुर व खीरी चौकी, कादीपुर चौकी की जमाबंदियां

197—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सिंचाई विभाग के मोहम्मदपुर व चौकी खीरी की फसली 1386 फ0 1389 की 31 जमाबंदियां एव कादीपुर चौकी की 1387 फसली 1380 की पांच जमाबंदियां जिसमें 1 लाख रु0 का रिकार्ड जमा है आज तक जमा नहीं की गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सिंचाई विभाग की नहरों की पटरी की घास एवं पेड़ों की नीलामी

198—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सिंचाई विभाग में नहरों के किनारे की घास फलदार पेड़ों की नीलामी की जाती है और महे की जमीन भी नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष में कितने रुपये की नीलामी की गई और बचा रुपया सरकारी खजाने में जमा किया गया या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप खण्ड, लखीमपुर के नलकूप आपरेटरों की वेतन-वृद्धि

199—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई नलकूप खंड लखीमपुर में कार्यरत ऐसे नलकूप आपरेटर कौन-कौन हैं जिनके वेतन में गत वर्ष 74 से वृद्धि नहीं लगाई गई है और क्यों ? वेतन-वृद्धि कब तक लगा दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत खण्ड में कार्यरत उन 35 नलकूप चालकों की सूची जिनके वेतन में गत वर्ष 74 से वेतन-वृद्धि नहीं लगाई गई है, संलग्न है। इन नलकूप चालकों की सेवा पुस्तिकाएं अपूर्ण होने के कारण वेतन-वृद्धि लगाना सम्भव नहीं था। उक्त नलकूप चालकों में से अधिकांश की वेतन-वृद्धियां लगाई जा चुकी हैं। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 225 पर)

टिहरी गढ़वाल के मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के भवन की मरम्मत हेतु दी गयी कथित धनराशि

200--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बता की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के कतिपय टिहरी जनपद के अन्दर व्यक्तिगत तौर पर संचालित मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने विद्यालयों को क्षतिग्रस्त भवनों को मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि शासन ने स्वीकार तथा प्रदान की ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जनपद टेहरी गढ़वाल में व्यक्तिगत तौर पर संचालित मान्यताप्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुयी है।

शारदा नहर, हरदोई खंड के प्रारूपकार की वेतन वृद्धि एवं दक्षतारोक

201--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर, हरदोई खंड में कितने एसे प्रारूपकार है जिनके वेतन में गत 1 अगस्त, 1973 से वेतन-वृद्धि एवं दक्षतारोक पार की अनुमति नहीं दी गयी है और क्यों ? दक्षतारोक एवं वेतन वृद्धि कब तक लगा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत खंड में कोई भी ऐसा प्रारूपकार नहीं है जिसके वेतन में गत 1 अगस्त, 1973 से वेतन वृद्धि एवं दक्षतारोक पार की अनुमति न दी गई हो। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते।

शारदा सहायक खंड, इलाहाबाद रजबहा के लहरा ग्राम में सड़क निर्माण की मांग

202--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 30 की इलाहाबाद रजबहा पर नियमानुसार लहरा ग्राम तक सर्विस रोड बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित होगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, इलाहाबाद रजबाहे के कि0 मी0 16.0 से 17.6 तक टेल के भाग में सर्विस रोड नहीं बनी है। विभाग के कार्यों हेतु इसकी आवश्यकता

श्री वीर बहादुर सिंह--

नहीं प्रतीत होती । उक्त क्षेत्र में बहुत उपजाऊ भूमि होने के कारण केवल कनाल सर्विस रोड बनाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण करना उचित प्रतीत नहीं होता । ग्राम लहरा के निकट से इंजीनियरिंग कालेज होते हुए एक मार्ग ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा हेतु उपलब्ध है ।

आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट लिंक नहर का निर्माण

203--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट पम्प कैनाल से शारदा सहायक परियोजना को जोड़ने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां । दोहरीघाट लिंक नहर के निर्माण का कार्य भूमि अध्याप्ति की कठिनाई के कारण रुका हुआ है । भूमि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शीघ्र कराया जायेगा ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई अव्यवस्था हुई ही नहीं है, किस चीज पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया लेकिन व्यवस्था के प्रश्नों का समय अब शुरू हुआ है ।

हरदोई जनपद के माधोगंज व मल्लावां ठेके पर बिकने वाली जहरीली शराब के पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकार की गई हैं और शेष सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हरदोई जनपद के माधोगंज और मल्लावां ठेकों पर बिकने वाली शराब पीने से 25-26 जनवरी को क्रमशः एक दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । मृतक व्यक्ति मल्लावां निवासी सिद्दीक, पिपरावां निवासी हरिश्चन्द्र एवं माखन हैं । शराब में किसी जहरीली केमिकल मिलाकर बेचने के कारण ही मौतों का यह सिलसिला शुरू हुआ है । उक्त मृतकों में किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है ।

हरदोई जनपद के माधोगंज व मल्लावां ठेके पर बिकने वाली जहरीली शराब के पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

उक्त लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए तत्काल उक्त दुकानों को सील कर शराब की विश्लेषणात्मक जांच कराये जाने की मांग करता हूं ।

बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत विकास खंड भनवापुर, इटवा, खोनियांव के सैकड़ों गांव में पिछले 24 जनवरी, 1981 को भीषण उपल वृष्टि हुई जिसके फलस्वरूप गांव की रबी की फसल पूर्ण रूपेण समाप्त हो गयी। विकास खंड भनवापुर के न्याय पंचायत बिसकोहर के गांव हरिबंधनपुर, फूलपुर राजा देवीपुर, संग्रामपुर, कोहरौरा तथा न्याय पंचायत सिकौथा, न्याय पंचायत सोहना डोकमअमया, व इटवा विकास खंड न्याय पंचायत महादेव घुरहू मलवार बुजुर्ग मुरला बख्शी, जिगना ठाकुर के गांव में न केवल फसल की क्षति हुई है अपितु सैकड़ों पशुओं की जानें भी गई हैं ।

मान्यवर, इन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों से लगातार बाढ़, ओला, सूखा इस उपलवृष्टि से तबाही मची हुई है । हजारों लोगों के घरों में खाना नहीं है लोग गांव छोड़-छोड़ कर नेपाल की तराई में जा रहे हैं । ग्राम चुक पोखरभिटवा विकास खंड, भनवापुर के लगभग 12 परिवार बाहर जा चुके हैं । बताया जाता है कि लगातार उपवास व अन्न संकट से कुछ लोगों की जानें भी गयी हैं इस संदर्भ में ग्राम दिवली के दो व्यक्तियों की जान जाने का निश्चित प्रमाण मिला है । अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है जबकि सरकारी कर्मचारियों ने इसके लिए बार-बार सरकार से आग्रह किया है । बस मालगुजारी के वसूली के कार्य भी बड़े पैमाने पर जबरिया किया जा रहा है जिससे और भी हाहाकार मचा हुआ है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त परेशान क्षेत्र के लोगों को तत्काल राहत देने के लिए तथा उनके जीवन को बचाने के लिए कोई कार्य प्रारम्भ करने का तथा पशुओं के मरने के क्षतिपूर्ति का तथा सरकारी देय की वसूली रोकने का तत्काल आदेश करने का कष्ट करें ।

बांदा जिले की कर्वी तहसील में होने वाली चकबन्दी को रोकने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल--

मान्यवर, बुन्देलखंड क्षेत्र की जमीनें नदी, नालों से कटी-फटी हैं तथा ऊंची-नीची हैं । इसी क्षेत्र के अन्तर्गत बांदा जिले के कर्वी मऊ तहसीलों को पाठा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है । जहां पर सैकड़ों छोटे बड़े नदी नालों के कटाव से जमीनें ऊंची-नीची तथा ऊबड़-खाबड़ हैं । खेत-खेत की जमीनों में अन्तर है । एक-एक खेत में कई किस्म की मिट्टी है । सौ-पचास खेत भी एक स्थान पर समतल नहीं हैं । ऐसी स्थितियों में कर्वी तहसील के करीब 57 गांवों में चकबन्दी

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल—]

के अन्तर्गत गजट कर दिया गया है और उनमें से 25 गांवों में चकबन्दी का कार्य जोरों से चल रहा है। किसान इनका जोरदार विरोध कर रहे हैं। इस चकबन्दी के गांवों में पिछले वर्षों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मेड़ बन्दी की जा चुकी है। भूमि संरक्षण विभाग ने अपनी पुरानी गलत योजना के अन्तर्गत हर खेत में मेड़ें जबरदस्ती डालीं और तहसील के मारफत किसानों से उन मेड़ों की लागत की कीमत लाखों रुपयों में वसूली है। चकबन्दी से वे मेड़ें भी कट जायेंगी और किसानों को लाखों रुपयों की क्षति होगी। साथ ही साथ जमीन समतल न होने और खेत-खेत की मिट्टी में अन्तर होने के कारण सभी किसानों के साथ चकबन्दी में पूर्ण न्याय कदापि नहीं हो पायेगा। फिर भी चकबन्दी विभाग अपने भ्रष्टाचारी लाभ के लिए किसानों पर जबरदस्ती चकबन्दी थोप रहा है। चकबन्दी के विरोध में 16 और 22 जनवरी, 1981 को हजारों की तादाद में किसानों ने चकबन्दी कार्यालय कर्वी, जिला बांदा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और कर्वी तहसील से चकबन्दी तुरन्त खत्म कर देने की माँग की। चकबन्दी की कार्यवाही से व्यापक रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बांदा जिले की कर्वी तहसील से चकबन्दी तुरन्त समाप्त कर देने की मांग करता हूं।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सामूहिक अवकाश तथा प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सरकार तथा इस माननीय सदन का ध्यान गत 24 जनवरी, 1980 को प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रदेश के लगभग एक लाख माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण 4500 माध्यमिक विद्यालय बन्द रहे। इसके पूर्व शिक्षकों ने 9 जनवरी से 23 जनवरी तक जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया था प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर भी विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना, वेतन आयोग की विसंगतियों का दूर करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समाप्ति आदि शामिल है।

राज्य सरकार ने शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में समुचित ध्यान नहीं दिया है, जिसके फलस्वरूप व्यापक असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। हमारी मांग है इस सम्बन्ध में सरकार अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करे।

जनपद प्रतापगढ़ में तथा विशेषकर पट्टी तहसील में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ 23 व 24 जनवरी, 19 1 को लगभग सारा जनपद ओले से प्रभावित हो गया। जनपद प्रतापगढ़ में खासतौर से पट्टी तहसील

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओले से बहुत ही गम्भीर रूप से प्रभावित रही । तहसील पट्टी के काश्तकारों की अपूर्णनीय क्षति हुयी है । लगभग एक करोड़ की फसल नष्ट हो गयी ह । पट्टी तहसील में गेहूं, मटर, जौ, अरहर, आलू तथा अन्य फसलें लगभग पचास प्रतिशत से अस्सी प्रतिशत नष्ट हो गयीं । सारे जनपद में पशुओं के चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है । जनपद के समस्त काश्तकार खासतौर से पट्टी के काश्तकार ओले की विभीषिका से अत्यन्त कष्ट में हैं किसानों के कष्ट निवारण हेतु तुरन्त शासकीय सहायता की शीघ्र आवश्यकता है । किसानों को तकावी दिए जाने की जरूरत है । लगान माफी की आवश्यकता है । जो लगान व कर्जे की वसूली की जा रही है, उसको तुरन्त स्थगित करने की आवश्यकता है और शासकीय स्तर पर राहत तथा अधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक है ।

अतः मैं आपके माध्यम से अपने जनपद की ओले से उत्पन्न स्थिति सदन के संज्ञान में लाने तथा शासन को सूचित करने हेतु लोक महत्व के विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने कल एक औचित्य का प्रश्न दिया था तो आपने व्यवस्था दिया था कि इस पर आज सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

कहा था कि सुनेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले एजेन्डे के अनुसार कार्य होने दें ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980†

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1979‡

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0 आर0-1487/दस-206 (2)—73-सी0 ए0-2-1899-रूल-1942 ए0 एम0-36-1979, दिनांक 22 अगस्त, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1979, जो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान दिनांक 28 मार्च, 1980 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गयी थी और जो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के कारण निर्दिष्ट कालावधि पूरी नहीं कर सकी है, को एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र संख्या एस0 आर0 905/दस—501 (2)-62, दिनांक 3 मई, 1980 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।
‡ छापी नहीं गयी ।

यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1978†

कृषि राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1978 (दिनांक 6 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक) को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किये जाने के कारण सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

आइटम 6--परिवहन मंत्री ।

(सिंचाई मंत्री के खड़े होने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न इस पर है कि जो मंत्री जी रखना चाहते हैं । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सरकार के द्वारा राजभाषा अधिनियम और हमारे इस आदरणीय सदन के बनाये हुए नियमों की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है, शासन द्वारा । जिसको मंत्री जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 282 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें साफ लिखा है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा । इसको स्पष्ट करते हुए मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से उ0 प्र0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण, पंचम संस्करण के संख्या 212 को देखें । उसमें स्पष्ट है कि सदन में कोई भी पत्र अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदस्य को वितरित नहीं किया जायेगा ।

"नियम 212 (ख) सदस्यों में वितरण हेतु शासन से जो साहित्य, जैसे प्रतिवेदन या अन्य पत्रादि, अंग्रेजी भाषा में विधान सभा सचिवालय में भेजा जाय, उसकी हिन्दी प्रतियां भी साथ ही साथ उपलब्ध करायी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । हिन्दी प्रतियों के अभाव में ऐसे साहित्य की अंग्रेजी प्रतियां सदस्यों को वितरित नहीं की जायेंगी ।"

इस सम्बन्ध में देखें तो परिवहन मंत्री, उ0 प्र0 मोटर वेहिकिल्स (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 को सदन के पटल पर रखने जा रहे हैं जिसके पृष्ठ 2 को देखें तो जो वर्तमान नियम और एतद्द्वारा पुरःस्थापित नियम दिये गये हैं वह अंग्रेजी में दिये गये हैं, रोमन लिपि में जो कि यहां देवनागरी लिपि में होना चाहिये । यह मूल अंग्रेजी में बाद में होना चाहिए । इस तरह की व्यवस्था है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अट्ठाइसवां संशोधन) ऐक्ट जो अंग्रेजी में है इसे अंग्रेजी से अनुवादित करके देवनागिरी लिपि में करा कर तब सदन के पटल पर रखी जाय, ऐसे अंगेजी में प्रस्तुत करना विसंगति है। आपके स्पष्ट निर्देश हैं, उसकी जानबूझकर अवहेलना की गयी है। यह हमारे सदन के सम्मान का प्रश्न है, आप स्पष्ट रूप से निर्देश कर दें कि आप यह नियमावली सदन के पटल पर नहीं रख सकते। या इसे हिन्दी में अनुवादित करा लें या फिर साइक्लोस्टाइल करा लें या फिर मुद्रित करा लें।

आपके पहले जो अध्यक्ष थे माननीय श्री बनारसी दास जी, जब वह अध्यक्ष पीठ पर विद्यमान थे तब ऐसे ही राष्ट्रीय निर्माण निगम की नियमावली या प्रतिवेदन अंग्रेजी में प्रस्तुत हुआ था। उस पर मैंने आपत्ति उठाई थी तो उस पर अध्यक्ष पीठ से आज्ञा हुई थी कि उसे हिन्दी में सदन के पटल पर रखा जाय। तो मान्यवर, यह हमारी भाषा के सम्मान की बात है, सदन की गरिमा का प्रश्न है। इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष में व्यवस्था चाहता हूं कि इसको अनुवादित करके या संशोधन करके ही प्रस्तुत करने की अनुमति आप प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

यू० पी० मोटर वेहिकल्स रूल्स का नियम, 128 जो अंग्रेजी में है वर्तमान नियम है और स्तम्भ 2 में एतद्द्वारा प्रस्थापित नियम है। यह अंग्रेजी में जो नियम है इस सम्बन्ध में आपको आपत्ति है कि करण संख्या 212 के अनुसार सदन में कोई भी पत्र अध्यक्ष की आज्ञा के बिना अंग्रेजी में सदस्यों को वितरण नहीं किया जायेगा।

उक्त करण के खण्ड (ख) में दिया है कि जैसे प्रतिवेदन या अन्य कोई प्रपत्र विधान सभा सचिवालय को भेजा जाय तो उसकी हिन्दी प्रति भी साथ ही साथ उपलब्ध करा दी जाय। अंग्रेजी प्रतियों का वितरण नहीं किया जाय। मैं माननीय सदस्य के निवेदन से सहमत हूं। केवल कुछ तथ्य जो हमारी जानकारी में आये जहां माननीय सदस्य को विरोध हुआ है वह यह है कि जो वर्तमान नियम है 128 जो अंग्रेजी में है, यह 1940 का बना हुआ है। उस समय से यह वर्तमान नियम चला आ रहा है और वही लागू है। उनको अनुवादित या संशोधित करना सम्भव न हो पायेगा। इनकी अंग्रेजी में ही प्रामाणिकता है। इन्हें हिन्दी में प्रस्तुत करना कठिन है। वर्तमान नियम के स्थान पर अब जो नियम बनाए गये हैं, हिन्दी में हैं और हिन्दी में ही प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इस तरह से उन नियमों को जो पहले अंग्रेजी में बन चुके थे उनका हमारी वर्तमान नियमों की भाषा के अनुकूल आना...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, दो मिनट सुन लीजिए...

श्री अध्यक्ष—

नियमानुकूल है। यह व्यवस्था मैं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ऐसा नहीं है...

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त हो गया ।

(सिंचाई मन्त्री को पुकारने पर और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के पुनः खड़े होने पर)

गुप्त जी, अब बैठ जाइये । निर्णय होने के बाद आगे सुनने से प्रक्रिया बढ़ती जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जो बात कह रहा हूं उससे शायद आप स्वयं पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं हमेशा अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूं मगर मुझे लगे कि यह जनतंत्र के, लोकतंत्र के हित में है । इसको आप फिर देख लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं फिर इस बात को रखूंगा ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 1980)

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं० 1790-टी/तीस-4-2-पी-79, दिनांक 30 सितम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 को मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1980*

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं० 4815-टी०/तीस-4-6-पी-79, दिनांक 29 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1980 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसवां संशोधन) नियमावली, 1980*

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं० 4815-टी/तीस-4-25-पी-79, दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसवां संशोधन) नियमावली, 1980 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 1980†

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं० 2479-टी/तीस-4-34-पी-79, दिनांक 10 जुलाई, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उप धारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र††

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की विज्ञप्ति सं० 2865-बी/यू० पी० ए०-33-1961/रूल-1978, दिनांक 29 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्ध पत्र सं० यू० ओ० 17-डी/33-2-ग्रा० वि०-4-578-38, दिनांक 20 जून, 1980 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को सदन के पटल पर रखा गया था तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम लखनऊ का 20वां वार्षिक लेखा विवरण 1977-78††

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम लखनऊ का 20वां वार्षिक लेखा विवरण 1977-78 को दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77††

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77 को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छपा नहीं गया।
छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 227 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 228 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता रखता हूं ।

(संशोधन के लिए देखिए नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 229 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 जो विधान सभा द्वारा 6 अक्तूबर, 1980 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 अक्टूबर, 1980 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन

विधेयक, 1980 जो विधान सभा द्वारा 9 अक्टूबर, 1980 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 अक्टूबर, 1980 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 जो विधान सभा द्वारा 18 सितम्बर, 1980 को पारित किया गया था और जिस पर विचार करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की 4 अक्टूबर, 1980 की बैठक में अस्वीकार हो गया था, 4 दिसम्बर, 1980 को वापस प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्ययका विनियमन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 20वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को बैठक म पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया।

औचित्य का प्रश्न लिये जाने की मांग

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था मैं समझता हूं कि उसे अब उठाने की अनुमति देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना आपके कक्ष में दी थी.....

श्री अध्यक्ष--

पहले मद संख्या 19, 20, 21 ले लेते हैं फिर आपकी बात सुनेंगे। 22 में कोई वक्तव्य नहीं है इसलिए जल्दी हो जायेगा मद संख्या 23 के बाद इसको सुनेंगे।

श्री मोहन सिंह--

पहले इसको सुन लें क्योंकि उस पर डिसिजन पेंडिंग है ।

श्री अध्यक्ष--

यह ज्यादा समय नहीं लेगा केवल सूचना देनी है ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी/रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है--

(1) श्री राधेश्याम पटेल, (2) श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, (3)

श्री यदुनाथ सिंह--

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी/रिहाई की सूचनायें इस सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या 15, 16 एवं 17 द्वारा प्रसारित की जा चुकी हैं ।

एस0 पी0/डी0 एम0 देवरिया ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 25 जनवरी, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 27 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा, भाटपारी रानी, जिला देवरिया को अपराध संख्या 70/80 में थाना खामपार, जनपद देवरिया भारतीय दण्ड विधान की धारा 420/467/468/109 के अन्तर्गत दिनांक 25 जनवरी, 1981 को लगभग 8 बजे पूर्वाह्न में खामपार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया ।

उक्त अधिकारियों ने अपने पूर्व वायरलेस संदेश के संदर्भ में अपने दूसरे वायरलेस संदेश दिनांक 25 जनवरी, 1981 जो इस सचिवालय में दिनांक 27 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुआ, में श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा (देवरिया) के जे0 एम0 सदर, देवरिया की अदालत से दिनांक 25 जनवरी, 1981 को जमानत पर रिहा कर दिये जाने की सूचना भेजी है ।

उ0 प्र0 विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष विधान सभा सदस्य श्री श्रीकृष्ण गोयल के उपस्थित होने के लिए सदन की अनुज्ञा दिए जाने के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री श्रीकृष्ण गोयल द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1980 को विधान परिषद में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, श्री अरुण कुमार के विरुद्ध, सदस्य, विधान परिषद की हैसियत से उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में उक्त श्री गोयल, जो अब विधान सभा के सदस्य हैं से जानकारी प्राप्त करने हेतु उनको विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में माननीय सदस्य की अनुज्ञा एवं माननीय सदस्य की सहमति प्राप्त करने का अनुरोध विधान परिषद के सचिव के 29 नवम्बर, 1980 के पत्र के माध्यम से किया गया था । इस संबंध में सदन की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व इस मामले को विशेषाधिकार समिति को उसके प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट किया जाना था । उस समय सदन की बैठक नहीं हो रही थी, अतः इस प्रश्न को मैंने दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 को विशेषाधिकार समिति को प्रतिवेदन देने हेतु निर्दिष्ट कर दिया था ।

पायनियर एवं स्वतंत्र भारत समाचार पत्रों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा ने लखनऊ शहर में छपने वाले 'पायनियर' और 'स्वतंत्र भारत' दैनिक समाचार-पत्रों के संपादकों एवं प्रकाशकों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को दी थी। उक्त सूचना में माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि 11 अक्तूबर, 1980 के उक्त दोनों दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश मंत्रि मण्डल के कुछ मंत्रियों द्वारा मुख्य मंत्री से सहयोग न करने सम्बन्धी समाचार निराधार एवं सत्य से परे हैं और उनके प्रकाशन से उत्तर प्रदेश सरकार की एकरूपता, संयुक्त जिम्मेदारी और उसका उत्तरदायित्व विखंडित हुआ है तथा उत्तर प्रदेश के जन-साधारण नागरिकों में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मतभेद की उक्त भ्रामक खबर और अफवाह होने से विधान सभा की गरिमा, गौरव और प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची है।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना की पुष्टि में 'पायनियर' एवं 'स्वतंत्र भारत' अखबार की पूर्ण प्रति न संलग्न कर, केवल अखबारों की कतरनें ही संलग्न की हैं जब कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (1952-67) के निर्णय संख्या 27, पृष्ठ 530 के अनुसार समाचार-पत्र की कटिंग सूचना के साथ संलग्न करना अनियमित है और सूचना के साथ पूरा अखबार संलग्न करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को सदन में जब श्री काशीनाथ मिश्र ने इस प्रश्न को उठाया था, तब मैंने उस दिन यह व्यवस्था दी थी कि समाचार-पत्र में जो खबरें प्रकाशित होती हैं उसकी कोई नोटिस सदन नहीं लेता जब तक कि कोई घटना सदन से सम्बन्धित न हो। माननीय सदस्य श्री मिश्र की सूचना में तथा संबंधित समाचार-पत्रों की संलग्न कतरनों में ऐसी कोई बात नहीं है जो सदन या उसके कार्य के संबंध में हो।

अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

श्रीमन्, माननीय मिश्र जी खुद अपने दिल को टटोल कर देखें कि वह अपने मुख्य मन्त्री को क्या सहयोग दे रहे हैं और वह क्या सहयोग पा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले आप अपने दिल को टटोल कर देखिये। अब मैं दूसरा लेता हूं।

राजस्व मन्त्री, श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को माननीय राजस्व मन्त्री श्री, यशपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि 29 अगस्त, 1980 की नत्थी 'क' के

तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री ने यह कहा था कि जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा खैरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना में भूमि प्रबन्धक समिति के 26 जून, 1970 के प्रस्तावानुसार तीन व्यक्तियों को आवंटन के आदेश होते हुए भी पट्टे नहीं दिये गये । अन्य कारणों के साथ उस का एक कारण प्रपत्र 57–ख का उपलब्ध न होना भी था, माननीय सदस्य के अनुसार माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा उक्त प्रपत्र 57–ख के संबंध में दी गयी सूचना गलत है, क्योंकि श्री सुनहरी लाल ने नियम 1290 (ए) के अन्तर्गत जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को परगनाधिकारी, जसराना, मैनपुरी ने बताया है कि प्रश्नगत प्रपत्र 57–ख जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हो गया है और उसे अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्तीय राजस्व) के कार्यालय में विधान सभा प्रश्न के साथ भेजा है । श्री वर्मा ने उसकी पुष्टि हेतु नियम 1290 (ए) के अन्तर्गत परगनाधिकारी से पूछे गये प्रश्न तथा उसके उत्तर की फोटोस्टेट प्रतियाँ भी अपनी सूचना के साथ संलग्न की है ।

मैंने श्री वर्मा की उक्त सूचना और उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों को माननीय राजस्व मन्त्री के पास भेजते हुए उनसे इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी माँगी थी । माननीय राजस्व मन्त्री ने अपने पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1980 द्वारा मुझे यह सूचित किया है कि दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को श्री हर गोविन्द वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में प्रपत्र 57–ख के उपलब्ध न होने की जो सूचना सदन में थी, वह उस समय तक शासन की सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध जिले से प्राप्त निश्चित सूचना पर ही आधारित थी और प्रश्नोत्तर तैयार करते समय तक इस प्रपत्र के मिल जाने की सूचना परगनाधिकारी ने शासन को नहीं दी थी । माननीय राजस्व मन्त्री का कहना है कि श्री वर्मा द्वारा सदन में प्रश्न उठाने के बाद विशेष पत्र वाहक भेजकर उन्होंने जिलाधिकारी, मैनपुरी से जो सूचना उनके पत्र दिनांक 5 अक्तूबर, 1980 से प्राप्त की, उसमें यह सूचित किया गया है कि काफी लम्बे समय से अनुपलब्ध प्रपत्र 57–ख, दिनांक 29 जुलाई, 1980 को रजिस्टर्ड डाक से जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो गया था, वहां से उसे दिनांक 2 अगस्त, 1980 को परगनाधिकारी न्यायालय को भेज दिया गया, परन्तु यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह किस व्यक्ति द्वारा किन परिस्थितियों में भेजा गया । जिलाधिकारी ने इसकी विस्तृत जांच करने के आदेश भी पारित कर दिये हैं । माननीय राजस्व मंत्री का यह भी कहना है कि प्रपत्र 57–ख उपलब्ध हो जाने की दशा में भी प्रश्नगत मामले की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि आवंटन का मामला सक्षम न्यायालय के विचाराधीन है तथा पट्टा जारी करने तथा उसके अमलदरामद की कार्यवाही उसी दशा में की जा सकेगी, यदि न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आवंटन वैध पाये जाते हैं ।

प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी मन्त्री के विरुद्ध तभी बनता है जब जानबूझकर किसी मन्त्री द्वारा सदन में गलतबयानी की जाय या सदन को जानबूझ कर गुमराह करने की नियत से कोई गलत सूचना दी जाय ।

प्रश्नगत विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में माननीय मंत्री ने सदन में जो सूचना दी थी वह शासन की सम्बन्धित पत्रावली में उस समय तक उपलब्ध सूचना पर आधारित थी और माननीय मंत्री ने जानबूझकर कोई गलत बयानी नहीं की । अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना आपको कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के सम्बन्ध में देना है।

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 जनवरी, 1981 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के 28 जनवरी, 1981 से 10 फरवरी, 1981 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो :

1981		
जनवरी,		
28	बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
29	गुरुवार	
30	शुक्रवार	
31	शनिवार	बैठक नहीं होगी।
फरवरी,		
1	रविवार	
2	सोमवार	
3	मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
4	बुधवार	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा।
5	गुरुवार	
6	शुक्रवार	
7	शनिवार	बठक नहीं होगी।
8	रविवार	
9	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
10	मंगलवार	

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरिवंश सहाय द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना को लिये जाने की मांग

श्री हरिवंश सहाय--

मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया था उसको आप पढ़े होते तो उसकी गम्भीरता पर पहुंचे होते । पिछली 24 तारीख को म देवरिया गया था । 22 जनवरी को प्रतापपुर शुगर मिल में गोली चली । 25 आदमी को गोली लगी और 10 लोगों को पुलिस अधीक्षक, देवरिया ने ले जाकर बन्द करवा दिया जब कि बन्द मिल मालिक को करना चाहिए था । मैं 24 तारीख को पुलिस अधीक्षक, देवरिया से मिला तो उन्होंने कहा कि आपनें मेरे बारे में पिछली विधान सभा में उठाया है एस0 पी0 ने 195 बोरी यूरिया और 200 बोरी सीमेन्ट और एक आदमी का जान से मरवा कर 2 सोने की अंगूठी और 1 हीरे की अंगूठी और दस हजार रु0 ले लिया । कल अगर विधान सभा में आपने यह उठाया तो विधान सभा में मैं आपको जाने नहीं दूंगा । समझ लीजिए आपकी खैरियत नहीं है । मैंने एक प्रस्ताव मुख्य मंत्री को दिया है कि पुलिस अधीक्षक, देवरिया से मेरे जान को खतरा है । 25 तारीख को भी सुबह 10 कान्स्टेबिल एवं सब-इन्सपेक्टर मेरे पास आए गिरफतार कर लिए । कांग्रेस के विधायक मिश्रा जी हैं आप उनसे पूछ लीजिए । यह सब केवल मुझको बदनाम करने के लिए है । आप इसकी सत्यता की जांच करा लीजिए । एक लड़के का खाता खोलने का मामला था । बैंक से एक पैसा भी नहीं निकाला गया और न ही कोई फ्राड किया गया । एस0 पी0 के खिलाफ भाषण देने के लिए मुझे देख लेने और मार डालने की धमकी दी गयी और घर जाने के बाद शायद मैं लौट कर आऊंगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं । अतः आपसे निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें । मैंने पूरी बात कही है । मैंने एक चिट्ठी बी0 एस0 बेदी को लिखी है । अब मेरे जीवन को खतरा है और कोई जरूरी नहीं है कि मैं जीवित लौट आऊं ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी ओर से एक तार और एक विशेषाधिकार की सूचना भी मिली है जिसमें खतरे वाली बात नहीं है लेकिन जो आपका तार प्राप्त हुआ है उसमें खतरे की बात लिखी है । वह तार मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास तत्काल कार्यवाही के लिए भेज दिया है । जो विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हुयी है, वह कल ही प्राप्त हुयी है । वह भी कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी है और उनसे आग्रह किया है कि वे सारे तथ्यों का पता लगाकर 3 दिन के अन्दर हमें सूचित करें और फिर यहां उस पर विचार होगा ।

नेता सदन और सदन की वैधानिकता के सम्बन्ध में औचित्य

(सर्व श्री मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं राम आसरे वर्मा के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप एक-एक अपनी बात कहें ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कल वाले जो 2 मसले हैं, उन पर मेरी बात सुन लें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें आज के सवाल के बारे में मुझे निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष--

पहले कल वाली बात को सुन लेने दीजिए ? आप कृपया बैठ जायं । पहले माननीय मोहन सिंह जी अपनी बात कहें ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने कल ही एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाया था कि जो संसदीय प्रथा है उसके अनुसार सदन का एक नेता होना चाहिए और सदन के नेता के परामर्श से ही इस सदन का कार्य-संचालन होना चाहिए । यह सही है कि भारत के संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था, व्याख्या या प्राविधान नहीं है लेकिन हर चीज का संविधान में लिखा जाना संभव नहीं होता है । परम्पराओं के हिसाब से संसद और विधान सभायें चलती हैं । हमारे देश में और जहां से संसदीय परम्परओं का अनुकरण किया जाता है वहां पर भी इसी प्रकार से होता है । मैं मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस (नाइनटीन्थ एडिशन) के पृष्ठ 244 पर जो लिखा है "लीडर आफ दि हाउस" के सम्बन्ध में पढ़ कर सुनाता हूं जो इस प्रकार है :

(The member of the Government, who is primarily responsible to the Prime Minister for the arrangement of Government business in the House of Commons is known as the Leader of the House.)

सरकार का वह मंत्री जो बुन्यादी तौर पर प्रधान मंत्री के प्रति जिम्मेदार है, वह सदन के अन्दर सरकार की गतिविधियों का संचालन करेगा और उसे ही सदन का नेता माना जायगा ।

आगे इसमें यह है कि :

("until 1942 the Prime Minister if a member of the House of Commons, generally acted as the Leader of the House.)

वर्ष 1942 तक यह व्यवस्था थी कि प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में वह सदस्य लीडर औफ दि हाउस के रूप में भी काम किया करता था । यह आवश्यक नहीं था कि वह प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री सदन का नता हो । कौल शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के प्रथम संस्करण के पृष्ठ 122 सदन नेता के बारे में लिखा है कि :

"प्रधान मंत्री, जो लोक सभा में बहुमत वाले दल का नेता है, सामान्यतया लोक सभा में सदन नेता का काम करता है ।

परन्तु जनवरी, 1966 में नये प्रधान मंत्री की नियुक्ति के बाद, जो राज्य सभा की सदस्य थीं, वह स्थिति बदल गयी, इस कारण आवश्यक हो गया कि लोक सभा के लिए अलग नेता सदन चुना जाय । प्रधान मंत्री ने एक मंत्री को, जो लोक सभा का सदस्य था, सदन का नता नियुक्त करने का आदेश निकाला और उसकी सूचना अध्यक्ष को दे दी । प्रधान मंत्री द्वारा सूचित किए जाने पर अध्यक्ष ने संसद कार्य मंत्री का परिचय सभा से सदन नेता के रूप में कराया ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जिस श्रीमती इन्दिरा गांधी की आप हर वक्त बात करते हैं, कम से कम उन्होंने जिस संसदीय परम्परा का अनुपालन किया उसे तो आप मानिये। संसद में इस पर जब विवाद हुआ तो वहां यह व्यवस्था दी गयी। "सदन नेता का मतलब है प्रधान मन्त्री यदि वह सभा का सदस्य हो, या कोई और मन्त्री जो सभा का सदस्य हो और जिसे प्रधान मन्त्री ने सदन नेता के रूप में काम करने के लिये नाम निर्दिष्ट किया हो।" इस सदन में भी व्यवस्था रही है। पहले जब श्री बहुगुणा जी यहां के मुख्य मन्त्री थे और सदन के नेता थे तो वे लोक सभा के सदस्य थे। इस सदन में यहां के नेता के रूप में माननीय टी० एन० सिंह भी थे जो इस सदन के सदस्य तो नहीं थे पर राज्य सभा के सदस्य थे। आज यह बिल्कुल ही एक यूनिक केस है और आज ऐसे व्यक्ति को सदन के नेता के रूप में सम्बन्धित किया जा रहा है जो इस सदन का सदस्य नहीं है और न ही पार्लियामेन्ट का मेम्बर है, वह एक दूसरे सदन का सदस्य है। यह कहा जा सकता है कि माननीय चन्द्रभान गुप्त जी भी दूसरे सदन के सदस्य थे जब वे यहां के मुख्य मन्त्री थे और इस सदन के नेता थे, पर उस समय यह प्रश्न यहां पर किसी ने भी उठाया नहीं। वरना इस प्रश्न पर अवश्य आपकी पीठ से निर्णय हो गया होता।

केरल में भी वहां के मुख्य मन्त्री ने संसदीय कार्य मन्त्री को सदन का नेता घोषित किया था। अच्युत मेनन की सरकार ने भी संसदीय परम्परा को अपनाया। यहां पर भी तो माननीय मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह दिल्ली से लखनऊ दौरे के रूप में आते हैं, हम इस सदन में उनके बैठने की कार्य मन्त्री जी बैठे बात क्या करें, वे अपने कक्ष तक में कभी नहीं बैठते। यहां पर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी बैठे हैं, पर इन पर भी माननीय मुख्य मन्त्री जी को विश्वास नहीं है, उनको ही यहां सदन का नेता घोषित कर दें, वैसे भी वे ही यहां का सारा कार्य कन्डक्ट करते ही रहते हैं।

मुख्य मन्त्री निरन्तर इस बात की घोषणा करते रहे कि वे विधान सभा का चुनाव लड़ कर ही यहां आयेंगे, लेकिन वे चोर दरवाजे से आये। राजा मान सिंह बूंदी के राजा थे। उनके किले पर किसीने दखल कर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक वे किले पर अपना दखल नहीं कर लेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। राजा साहब उस किले पर दखल करने की स्थिति में नहीं थे। तो उनके 300 वर्ष पुराने सलाहकारों ने एक युक्ति निकाली और एक नकली किला बनाने की सोची। नकली किला तैयार कर दिया। राजा से कहा कि आप इसे फतेह कर लीजिये, आपका प्रण पूरा हो जायेगा। राजा ने उस नकली किले को फतेह कर लिया और फिर अन्न-जल ग्रहण किया। इसी तरह से हमारे मुख्य मन्त्री जी विधान सभा का चुनाव जीत कर तो आ नहीं सकते थे, इसलिये विधान परिषद् से चोर दरवाजे से आये। यह संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। हमारी संसदीय परम्परा के अनुसार जो इस सदन का सदस्य नहीं है, वह सदन का नेता नहीं हो सकता। इसलिये बिना नेता सदन के जो यह कल से यहां की कार्यवाही चल रही है, वह युक्ति संगत नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने जो कल औचित्य का प्रश्न उठाया था वह माननीय मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस सदन के नेता के रूप में प्रतिष्ठित होने के बारे में उठाया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी 6 महीने तक तो इस सदन में मुख्य मन्त्री के रूप में बिना किसी सदन के सदस्य हुये बैठते रहे, वह संवैधानिक था और संविधान के प्राविधानों के तहत था। मान्यवर, लोकतांत्रिक मूल्यों के

[श्री राम असरे वर्मा--]

प्रति चाहे हम उतने जागरूक न हों, लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी जरूर जागरूक हैं और उसी जागरूकता का सबूत था कि उन्होंने अपने मुंह से बात की घोषणा की थी कि वह चोर दरवाजे से आना नहीं पसंद करेंगे। इन घोषणा के बाद भी वह चोर दरवाजे से आ गये। उन्होंने एक दूसरी घोषणा भी की, यहां तक घोषणा की कि विधान सभा में वह विधान सभा के सदस्य के रूप में ही बैठेंगे। मान्यवर, दोनों बातें इस बात की सबूत हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजगता उनमें है। लेकिन परिस्थितियों से बदल कर उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी। मान्यवर, विधान मन्डल हमारे दोनों सदनों को मिला करके बना, विधान सभा और विधान परिषद्। विधान परिषद् का नेता अलग है। विधान परिषद् के नेता के रूप में जैसी मेरी जानकारी है, माननीय ब्रह्म दत्त जी हैं। हमारे सदन के नेता के रूप म आज भी माननीय मुख्य मन्त्री जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कार्यरत हैं। उनका नेता सदन के रूप में कार्यरत रहने का कोई औचित्य नहीं बनता।

मान्यवर, जब विधान परिषद् का नेता सदन अलग हो सकता है, तो हमारे सदन का नेता सदन अलग होना चाहिए। विधान सभा के सदस्य के रूप में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनकर नहीं आये। इसलिए उनका यहां पर इस सदन का नेता बने रहने का प्रश्न नहीं उठता। 1969 के बाद माननीय चरण सिंह जी जब मुख्य मन्त्री थे, उस समय इसी सदन में प्रबल बहुमत से विधान परिषद् को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ था। मान्यवर, कितना अनैतिक है जब यह सदन प्रबल बहुमत से एक सदन को भंग करने का एक प्रस्ताव पास कर दिया है और उसी सदन के सदस्य के रूप में इस सदन के नेता के रूप में किसी भी व्यक्ति को होना यह युक्तिसंगत बात नहीं है।

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि और भी उपाय हैं जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने सुझाव दिया कि माननीय मुख्य मन्त्री अन्य व्यक्ति को नेता सदन की घोषणा करना चाहिए था। वह घोषणा अगर हो जाती, तब तो वह एक संसदीय परम्परा के अनुरूप होता। मान्यवर, जो कार्यवाही इस समय सदन की चल रही है और माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता सदन के रूप में मान कर चल रही है, यह अपने में असंसदीय और अवैधानिक है और इस पर आपकी व्यवस्था की अपेक्षा करता हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने हमारे माननीय मुख्य मन्त्री को, चोर दरवाजे से आ गये हैं, कहा। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक सम्मानित सदस्य को चोर दरवाजे से घुसना कहना न्यायसंगत बात है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ही कहा।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह अब गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

गम्भीर प्रश्न बहुत सूक्ष्म में कहिएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या कहीं ऐसा प्रतिबन्ध है कि जो मुख्य मन्त्री होगा, वही नेता सदन होगा या दोनों अलग-अलग व्यक्ति हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण मोहन सिंह जी ने दिया आपके सामने। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सरकार के जमाने की और इंदिरा गांधी जी के जमाने की, जब कि मोरार जी देसाई प्रधान मन्त्री थे, उदाहरण दिया। उस समय भी लोक सभा में जनता पार्टी के लीडर कुं0 मुहम्मद अली थे। तो वहां अलग थी और हाउस की परम्परा अलग थी। दूसरी तरफ फिर इशारा दिलाऊंगा कि जो रेजूलूशन माननीय सदस्य ने पेश किया है, उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि कौंसिल का रिजोलूशन यहां से पास करके भेज दिया गया था। मालूम नहीं, उसका क्या हुआ ? उसको, मान्यवर, विधान सभा ने वापस नहीं लिया। वह रेजोलूशन अभी भी स्टैन्ड करता है।

मान्यवर, इस प्रदेश की बदकिस्मती ही है कि वैसे तो यहां पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है, लेकिन हालत प्रीसीडेंशियल फार्म से भी बदतर हो गये हैं। कहीं ऐसा कान्स्टीट्यूशन में नहीं है। लेकिन जो कन्वेन्शन है कि जब सारे इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद जो जिस पार्टी का बहुमत होता, लीडर उस पार्टी का होता है। उसका लीडर चुनते हैं। फिर उस चुनाव की घोषणा, सारे पदाधिकारियों की लिस्ट, उस पार्टी के मुख्य मन्त्री और चीफ हिप्स, जो चुना जाता है, उन सबका लिस्ट लेकर गवर्नर साहब जी जाते हैं और गवर्नर साहब उसके आधार पर ओथ के लिये बुलाते हैं। लेकिन यहां तो सब कुछ दिल्ली में ही निर्णय हुआ।

मान्यवर, उन सारी चीजों को सामने रखते हुये, माननीय मुख्य मन्त्री ने स्वयं इस बात की घोषणा प्रेस में बार-बार करके कि मैं इस माननीय सदन में यहां का माननीय सदस्य की हैसियत से ही बैठूंगा अन्य रूप में नहीं। मैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से, जो मोरलिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट की दुहाई देते हैं, यहां से लेकर सभी जगह तक, उनसे कहना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की शोभा देता है कि वह इस तरह से कौंसिल के सदस्य बनकर यहां के लीडर बन जायं। ठीक है, लेकिन जब नेता सदन दूसरे हो सकते हैं, तो उन दोनों पदों को स्वयं ग्रहण करें, जबकि हर तरह से दोनों पद अलग-अलग होते हैं, यह कहां तक उचित है ?

संसदीय कार्य मंत्री--(श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उससे मुझे तो आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस तरह का अनौचित्य का प्रश्न कैसे उठाया।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने 'मेज' का हवाला दिया और 'शकधर' की किताब का माननीय सदस्य ने रिफरेन्स दिया। मान्यवर, मैं संविधान की धारा 164 की उपधारा (4) की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जहां पर यह लिखा हुआ है कि--कोई मंत्री जो निरन्तर 6 वर्षों से किसी कालावधि तक रहे विधान मंडल में न रहे। तो, उसमें 'विधान मंडल' शब्द का प्रयोग किया गया है, विधान सभा या विधान परिषद का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन माननीय मोहन सिंह ने और माननीय सदस्यों ने उस समय आपत्ति नहीं की जब सदन के सदस्य नहीं थे। माननीय ब्रह्म दत्त विधान परिषद के नेता सदन हैं। लेकिन तब भी शान्त हैं हमारे माननीय सदस्यगण और स्वयं माननीय मोहन सिंह उस समय बिल्कुल शान्त रहे जब श्री राम नरेश यादव यहां के मुख्य मंत्री चुन गये और उसके बाद यहां के और न किसी हाउस के मेम्बर थे।

[श्री अम्मार रिजवी--]

मान्यवर, मैं ध्यान आर्षित करना चाहूंगा एल० आर० की टिप्पणी का जो उस दिन लिखी गयी जिस दिन यहां स्वेरिंग होनी थी और आपको इस पीठ से औथ ली जानी थी। मुख्य मंत्री जी से कहा गया कि मुख्य मंत्री जी उस दिन के लिये नेता सदन रहें। टिप्पणी में आगे दिया गया है कि--'किन्तु मुख्य मंत्री जी नेता सदन के रूप में घोषित होने पर भी सदस्यता की शपथ लेंगे नहीं, क्योंकि वह सदस्य नहीं हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई नेता सदन के रूप घोषित नहीं होता, तो सर्वप्रथम सपथ नता विरोधी दल लेंगे। इस स्थिति से बचने के लिये यह किया जा सकता है कि यदि मुख्य मंत्री जी उपयुक्त समझें तो 11-7-1977 को अपनी अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद के किसी अन्य को कार्यवाहक नेता सदन होने की सूचना अध्यक्ष, विधान सभा को दे दें और 12-7-1977 में स्वयं नेता सदन के रूप में कार्य करें। "मान्यवर" यह एक दिन के लिये था। उस वक्त मोहन सिंह जी मौजूद थे उस वक्त औचित्य का प्रश्न कहां चला गया था। मान्यवर इस पर मुख्य सचिव ने लिखा है श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हैं। मुख्य सचिव ने लिखा है मुख्य मंत्री से वार्ता हुई मुख्य मंत्री जी का निर्णय है कि कार्यवाहक नेता सदन बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक दिन की बात थी उस वक्त औचित्य का प्रश्न नहीं उठा जबकि मोहन सिंह जी स्वयं मौजूद थे, उस वक्त मेज और शकधर की बात मोहन सिंह जी ने नहीं पढ़ी थी या उस वक्त भूल गये थे।

मान्यवर, कहा गया कि यह इन्दिरा जी का अनुसरण करते हैं बेशक हम सब इन्दिरा जी का अनुकरण करते हैं। मैं आपके नेता की बात करता हूं जिस समय श्री चरण सिंह यहां मौजूद थे वह बहुत बड़े पार्लियामटरियन हैं उस वक्त यह प्रश्न उठा था उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की अगर की होती तो जरूर आती। मैं आपका ध्यान स्पीकर की रूलिंग टी० एन० सिंह के सिलसिले में जो हुई है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं।

(When the State Assembly met for the first time after the formation of the new SVD Ministry Readed by Shri T. N. Singh on December 7, the Congress (M) raised an objection to the Chief Minister Shri T.N. Singh's functioning as Leader of the House without being its member. After a 70 minute discussion the speaker, Shri A. G. Kher reserved his ruling and adjourned the House. In his ruling on the next day, he held that in accordance with the past practice and convention in the State, Shri T. N. Singh could act as Leader of the Honse without being its member. He pointed out that Lok Sabha rule, on which the opposition Members had mainly relied, was not binding on the House which, being a sovereign body, was free to lay down its own rules and conventions.

जब विधान सभा मिली। टी० एन० सिंह जी की तो यह आपत्ति उठाई गई कि यह कैसे नेता सदन हो सकते हैं क्योंकि वह मेम्बर नहीं थे। 70 मिनट के डिस्कशन के बाद स्पीकर ने अपनी रूलिंग को रिजर्व रखा और हाउस को एडजोर्न कर दिया। दूसरे दिन अध्यक्ष जी ने यह रूलिंग दी कि टी० एन० सिंह जो पुराने कनवेन्शंस हैं उसके अनुसार नेता सदन रह सकते हैं।

श्री मोहन सिंह--

पूरी रूलिंग पढ़िये। वह तो विधान मंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं थे यहां तो स्थिति दूसरी है यहां तो एक सदन के मेम्बर हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोक सभा के रूल जो कुछ वस हाउस की बाईडिंग नहीं है। यह सावेरन है और यह स्वयं अपना फैसला कर सकता है। यह मामला उस वक्त तय हो चुका है। ब्रह्म दत्त जी उस सदन में नेता सदन का कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जो जब लोक सभा के मेम्बर नहीं रहे उस वक्त यह आपत्ति नहीं उठाई गई। लेकिन आज औचित्य का प्रश्न उठाया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है इससे ज्यादा अनऔचित्य की बात नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मोहन सिंह जी, माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम आसरे वर्मा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचारों को सुना और जो बहुमूल्य जानकारी मिली उससे कुछ विचार मेरे मन में निश्चित रूप से उत्पन्न हुए। जहां तक इस सदन में मुख्य मंत्री का नेता सदन होने की वैधानिकता का प्रश्न है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, तब भी यह सर्वविदित है और अनेकों बार ऐसा हुआ है कि इसके पहले गुप्ता जी, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री टी० एन० सिंह, श्री राम नरेश यादव जी के समय में ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनमें भिन्नता पैदा करने का प्रयास मोहन सिंह जी ने किया है कि किसी भी सदन के वे सदस्य नहीं रहे। ठीक है उन्होंने कुछ भिन्नता दिखायी लेकिन यह उनकी वाकपटुता का द्योतक है और परिस्थितियों में कोई अन्तर नहीं है। लोक सभा में ऐसी परम्परा है और यहां भी ऐसी परम्पराएं हैं और इन परम्पराओं को देखते हुए मैं, जहां तक वधानिकता का प्रश्न है मैं स्वीकार करता हूं कि वह नेता सदन वैधानिक रूप से हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह औचित्य का प्रश्न नितान्त अनौचित्य पूर्ण है। जब मुख्य मंत्री जी को सदन का दूसरा नेता नियुक्त करने तक का अधिकार है तो वह नेता तो रह सकते हैं लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली और सदन के गौरव तथा गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह विचारणीय प्रश्न है और सभी को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे बोलने के बाद व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

अलग से प्रश्न है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो उसका कोई सन्दर्भ तो होना चाहिए।

श्री मुहम्मद आजम खां—

आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

जो नियम और कानून के अन्तर्गत होगा उसी को तो सुनेंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य विपक्षी दलों के सदस्यों को सभा मंडप में प्रवेश पर रोक के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने एक औचित्य के प्रश्न को उठाने की कोशिश की थी। जिस समय कल महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन हो रहा था उस समय प्रतिपक्ष के लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह बहुत गम्भीर मामला है और गम्भीर मामला यह है कि जानबूझकर प्रतिपक्ष के सदस्यों को इस सदन में आने से रोक दिया गया। जिस समय महामहिम राज्यपाल आये तब चाहिये तो यह था कि आने के बाद अपना आसन ग्रहण करते। हम सब लोग उनके सम्मान में खड़े हुए थे। उनको बैठना चाहिये था और जब वह खड़े होते भाषण देते तो हम उनका भाषण सुनते लेकिन महामहिम राज्यपाल के जो सलाहकार हैं उनके कार्य द्वारा जो जनहित विरोधी किया गया, जन आकांक्षाओं को रौंदा गया उसके विरोध में प्रतिपक्ष ने अपने संसदीय अधिकार का प्रयोग किया और उनके भाषण को सुनने से इंकार किया। राज्यपाल ने जो व्यवहार किया उससे कुछ सदस्यों को उत्तेजना पैदा हुई। हम बाहर चले गये लेकिन जो सदस्य दुबारा आना चाहते थे उनको आने नहीं दिया गया। सभा मंडप के बहिष्कार के बावजूद यह जो लाबी या पटल कार्यालय है वहां पर आने का हमारा अधिकार सुरक्षित रहता है क्योंकि यह सब मान्यवर के नियंत्रण में होते हैं। हम वहां जाना चाहते थे लेकिन एक रक्षक ने रोक दिया। मैंने कहा क्यों रोक रहे हो तो उसने कहा कि आपको नहीं, प्रतिपक्ष के समस्त सदस्यों को मुझे रोकना है। लोकदल के एक सदस्य थे उनको भी रोक दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बुजुर्ग सदस्य जो सामने बैठे हैं, उनको रक्षक ने कहा कि इस रास्ते से चले जाइये जब कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को रोका गया।

वैधानिक प्रश्न पैदा होता है जब महामहिम राज्यपाल सम्बोधन कर रहे थे तो शान्ति व्यवस्था का नियंत्रण किसके अधीन है आपके आधीन है या राज्यपाल के अधीन है। हमारी सुरक्षा, हमारा हित और अधिकार सब आपके हाथ में है। लेकिन श्री राज्यपाल जी ने जिन गन्दे शब्दों में प्रतिपक्ष के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए आपको निर्देश दिया कि इनको यहां से निकाल दिया जाय उनकी बात को मानने से आपने जो मना कर दिया उससे हमारा गौरव बढ़ा लेकिन कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी कि रक्षक जो आपके नियंत्रण में हैं उनको किसने निर्देश दिया जब कि हमारा विश्वास है कि आपने निर्देश नहीं दिया होगा। अब प्रश्न पैदा होता है कि सरकार के नियंत्रण को उन्होंने क्यों माना। सरकार ने ऐसा दुःसाहस आपको निर्देश देने का कैसे किया? यह हमारी संसदीय परम्परा को चुनौती है।

एक सम्भावना यह प्रतीत होती है शायद आप यह कहना चाहेंगे कि जिस समय राज्यपाल जी को मैंने संकट में देखा उस समय आपने निर्देश दे दिया। लेकिन इस पर मेरी आपत्ति है। किसी भी सदस्य को निकालने के लिये एक सुनिश्चित प्रस्ताव चाहिये, उसे इंगित किया जाना चाहिये। थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाय कि वह सदन नहीं था, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी और आप रोकना चाहते थे तो फिर यह होना चाहिये था कि राजेन्द्र कुमार गुप्त नहीं आयेंगे, अमुक-अमुक सदस्य नहीं आयेंगे। प्रश्न यह पैदा होता है क्या सम्पूर्ण समूह को आप अपने निर्देश से बाहर निकाल सकते हैं यह आपके अधिकारों के लिये चुनौती है।

कल जो हुआ अत्यन्त अशोभनीय था, अत्यन्त निन्दनीय हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, सरकार प्रतिपक्ष की बात को रौंदना चाहती थी और कल जो हुआ वह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। आपसे मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप अपनी पीठ से इस सम्बन्ध में व्यवस्था द। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस पर अनेक व्यवस्थाएं हैं कि जिस दिन महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन होता है, उस सभा का कोई सभापति नहीं होता। हमारे ऊपर मान्यवर, आपके आदेश इसलिये लागू होते हैं कि आप इस सभा के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की हैसियत से सभा को संचालित करने का आपका दायित्व है। उस दायित्व के अन्तर्गत यहां कोई अव्यवस्था होती है तो आप हमारी शास्ति करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं। लेकिन महामहिम राज्यपाल के भाषण के समय अध्यक्षता होती ही नहीं। तो ऐसे समय में, जैसा कि कहा जा चुका है, माननीय राज्यपाल के भाषण पर उत्तेजित होकर यदि माननीय सदस्य कोई कार्यवाही कर रहे थे, तो सशरीर यहां से उठा फेंकना, यह किसके निर्देश से हुआ? विरोध पक्ष के जो सदस्य थे, उसमें भी कुछ भेद किया गया, जैसे कि विरोध पक्ष के आदरणीय उपाध्यक्ष इत्मीनान से बैठे हुए थे और हम लोगों को बलपूर्वक उठाया गया। इसलिये विपक्ष में भी कुछ भेद-भाव बरता गया। जो लोग अमर्यादित रूप से बैठे रहे, उन लोगों को शान्ति से बैठे रहने की इजाजत थी। इसलिये मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों के साथ, जो संसदीय मर्यादित आचरण कर रहे थे, दुर्व्यवहार किया गया, वह किस व्यक्ति के इशारे पर किया गया? हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन कराया गया। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसका पता करें अन्यथा हम विपक्ष को, जो मर्यादित करना चाहते हैं, अमर्यादित होने के लिये मजबूर होंगे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर इंगित करता हूं कि किस प्रकार "पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी" को समूल नष्ट करने की साजिश की जा रही है। मान्यवर, यह बहस की बात नहीं है, यह मर्यादाओं को चुनौती है, जनतांत्रिक मर्यादाओं को चुनौती है। यह आदरणीय सदन और हमारे अधिकार दोनों के रक्षक मान्यवर, आप हैं। मैं चुनौती वाले शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह आदरणीय सदन आज "कन्सन्ट्रेशन कैम्प" बना हुआ है। आपके परिसर में सी0आई0डी0 के लोग रिवाल्वर लेकर सादी वर्दियों में घूम रहे हैं। इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति क्या होगी।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह बतायें कि किस प्रकार के लोग यहां घूम रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यदि परिसर की तलाशी अभी ले ली जाय तो मेरा कथन सत्य सिद्ध होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे यह यह निवेदन करूंगा कि जो आरोप प्रत्यारोप आप लगाना चाहें, लगा सकते हैं लेकिन इस समय जिस विषय पर चर्चा चल रही है, उसी तक सीमित रहें ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैं तो आपसे यह कह रहा था कि विरोध पक्ष के लोग यहां बैठे हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अलावा यहां कौन सी "सोवरेन पावर" है, जिसने रक्षकों से कहा कि हमको यहां न रहने दिया जाय । मैं साफ सवाल पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी सोवरन पावर है जो अध्यक्ष की शक्ति के ऊपर है और जिसने यह आदेश दिया । इस बुनियादी सवाल से यदि इसको जोड़ा जायगा तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है । हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों के रक्षक आप हैं । विरोधी पक्ष की भावनाओं के प्रतीक और संरक्षक आप हैं । इससे ज्यादा शर्म और कलंक की बात भारतीय जनतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हो सकती । देश की और किसी विधान सभा में अब तक ऐसा नहीं सुना गया होगा कि विरोधी पक्ष के लोगों को केवल इसलिये रोका जाय कि वह सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं वाक आउट करता हूं अपनी इच्छा से, आपने इंगित नहीं किया था । आपने निर्देशित नहीं किया था । हम किसी समय के लिये बाहर नहीं गये थे । हम एक मिनट के लिये जा सकते हैं और 2 घंटे के लिये जा सकते हैं । यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम इस सदन में स्वेच्छा से आयें ।

एक सदस्य--

यह अधिकार नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह अधिकार हमको है । इस विषय में प्रदेश और सारे देश के जनतन्त्र प्रेमी और पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास करने वालों की आंखें इस सवाल पर लगी हैं । इसलिये मर्यादित रूप से इसका समाधान करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न की गम्भीरता इसलिये बढ़ जाती है, मुझे याद है कि 1967 में जब जगदीश शरण अग्रवाल जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने आग्रह किया था, मैं उस समय वित्त मन्त्री था, उन्होंने आग्रह किया था कि जो अध्यक्ष का सचिवालय है उसका इंतजाम सारा उनके ऊपर हो जाय, उसमें सरकार हस्तक्षेप न करें । मैंने इसको स्वीकार किया था कि अध्यक्ष को सर्वोपरि रहना चाहिये और उस वक्त से यह व्यवस्था चली थी । अब यह नयी व्यवस्था हो गयी है, आपको बिना आज्ञा के यहां के जो रक्षक थे उन्होंने किसके कहने पर सदन में विरोधी दल के लोगों को घुसने नहीं दिया । यह बड़ी विचित्र बात है । अध्यक्ष महोदय, जो अधिकार आपको प्राप्त हो गये थे, हमारे जैसे आदमी ने उस सरकार के जमाने में जिनको स्वीकार कर लिया था, वह अधिकार कैसे

यहां लिये जा सकते हैं। यह बिलकुल अनौचित्यपूर्ण है कि विरोधी दल के सदस्यों को रोका गया। यदि इसको सभा-मंडप भी माना जाय तो भी वह सारे लोगों को निकालने के हकदार नहीं थे। आपने आज्ञा नहीं दी थी ऐसा आभास मुझे हो गया है। इसलिये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो अधिकार आपको प्राप्त हैं उनको संरक्षित रखने के लिये और सदन के सदस्यों की गरिमा को रखने के लिये यह व्यवस्था दें कि भविष्य में ऐसा न हो और इस दृष्टांत पर सरकार की भर्त्सना की जाय।

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

मान्यवर, सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है, जैसे एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस वक्त महामहिम राज्यपाल यहां मौजूद होते हैं उस वक्त संवैधानिक कोई सदन नहीं रहता और कोई सदस्य सारे अधिकारों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार व्यक्त नहीं कर सकता कि हम सदन के सदस्य की हैसियत से क्यों नहीं ट्रीट किये गये। जिस वक्त महामहिम राज्यपाल आते हैं, हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य था कि 10-5 मिनट पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेते। आप आना नहीं चाहते होंगे इसलिये नहीं आये। सदस्य की हैसियत से उस अधिकार की बात कोई नहीं उठ सकती। दूसरी बात जो कही गयी है कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम विरोध करेंगे, मैं चुनौती देता हूं, विरोध पक्ष के सदस्यों को कि वह कहीं संसदीय परम्परा की यह कड़ी दिखलायें कि राज्यपाल के आगमन पर वह राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार या नारेबाजी करें और राज्यपाल के वापस जाने के नारे लगायें, यह उनको मौलिक और संसदीय अधिकार नहीं हैं, जिसकी बार-बार उन्होंने चर्चा किया। राज्यपाल, सरकार का मूर्त रूप है। जिस समय राज्यपाल सदन में मौजूद रहते हैं माननीय सदस्यों के अधिकार समाप्त रहते हैं और जो सदस्य, विशेषतः, वह सदस्य जो राज्यपाल का विरोध करते हैं वह सरकार के वजूद को नहीं मानते हैं और जो सरकार के वजूद को नहीं मानते हैं उनका इस सदन में बैठने का कोई नैतिक और कानूनी हक नहीं है। राज्यपाल के विरोध के समय में कोई भी विरोध पक्ष का सदस्य जो विरोध करने का सहयोगी था और राज्यपाल के विरोधी नारे लगाने में शामिल था वह विरोध करने तक के समय के लिए सदस्य के अधिकार से पूर्णरूपेण वंचित था। इसलिए वह उस समय के लिए किसी भी सदस्यता के अधिकार को मांग नहीं कर सकता है। राज्यपाल के विरोध करने के लिए सदन में प्रवेश का अधिकार नहीं मांग सकता है और न यह अधिकार उनको कोई दे सकता है। इस अधिकार से वह सदैव वंचित है क्योंकि जो नारे लगाकर बाहर गए थे वह लोग अंदर आना चाहते थे।

श्री भोखा लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, काशी नाथ मिश्र जी ने जो अभी कहा कि जिस समय राज्यपाल जी यहां सम्बोधित करने आते हैं उस समय सदस्यों के अधिकार नहीं रहते। उन्होंने चुनौती दिया कि किस अधिकार से आप सदन में आना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम लोग उन्हीं अधिकारों से आना चाहते थे जिनके तहत 1962 से 1967 में जब वह यहां विरोध में बैठते थे और आते थे।

श्री काशी नाथ मिश्र--

हमने इस तरह का हल्ला राज्यपाल महोदय के आने पर कभी नहीं किया है ।

श्री भोखा लाल--

अब यह शासक पक्ष में बैठते हैं तो इतना हल्ला करते हैं और जब विरोध पक्ष में थे तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं ।

कल जो हुआ वह मान्यवर, अद्वितीय हुआ । महामहिम राज्यपाल को आने के बाद बैठ जाना चाहिए था लेकिन वह खड़े रहे तो सभी माननीय सदस्य उनके सम्मान में खड़े रहे । उन्होंने उत्तेजित होकर आदेश देना चाहा कि सबको बाहर निकालो । हम लोग तो खड़े हुए थे उनके सम्मान में लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर निकालो और हथौड़ा तेजी से पीटा और उसको तोड़ दिया । यह सब सदन में हुआ । आपको सब प्रकार के अधिकार हैं । जो श्री वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है कि माननीय सदस्यों को बाहर से अंदर आने में रोका गया तो यह आपको अधिकार है कि किसी को निलम्बित आप करें या बाहर निकालें । यह मौलिक प्रश्न है । इसकी छानबीन करें कि किसने आदेश दिया रक्षकों को, जिन्होंने सदन में आने से रोका ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, कल जो वितण्डावाद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रारम्भ हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

जरा सूक्ष्म में आइये, आपने तो बड़े-बड़े शब्दों से प्रारम्भ किया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

तो मैं कह रहा था कि कल जो कुछ हुआ उसको आपने और माननीय सभी सदस्यों ने देखा । [= = =]

श्री अध्यक्ष--

इसे कार्यवाही का अंग नहीं माना जायगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

राज्यपाल पद की एक गरिमा रही है, उसका कोई तरीका रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप विषय पर बोलिये ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

कल महामहिम राज्यपाल ने कुछ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया इस सदन में जो असंसदीय थ । [= = =] यह माननीय सदस्यों का अपमान है । माननीय आप व्यवस्था दें कि उन्होंने जानबूझ कर विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

नोट--[= = =] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप कोई दूसरा प्रश्न उठाना चाहते हैं तो अलग से उठावें। अगर इस पर बोलना चाहते हैं तो जो विषय है उस पर बोलें। अब आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने यह कहा विरोधी दलों में भी कल के निष्कासन पर भेदभाव बरता गया साथ ही उपाध्यक्ष की तरफ इंगित किया कि उन्हें नहीं निकाला गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कोई भी माननीय सदस्य बैठे रहे उन्हें नहीं निकाला गया। मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे थे इसलिए उन्हें नहीं निकाला गया। मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें। कांग्रेस (अर्स) को अन्य दलों--विरोधी दलों के साथ यह बात उठाने की चेष्टा की गई, दोनों के साथ भेदभाव किया गया। विरोधी पक्ष मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष--

आप विषय पर आइये और सूक्ष्म भाषण दीजिए।

श्री केदार नाथ सिंह--

एक मिनट सुन लें मान्यवर, हमारी भावनायें कुछ भी हों, यह मैं नहीं जानता लेकिन यह मैं जानता हूं कि हमारी तरफ से यह था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहिष्कार करने की योजना हमारी विरोधी दल के साथ थी कि बहिष्कार किया जायेगा। तो बात यह है मान्यवर, कि अगर सदन के बाहर यह आवाज जायेगी कि कांग्रेस (अर्स) विरोधी पक्ष के साथ नहीं है, इसलिए मैंने यह बात उठानी चाही है।

श्री जंग बहादुर सिंह--

यह विधान सभा में बोलने के लिए एक नियमावली है, नियम हैं, कुछ परम्पराय हैं और हम सब इस सदन के सदस्य हैं जो इन परम्पराओं में और इन नियमों में बंधे हुए हैं हम उसका सम्मान करना चाहिए।

राज्यपाल महोदय का विधान मंडल के दोनों सदनों के सम्बोधन का एक कार्यक्रम होता है। दोनों सदनों को सम्बोधित करते हैं और जिस समय वह इस सदन के अंदर आते हैं, उस समय हमारे अधिकार गौण हो जाते हैं और सर्वोपरि अधिकार राज्यपाल के अंदर निहित हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। राजस्थान में इस प्रकार की घटना हुई। श्री सम्पूर्णानन्द जी राज्यपाल थे।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

इस प्रकार की बात नहीं सुनेंगे। यह सदन की गरिमा का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री जंग बहादुर सिंह—

उस सदस्य को निष्कासित किया गया और उन्होंने रिट की और रिट के बाद उस सदस्य को हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। जिस प्रकार का व्यवहार आजकल हो रहा है उस प्रकार का नहीं होना चाहिए।

श्री राम नरेश शुक्ल—

इस सदन के विपक्षी सदस्यों को इस सदन के अंदर आने से रोका गया: ऐसा कहा जा रहा है विरोध पक्ष से। मान्यवर, वह तस्वीर कल की आप सबको याद होगी ....

(व्यवधान)

मुझे सुन लें पहले। हमने तो बड़े ध्यान से सुना था आप हमें क्यों नहीं सुनते क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। कल सदन से विरोध पक्ष के कुछ सदस्य बाहर गए और कुछ सचिव की मेज के पास पहुंच गए और हल्ला करते कागज फाड़ कर फेंकने लगे, उसके बाद बाहर गए और फिर लौटे। बार-बार आते-जाते थे। कहां पर और कब उनको रोका गया यह बात अभी तक साफ नहीं हो रही है। बाहर सब चले जाते थे उसके बाद दो-चार फिर लौट आते थे, आकर हल्ला मचाते थे। फिर यह कहना कि विधान सभा कन्सेन्ट्रेशन कैम्प। मैं तो निवेदन करूंगा कि विपक्ष के लोग ऐसा व्यवहार न करें, जैसा कल किया। भविष्य के इतिहासकार यह लिखें कि सत्ता पक्ष ने प्रजातांत्रिक प्रणाली को चलाने की कोशिश की किंतु विरोध पक्ष ने उसको आगे नहीं चलने दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें काफी विवाद हो चुका है।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने और बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

हर विषय पर आप समय लेते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

अहम बात कहना चाहता हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

सब से बुरी बात यह है जो कि माननीय मिश्रा जी ने कही कि जिस समय राज्यपाल आते हैं उस समय हम माननीय सदस्यों के तमाम अधिकार समाप्त हो जाते हैं (व्यवधान) ऐसा नहीं है। माननीय राज्यपाल अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा निर्वाचित इस माननीय सदन के सदस्यों को एड्रेस करने के लिए, उनको बात सुनाने के लिए, आते हैं जबकि दोनों सदनों के सदस्य यहां पर एकत्र रहते हैं। माननीय राज्यपाल ने जिस तरह से यहां पर व्यवहार किया उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी ने कहा कि जब राज्यपाल यहां पर खड़े होते हैं तो उस समय हम लोगों को सरकार के नियमों के मातहत बैठ जाना चाहिए और जब हम राज्यपाल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम को बाहर निकालने के आदेश हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जब यहां पर राज्यपाल भाषण करने आते हैं तो हम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया जाता है उसका विरोध करते हैं, राज्यपाल के पद का विरोध करने के लिये खड़े नहीं होते हैं। उनके अभिभाषण का विरोध करने का हमारा अधिकार है। इसलिए जो व्यवस्था उन्होंने दी वह अपनी जगह पर गलत है। दूसरी बात यह है कि यह सरकार नपुंसक है और इस नपुंसक सरकार का अस्तित्व कौन मानेगा। इनका अस्तित्व न हम पहले मानते थे और न अब मानते हैं। अब आप निर्धारित करें कि इस नपुंसक सरकार के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार है अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न संवैधानिक है। आदरणीय मिश्रा जी ने यहां पर कहा कि हमारा अधिकार खतम हो जाता है। एक तरफ तो उन्होंने यह कहा और फिर उन्होंने कहा कि आपका अधिकार भी निलंबित हो जाता है। तो मान्यवर, यह एक संवैधानिक चुनौती है। क्या जब महामहिम राज्यपाल इस परिसर में आते हैं तो यह आदरणीय सदन सभा-मंडप नहीं रहता है ?

श्री अध्यक्ष--

ये दोनों बातें कही जा चुकी हैं। आप कृपया बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या आपके अधिकार भी निलम्बित हो जाते हैं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

दो बातें मुझे भी कहने का मौका आप दें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। अब मैं विवाद समाप्त कर रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप न्याय करें। आप हमें संरक्षण दें। आपने सबको मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं पहले उसका उत्तर देना चाहता हूं। आप बैठें। व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर सुन लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं जब किसी व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं तो आप एक दल के नेता हैं, बीच में व्यवधान क्यों पैदा करते हैं? जिस तरह से आपकी पहले अभिव्यक्ति रही है उसी तरह का चेहरा भी रखें। आप ऐसा चेहरा रखते हैं कि हमको बार-बार डर लगने लगता है।

माननीय ओझा जी ने एक प्रश्न उठाया है कि काशीनाथ जी ने इस संदर्भ में जो अभिव्यक्ति की, उस पर मैं व्यवस्था दूं। इस सदन में किसी भी विषय पर अपने विचार पूर्णरूप से व्यक्त करने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार है और माननीय काशीनाथ जी ने, जब एक प्रश्न यहां पर आया तो उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

चाहे अनर्गल हो।

श्री अध्यक्ष--

जब विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है तो ऐसी स्थिति में विचार उन्होंने व्यक्त किये। तो जब इस संदर्भ में निर्णय लिया जायेगा उसी के साथ यह भी सन्निहित होगा। अब केवल श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री एवं आप (श्री राजमंगल पान्डेय से) बोलेंगे।

*श्री राजमंगल पान्डेय--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक प्रश्न उठाता हूं। आपने कहा कि इस माननीय सदन के सदस्य को एक हक हासिल है कि वह जो कुछ चाहे स्वतन्त्रता-पूर्वक कहे। आपकी बात से ऐसा मालूम हुआ कि इस सदन के हर सदस्य को इस बात की स्वतन्त्रता है चाहे मुनासिब हो या गैर मुनासिब, तार्किक हो या अतार्किक, उसे कहने की स्वतन्त्रता है। मेरी समझ में ऐसी बात नहीं है। वे सारी बातें जो संविधान और प्रक्रिया नियमावली से सम्बन्ध नहीं रखती हैं उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय पान्डेय जी, मैंने तो अपने विचार व्यक्त किये थे एक व्यवस्था के ऊपर। एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था। मैंने उस पर यह कहा था कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। वह नियमित है या अनियमित है उसकी बात नहीं थी, सिर्फ यह बात थी कि वह संसदीय भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। क्या नियम के अन्तर्गत है, क्या प्रतिकूल है वह ऐसी साधारण बात नहीं है, उसका पीठासीन अधिकारी निर्णय लेते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि वह भाषा संयत हो और संविधान के अनुरूप हो, संसदीय हो। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मेरी व्यवस्था के बाद आपने आलोचना की और व्यवस्था उठायी, जो कि असंगत थी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं जो वितंडावाद चलरहा है, मुझे दुख के साथ निवेदन करना है कि जो आपकी आज्ञा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से यहां पर रक्षक हैं उन्होंने कल सदन में आने से रोका ही था लेकिन मैं एक और जानकारी दे रहा हूं कि कुछ रक्षक थे या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन वह सादी वर्दी में थे, जब मैं सदन में आ रहा था तो उन्होंने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, मैंने कहा मैं विधायक हूं तो उन्होंने कहा कि आप विधायक हैं लेकिन इस समय नहीं जाना है। आपसे जानकारी चाहता हूं कि यहां पर ऐसी कौन सी शक्ति है या कौन सी व्यवस्था इस परिसर में चालू हो गयी है कि जो विधायकों को आने से रोके। हमारे पास कोई ऐसी पहचान होनी चाहिये कि इस प्रकार की वर्दी में रक्षक होगा और इस वेश में होगा, यदि वह पूछे तो उसे जानकारी देनी होगी। इस कक्ष के बाहर सादी वर्दी में पैंट आदि पहने थे। मैंने उनसे कहा कि मैं विधायक हूं तो उन्होंने कहा कि कार्ड दिखाइये तो मैंने उनसे कहा कि भाई रुकिये मैं कार्ड दिखाता हूं तो वह अन्दर की ओर चले गये। मैं यह जानना चाहता हूं। इस प्रकार की एक आशंका पैदा हो गयी है। यह क्षेत्र आपके अधिकार में आता है इस बात की जानकारी हमको मिलनी चाहिये कि परिसर के अन्दर हम किन रक्षकों को अपना परिचय-पत्र दिखायेंगे और साथ ही में माननीय सदस्य ने अभी यह जो आरोप लगाया है उसकी भी आप जानकारी और जांच करायें। जब रेलवे स्टेशनों पर विधायकों की हत्या हो सकती है, तो सचिवालय में भी हो सकती है। यह साधारण प्रश्न नहीं है। आज जिस प्रकार कानून की व्यवस्था है कि आपके अधिकारों को चुनौती दी जाती है, आपकी व्यवस्थाओं के खिलाफ दूसरी शक्ति यहां पर काम करती है, तो आप बतायें कि वह कौन सी शक्ति और कौन से रक्षक हैं जो यहां पर विधायकों को रोके और टोकें ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय सदस्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा—

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यहां जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में और कल के घटना-क्रम के सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण शासन की नीति होता है और राज्यपाल का आचरण भी शासन का आचरण होता है। कल का, राज्यपाल का आचरण कैसा था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शासन के लोग ही इसका फैसला कर लें और यदि इस प्रकार का उनका आचरण है तो प्रदेश की जनता सम्भवतया उन्हें माफ नहीं करेगी। आज भी हर सदस्य के कानों में कल की डायस से निकली हुई आवाज गूंज रही है, शब्द घूम रहे हैं। वह किसके मुंह से निकले यह बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो ब्लडी, नानसेन्स, गेट-आउट शब्द निकले और उसके बाद दूसरा वाक्य था—'क्यों क्या यहां मेरा आदेश नहीं चलेगा'.. (व्यवधान) सदन के अन्दर एक अव्यवस्था पैदा हुई। कल सदन के अन्दर एक अव्यवस्था पैदा हुई, उसका दुख सबको है लेकिन प्रश्न यह है कि अव्यवस्था आपके द्वारा व्यवस्थित की जानी चाहिये या राज्यपाल के द्वारा ? (व्यवधान) मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है इसी सन्दर्भ में कि जिन रक्षकों के बारे में यहां पर बात उठाई गई, यहां पर महिला सदस्या भी मौजूद थी, उनको सदन से बाहर निकालने के लिए बाहर से महिला पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने महिला सदस्याओं को सदन से बाहर निकाला। इन बातों को देखते हुए यह औचित्य का प्रश्न स्पष्ट रूप से बनता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अध्यक्ष--

मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस पर इतने विद्वान इतने अधिक प्रश्न उठायेंगे, इस पर अनेक बातें पैदा हो गयी हैं । अतः मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं ।

विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित कतिपय मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री यदवेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री रविशंकर त्रिपाठी, सी0 ओ0, खैरागढ़, जिला आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समिति के गठित होने की तिथि से जांच हेतु दिनांक 4 अगस्त, 1980 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा अभिसूचित लखनऊ प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन के फैक्ट्री मैनेजर श्री सी0 बी0 सिंह तथा विधि अधिकारी श्री बी0 पी0 वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समिति के गठित होने की तिथि से जांच हेतु दिनांक 2 अक्तूबर, 1980 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ।

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक में यह प्राविधान है कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियत न किया गया हो तो प्रतिवेदन निर्देशन के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा,

और चूंकि विशेषाधिकार समिति दिनांक 13 नवम्बर, 1980 को गठित हुई तथा उक्त दोनों प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार इन दो प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन देने के लिए वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक के लिए समय बढ़ाया गया था,

और चूंकि समिति इस बढ़े हुए समय के भीतर भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है,

और चूंकि विधान सभा के सदस्य, श्री श्रीकृष्ण गोयल, के विधान परिषद् की विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन एक मामले में उसके समक्ष उपस्थित होने हेतु माननीय सदस्य की सहमति तथा माननीय सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को प्रतिवेदन देने के लिए दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 को निर्देश किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक 13 जनवरी, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था,

और चूंकि उपर्युक्त तीसरे प्रश्न पर भी समिति अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है,

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त तीनों प्रश्नों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सभापति विशेषाधिकार समिति से रखा है उस पर क्या सदन की सहमति है कि विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिए जाने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सदन के 17 सितम्बर, 1980 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

(इस समय 2 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय।

*श्री रियासत हुसैन--

मेरी आपत्ति है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन साथ ही साथ बदकिस्मत विधेयक भी है। बदकिस्मत इसलिए कि यह विधेयक, सन् 77 में आया जब माननीय शारदा भक्त सिंह राजस्व मंत्री थे। मैं आपत्ति इसलिए कर रहा हूं कि जो मौलिक प्रश्न है उसकी जिम्मेदारी सेलेक्ट कमेटी की होती है। जिस वक्त यह सेलेक्ट कमेटी बनी तब से श्रीमान् शारदा भक्त सिंह, निर्भय नारायण सिंह, नारायण सिंह, यशपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह और मौजूदा राजस्व मंत्री श्रीमान्, बैजनाथ कुरील जी। इस तरह से 6 राजस्व मंत्री अब तक बदल गए। यह ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि इस विधेयक की अहमियत और महत्ता को देखते हुए इस प्रकार का काम किया जाय कि जैसे अभी राजस्व मंत्री जी ने इस विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय, कहीं ऐसा न हो कि फिर कोई दूसरा मंत्री आ जाय और वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

फर समय मांगे । तो मेरा निवेदन है कि ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी को सामने रखते हुए वर्तमान राजस्व मंत्री जो इस प्रकार का सदन को आश्वासन दें कि जो समय अब मांगा जा रहा है, वे फिर से समय न मांगें ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपको याद है कि आप भी इस समिति के एक सदस्य हैं जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से समिति की ओर से आया है उसके विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमान्, मैं अपनी राय तो दे ही सकता हूं । मैं चाहता हूं कि इस बात का सदन में आश्वासन हो कि ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी को सामने रखते हुए अब आगे और समय नहीं मांगा जायेगा । मैं यह तो नहीं कहता हूं कि आप इसे सदन के पटल पर ही न रखें । जिस ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलटी से हमारी सरकार बंधी है, उसे ध्यान में रखते हुए अब आगे समय न मांगा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी तो उस आश्वासन में शामिल हैं क्योंकि आप भी तो उस समिति के सदस्य हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा था सरकार ने 6 रेवेन्यू मिनिस्टर बदले, हमने तो नहीं बदले । जो भी नया रेवेन्यू मिनिस्टर आता है इस विधेयक पर अज सरे नौ विचार होने लगता है । तो मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि वे फिर से समय मांगने के लिए सदन में प्रस्ताव न लायें ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, रियासत हुसैन साहब उस समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वे जानते हैं कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका सम्बन्ध करोड़ों किसानों और अन्य लोगों से है । तो इस पर गम्भीरता से भी विचार होना है । अतः माननीय सदस्य को समय को बहुत बांधने पर जोर नहीं देना चाहिए । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यथासंभव प्रयास किया जायेगा कि अब आगे समय न मांगा जाय ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे भी कुछ कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल आश्वासन के बारे में कहा गया था, वह मिल गया है । बाद में बोल लीजिएगा जब विधेयक पर विचार हो, अभी तो समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं थोड़े से प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सदन के 17 सितम्बर, 1980 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार कर अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उप-नियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं एक सुझाव रखना चाहता था...

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसे लिख कर समिति में भेज दें । आपका सुझाव बेवक्त आ रहा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 9 सूचनायें प्राप्त हुई थीं सभी को माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया है ।

(इस समय कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

आप सभी बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं (व्यवधान) यह अनुचित है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अगर किसी छात्र की मृत्यु हो गयी तो कौन जिम्मेदार होगा, आप हमें सुन लें, एक-एक सदस्य को दो-दो मिनट का समय दे दें ।

एक सदस्य--

कृपया हमें दो मिनट का समय दे दें । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होने जा रही है, आप सभी को अपनी-अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं। इस समय सभी कृपया विराजें। (व्यवधान) आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप लोगों को समय मिलेगा तभी आप अपनी कहें। (अनेक सदस्य एक साथ बोलते रहे) कई माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं यह बात बहुत अनुचित है। आप कृपया विराजें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में मैं दो मिनट के लिय सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, वहां पर पी० ए० सी० लगी हुई है। (व्यवधान) मान्यवर, जिसको गोली लगी है, उसका जिम्मेदार कौन है? मान्यवर, मैं दो मिनट सिर्फ बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 27 जनवरी, 1981 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय सदस्य बिना इजाजत के बोल रहे हैं, इसलिए यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां--

[× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा । आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नियम 56 में भी बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

[व्यवधान के मध्य)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मुझे हर्ष है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात कही गयी है ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं आपसे समय चाह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, ताकि मैं सदन का बहिष्कार न करूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं बहिष्कार कर रहा हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विमल प्रसाद तिवारी

मान्यवर, इस सरकार को अभी 7-8 महीने ही पदारूढ़ हुए हैं । जब इस सरकार ने अपना शासनतंत्र सम्भाला तो इस देश और प्रदेश की बिगड़ी हुई दशा

नोटः—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी--]

थी । यहां की अर्थ व्यवस्था जर्जर, सूखे का प्रकोप था । मान्यवर, हम लोगों की बदकिस्मती यह है कि "हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती ।"

श्री उपाध्यक्ष--

तिवारी जी, एक मिनट रुकिये, एक सूचना देनी थी ताकि अधिकतम लोगों को बोलने का अवसर मिल सके, राज्यपाल के अभिभाषण पर । इसलिए पिछली बार यह तय किया गया था और मैं समझता हूं कि वह मुनासिब भी है कि जो प्रस्तावक होंगे, उनको 25 मिनट का समय बोलने का दिया जायगा और विभिन्न दलों के नेता जो हैं, उनको 25 मिनट का वक्त दिया जायगा । मन्त्रिगण को 25 मिनट का समय दिया जायगा । नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मन्त्री के लिए छूट रहेगी । इनके लिए कोई सीमा नहीं रहेगी । वे स्वयं अपनी सीमा में अपने आपको प्रतिबन्धित करेंगे ताकि अन्य लोगों को अवसर मिल सके और अन्य माननीय सदस्यगण के लिये 10 मिनट का समय रखा गया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, 7/8 महीनों में किसी सरकार से कितनी अपेक्षा की जा सकती है, जब कि विशेष परिस्थितियों में शासनतन्त्र का भार सम्भाला था । जब कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जर्जर थी । समाज में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वह उपलब्ध नहीं थी । सूखे के प्रकोप तथा अराजकता की स्थिति, इस तरह की नाजुक स्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इस प्रदेश का शासनतन्त्र सम्भाला । मुझे हर्ष हो रहा है कि 7/8 महीने की अल्प अवधि में विश्वनाथ प्रताप सिंह की हिम्मत ने इस प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ा दिया है । इसमें शक नहीं है । (तालियां) । जहां तक कार्य का प्रश्न है, यह कांग्रेस (आई0) दल के कार्य से आंका जायगा, तालियों पर नहीं । तालियां, आप अपने नेताओं के भाषण पर बजायें । हमें तालियों की जरूरत नहीं ।

मान्यवर, राज्यपाल अभिभाषण में इस बात की तरफ इंगित किया गया है कि असामाजिक तत्वों का और समाज विरोधी तत्वों पर कारगर ढंग से कार्यवाही की जायेगी ताकि जनजीवन सुरक्षित हो सके, उनकी जायदाद की सुरक्षा हो सके और वे सम्मान के साथ इस प्रदेश में घूम सकें, और इस दिशा में प्रगति भी हुयी है । 6/7 महीनों में जो पहले स्थिति थी, अब उतनी नहीं रही है और उससे बेहतर हुयी है । यह बात इस बात का प्रमाण है कि शासनतंत्र की ओर पुलिस को सुधारने के कदम उठाये गये ।

सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रदेश के विकास के लिये है कि यहां की योजनाओं का रूप क्या हो । हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पिछले तीन वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से 'शून्य' रहे । कुछ लोग, जब पहले शासन में नहीं थे, तो एक 'प्लान हालीडे' की मांग करते थे, अर्थात् योजना से छुट्टी मिल जाय और उन्होंने उस बात को क्रियान्वित किया जब वे शासन में आये । तो तीन साल पहले बिल्कुल 'प्लान हालीडे' रहा और प्रकास की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ और यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की छठी पंच वर्षीय योजना का जो रूप है, उसकी सीमा 6200 करोड़ निर्धारित की गयी है । तो उत्तर प्रदेश में 6200 की सीमा निर्धारित करना

और उसको प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति लाने में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार सफल हुयी है और इस प्रदेश के विकास के लिये 850 करोड़ का व्यय निश्चित किया गया था। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों के अधिक प्रयासों से वह सीमा भी 933 करोड़ और 83 लाख रखने में सरकार को सफलता मिली है। इससे विकास की दर 6 प्रतिशत निश्चित रूप से हो जायेगी।

मान्यवर, आज कुछ लोग गरीबी को मिटाने की बात कर रहे हैं। चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों सबका यह संकल्प है कि प्रदेश पिछड़ा है और प्रदेश का विकास हो। उसके लिये आवश्यक है कि योजनायें बनायी जांय और उनका कार्यान्वयन सही हो ताकि आर्थिक विकास के रास्ते पर यह प्रदेश आगे बढ़ सके और मैं खासतौर से माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस अल्प अवधि में वह इसमें सफल हुयी है कि उन्होंने प्रदेश की योजना को 6200 करोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। इससे यह निश्चित है कि प्रदेश का आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा और विकास की दर 6 प्रतिशत सुनिश्चित होगी जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके।

मान्यवर, इस वर्ष की एक विशेषता यह रही कि इस वर्ष अतिवृष्टि, बाढ़ का प्रकोप रहा लेकिन इसके बावजूद यहां के कृषकों ने अपने प्रयास से और शासन की सहायता से खरीफ का उत्पादन 86 लाख मेट्रिक टन किया और रबी की सम्भावित पैदावार 146 लाख मेट्रिक टन की है। यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भी जो कुछ कठिनाई है हमारे सामने, वह दूर होगी।

मान्यवर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के परिवारों को रोजगार देने की योजना और साधन जुटाने की योजना भी एक आवश्यक योजना है और यह आवश्यक अंग है। इसलिये जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार के साधन मुहैय्या नहीं किये जाते तब तक बेरोजगारी दूर करने में कामयाबी नहीं मिल सकती है। इस सिलसिले में जो नई योजना आई है वह है ड्राइसम योजना। इसके अन्तर्गत हर विकास खन्ड में 100 निर्बल वर्ग के नवयुवकों को तीन महीने का प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योग लगाने के साधन जुटाये जायेंगे। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कितने कुटीर उद्योग पनपेंगे और इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा। मान्यवर, अन्त्योदय योजना की बात उधर से बहुत कही जाती है। यह सरकार भी इसमें पीछे नहीं है अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत निर्बल और गरीब लोगों को अधिक से अधिक समानता दी जायेगी और अक्तूबर 1980 में 1 लाख 54 हजार परिवार इससे लाभान्वित हुये हैं। यह भी एक ठोस उपलब्धि कही जा सकती है।

मान्यवर कृषकों की बात उधर से बड़े जोरों से कही जाती है लेकिन मान्यवर, किसानों के हित में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जितना काम किया है इतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। किसानों का गन्ना 3 और 4 रुपये में कोई खरीदने वाला नहीं था। लगभग 3 सौ करोड़ रुपये की क्षति किसानों को गन्ने के मामले में उठानी पड़ी थी। लेकिन यह पहला अवसर है जब हम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सच्चे माने में किसानों का हमदर्द, मसीहा कह सकते हैं जब कि गन्ने का मूल्य 23 रुपये निर्धारित करके प्रदेश के किसानों का हित किया गया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो कार्य श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया है, जो किसानों का नेता अपने को कहते थे, जब वह शासन में थे, तो नहीं कर पाये। प्रदेश के किसानों के हमदर्द उनकी अगुवाई माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत भड़काया किसानों को, बड़ी भूमिका बनाई लेकिन किसानों ने आन्दोलन नहीं किया हर

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

जगह चीनी मिले चल रही है। यह जवाब है कृषकों का कि वह माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना नेता मानते हैं। आप तो रामायण के मारीच के समान हैं जिस प्रकार से मारीच सोने का मृग बनकर सीता के सामने गया और रावण सीता को हर ले गया उसी तरह से आपने किसानों के साथ किया। लेकिन जब जनता द्वारा आप तिरस्कृत कर दिये गये तो पुनः अपने को स्थापित करने के लिये आप मारीच की शक्ल में किसानों के मसीहा बनते हैं. . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं जानता हूं कि सत्य कटु होता है, मुझे कोई शिकायत इसलिए भी नहीं है कि इनकी तो आदत ही शोरगुल करने की है। आपने आपस में ही उठा-पटक कर ली। दिल्ली में मोरार जी देसाई, चौधरी चरण सिंह को एक बड़ा दंगल बनाकर पटक दिया। हमें कोई शिकायत नहीं लेकिन निवेदन है कि अगर आप इस आदत को कुछ कम कर लें तो हो सकता है कि आप को जन समर्थन आगे बेहतर प्राप्त हो जाये।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की क्षमता बढ़ायी जाये। 14 सौ राजकीय नलकूप लगाये जाने के लिये सरकार बधाई की पात्र है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को उचित मूल्य मिले, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो संसाधन आवश्यक हैं, उनकी पूर्ति की जाये, साथ ही साथ जितने अन्य साधनों की आवश्यकता है, वे उनको दिये जायें और ये 14 सौ नलकूप लग जायें तो निश्चय ही खाद्यान्न उत्पादन में इसका असर पड़ेगा।

इस सरकार ने अपने इस अल्पकाल में ही औद्योगीकरण की दिशा में बहुत काम किया है। हम सब जानते हैं कि कोई भी देश या प्रदेश आज तक केवल कृषि के आधार पर ही तरक्की नहीं कर सका है। कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में सामंजस्य भी आवश्यक है। औद्योगिक विकास से ही आज के आर्थिक युग में विकास सम्भव है। बड़े उद्योग धन्धे लगाये जायें, इस मामले में भी हमारी सरकार किसी हद तक सफल हुई है। यहां उतने बड़े उद्योग नहीं थे जितनी की आवश्यकता थी लेकिन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बधाई की पात्र है कि इतने अल्प समय में ही उसने केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन से उद्योगों के लिये स्वीकृति प्राप्त कर ली। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स आदि सब स्वीकृत हो गये हैं, पालियस्टर फाइबर प्लान्ट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और हमें आशा है कि शीघ्र ही उसकी स्वीकृति हमें मिल जायेगी। इसी तरह से साढ़े छः करोड़ की लागत से हल्द्वानी, जिला नैनीताल में एक सोयाबीन प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव है तो इन सब बड़े उद्योग धन्धों के लगने से प्रदेश के विकास में सहायता मिलेगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक मजबूत कदम होगा जो प्रदेश को आगे ले जा सकेगा। साथ ही साथ कुटीर उद्योग धन्धे और उनको संचालित करने के लिए जिस कच्चे माल की आवश्यकता है उनको बनाने वाले उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उस तरफ यह सरकार कारगर कदम भी उठा रही है।

इसके अलावा प्रदेश में बुनकरों का जटिल समस्या है कि बुनकरों को किस प्रकार उचित मूल्य पर, उचित मात्रा में सूत मुहय्या किया जा सके ताकि उनके कर्घे चलते रहें और उनका जीविकोपार्जन हो सके। इसके अलावा जो वस्तु वह पैदा करें उसका मार्केटिंग हो, उनके बिकने की व्यवस्था हो यह भी आवश्यक है। मुझे खुशी है कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दे कर इस

दिशा में कारगर कदम उठाये हैं जिनकी चर्चा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है। इस दिशा में नई 10 सूत की कताई मिलें लगाने की योजना तैयार की गई है। 8 कताई मिलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। इन सब के चालू होने पर प्रदेश के बुनकरों की समस्या हल हो सकेगी। इस तरह से बुनकरों को सहकारी वितरण संस्थाओं से सम्बद्ध करके जो चीज वह उत्पादित करते हैं उसकी बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए इस सरकार ने कारगर कदम उठाया है, जिसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मान्यवर, चीनी उद्योग बहुत संकट में है। वास्तविकता तो यह है कि इस संकट के लिये वह लोग जिम्मेदार थे जो आज विरोध पक्ष में बैठे हैं और उस समय सत्ता पक्ष में बैठे थे। यह सारी दुर्व्यवस्था उन्होंने ही फैलाई जिसका परिणाम आज सामने आ रहा है। जहां तक इस सरकार का प्रश्न है जिसका जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है किसानों को समुचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी है। चीनी मिलों के द्वारा जितनी चीनी का उत्पादन हो उसकी भी सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की है अगर इस प्रकार इस सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की और इसके लिए सरकारी समितियों का सहयोग लिया जायेगा। इस प्रकार बड़े फैसले जब लिये जाते हैं तो इस विश्वास के साथ लिये जाते हैं कि जनसाधारण के सहयोग से उनके सामने आने वाली कमियों को दूर किया जा सके और निजी क्षेत्र में लाभ को दृष्टि में न रख कर सहकारी समितियों द्वारा वह कार्य सम्पन्न कराया जाय तो यह बात जनता के हित में होगी। यह फैसला इस सरकार ने लिया है।

इसी प्रकार आज समाज में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। इस मसले में चाहे सत्ता पक्ष का अथवा विरोध पक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इसकी अहमियत को न स्वीकारता हो। सब एक मत के हैं कि राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना कायम रहना चाहिये। यह सारा मुल्क काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तथा गुजरात से लेकर बंगाल तक एक अंग है और इसमें रहने वाले सब भारतीय हैं चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के हों। इस दिशा में सरकार यह काम जिला स्तर पर राष्ट्रीय एकीकृत समितियों का गठन करके सम्पन्न कर रही है जिनमें सब जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठ कर अपने को भारतीय कहना शुरू करें ताकि जो विसंगतियां पैदा होती हैं और उससे जो तनाव पैदा होता है वह न हो सके। जो असामाजिक तत्व जाति धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, वे भी ऐसा न कर सकें। मान्यवर, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर, मुझे पूरी आशा है कि विरोध पक्ष के माननीय सदस्य भी इस सरकार को बधाई देंगे कि साम्प्रदायिक सद्भावना स्थापित करने के लिए इस सरकार ने इतना बड़ा काम किया।

हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के भवनों की मरम्मत के लिये 5 गुनी राशि बढ़ाकर यह सरकार बधाई की पात्र बन गयी है। मान्यवर, सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने किया, उसमें एक तो यह कि प्रदेश के छात्रों की समस्याओं का सिंहावलोकन करके 5 करोड़ रु0 का एक कोष स्थापित किया, जो छात्रों के कल्याण के लिए व्यय होगा। दूसरा बड़ा काम, जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है और सारे प्रदेश के प्रेस के काम करने वाले लोग भी बधाई दे रहे होंगे, वह 3 लाख रु0 के "पत्रकार कल्याण कोष" की स्थापना किया है, जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकार और ऐसे पत्रकार, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके आश्रितों को सहायता दी जायगी। यह एक बड़ा काम माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने किया है और

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

मुझे आशा है कि इससे हमारे जो पत्रकार जगत के लोग हैं उनको एक आशा बंधी, उनको एक बल मिला ।

मान्यवर, विद्युत् की दिशा में भी बड़ा काम किया जा रहा है । 6131 मेगावाट की योजनायें स्वीकृत करने के लिए भेजी गयी हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है और जिसके लिये यह सरकार विशेष रूप से बधाई की पात्र है ।

प्रदेश के भूमिहीन श्रमिक कृषक इस सरकार का हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं । इस सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 प्रख्यापित किया है, जिसके द्वारा लगभग 80 हजार निर्बल वर्ग के परिवारों को आसामी का अधिकार प्रदान किया गया । साथ ही साथ पहली बार प्रदेश के इतिहास में एक संशोधन यह किया गया कि जो अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा रखते हैं, उनको 6 माह की सजा हो सकती है । 19 लाख 54 हजार से अधिक आवंटियों में से लगभग 18 लाख 41 हजार आवंटियों को भूमि प्राप्त हो गई, उनको कब्जा मिल गया ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने लाल बत्ती का सूचक मुझे बता दिया, इसलिये मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा ।

एक बात और पिछले दसियों साल से जहां तक मुझे जानकारी है और जहां तक माननीय विरोध पक्ष के नेता और उनकी जानकारी है, एक परम्परा वित्तीय दुर्व्यवस्था की आयी थी कि लेखानुदान पारित किये जाते थे । उस तरफ के भी लोग जब शासन में रहे वे भी लेखानुदान पारित कराते रहे । मुझे आशा है कि माननीय नेता विरोधी दल इस सरकार को बधाई देंगे कि पहली बार प्रदेश के इतिहास में पूरा बजट एक साथ पास होगा, जिसके माध्यम से सारा काम होगा और जो वित्तीय अनुशासनहीनता थी, वह समाप्त होगी ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से, चाहे वे इधर बैठते हों या उधर बैठते हों, आग्रह करता हूं कि वे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया । मैं श्री विमल प्रसाद तिवारी द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं । जैसा कि सभी को विदित है कि जब हमारी सरकार शासन में आयी तो किस तरह से परेशानियां, मुसीबतें जनता के सामने थीं । किस प्रकार से अराजक तत्व और अनुशासन हीनता का चारों तरफ राज्य था । हमारी सरकार ने 6–7 महीनों में काफी अच्छे कदम उठाये हैं और प्रशंसनीय कार्य हर तरफ किया है । विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण अंचलों की तरफ नये–नये कदम उठाये गये हैं और नयी–नयी योजनायें बनायी गयी हैं । पहले अंत्योदय योजना और आई० आर० डी० स्कीम पुरानी सरकार चला रही थी लेकिन उसमें घोटाले और घपले हो रहे थे और उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था । लेकिन अब इस समय मौजूदा प्रशासन है वह इन गड़बड़ियों, घोटालों और भ्रष्टाचार से काफी जागरूक है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो अधिकारी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्मचारी गड़बड़ी, घपले और भ्रष्टाचार कर रहे थे तो काफी अधिकारी और कर्मचारियों को मुअत्तल किया है। उनको मुनासिब सजायें मुनासिब माध्यम से दी जायेंगी।

कृषि के क्षेत्र में भी काफी राहत किसानों को मिली है। सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है कि पिछले शासन, जनता और लोकदल के राज्य में किसानों का किस तरह से गन्ना सूख गया था और जलाना पड़ा था। लकड़ी 40-45 रु0 क्विंटल बिकती है और उस समय गन्ना 3-4 रु0 क्विंटल बेचा गया था। आज गन्ना 22-23 रुपये क्विंटल हमारी सरकार खरीदवा रही है, आपके जमाने में गन्ना सड़ गया, जला दिया गया था। हमारी सरकार ने जो चीनी मिलों पर बकाया था उसका भुगतान करवाया है। मेरे अलीगढ़ जनपद में चीनी मिल ने शत-प्रतिशत किसानों का भुगतान कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार अन्य चीनी मिलों पर जो बकाया था उसका भुगतान कर दिया गया है।

एक सदस्य--

बलिया में हो गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मोहन सिंह के मोह में न फंसिये अपना भाषण जारी रखिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

ग्रामीण अंचलों में व्यवसायिक बैंकों की शाखायें खोली गयी हैं।

एक सदस्य--

मोहन सिंह जी, कमाल साहब से पूछ लीजिये, बस्ती में पेमेंट हो गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

बैंकों की शाखायें हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खोली हैं जिससे किसान भाइयों का काफी हित होगा और उनका आर्थिक विकास होगा। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की जो इमारतें काफी जर्जर थीं हमारी सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया है। खास बात जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है वह यह है कि देहाती क्षेत्र में जो चीनी की गड़बड़ी होती थी उसमें सहकारी समितियों के जरिये जो वितरण की प्रणाली की गयी है उससे अच्छी तरीके से वितरण होगा। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों को परेशानी होती थी, हमारे क्षेत्र से लोग आते थे और कहते थे कि अमुक चीनी वितरक का कोटा कैंसिल कराइये। तो इस तरह से हम माननीय सदस्यों को भारी परेशानी हो रही थी गलत वितरण प्रणाली होने के कारण। इसलिये इस तरफ सुधार किया है और सहकारी माध्यम से वितरण प्रणाली को लागू किया गया है जो कि मैं समझता हूं, कि अच्छी होगी।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

मान्यवर, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश और देश में कुछ राजनैतिक शक्तियां लगी हुई थीं कि यहां की शांति व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव को समाप्त किया जाय लेकिन उसको भी हमारी सरकार ने काफी संभाला है और अलीगढ़ में हालात खराब हुये लेकिन सरकार ने संभाल लिया किन्तु फिर भी विरोध पक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश की उन्नति और विकास में दिलचस्पी रखते हैं तो रचनात्मक विरोध करना चाहिये और रचनात्मक सहयोग देना चाहिये था। लेकिन इसका उल्टा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, साम्प्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और विशेष परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे देश और प्रदेश में जो साम्प्रदायिक सद्भाव है और एकीकरण और राष्ट्रीय भावना है उसको बिगाड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह सही है कि विरोध पक्ष का कर्तव्य है कि सरकार को कमजोर बनाये लेकिन देश और प्रदेश को कमजोर नहीं बनाना चाहिये।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण का भी हमारी सरकार ने कोटा सुनिश्चित किया है क्योंकि पहली सरकार ढिंढोरा पीटती रही कि आरक्षण किया है लेकिन वह कभी आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया है। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सरकार ने आरक्षण देने को सुनिश्चित किया है कि इन लोगों को निश्चित कोटा मिले। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये और भी विशेष प्रकार की योजनायें सरकार ला रही है। खास बात हमको यह हिंदी राज्यपाल के अभिभाषण में मिली कि जो योजनायें अभी तक चल रही थीं उनमें मूल रूप में परिवर्तन इस तरह से किया जा रहा है कि हमारे जनपद की योजनायें और कार्यक्रम ही हमारे राज्यस्तर की योजनाओं का आधार हो उससे विकास में तेजी आयेगी। यह भी अभिभाषण में है कि लोकल स्तर पर विकास खण्डों में हमारे जनप्रतिनिधि उन योजनाओं से, नये कार्यक्रमों से सम्बद्ध किये जायेंगे जिससे सरकारी तंत्र को देखा जा सकेगा और जिससे वह अपने तरीके से काम न कर सकें।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार चूंकि फर्टिलाइजर के भावों में वृद्धि से किसानों की उपज के लागत का मूल्य जो बढ़ गया है, इसलिये उसको देखते हुये हमारी सरकार इस वर्ष 150 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मांगे तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, इसी तरह से बिजली का उत्पादन चूंकि कम है और किसानों को 5 घंटे बिजली मिल पा रही है तो उधर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अंत में मैं श्री विमल प्रसाद तिवारी ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर संशोधन पेश कर रहा हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि :--1--विगत एक वर्ष में किसानों की लूट बड़ी है। खेती के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं बिजली और पानी किसानों के लिये आवश्यक मात्रा में नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, रासायनिक खादों के दाम बढ़े हैं और रासायनिक खाद्य तो बाजार से गायब है

दूसरी ओर सूखा एवं बाढ़ की चपेट में आये, किसानों से सरकारी कर्ज की वसूली तेजी से की जा रही है तथा कृषि उत्पादन की उचित कीमत किसानों को नहीं मिल रही है । इन तथ्यों को श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं दिया और नहीं इनके समाधान हेतु सरकार की कोई नीति बताई ।

2--प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमन्डल अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, प्रदेश के मंत्रिमन्डल के कई मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, किन्तु खेद है कि इनमें से किसी भी मंत्री को राज्यपाल ने अभी तक बरखास्त किये जाने का जिक्र नहीं किया है । यही कारण है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत निरन्तर बिगड़ती जा रही है हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं पर पुलिस का अत्याचार बढ़ा है । प्रदेश में विद्यार्थी एवं अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज एवं गोली वर्षा हुई है । यहां तक कि प्रदेश की न्यायपालिका भी पुलिस के जुल्म का शिकार बनी है । शासन पक्ष के विधायकों एवं मंत्रियों ने अफसरशाही को अपने स्वार्थ सिद्ध का माध्यम बना लिया है । डाका, राहजनी, हत्या, जन-जीवन की सामान्य घटनाये हो गयी हैं । यहां तक कि राजनैतिक व्यक्तियों एवं विधायकों की नृशंस एवं अमानवीय हत्यायें हो रही हैं । एनकाउन्टर के नाम पर निरपराध लोगों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है । श्री राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये अपने अभिभाषण किसी भी ठोस उपाय का जिक्र नही किया है ।

3--सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है । आवश्यक सामग्रियों के वितरण की इस सरकार की कोई समग्र नीति नहीं है । यही कारण है कि विगत दो महीनों में खाद्यान्न के दाम आसमान छूने लगे हैं । वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है । विधान सभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन के बस भाड़े में बेतहाशा वृद्धि की गयी है । यह सामान्य नागरिकों की सरकार द्वारा लूट का खुला सबूत है । जन-आन्दोलनों को दबाने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है । प्रदेश में सरकार की नीतियों से दिनों दिन आन्दोलन बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश का स्तर गिरता जा रहा है । सामान्य नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है । प्रदेश में चारों ओर असन्तोष की भावना व्याप्त है । इन समस्त बुराइयों, जो प्रदेश में व्याप्त हैं, के निराकरण के लिये भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोई भी ठोस उपाय नहीं बताये हैं ।

मान्यवर, पिछली बार जब यह सदन मिला था हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे । बजट सत्र के पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अगले बजट सत्र से पूर्व वह विधान सभा के सदस्य की हैसियत से इसमें बैठेंगे । यह उनकी घोषणा थी । मुझे यह इसलिये याद दिलाना पड़ा श्रीमन्, यह जो महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया है वह सरकार की नीतियों का दिग्दर्शक है । मैं नहीं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री अपनी घोषणा को भूल जाते हैं । पिछले प्रवेश द्वार से आये पता नहीं उनकी नीतियों पर लोगों को कैसे आस्था आ सकेगी, मुझे इसमें शंका है ।

श्रीमन्, हमारे माननीय श्री विमल तिवारी जी ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है । पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अत्याधिक अस्थिरता, आर्थिक स्थिति में ह्रास, आवश्यक वस्तुओं के निरन्तर अभाव तथा मुद्रास्फीति से सामान्य जन-जीवन त्रस्त रहा । श्रीमन्, पिछले तीन-चार साल जब मैं विरोधी पक्ष में

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

था, तब का जिक्र है । श्रीमन्, प्रदेश का हर व्यक्ति जिसके सामने यह अभिभाषण जायेगा वह इसे देखेगा कि यह थोथा है । श्रीमन्, मैं अपनी इस बात को कि इस में सत्यता नहीं है आगे सबूत दूंगा ।

श्रीमन्, पिछली बार एक बहुत बड़ा बागपत कांड हुआ जिस की इस सदन में चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई । माननीय मुख्य मंत्री जी ने दोषी पुलिस वालों को संरक्षण देने के लिए, किसी दबाव में आकर चाहे बात माननीय सदस्यों के दबाव की हो, कोई और दबाव हो, ऊपर का दबाव हो, एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया कि उन दोषी व्यक्तियों को, जिन्होंने यह कांड किया था, सस्पेन्ड न करें और एक बहाना लिया जुडिशियल इनक्वायरी का । हमने जुडिशियल इन्क्वायरी मांगी नहीं थी । मामले को डिले किया गया । पहले से ही एक डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 मौके पर गये और मौके पर से आने के बाद उन्होंने नोट शीट में कुछ लिखा । माननीय मुख्य मंत्री जी तथ्य छिपाते रहे, दोषी को बचाते थे, लेकिन यह तथ्य सामने आ गया । जुडिशियल इनक्वायरी में व्यक्ति दोषी पाये गये । इसके बाद फिर उसको सी0 आई0 डी0 को दिया गया । अब उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, मैं नहीं जानना चाहता । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय उनको सस्पेन्ड कर दिए होते तो जो पुलिस की दुर्दशा हो रही है, पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बनती जा रही है, वह चीज नहीं होती । श्रीमन्, सत्ता पक्ष उनके सहारे चुनाव जीत कर आये थे इसलिए उनको संरक्षण देना चाहते थे ।

श्रीमन्, देश के काफी राजनीतिक नेताओं ने, बहुत से लोगों ने, इस बात पर मुख्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिये । वह बात सच निकली कि वहां पर इनकाउन्टर नहीं था, उस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ । रिपोर्ट हमारे पास नहीं है । प्रेस से समझ पाये । लेकिन मैं जानता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस्तीफे की बात नहीं कहूंगा । उन्हें बड़ी मुश्किल से वह चीज मिली हुई है । वह इस चीज को करने वाले नहीं हैं । अगर वह कर सकें तो वहां के एस0 एस0 पी0 और इस प्रदेश के डी0 आई0 जी0 के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए । आई0 जी0 ने बयान दिया कि वहां कोई घटना नहीं हुई, इनकाउन्टर कान्ड था, मुख्य मंत्री जी ने कहा बदमाश थे, एस0 एस0 पी0 ने कहा कि बदमाश थे । जुडिशियल इन्क्वायरी ने कहा है कि यह इनकाउन्टर नहीं था, यह कोल्ड ब्लेडेड मरडर था । यह साबित हो चुका है । इस चीज को छुपाने के लिये इसे पुनः सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है । मैं नहीं जानता कि निष्कर्ष क्या निकलेगा जब तथ्य सामने आ चुके हैं । इस सरकार के नेताओं ने जिन व्यक्तियों के सहारे ये जीत कर आये, उनको बचाने के लिए, इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को पंगु बना दिया है, यह तथ्य उजागर होता है ।

श्रीमन्, याद दिलाना चाहता हूं । माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी बैठे हुये हैं इन्हें बहुत सी चीजें याद रहती हैं । पिछली बार जब बागपत कान्ड पर बहस हो रही थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, जब हमारी तरफ से कुछ साथियों ने आब्जेक्शन किया कि आप ने कत्ल कराया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना था कि मेरे हाथ, सरकार के हाथ, तो जालिमों और दुष्टों के खून से रंगे हैं और हमारी तरफ इशारा किया था कि इन लोगों के हाथ तो छात्रों के खून से, श्रमिकों के खून से, विद्यार्थियों के खून से रंगे हैं । माननीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को पुरानी पीढ़ी के हिसाब से वह चीज याद आ गई कि मैं अछूता क्यों रहा हूं । श्रीमन् उन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों को दो महीने के अन्दर प्राप्त कर लिया । विद्यार्थी मारा गया हुसैन गंज पुलिस

द्वारा । यह हुसनगंज श्रीमन् फतेहपुर में है । पुलिस वालों ने गोली चलाई । गोली कहां चलाई । फिर चमक जायेंगे । ईदगाह में, ऐसे स्थान पर जैसे स्थान पर मुरादाबाद में गोली चलाई गई थी । विद्यार्थी ईदगाह में मारा गया जो कि पुलिस थाना से बहुत दूर था । यह छिपाने की बात नहीं है ।

मान्यवर, एक बात और पहले कहना चाहता हूं कि यहां पर परिपाटी यह रही है कि जब विरोध पक्ष के नेता बोलते हैं तो मुख्य मंत्री जी को यहां पर रहना चाहिए । लेकिन पुरानी सब परम्परायें तोड़ दी गई हैं, नई परम्परायें डाली जा रही हैं । चीफ सेक्रटरी को भी रहना चाहिये । लेकिन वे भी मौजूद नहीं हैं । मुझे तो बोलना ही है, अपनी खाना पूरी तो करनी ही है । मान्यवर, मैं कह रहा था कि एक रवि शंकर तिवारी नामक विद्यार्थी जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ता था, 12 साल का बच्चा था, थाने को नहीं लूट सकता था...

श्री रियासत हुसैन—

जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो मुख्य मंत्री को यहां पर होना चाहिये । लेकिन खेद की बात है कि कैबिनेट रैंक का कोई मंत्री मौजूद नहीं है ।

एक सदस्य—

गृह मंत्री हैं । .... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जिस विद्यार्थी की वहां पर मृत्यु हुई है पुलिस उस तथ्य को छिपाना चाहती है । पुलिस ने यह शो किया कि विद्यार्थियों ने थाने पर अटैक किया और हमने थाने पर गोली चलाई जिससे रवि शंकर जख्मी हुआ । मान्यवर, उस विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी उठाकर अस्पताल ले गये । यदि गोली की फायरिंग से उसकी मृत्यु थाने में हुई होती तो उस बच्चे को थाने के आदमी के द्वारा अस्पताल ले जाना चाहिये था किन्तु वे नहीं ले गये बल्कि स्टूडेन्ट्स उसको ले गये । मैं चाहूंगा कि इस मामले की छानबीन हेतु इस सदन की एक कमेटी बना दें जो इस पर अपनी रिपोर्ट दे सके । हालांकि मेजोरिटी आपकी है । हमारे यहां से तो दो-एक लोगों को ही आप लेंगे लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर इसे छोड़ता हूं कि आप सदन की एक कमेटी बना दें । पता लग जायेगा कि इस लड़के की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है । सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है ? रक्षक ही भक्षक बनते चले जा रहे हैं । मान्यवर, और भी बहुत से मामले हैं । खागा में भी ऐसा ही हुआ, पिछली 24 तारीख को एक आदमी पुलिस की लाठी चार्ज से मारा गया । पुलिस ने इनडिस्क्रिमिनेशन किया । व्यापारियों को भी मारा जो सामने आये, जो लोग सर्विस करते थे उनको भी मारा गया । लेकिन पुलिस उस चीज को हशअप कर रही है । दबा देती है । इलाहाबाद में भी ऐसा ही हुआ । वह गृह राज्य मंत्री का इलाका है । वे ज्यादा जानते होंगे । अतर्रा, फूलपुर, बांदा, सहजनवां, गाजीपुर आदि जगहों में भी इसी तरह से हुआ । विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और फायरिंग हुई । वकीलों पर भी लाठी चार्ज हुआ वाराणसी में । अभी हमारे आजम खां नाराजगी में चले गये । रामपुर में पिछले 3 महीने से हड़ताल हो रही है । साढ़े तीन हजार मजदूर उस मिल में काम करते हैं एक स्पेशल कैटेगरी की वह मिल है । आपकी सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी का तरीका है वह पे उनको नहीं मिल रही है, श्रमिक हड़ताल पर हैं । इतनी अभूतपूर्व हड़ताल पहले कभी नहीं हुई । हमारे जो लोकदल के विधेयक हैं वह उसका नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और श्रमिकों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि विमल तिवारी आप उसको

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

चलायें आप उसका नेतृत्व ले लें लेकिन वह मिल खुलनी चाहिये । वहां नवाब साहब का प्रभाव है इस सरकार को उन श्रमिकों के साथ न्याय करना चाहिए ।

श्रीमन्, जो कभी नहीं हुआ इस प्रदेश में वह इस सरकार के जमाने में हो रहा है । मरडर्स कौल्ड इंकाऊंटर्स । मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे अपने जनपद की घटना है हाथरस, म माननीय सुरेन्द्र सिंह चले गये उन्हें इस बात का पता है । हाथरस जंक्सन थाना में इस तरह की घटना हुई है । मेरे जनपद में ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं । एक महीने के भीतर 12, 13 घटनायें हुई हैं । इत्तफाक से इनकाउन्टर में एक हरिजन मारा गया, मेरे गांव से 4 किलो मीटर में यह हुआ मैंने प्रेस में स्टेटमेन्ट भी दिया कि यह इनकाउन्टर नहीं हुआ है पुलिस इसे पकड़ कर लाई थी इसकी इनक्वायरी हो तो मैं सबूत दे सकता हूं । मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखा कि यह इनकाउन्टर नहीं हुआ । वह हरिजन बेचारा अलीगढ़ रेलवे जंक्शन में कोयला बिनता था और उसे बेंचता था । पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गये और इनकाउन्टर दिखा दिया । मेरे यह लिखने के बाद से अब कोई इंकाउन्टर नहीं हुआ है ।

हमारे हरिवन्श सहाय जी की बात आई देवरिया में बैकवर्ड क्लास के 40-45 आदमी पुलिस इनकाउन्टर में मारे दिखाए गए । जालौन में और मेरठ में अभी तीन आदमी पुलिस इनकाउन्टर में मारे गये उसमें आप कहते हैं कि पुलिस वालों को लाईन हाजिर कर दिया है । तो मैं उजागर करना चाहता हूं कि पुलिस वाले किस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं । आज किसी की जान सुरक्षित नहीं है ।

श्रीमन्, जंगनेर में क्या हुआ । वह अपने में एक भयंकर घटना है । मैं नहीं चाहता कि इसका कोई पोलिटिकल फायदा हो । मैंने कल भी एक माननीय सदस्य की श्रद्धांजलि के समय यह बात कही थी मैं फिर कहूंगा कि पुलिस को इतने अधिकार दे देना हम सभी के लिए असुरक्षित हो जायेगा कोई बचेगा नहीं । जगनेर में वर्दी में पुलिस वाले गये टाइम्स आफ इंडिया में 11 नवम्बर में यह निकला है जिसमें जिंदल साहब ने कहा है जो सत्ता पक्ष के हैं उन्होंने कहा कि जो कुछ पुलिस ने किया वह अशोभनीय था, पुलिस ने एक आदमी को दरवाजे से खींच कर पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया । माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी के लिए यह शायद कागज के टुकड़े हों, कतरन हों लेकिन इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री छिपी है जिसको मैं उजागर करना चाहता हूं । पिछले दो महीने के अन्दर पुलिस ने कितने क्राईम जनता के साथ किये हैं । यह एक 20 नवम्बर, 1980 का पत्र है जिसमें लिखा है "हेड कानिस्टेबल रेप्ड यंग गर्ल, एस0ओ0 ट्रांस्फर्ड फार रेप केस" । लखनऊ में पुलिस वालों ने संसद सदस्य को भी नहीं बक्शा यह दैनिक जागरण 19 जनवरी, 1981 में छपा है । "दैनिक जागरण", दिनांक 19 जनवरी, 1981 में है कि "व्यभिचार के प्रयास में दरोगा बन्दी" । यह प्रदेश की रक्षक पुलिस कर रही है । 16 जनवरी, 1981 के "आज" में निकला है, "छेड़खानी कर रहे दरोगा और सिपाही की पिटाई" । टाईम्स आफ इंडिया, 4 जनवरी, 1981 में है "कांस्टेबेल हेल्ड फार ट्रेन डकैती", 17 अक्टूबर, 1980 के इसी पत्र में है कि एस0 एच0 ओ0 ऐन्ड एस0 आई0 सस्पेन्डेड इन रेप एन्ड मर्डर केस ..... (व्यवधान) यदि इसे हमारे लोग करते हैं तो उसे आप रोकिये । टाईम्स आफ इंडिया के 1 जनवरी, 1981 अंक में छपा है कि "थ्री काप्स एण्ड फाइव हेल्ड फार ट्रेन डकैती । अमृत प्रभात, दिनांक 28 नवम्बर, 1980 में आया है, "दरोगा

की धमकी पर बेटी सौंपने को मजबूर बाप" (व्यवधान) यह छोटी चीजें हैं तो आप इसका कन्ट्राडिक्शन कीजिये । फिर है 31 दिसम्बर, 1980 के "पायनियर" में कि "डिप्टी सी0एम0 ओ0 हेल्ड फार रेप" । इतना ही नहीं, अब तो और आग भी यह बढ़ गये हैं, "स्वतन्त्र भारत", 14 जनवरी, 1981 में आया है, "महिला सिपाही के साथ बलात्कार"। "आज", 30 दिसम्बर, 1980 में निकला है "ट्रेन में व्यापारियों को लूटने वाले 2 सिपाही बन्दी" । बड़ा होहल्ला मचाया है आपने और राज्यपाल जी ने और विमल प्रसाद तिवारी जी ने भी कहा है कि हमने पिछले दिनों में बड़े जखीरे पकड़े। लेकिन असलियत कुछ दूसरी ही है, "अमर उजाला", दिनांक 7 नवम्बर, 1980 में साफ आया है, "आगरा पुलिस लाईन में दो अवैध हथियार फैक्टरियां पकड़ी गईं, फैक्ट्री संचालक, 2 पुलिसकर्मी में से एक बन्दी ।" यह मामले बड़े गम्भीर हैं, यह मसले बड़े सेंसेटिव हैं । मेरा इसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इनका कोई राजनैतिक लाभ उठाऊं । इस पर बड़ा गम्भीर मनन होना चाहिए कि यह क्यों होते हैं ? जो मेरी समझ में इनका कारण आता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं । इसका कारण है, वही कारण है कि जो बागपत कांड में दोषी थे उनके ट्रांसफर तक के लिए आप तैयार नहीं थ, उनके सस्पेंन्सन के लिए आप तैयार नहीं हुए । बाद में इस सबके लिए आप तैयार हुए । रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि आप पाएंगे कि वहां का एस0एच0ओ0 भी इसके लिए दोषी था । इसी माननीय सदन के अन्दर मैंने दिया था—एक इंस्पेक्टर की चरित्र पंजिका पढ़ी थी । मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के किसी कर्मचारी की चरित्र पंजिका इतनी गंदी नहीं होगी, जो मैंने पढ़ी थी । मैंने उसके बारे में मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था । हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो, क्योंकि मैंने चरित्र पंजिका को स्वयं नहीं देखा है । किन्तु चरित्र पंजिका में उल्लिखित वे चीज यदि गलत थीं तो आई0 जी0 जो बहुत बयान देते हैं, अपने कांस्टेबिल इंस्पेक्टर को सेव करने के लिए कोई उनका बयान आ जाना चाहिए था, मुख्य मंत्री का आ जाना चाहिए था । खैर उनकी तो अपनी व्यस्तता है, तो राजेन्द्र त्रिपाठी जी, जो हमारे नामराशि हैं, उन्हीं का बयान इस बारे में आ जाना चाहिए था । इसीलिए आज पुलिस भक्षक होती जा रही है । मैं नहीं कहता कि इसमें सबके सब खराब और भ्रष्ट ही हैं । इस पुलिस में एक से एक अच्छे और ईमानदार कर्मचारी भी हैं, कर्मठ और चरित्रवान व्यक्ति भी हैं । लेकिन आपकी सरकार ने भ्रष्ट और गंदे लोगों को पक्षपात करके बिरादरीवाद पर पोस्टिंग की है, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है ।

अभी एक हेडिंग आई है, वह इत्तिफाक से हमें पढ़ने को मिली है । श्रीमन्, आज ही अखबार में निकला है कि जिस निलम्बित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अदालत में हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा है, उनके लिये सम्मन निकला हुआ है, वह सेशन कोर्ट से बहाल हो गये पोस्टिंग भी हो गई । तो यह है श्रीमन्, शासन और प्रशासन ।

नरायनपुर कान्ड के अन्दर श्री बनारसीदास जी की सरकार ने जिस डिप्टी एस0 पी0 को सस्पेंड किया, आपने आते ही उसको बहाल कर दिया । एक और हैं एस0 ओ0 औरंगाबाद । श्रीमन्, उनका यहां से 2–3 बार ट्रान्सफर हो चुका है । दोनों ही बार बुलन्दशहर से कांग्रेस आई के विधायक ने मुख्य मन्त्री स्तर पर रुकवाया । दूसरी बार ट्रान्सफर रुकवाने के बदले दारुलशफा बी ब्लाक में कांग्रेस आई के सूबे के बड़े पदाधिकारियों और मन्त्रियों को दावत दी गई । मुख्य मन्त्री जी भी इस दावत में निमन्त्रित थे लेकिन उनको यह जानकारी मिलने पर कि इस डिनर का असली होस्ट उक्त दरोगा है तो दावत में शामिल नहीं हुये । एक अभी–अभी आया है देवरिया के बारे में जैसा

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

कि हरिवंश सहाय जी ने कहा था किसी दरोगा के सम्बन्ध में । जब आप ही के द्वारा कानून के उल्लंघन को सहारा मिलेगा तो कोई भी शासन और ला एन्ड आर्डर की स्थिति कभी नहीं रह सकती । आज इस प्रदेश के अन्दर क्या हो रहा है ? सुल्तानपुर के जिला जज ने टिप्पणी दी है कि वह दिन दूर नहीं जब देश में जंगल का कानून लागू हो जायेगा । श्रीमान जी और भी हैं । यह तो रही हमारे जिला जज की टिप्पणी । चीफ जस्टिस आफ इन्डिया जब बनारस आते हैं तो उनका कहना है कि, पुलिस सब कुछ कर सकती है । यह बहुत लम्बा है इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा । जो मुख्य है, उसे पढ़ देता हूं :

The Chief Justic said if the policeman had done any wrong they must be prosecuted and convicted.

Regretting the "sorry state of affairs" created by the police, he said the policemen do not have any particular grudge against lawyers. Policemen would "act in this fashion any where."

श्रीमान जी, माफ करें । मैं अंग्रेजी में बोल गया । मुझे हिन्दी में बोलना चाहिये था । मैं हिन्दी में बोल देता हूं :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि जब वह बोल रहे थे तो कहा गया कि पुलिस तो इस तरह का काम सबके साथ करती है ।

एक और डेयरिंग इन्डिसिप्लिन की बात हुई । यहां पर एस0 एस0 पी0 ने एस0 ओ0 चौक कोतवाली का स्थानान्तरण किया था । उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा कि इसको कैंसिल कर दें लेकिन उन्होंने नहीं किया । वे छुट्टी पर चले गये । उनके बाद एस0 पी0 रूरल ने उस ट्रान्सफर को कैंसिल कर दिया । यह आपके शासन में हालत है । एस0 पी0 के आर्डर को इस शासन तंत्र में कैंसिल नहीं करना चाहिए था लेकिन कहीं न कहीं पर राजनीतिक पुल और पुश हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ । जब तक अंकुश और अनुशासन नहीं होगा, फेवरिटिज्म होगा, बिरादरी-वाद पर बेईमान और चरित्रहीन व्यक्तियों को उन जगहों पर जहां के लिए वे कंपेबिल नहीं हैं रखा जायेगा, तो यह तंत्र अवश्य ही टूट जायेगा, चल नहीं पायेगा ।

आज आप कहते हैं कि क्राइम्स की संख्या घट रही है । जब पुलिस थानों में एफ0 आई0 आर0 लाज नहीं होगी तो नम्बर तो घट ही जायेगा । आंकड़ों की तो एक जगलरी होती जिन्हें कहीं से उठाकर रख दिया जाता है । अभी आपने एक डी0 आई0 जी0, श्री जैन को कानपुर हेडक्वार्टर पर स्थानान्तरित किया है । उन्होंने पुलिस के लोगों के बीच बैठकर ये आदेश दिये कि सभी केसेज लिखे जायेंगे । ये आदेश उन्होंने इसी कारण से किए होंगे क्योंकि उन्हें यह पता चला होगा कि वहां पर पहले सब क्राइम्स लिखे नहीं जाते होंगे ।

बांदा में अभी सरकारी पक्ष की ओर से एक बयान दिया गया कि अगर प्रेस वाले हमारा सहयोग करें तो क्राइम्स और कम हो जायेंगे । बहुत ठीक बात है । अगर ये लिख कर नहीं बतायेंगे तो स्वाभाविक रूप से कम होंगे । इसके लिए वे आज प्रेस वालों का सहयोग मांग रहे हैं । उन्होंने बहुत दूरदर्शिता से काम किया है क्योंकि ये कागज के टुकड़े हमारे हाथों में नहीं पड़ेंगे । इसलिए यह उन्होंने ठीक ही कहा है । ट्रेन में लूट और डकैतियां, जालौन में 4-4 गैंग एक्टिव हो रहे हैं । उन्नाव में प्रति दिन एक शव का परीक्षण होता है । हमारे प्रदेश में क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं । सिटिंग एम0 एल0 ए0, श्री रविन्द्र किशोर की मृत्यु हुई थी, कल भी मैंने कहा था लेकिन यह बड़ी चिन्ता का विषय है । गोरखपुर में 2 दलों में व्यक्तिगत राइवलरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है, जो बड़ी ही चिन्ता

का विषय है । लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में हो रहा है, उसमें हमारी भी कोई सेफ्टी नहीं है । अभी कुछ दिन पूर्व माननीय बृज बल्लभ जी जब यहां से घर लौट रहे थे, गोली मार दी गयी ।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखालाल पीठासीन हुए ।)

अधिष्ठाता महोदय, कुछ मैटर्स को लेकर हम लोगों का एक डेपुटेशन महामहिम राज्यपाल महोदय से एक बार मिला था और उन्होंने हम लोगों को तसल्ली देते हुए एक बहुत बड़ी बात यह कही कि मैं बहुत चिन्तित हूं कि इस प्रदेश में राजनैतिक हत्यायें हो रही हैं । उन्होंने यह भी हम लोगों से कहा था कि वे सभी विधायकों की एक मीटिंग बुलाने और उनको ऐड्रेस करने की सोच रहे हैं ।

(व्यवधान)

हमने भी सोचा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ? फिर उन्होंने यह कहा कि वे इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करेंगे । इसी से हम समझ गये कि अब कुछ होने वाला नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय बृजबल्लभ जी की हत्या हुई वे कांग्रेस (आई) के एम0 एल0 ए0 थे । एटा के एक कांग्रेस (आई) के ही एम0 एल0 सी0 की हत्या हुई । इटावा के अन्दर राजनैतिक हत्याओं का एक सिलसिला चल रहा है । तो यह थी पुलिस की बात । अब मैं दूसरी तरफ शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

शासन में आई0 ए0 एस0 कैडर सर्वोच्च माना जाता है । शासन तंत्र उसी के माध्यम से चलता है । मेरे पास ब्लिट्ज पेपर की 10 जनवरी, 1981 की कटिंग है, इसमें छपा है "प्रेमिका के नाम पर रिहायशी बस्ती"

(व्यवधान)

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

मेरे पास कटिंग का बंडल था ढेर सारा, मुझे पता होता तो मैं भी उसे उठा लाता ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

अगर आई0 ए0 एस0 आफिसर्स के बारे में ऐसी बातें छपेंगी, जैसा कि इसमें छपी हैं, तो शासन तंत्र कैसे स्वच्छ चलेगा ।

(व्यवधान)

मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी समझ गये होंगे ।

एक और बहुत बड़ा स्कैन्डल हुआ । एक साहब थे जिनका कई बार ट्रान्सफर हुआ । जब हमें हराने की कोशिश चल रही थी, उस समय वे महामहिम राज्यपाल महोदय के शायद स्पेशल सेक्रेटरी थे, जहां तक मुझे याद है । स्पेशल सेक्रेटरी थे जहां तक मुझे ख्याल है । श्रीमान्, तो एक क्लब के अन्दर क्या ऐक्शन हुआ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मैं सत्ता में कुछ दिन रहा हूं, मेरा इक्सपीरियन्स है, मैं फिर कहता हूं कि इसमें बहुत अच्छे लोग हैं और शासन को चलाने में बहुत बड़ी क्षमता है । लेकिन खराब लोग भी हैं और संरक्षण पा जाते हैं । कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी के नाम पर, एक दूसरे का संरक्षण हो जाता है । यहां पर हमारे चीफ सेक्रेटरी बदल गये किसी घोटाले के चक्कर में, कोई कहता था श्रीमन्, महिला

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

थी, कोई कहता है शराब का मामला था । जिनके साथ पुलिस क्लब में जो कुछ हुआ ही इज देयर ।

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष जी, राजेन्द्र जी अभी चले गये वरना मैं बता देता । हमारे उपाध्यक्ष के जमाने में एक केस यहां पर आया था । कमिश्नर आगरा बैठे हुए थे सभी ने प्रश्न उठाया । क्या ऐक्शन हुआ ? घूम-फिराकर वहीं का वहीं । यह टेंडेंसी इस तंत्र की है जिसका जिक्र है, वह हटे नहीं, बहुत बड़ा कालेज चाहिए, उनको हटाने के लिये वरना वह घूम फिर कर वहां पर आ जाते हैं ।

श्रीमन्, बड़ी चर्चा हरिजनों की की जाती है । श्रीमन् अभी सहारनपुर के अन्दर 6 हरिजनों को जलाकर उनकी हत्या कर दी गयी । श्रीमन्, मैं बहुत शार्ट में बोलूंगा । '4 हरिजन शाट डेड ।' श्रीमन्, यह फतेहगढ़ की न्यूज है, टाइम्स आफ इंडिया की । हरिजनों को लाठी मार कर निर्मम हत्या । फिर श्रीमन्, हरिजन परिवार की निर्मम हत्या । श्रीमन्, पत्रिका 19 अक्तूबर, 1980 की है, हरिजन कपिल एण्ड सन, मन्दिर में हरिजन कन्या के साथ दलात्कार की कोशिश में गिरफ्तार । टाइम्स आफ इंडिया में रिपोर्ट हुआ है । 6 हरिजनों की एक झोपड़ी में आग लगा कर हत्या कर दी गयी । श्रीमन्, वह उन्हीं के हमदर्द थे, जिन्होंने उस झोपड़ी में आग लगाकर 6 हरिजनों की हत्या कर दी ।

श्री त्रिवेनी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यहां पर लीडर आफ दि अपोजीशन से पूछना चाहता हूं कि श्रीमन्, आज तक संसदीय परम्परा में जब लीडर आफ दि अपोजीशन बोलते थे तब ठोस सुझाव देते थे, आज क्या लीडर आफ दि अपोजीशन के पास कटिंग के अलावा अन्य कोई ठोस सुझाव नहीं है जो कटिंग का ही सहारा ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, इस सदन की मर्यादा रही है कि केवल कटिंग्स यहां नहीं पढ़ा करेंगे बल्कि कुछ रचनात्मक सुझाव भी नेता विरोधी दल दिया करेंगे । लेकिन आज सिवाय कटिंग्स के वह कोई अपने विवेक से बात नहीं कह रहे हैं । मान्यवर, शायद उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है कि जिसको कि हम लोगों को बतावें ताकि हम लोगों को उससे कुछ दिशा मिले । सिवाय इसके कि फलां जगह यह हुआ, फलां जगह वह हुआ, इसके अलावा, मान्यवर, इनके पास कोई ठोस सुझाव नहीं है कि जिसको यहां बता सकें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय त्रिवेनी राय की परेशानी मैं समझ रहा हूं । मैं जब सुझाव दे रहा था, तब वे यहां नहीं थे । मैंने सुझाव दिये हैं कि आज व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है । आपकी कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है । कटिंग्स तो आपके पास भी हैं, लेकिन पढ़ते ही नहीं ।

मान्यवर, इसी तरह से बस्ती जिले के अन्दर 16 हरिजनों के घरों को जला दिया । यह कितनी भयानक घटना है । फिर एक आपके जमाने में कफलटा का कान्ड है । आज तक क्यों नहीं न्याय मिला । कफलटा में हरिजनों के साथ

अन्याय हुआ था । न्याय अभी तक नहीं मिला । बारात नहीं निकली । शादी नहीं हुई । माननीय त्रिवेनी राय जी से निवेदन है कि आप कपलटा जाइये और काम करा कर आइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आप मुझसे कह रहे हैं, त्रिवेनी राय जी से नहीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन हमारे प्रदेश में सर्दी से करीब 133 मौतें हुयीं । इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आप जानते ही हैं कि आज इस समय गेहूं का भाव बाजार में बढ़ा हुआ है बल्कि अवेलेबिल ही नहीं है । अभी तिवारी जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा कर रहे थे । सरकार ने थोड़े से व्यापार को अपने हाथ में लिया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि व्यापार तो दूर, सरकार पहले अपनी कानून व्यवस्था को ही सुधार ले । अपने शिकंजे को वहां तक रखें जहां तक सम्भव है । आपने वितरण प्रणाली का ढाँचा बना नहीं पाये और जो था, उसको भी तोड़ दिया । तो, मैं कहना चाहता हूं कि आप एक व्यवस्था को तब तोड़े जब दूसरी बना लें । दूसरी बनाया नहीं और पहली को तोड़ डाला ।

बहुत कुछ बात प्राइसेस के बारे में कही गयी । तिवारी जी ने कह डाला कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह किसानों के हीरो बन गये 23 रुपया क्विन्टल गन्ने का दाम रखकर । दिक्कत है कि तिवारी जी गन्ने के एरिया के नहीं है ।

एक सदस्य--

तिवारी जी आलू के एरिया के हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

पिछली सरकार में तिवारी जी को याद होगा । 28 रुपये तक गन्ना कृषकों का चीनी मिलों को गया था ।

श्री त्रिवेनी--

12/13 रुपये में गया था ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

12/13 तो कह रहे हैं कि लेकिन चीनी का भाव भी तो देखें ? चीनी का भाव ढाई से तीन रुपया के0 जी0 था और आज 23 रुपया तब दे रहे हैं जबकि चीनी का दाम 7/8 रुपया के0 जी0 है ।

श्री त्रिवेनी--

6 रुपये से 8 रुपये क्विन्टल तक आपके जमाने में गन्ने की कीमत रही है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन् यह बात आपी गन्ने के बारे में मैंने कहा गन्ने की कीमत को आपने कब बढ़ाया, आप शायद यह भूल गये कि आपने गन्ने के दाम तब बढ़ाया जब लोक

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

दल ने सत्याग्रह का आवाहन कर दिया 15 तारीख से। तथ्य तो तथ्य है वह अपनी जगह पर है वह सब मौजूद है। जब प्राईवेट चीनी मिल ओनर्स ने कह दिया कि हम इतना और देंगे तब प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया। म श्री तिवारी जी को याद दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, महाराष्ट्र के अन्दर क्या हुआ महाराष्ट्र के किसानों ने सत्याग्रह किया और वहां पर मुझे खुशी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की कांग्रेस आई0 के लोगों ने किसानों का समर्थन किया आपके महामंत्री बसन्त दादा पाटिल ने किसानों का समर्थन किया। मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं कुछ सुझाव देना चहता हूं। श्री त्रिवेनी राय जी अभी कहेंगे कि आपने कोई सुझाव ही नहीं दिया।

श्री त्रिवेनी--

क्या आप चाहते हैं कि गन्ने का वही दाम कर दिया जाय जो आपके समय में था ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं तैयार हूं अगर चीनी दो और ढाई रुपये में बिके। मैं महाराष्ट्र की बात कह रहा था जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस आई0 के लोगों ने किसान आन्दोलन का समर्थन किया, वहां पर धान का रेट जो भारत सरकार ने तय किया था वहां की सरकार ने 17 रुपये ज्यादा दिया। धान पूर्वी उत्तरी प्रदेश में होता है पश्चिम में कम होता है सहारनपुर के पास। महाराष्ट्र में 17 रुपये बढ़ाया जा सकता है तो इस प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाया ? भारत सरकार से चेयरमैन ए0 आई0 सी0 सी0 श्री चौधरी रनधीर सिंह ने कहा कि धान की खरीद में जो लूट हुई है।

एक सदस्य--

इनके चौधरी साहब तो रहे नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह मेरा नहीं है मैं तो तैयार हूं माननीय मुख्य मंत्री जी और मैं तो श्रीमन् उपाध्यक्ष, जी आपसे कहूंगा कि आप सदन की एक कमेटी बना दीजिये वह ज्यादा नहीं शाहजहांपुर, पीलीभीत और इटावा 4-5 जिलों को देख लिया जाय। आपको पता चल जायेगा। श्री त्रिवेणी राय जी आपकी पालिशी गलत थी जब हमने कहा कि आपकी पोलिसी गलत है आप व्यापारी को 5 सौ कुन्तल रखने को दे रहे तो इससे धान का दाम गिरता जा रहा है तो आपने पोलिसी बदल दिया।

आज तेल के दाम क्या हैं, गेहूं के दाम क्या हैं, कीमतें कहां जा रही हैं। सत्य तो मान लीजिये। दोष किसका है। लेकिन तथ्य है कि कीमतें पिछली सरकार के मुकाबले आसमान छू रही हैं।

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से यह भी अपेक्षा करता हूं कि गेहूं के दाम क्या हों, यह भी बता दें तो सरकार उस पर ध्यान रखेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं त्रिपाठी जी की बात मानता हूं और जिस भावना से उन्होंने यह बात कही मैं उसका स्वागत करता हूं । जब कभी हम इस पर बहस करेंगे, एग्रीकल्चर पर बहस करेंगे, उस समय इस पर भी कहेंगे । मैं तो कहता हूं कि आप एक मीटिंग बुला लें इस पर सर्वदलीय समिति । हम भी आयेंगे और लोग भी आयेंगे उसमें इसको तय कर लें । वरना हम कुछ कहेंगे और लोग कुछ कहेंगे । उसमें आंकड़े भी आयेंगे तभी तय कर लें । श्री बनारसी दास जी की सरकार के अन्दर ही हमने कुछ चीजों के दाम तय किये थे जो आज तक तय नहीं हुए । हम लोग एक साथ बैठें और एक चीज उसमें तय कर लेंगे । हम किसानों को खुश करने के लिए ही नहीं कहते ।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जब आपकी ए0 आई0 सी0 सी0 की मीटिंग हुई तो यहां पर स्थिति चल रही थी जाड़े की और 123 उसमें मरे थे । खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब थी, राशन की दुकानों में राशन नहीं था । लेकिन वहां जाकर के मुख्य मन्त्री कहते हैं कि हमको राजीव को दे दो । न उन्होंने कभी गेहूं की मांग की न कपड़े की, हमारे मुख्य मन्त्री जी को प्रदेश की जनता के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उनकी मांग आनी चाहिए ।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी चीज है, मुख्य मन्त्री जी बार-बार उसे कहते हैं "दुष्ट दलन और रावण बध" । कई जगह उन्होंने इसको कहा । उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद् से दो भ्रष्ट मंत्रियों को हटाकर दुष्ट दलन किया है । ठीक है प्रगति उनकी है । एक बात अखबार में आई । एक डाकू की जेब से एक पत्र मिला । एक मन्त्री जी का वह पत्र था । बड़ी सिम्पेथीज उसमें दिखाई गयी थी कि तुमने चुनाव में काम किया । अब लखनऊ आना तो मिलना । उसके पास से मुजफ्फरनगर के कांग्रेस के एम0 एल0 ए0 की बन्दूक भी मिली । मुझे यह भी बतलाया है कि इसी नवम्बर में पहले हफ्ते में इलाहाबाद में स्कूटर की चोरी में कुछ लड़के पकड़े गये । हम जानते हैं कि पुलिस का क्या तरीका होता है । पहले आदमी पकड़ा जाता है । कुछ पिटाई होती है थाने में ला कर बन्द कर दिया जाता है और फिर लिखा पढ़ी के लिये बैठा जाता है ।

श्री कैलाश टण्डन--

व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) आपके कहने से बैठने वाला नहीं हूं । वाद्य यंत्र की सुचारु रूप से व्यवस्था कराई जाय क्यों कि मेरे कानों तक स्पष्ट रूप से उनकी आवाज नहीं आ रही है कि यह क्या कह रहे हैं ? हमको इनकी बातों का जवाब देना है लेकिन कोई बात उनकी समझ में नहीं आती ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

तिवारी जी की बात मुझे याद है । उनका कहना है कि सत्य कटु कहा जाता है तो जरा कड़ुवा होता है । बात सही है उनको सुनाई नहीं देना चाहिये । 1 घंटे तो सुनाई दिया लेकिन अब बात सुनाई नहीं देती । तीन लड़के पकड़े गये । उनसे पूछताछ की गयी तो पता चला कि अमुक-अमुक के बच्चे हैं । पुलिस ने कहा यह तो बहुत गड़बड़ी हो गई । उन्होंने उनको भगा दिया । विधायक थे अब राज्य मन्त्री हो गये हैं । इतना फर्क है । 5 स्कूटर पकड़े गये थे । अभी तीन-चार दिन पहले सदन से बाहर जा रहा था । श्री राम स्वरूप वर्मा एक कांग्रेस (आई) के लीडर से बात कर रहे थे । मेरा ऐसा ख्याल था कि उनका ही स्कूटर चला गया था । मैंने उनसे पूछा । उन्होंने कहा कि मेरा नहीं, अपने

श्री राजेन्द्र सिंह--

रिश्तेदार को दिलवाया था उनका है। अगर मुख्य मन्त्री जी यहाँ बैठे होते तो निश्चित रूप से कहता कि अभी पता लगाइये। लाबी में चले जाइये और उस कांग्रेस (आई) के साथी को भी बुला लीजिये, तथ्य सामने आ जायेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं हैं वर्ना मैं साबित कर देता कि यह वारदात सत्य है जो इस प्रकार से हुई।

अब श्रीमन्, एक और मामला आया। हमारे जो गृह राज्य मन्त्री जी हैं, बड़े तेज बोल रहे हैं कि अपराधियों से सम्बन्ध रखने वाले पुलिस अधिकारियों के साथ कड़ी कार्यवाही होगी। जब वे बांदा गये तो एक सजायाफ्ता मुजरिम वहां मौजूद था, दोस्ती होगी पुरानी।

(व्यवधान)

यहां, मान्यवर, उनसे एक ओवर ऐक्टिंग हो गयी। उस डकैत से भी यह बयान दिलवा दिया कि मेरा त्रिपाठी जी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक ओवर ऐक्टिंग हो गयी। अगर कोई कान्ट्राडिक्शन होता तो हम मान लेते। फिर वहां के 20 कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं ने और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने फिर लिखा। वह बदमाश थ्रू आउट उनके प्रोग्राम के साथ रहा और उसी के साथ मन्त्री जी चले और इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। तो श्रीमन्, जब प्रदेश के गृह मन्त्री की हालत यह हो तो इस प्रदेश के पुलिस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्तिगत एक बात कही है, इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि आपके माध्यम से उसका स्पष्टीकरण मैं कर दूं। मान्यवर, इस बात पर माननीय नेता विरोधी दल दो कटिंग प्रस्तुत करी कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप एक बात देख लें कि हमारे कांग्रेस जन, जो हमारे दल से सम्बन्धित हैं, उनके कार्य और अन्दरूनी पार्टी के मामले, उनको हम देख रहे हैं। जहां तक प्रश्न है--"एक सजायाफ्ता कैदी के साथ मन्त्री की घनिष्ठता", इसका मैंने स्पष्ट उत्तर दिया कि मेरी किसी से भी घनिष्ठता नहीं है यहां तक कि माननीय नेता, विरोधी दल से भी नहीं। नेता विरोधी दल के सामने एक सवाल है, मुझे देखने के साथ उन्हें विरोध पक्ष की ओर भी देखना पड़ रहा है। दो मुलजिम यहां बैठे हैं, जो 302 के अन्दर सजा काट रहे थे, माननीय नेता विरोधी दल जो संयोग से मन्त्री हो गये थे।

(व्यवधान)

अब बिल थाम के बैठिये अब हमारी बारी है।

(व्यवधान)

हां, मान्यवर तो मैं कह रहा था, संयोग से नेता, विरोधी दल कुछ दिन के लिये मन्त्री हो गये और उसी अवस्था में, जिस व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, उसे माननीय नेता, विरोधी दल के मुख्य मन्त्री ने क्षमादान कर दिया, इसलिये वह वहां दिखायी पड़ गया।

(व्यवधान)

एक और निवेदन करूंगा । आज एक प्रश्न उठता है कि माननीय नेता विरोधी दल के सामने कि वह क्या चाहते हैं । वह चाहते हैं कि "मारल टरपी-ट्यूड" का अपराध, जो न हो, उसको "मारल टरपोट्यूड" की संज्ञा देकर, उसको भी अछूत मानेंगे । अगर मानेंगे तो दो माननीय सदस्य, जो विरोधी दल के हैं, वह एम0 एल0 ए0 न होते ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैंने किसी साथी का नाम किसी इवीडेंस क्रियेट के लिये नहीं लिया था । मैं तो कहता हूं कि आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिये जो जांच करे । इसको मैं बाद में कहना चाहता था, मैं बाद में सुझाव दूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी बना दीजिये पता चल जाय कि इस समय कौन कितने पानी में है और स्थिति क्या है । मैं थोड़ी बातें और कहना चाहता हूं । श्रीमन्, एक चीज और निकल चुकी है, इस प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक मन्त्री जी हैं उनके सम्बन्ध में एक हरिजन लड़की भगाने का मामला है । इसका कोई डिनाई नहीं है । मैं चरित्र हनन नहीं कर रहा हूं, तथ्य उजागर कर रहा हूं कि किस प्रकार के लोग सत्ता पर हावी होते चले जा रहे हैं । मैं एक बात और कहता हूं कि क्या हालत है ? 30 दिसम्बर को श्रीमन् यू0 पी0 निवास में मैं ठहरा था । शाम 8 सवा 8 बजे थे वहां पर कुछ मामला हो गया । अन्दर कुछ बातचीत हो रही थी सीनियर मन्त्री जी थे, कोई और थी अन्दर, जैसा मुझे बताया गया कि सुलहकुल की यादगार ताजी हो रही थी । श्रीमन्, एक आदमी अन्दर घुस गया, गल्ती की, नहीं घुसना चाहिये था, वह अन्दर गया तो उनसे मारपीट हो गयी । मैं फिर कहता हूं कानपुर के क्राइस्ट चर्च का मामला है, एक राज्य मन्त्री के साहबजादे का मामला आया है । मैं फिर कहता हूं कि पुलिस के अत्याचार होते चले जा रहे हैं । हम विपक्ष में हैं कुछ गलती कर सकते हैं आप सत्ता में है आपका चरित्र अनुकरणीय होना चाहिये अगर आपका आचरण ऐसा होगा तो जो आफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं उनके चरित्र का निर्माण अच्छा नहीं होगा । मैंने यह कुछ बातें कही हैं, मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी तैयार हों और जांच की जाय । मैंने पिछली बार भी कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व सदन के सदस्य हो गये हैं ।

एक सदस्य--

विरोध पक्ष में ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह तो मुझे पता है । पिछली कार्यवाही रखी हुयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी पक्ष के लोगों के बारे में कुछ शुरुआत कर दिया है । मुझे कोई एतराज नहीं है, मुख्य मन्त्री जी तैयार हो जांय सभी 425 एम0 एल0 एज0 के बारे में एक सदन की कमेटी बना दी जाय वह तमाम सदस्यों के बारे में चाहे वह इधर के हों और चाहे उधर के हों उनके पुराने रिकार्ड की छान बीन की जाय हमें उस पर कोई एतराज नहीं है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी पुराने तमाम रिकार्ड की छानबीन करायें और उसे सदन में रख दिया जाय और उस पर विचार हो । प्रस्ताव का समर्थन कीजिये सीनियर मन्त्री बैठे हैं उनसे कहलाइये, कीजिये हिम्मत आप कमेटी बनवाने की । मैं फिर कहता हूं आप के यहां शाक्य साहब, गोरे लाल जी हैं । श्रीमन्, बाढ़ का 14-15 लाख रुपया जनता को राहत देने के लिये गया था ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

श्रीमन्, मैं कहता चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का एम0 एल0 ए0 चार्ज लगाता है कि राहत कार्य का 14 लाख रुपया कुछ राजनैतिक व्यक्तियों के माध्यम से उनके संरक्षण में प्रशासन ने गबन कर लिया और पैसा खा गये। तो इसकी जांच होनी चाहिये।

मान्यवर, तिवारी जी ने विद्युत के बारे में कहा तो ग्रामीण विद्युतीकरण के चेयरमैन जो हैं उनके बारे में मुझे सूचना है कि बस्ती के वह बहुत बड़े तस्कर हैं जिसका पता लगाना चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमन्, एक व्यक्ति और है वह प्लानिंग कमीशन या बोर्ड में अन्डर सेक्रेटरी नियुक्त हुये हैं। वह जूनियर व्यक्ति की जो शायद क्लर्क थे, शार्ट हैन्ड नहीं जानते थे, एक राजनैतिक व्यक्ति इन्टरेस्टेड था कि स्टेनो वह बन जाय तो शार्टहैन्ड के बजाय उसने लांग हैन्ड में परीक्षा दिया और उसको पास करा दिया जिससे वह स्टेनो कम क्लर्क हो गया और अब उनको शायद अन्डर सेक्रेटरी के पोस्ट पर लाया जा रहा है। तो इससे कर्मचारियों में कुंठा होती है। यदि ओपेन मार्केट से आते हैं तो वह होना चाहिये लेकिन इस तरह की चीजें होंगी तो हम न सरकारी कर्मचारियों से आशा कर सकते हैं और न अधिकारियों से कि वह ईमानदारी और निष्ठा से काम कर सकेंगे प्रशासन में।

श्रीमन्, कुछ बातें हमने कहा और जैसे विमल तिवारी जी ने किसानों और प्राइस के बारे में बताया और एक सब्ज बाग दिखाया है।

श्री त्रिवेनी--

गन्ने का मूल्य बता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं राय जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है। लेकिन राय साहब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। मान्यवर, जैसे बागपत कांड में सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि पुलिस अधिकारियों को दन्ड नहीं देंगे उसी प्रकार ऐसा इस लिए कि भारत सरकार ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। महाराष्ट्र की सरकार धान 17 रु0 बढ़ा सकती है, ज्वार 17 रु० तक बढ़ा सकती है। 126 रु0 तक का वहां रिफाइन धान का रेट है, गन्ना का नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि केन्द्र कहता है कि आप इस तरह से कम मत कीजिये वरना हम पर बड़ी परेशानी आ जायेगी। उन्होंने यह बताया कि आप कोशिश कीजिये, मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की कांग्रेस (आई) ने किसान आन्दोलन का समर्थन किया आप भी करिये। बैठ कर तय कीजिये।

श्री त्रिवेनी--

आपने कहा कि चीनी का रेट सवा दो रुपये किलो होना चाहिये, तो क्या आप कर पायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं कहां तक आप को याद कराऊं। मैं स्लेट पर लिख कर भेज दूंगा आप पढ़ा करिये। जो आप साढ़े तीन रुपये की बात करें तो 35 रु० क्विन्टल आपने फार प्राइस शाप पर की है, तो क्या गन्ने की प्राइस इतनी आयेगी ? इन शब्दों

के साथ में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस पर विचार करेंगे ।

(शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ 230 पर ।)

श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आज बहस चल रही है उसमें आपने हमें भी बोलने का मौका दिया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जिसकी कि पुस्तिका हम सब को भी दी गयी है, यह अभिभाषण जो प्रस्तुत किया गया है उससे सदन को और सरकार की नीतियों का अंकलन होता है । सरकार आने वाले भविष्य में क्या करना चाहती है । हम लोगों को महामहिम राज्यपाल की ओर से भाषण की जो प्रति प्रस्तुत हुई है, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि पहले ही पृष्ठ पर जो लिखा गया है मान्यवर, ऐसा लगता है कि सच्चाई से सरकार आंखें मूंद लेती है या पता नहीं सही में यह विकलांगो की सरकार ही है । तो श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज जो सामान्य नागरिक का जन-जीवन है उसकी वस्तु-स्थिति से न माननीय सदस्य अपरिचित हैं और न हम ही अपरिचित है और जिस तरह से सुधार और व्यवस्था की व्याख्या की है उससे सही में लगता है कि सरकार ने आंख पर सत्ता का चश्मा चढ़ा लिया है या फिर ऐसी पद्धति अपना ली है कि जो वास्तविकता है, वह सामने नहीं आ पाती । हमने सुना था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बागपत वाले काण्ड पर जब बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि विरोधी दल के हाथों में निर्दोषियों के पता नहीं किसका-किसका खून है । हमारे हाथों में खून खूनियों का है । तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने दो-तीन प्रश्न आज हैं । अगर विरोधी दल के हाथों में सत्ता थी तो उनके हाथों से बहुत से लोगों के खून हुए । क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि फिर किस-किस का खून अब उनके दामन पर लगा है । उनके दामन में इलाहाबाद के छात्रों का खून है, मुरादाबाद के मासूम बच्चों व महिलाओं का खून, किसानों का, किसका नहीं है और उनकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह सही में इसका जवाब दें ।

दूसरा प्रश्न, उन्होंने कहा था कि कानून के अनुसार सब एक से मान हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ की कालोनीज में जो विद्युत की चोरी हुई थी, तो उसमें क्या किसी अफसर को सजा मिली ? किसी के हाथों में हथकड़ियां पड़ी ? अगर कोई एक बोरी सीमेन्ट, दो बोरी चीनी की चोरी करता है गांव में और चोरी नहीं भी करता है तो हमारे हरिजन 109, 60 दफा में कैदी बना कर पुलिस द्वारा जेल भेजे जाते हैं । जब जो चोर चोरी करता है, सत्ता में जो बड़े अधिकारी चोरी करते हैं, उनके हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं पड़ी तो कानून की नजर कहां सब एक हैं, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ।

पिछले टर्म में मैं आप की दया से इसी सदन का सदस्य था और हम लोग इधर बैठते थे । एक आवाज आई कि विमान अपहरण कर लिया गया है । बड़ा हंगामा मचा और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह जिक्र किया कि यह विमान अपहरण फलां माननीय लोगों के जरिये किया गया । इधर पंडित नारायण दत्त तिवारी, माननीय सदस्य उस समय यहां विरोधी दल के नेता थे । उन्होंने यहां खड़े हो कर स्पष्ट कहा कि इन लोगों का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है । दूसरे दिन माननीय सदस्य पार्लियामेन्ट मोहिसना किदवई का बयान आया कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में रहते ही नहीं हैं, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं । और आज जो हमारी प्रधान मन्त्री हैं उनका भी इसी तरह का बयान आया...

एक सदस्य--

प्रधान मन्त्री का ऐसा बयान नहीं आया था ।

श्री मित्र सेन--

हो सकता है न आया हो, एडमिट किया था । मैं कह रहा था कि ऐसे लोग सत्ता में हैं और यह भी जानकारी मिली है कि शायद जो मामला विमान अपहरण का चल रहा था उसे वापस ले लिया गया । जब शासन में ऐसे लोग चोरी करने वाले हैं तो जब हमारी पुलिस चोरी करती है तो कौन सा गुनाह करती है । यह चोरी का अधिकार उस को हो जाता है ।

आप को याद होगा । इसी सदन में एक प्रश्न आया था जब डिजिल क्राइसेस थी । सुल्तानपुर के अन्दर एक लाख चालीस हजार लीटर डिजिल की चोरी की गई थी और उसमें कोई माननीय सदस्य सदन के इनवाल्व थे । उस चोरी से वहां के ए0 डी0 एम0, सप्लाई आफिसर और कोतवाल जिस की रिपोर्ट के आधार पर उस अधिकारी को पहाड़ पर ट्रान्सफर किया गया....

श्री मुईद अहमद--

इस प्रकार की बात कह कर माननीय सदस्य को अपमानित कर रहे हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि सुल्तानपुर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है और अगर है तो नाम बतायें । ऐसा आरोप इन को नहीं लगाना चाहिए । इस तरह का आरोप लगा कर अपमानित करना है ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

हो सकता है, मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, एक शब्द मैं कहना चाहूंगा । जो हमारे सम्मानित सदस्य ने अभी विमान अपहरण की बात कही, मेरा निवेदन है कि सदन में आने से पहले क्या हमारे सम्मानित सदस्य को आजीवन कारावास की सजा हुई थी । अगर हुई तो बतायें ।

श्री मित्र सेन--

मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई थी । उस समय न्याय मन्त्री आप थे । आप ने सारी चीज की जानकारी कराई । बाद में आप ही ने इस सजा से मुक्त किया था, मुझे क्षमा दान मिला था । मैंने निवेदन किया था कि सी0 आई0 डी0 की जांच करा ली जाय । सी0 आई0 डी0 की जाँच में जो सही बात थी वह शासन की पत्रावली में है । उस को देख लें । मैं इन्कार कहां करता हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक प्रश्न और आया था । हमारे यहां राम बहादुर सक्सेना मुख्य सचिव रह चुके हैं वह और आगरे के कमिश्नर जब मुरादाबाद में आग लगी थी वे कौन सी रंगरेलियां कर रहे थे यह शासन के सामने आ चुका है । तो श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जो एक-एक पन्ना उलटकर पुलिस की कर्मों को गिना रहे थे और शासन की असफलता-असफलता के लक्षण निवेदन कर रहे थे तो कुछ माननीय सदस्यों को खल रहा था । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि जो वास्तविक स्थिति है उससे वे इन्कार न करें और नागरिक जीवन को देखें कि वे कितने पीड़ित हैं ।

आज हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उनमें सबसे बड़ी कठिनाई मूल्य वृद्धि की, उत्पादन को सही कीमत न मिलने की, बकाए लगान की वसूली रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के न मिलने की है। ऐसा लगता है कि शासन इस तरफ बिल्कुल उदासीन है। या तो वे कुछ करने में असमर्थ हैं या इस शासन को पूंजीपति चला रहे हैं। आज हम देखते हैं कि शहरी जीवन में लोगों को एक यूनिट पर तीन किलो गेहूं मिल रहा है। इसी संदर्भ में ग्रामीण जीवन में चीनी की व्यवस्था प्राइवेट दूकानदारों से समाप्त करके कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया, वे प्राइवेट दुकानदार सुप्रीम कोर्ट में चले गये और स्टे लाये और अब स्थिति यह है कि न तो वह प्राइवेट दुकानदारों से वितरण हो रहा है और न कोआपरेटिव सोसाइटीज से हो रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि गांवों में चीनी नहीं मिल रही है। गेहूं का अभाव हो गया है। सरकारी गोदामों में तो सरकारी कर्मचारी हैं, सामान्य जनता जो है जो वहां से अपना गल्ला लेते थे, उनके सामने रोटी की समस्या खड़ी हो गई है साथ ही गेहूं का भाव जिस स्तर पर पहुंच गया है वह भी सरकार की नजर में है। लेकिन इसके बारे में कोई दूरगामी व्यवस्था सरकार करने में असमर्थ है। इस तरह से सरकार निश्चिंत बैठी हुई है।

मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से जो पुस्तिका दी गई है उसमें लिखा है कि विरोधी दलों को आन्दोलनों के पथ पर न जाकर सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि विगत दिनों में जब वे प्रतिपक्ष में बैठते थे तो वे नारायणपुर अथवा अन्य कान्डों के बारे में क्या कर रहे थे। उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। उस समय वे कौन सा आचरण के कर रहे थे, असेम्बली में क्या कर रहे थे। मैंने देखा कि माननीय सेठी और माननीय राम रतन सिंह जी जब विरोध पक्ष में बैठते थे और जब इस तरह के सवाल आते थे तो उनका क्या आचरण रहता था। यह सब कार्यवाही में देखा जा सकता है। आज विरोधी दल से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह का व्यवहार न करें।

आज हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है वह विश्वविद्यालयों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो असन्तोष है, कर्मचारी वर्ग में जो असन्तोष, पीड़ा और उलझन है, किसानों को जो परेशानी है उससे ऐसा लगता है कि शासन नाम की आज कोई चीज नहीं रह गई है और पूरे जन-जीवन में घोर असन्तोष व्याप्त है। ऐसा लगता है कि कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। हम पूछते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। तीन वर्ष की हुकूमत में जो हमने अभी दो दिन पहले राष्ट्रीय पर्व मनाया, उसमें जो संकल्प हमने लिया 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे, उसका कहां तक हम पालन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुर्सियों पर बैठने वाले कर्मचारी तथा मन्त्रीगण देश की जनता के विश्वनीय नहीं रह गये हैं। उनके प्रति जनता की कोई आस्था नहीं रह गई है, कोई विश्वास नहीं रह गया है। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अपेक्षायें थीं जिनके हाथों में सत्ता सौंपी गई थी उन्होंने उसकी पूर्ति नहीं की है। तो जो आन्दोलन उठा रहे हैं विद्यार्थियों का, सरकारी कर्मचारियों का और किसान वर्ग का उनके उत्पादन के मूल्यों के सम्बन्ध में तथा और दूसरी जो राष्ट्रीय समस्यायें हैं उनकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या होगा जो पुस्तक हमें दी गयी है उसका कोई मकसद नहीं है। इसमें बहुत सी चीजें गिनाई गयी हैं और बहुत सी चीजें छूट गयी हैं। यह ऐसी ही है जैसे तोता मैना की कहानी ...

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मित्र सेन--

आपकी आज्ञा का पालन करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकारी नीतियों का दिशा निर्देश है, इस पर धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हृदय से अनुमोदन करता हूं और जिन परिस्थितियों में इस सरकार ने कुछ महीनों में कार्य किये है वह सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि हैं और प्रशंसनीय है, इस पक्ष और उस पक्ष के लोग इनकार नहीं कर सकते हैं । यदि देखा जाय तो इस अभिभाषण में प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला गया है वह चाहे शान्ति व्यवस्था हो, चाहे विकास हो, चाहे गांव की आर्थिक विकास की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की योजनायें हों, चाहे वह सिंचाई के साधन हों चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी-बड़ी परियोजनायें हों, उनके बारे में इस अभिभाषण में प्रकाश डाला गया है ।

उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जिससे हम लोग विधान सभा में चुन कर आये हैं उसके लिए आपके माध्यम से शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे पास यह 'एक नेशनल काउंसिल आफ एपलाइड इकोनोमिक रिसर्च आफ इंडिया' की पुस्तक है 'टेकनिकल इकानामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश' । यह 1965 का ही संस्करण है उनके बाद दुर्भाग्य से कोई संस्करण नहीं निकला पता नहीं क्यों नहीं निकला । मैं उसे आधार मानकर आंकड़े प्रस्तुत करता हूं । तो आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग चाहे वह बनारस मंडल हो, चाहे गोरखपुर मंडल हो, कितना पिछड़ा हुआ है । आज भी उसकी उपेक्षा की जाती है उनके लिए कोई विशेष परियोजनायें नहीं बनाई जाती हैं तो इससे जन असंतोष पैदा होगा । इस संस्थान ने पूरे प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा है । एक तो पश्चिमी क्षेत्र जिसमें मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़ सहारनपुर, मथुरा, मेरठ, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, एटा, पीलीभीत, रामपुर बदायूं आते हैं जिसका 808 आबादी का घनत्व आता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय 299 रु0 वार्षिक है । उसके बाद उत्तरी क्षेत्र जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून है, का आबादी का घनत्व 157 है और प्रति व्यक्ति आय 284 है । फिर मध्य क्षेत्र बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी आते हैं जिसका वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 308 रु0 है और आबादी का घनत्व 573 है । इसके बाद पूर्वी क्षेत्र आता है चौथे नम्बर पर, जिसमें आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गोंडा, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच जिले आते हैं और इलाहाबाद मंडल के वाराणसी और मिर्जापुर जिले आते हैं । इनकी इस समय प्रति व्यक्ति आय है 229 रुपया और आबादी का यहां घनत्व है 649....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

माननीय सदस्य ने कुछ गलत तथ्य दिये हैं, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य गलत सूचना दे रहे हैं। हमारी सूचना है कि टिहरी-गढ़वाल की प्रति व्यक्ति आय केवल 84 रुपया सालाना है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मैंने उससे उतारा है। कैसे मैं माननीय सदस्य की बात को गलत कहूं। हमारे हिसाब से टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी की प्रति व्यक्ति आय 129 रुपया है और वहां पर आबादी का घनत्व 357 है। यह आप नोट कर लें, यदि मेरा गलत होगा तो आप बताइयेगा। मेरा चैलेंज है कि यह सही रूप में दे रहा हूं। मैंने अध्ययन किया है, उसमें से कह रहा हूं। यह स्पष्ट करता है कि पूर्वी क्षेत्र के जिलों—आजमगढ़ जनपद की प्रति व्यक्ति आय 199 रुपया और घनत्व 1084 है। इसी प्रकार से बलिया की प्रति व्यक्ति आय 225 रुपया और घनत्व 1129 है, बस्ती जनपद का 187 और 931 है, देवरिया का 150 और 1138 है, फैजाबाद का 248 और 733 हैं, गोंडा का 248 और 733 हैं, गाजीपुर का 224 तथा घनत्व 1012 है, गोरखपुर का 215 और 1052, जौनपुर का 198 और 1119, प्रतापगढ़ का 202 और 859, सुल्तानपुर का 198 और 825, बहराइच का 230 तथा 572 है। वाराणसी की प्रति व्यक्ति आय 328 व घनत्व 1204 तथा मिर्जापुर का 354 और आबादी का घनत्व 286 है। तो श्रीमन्, सबसे घनी आबादी वाले ये जिले हैं और सबसे कम आय यहां पर प्रति व्यक्ति है।

जब मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उस जौनपुर जनपद से आता हूं, जहां पर बाढ़ की विभीषिका पूरे तीन महीने तक इस प्रदेश के जनमानस को आतंकित और त्रस्त किये रही है। वहां पर ऐसी विकराल बाढ़ को रोकने के लिए कोई योजना इसमें आनी चाहिए थी, जो नहीं आई है।

मैं इस सन्दर्भ में पांचवीं जो वार्षिक योजना थी, उसकी जो 76–77 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे बताना चाहता हूं, प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों के बारे में। 1975–76 में जौनपुर जिले की जनसंख्या लगभग 21 लाख थी। और यहां पर प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई 28.6 हजार किलोमीटर आती है। विगत 50 वर्ष में जौनपुर जनपद में 73.7 की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। 1971 की जनगणना के अनुसार 93.8 प्रतिशत व्यक्ति जनपद में ग्रामों में और 6.2 सैकड़ा व्यक्ति नगरों में रहते थे। आप यहां पर चाहे कल-कारखानों की स्थिति को देखें या उद्योग की स्थिति को देखें। उस दृष्टि से यहां पर प्रगति नाम की कोई चीज नहीं है। हर दृष्टि से यह जिला सदैव से पिछड़ा और उपेक्षित रहा है, इस पर किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

जौनपुर जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, खेती पर आधारित है। मगर ऐसे कृषि प्रधान जिले के गांवों के विकास की कोई योजनाएं नहीं चलाई गई। यहां पर कर्मकारों अर्थात् कृषक और खेतिहर मजदूरों की जनसंख्या लगभग 450 हजार थी जो कुल कर्मकारों की 83.6 प्रतिशत थी। 71 की जनगणना के अनुसार पूरे जनपद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या का कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत रही है। कुल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या 97.3 प्रतिशत गांवों में और 2.7 प्रतिशत नगरों में निवास करती है। अब आप 21 लाख वाले इस जनपद में सिंचाई के साधनों की खेदजनक स्थिति को देख लें। नहरों की लम्बाई 665 किलो मीटर है जब कि इस जिले का कुल क्षेत्रफल तीन करोड़ अठ्ठानबे लाख एक हजार चौंसठ हेक्टेयर है। यह तो जनपद का कुल क्षेत्रफल है। कुल सिंचित क्षेत्रफल एक लाख अठहत्तर

[श्री प्रभु नारायण सिंह—]

हजार सात सौ छियालीस हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल एक लाख उन्हत्तर हजार दो सौ चौंसठ है। यह घाटे की उपज का क्षेत्र है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमान् जी, दो मिनट और चाहूंगा क्योंकि जौनपुर सबसे पिछड़ा हुआ है। वहां पर यदि विकास के विशेष कार्यक्रम नहीं चलाये जायेंगे तो निश्चय ही यह पिछड़े हुए क्षेत्र और पिछड़ते चले जायेंगे। यहां पर खाद्यान्न सामग्री की पूर्ण आवश्यकता का अनुमान 5.75 लाख मेट्रिक टन है जबकि अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 4.85 लाख मेट्रिक टन है। इस प्रकार 1.65 लाख मेट्रिक टन की कमी खाद्यान्न उत्पादन की इस जिले में है। जो केन्द्र देता है या प्रदेश से आता है सब मिलाकर भी इस जिले की आवश्यकता भर का नहीं है। लगभग 25 प्रतिशत व्यक्ति भुखमरी के कगार पर हमेशा रहते हैं। सबसे भीषण नदियां गोमती और सई इस जिले में हैं। इसके लिए भी कोई ठोस योजना उन्होंने नहीं बताई है। विद्युतीकरण का भी यही हाल है। आप देखें कि विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 1069 है। श्रीमन, विद्युतीकरण की संख्या जरा देख लें। अब शिक्षा संस्थाओं को देखें। यहां पर 1194 प्राथमिक विद्यालय, 271 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 116 हायर सेकेन्डरी स्कूल और 13 महाविद्यालय हैं। इस तरह से मैं श्रीमन्, निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि शासन निश्चय ही पिछड़े हुए जिलों के लिए विकास कार्य करें और विशेषकर जौनपुर जिले की कदापि उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 में 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से अध्यक्ष जी ने एक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा दी गयी सूचना को स्वीकार किया है। वह सूचना इस प्रकार है कि दिसम्बर, 1980 में वाराणसी में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठियों से बर्बरतापूर्वक प्रहार एवं प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश में जनवरी, 1981 में अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों का बहिष्कार इस पर वक्तव्य कब आयेगा?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

3 तारीख को कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
28 जनवरी, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

वर्ष	प्रशिक्षण पर भेजा गया	खेल	प्रशिक्षण स्थल	सरकार द्वारा वहन किया गया व्यय	प्रस्तावक/संस्तुति
1	2	3	4	5	6
1977	श्री रजत कथूरिया, खिलाड़ी	टेबिल टेनिस	दक्षिण कोरिया (सियोल)	हवाई यात्रा व्यय का 75% अर्थात् 17,855 रु0	यू0 पी0 टेबिल टेनिस निदेशक, खेलकूद
	श्री पंकज भार्गव, खिलाड़ी	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
	श्री अमीर अली जैदी, प्रशिक्षक	तदेव	तदेव	सम्पूर्ण व्यय (सरकारी कर्मचारी–सामान्य यात्रा भत्ता के रूप में स्वीकृत)	तदेव
	श्री सैयद मोदी, खिलाड़ी	बैडमिन्टन	इन्डोनिशिया (जकार्ता)	सम्पूर्ण व्यय (हवाई यात्रा व प्रासंगिक व्यय) अर्थात् 12,000 रु0	यू0 पी0 बैडमिन्टन निदेशक, खेलकूद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
1979	श्री अखिलेश चन्द्र, खिलाड़ी	बैडमिन्टन	लन्दन	आंशिक (यात्रा व्यय) अर्थात् 11,000 रु0	यू0 पी0 बैडमिन्टन निदेशक, खेलकूद
	श्री संजय मेहरोत्रा, खिलाड़ी	तदेव	तदेव	सम्पूर्ण व्यय अर्थात 3,000 रु0	तदेव
	श्री कृपा शंकर, प्रशिक्षक	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
1980	श्री अमित भार्गव, खिलाड़ी	लान टेनिस	हांपमैन कोचिंग कैम्प फ्लोरिड, (अमेरिका)	आंशिक (हवाई किराया व किट) अर्थात् 15,000 रु0	यू0 पी0 लान टेनिस, निदेशक, खेलकूद

विद्या भूषण,
मंत्री, खेलकूद विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

नई नालियों के निर्माण पर सीमेन्ट का खर्च, नलकूपों की पुरानी नाली की मरम्मत पर सीमेन्ट का खर्च

कूप संख्या	नाली की लम्बाई	सीमेन्ट का खर्च	साइफन बनवाने में सीमेन्ट का खर्च	अन्य सिविल कार्य पर सीमेन्ट का खर्च	कूप सं0	नाली की लम्बाई	सीमेन्ट का खर्च	साईफन बनवाने में सीमेन्ट का खर्च	अन्य सिविल कार्य पर सीमेन्ट का खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सगड़ी कूप	किमी0	बोरी	बोरी	बोरी	सगड़ी कूप	किमी0	बोरी	बोरी	बोरी(क)
91	0.49	100	40	36	21	0.10	25	..	75
92	0.20	50	..	38	22	0.15	38	40	105
93	0.20	50	40	40	23	0.15	38	..	47
121	0.50	125	40	40	24	0.10	25	..	70
123	0.40	100	40	45	36	..	..	40	30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सगड़ी कूप	किमी0	बोरी	बोरी	बोरी	सगड़ी कूप	किमी0	बोरी	बोरी	बोरी(क)
124	0.30	75	40	35	57	0.10	25	..	20
137	0.90	225	200	109	64	0.15	38	..	20
110	..	..	..	35	72	0.10	25	..	33
97	..	..	..	40	..	..	..	..	..
96	..	..	..	35	..	..	..	..	..
योग	.. 2.90	725	400	453		0.85	214	80	400

1—नई नालियों के निर्माण पर सीमेन्ट का कुल खर्च (कालम 1 से 5 तक) ..1578 बोरी

2—नलकूपों की पुरानी नाली की मरम्मत पर सीमेन्ट का कुल खर्च (कालम 6 से 10 तक)..694 बोरी

2,272

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)।

वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 में नीलाम द्वारा बेची गई लाही का विवरण।

नाम	1976–77 मात्रा (क्विंटल में)	दर (प्रति क्विंटल)
वर्ष 1976–77		रु0
1—श्री सुरेश कुमार, रुद्रपुर	105	302.00
2—श्री जीत लाल, रुद्रपुर	100	311.50
3—श्री विमल कुमार, रुद्रपुर	35	363.20
4—श्री सम्पूर्णानन्द, शिविर सितारगंज	10	383.10
5—श्री सीताराम, रुद्रपुर	100	383.10
6—श्री दिनेश कुमार, रुद्रपुर	230	363.20
योग ..	580	
वर्ष 1977–78		
1—श्री अशोक कुमार प्रदीप कुमार	100	325.50
2—श्री अशोक कुमार प्रदीप कुमार	200	285.00
3—श्री रामचन्द्र दिनेश कुमार	300	285.00
4—श्री कुन्दन लाल, रुद्रपुर	100	315.25
योग ..	700	

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

वर्ष 1980-81 के लिए राजकीय नलकूपों का जनपदवार आवंटन

क्रम सं०	जनपद का नाम	वर्ष 1980-81 के लिए सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन	विश्व बैंक की सहायता से लगाये जाने वाले राजकीय नलकूपों का आवंटन
1	2	3	4
	(क) पहाड़ी क्षेत्र—		
1	नैनीताल	15	..
2	देहरादून	4	..
3	गढ़वाल	1	..
	(ख) पश्चिमी क्षेत्र—		
4	मुजफ्फरनगर	8	..
5	मेरठ	4	..
6	बुलन्दशहर	4	..
7	सहारनपुर	9	20
8	अलीगढ़	14	30
9	मथुरा	4	..
10	एटा	24	..
11	आगरा	15	..
12	इटावा	14	20
13	फर्रूखाबाद	5	..
14	मैनपुरी	9	20
15	मुरादाबाद	19	..
16	बदायुं	28	..
17	रामपुर	9	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
18	बिजनौर	24	..
19	बरेली	19	..
20	शाहजहांपुर	17	..
21	पीलीभीत	5	..
22	गाजियाबाद	10	..
	(ग) मध्य क्षेत्र—		
23	उन्नाव	5	..
24	कानपुर	27	..
25	लखीमपुर खीरी	14	40
26	सीतापुर	34	..
27	हरदोई	14	30
28	लखनऊ	24	40
29	बाराबंकी	23	..
30	रायबरेली	33	..
31	फतेहपुर	27	..
	(घ) बुन्देलखंड क्षेत्र—		
32	हमीरपुर	32	..
33	जालौन	32	..
34	बांदा	37	..
	(ङ) पूर्वी क्षेत्र—		
35	वाराणसी	22	34
36	मिर्जापुर	24	..
37	जौनपुर	14	..
38	गाजीपुर	9	20
39	बलिया	27	..
40	गोरखपुर	27	..
41	देवरिया	27	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
42	आजमगढ़	9	20
43	बस्ती	27	..
44	गोंडा	12	..
45	बहराइच	9	..
46	फैजाबाद	24	40
47	सुल्तानपुर	62	..
48	इलाहाबाद	10	34
49	प्रतापगढ़	19	..
	योग ..	875	328

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ट 91 पर)

दिनांक 19 अक्टूबर, 1980 एवं 10 नवम्बर, 1980 को लखनऊ-कानपुर मार्ग पर हुई बस दुर्घटना का विवरण ।

दिनांक 19 अक्टूबर, 1980 को झांसी डिपो की एक अनुबन्धित बस संख्या यू0 टी0 पी0-3901, झांसी से लखनऊ आ रही थी तथा उन्नाव डिपो से एक अनुबन्धित बस संख्या यू0टी0वाई-5503 लखनऊ से कानपुर जा रही थी। जब उक्त बसें उन्नाव-कानपुर मार्ग पर लगभग 17.30 बजे राक लैंड आटोमोटिव पेट्रोल पम्प के पास पहुंची तभी झांसी डिपो की बस संख्या यू0टी0पी0-3901 का एकाएक अगला दाहिना टायर बर्स्ट हो गया जिससे बस विपरीत दिशा (लखनऊ की ओर) से आने वाली उन्नाव डिपो बस संख्या यू0टी0वाई0-5503 से टकरा गयी ।

दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को महोबा की बस संख्या यू0टी0पी0-6693 लखनऊ से कानपुर जा रही थी तथा उन्नाव डिपो की बस संख्या यू0टी0टी0-7130 कानपुर से उन्नाव आ रही थी । उक्त बसें जब 13.30 बजे ग्राम गहरा के पास पहुंची तभी बस संख्या यू0टी0टी0-7130 जो कानपुर से उन्नाव आ रही थी के चालक द्वारा एक अन्य बस से दुर्घटना बचाने (जो अचानक बस के सामने आ गयी थी) महोबा डिपो की बस से टकरा गयी ।

परिशिष्ट 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

टिहरी बांध परियोजना पर माह दिसम्बर, 1980 तक किए गए निर्माण कार्यों का विवरण--

पद	इकाई	दिसम्बर, 1980 तक प्रगति
क--इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य--		
1--परियोजना उपनिवेश		
अ--अनावासीय भवन	संख्या	117
ब--आवासीय भवन	संख्या	964
स--सड़क	किमी0	2.2
2--मुख्य भण्डार	संख्या	12
3--परियोजना की पहुंच सड़कें	किमी0	17.9
ख--मुख्य निर्माण कार्य--		
1--बांयी व्ययवर्तन सुरंग		
अ--भूमि खुदाई	ह0घ0मी0	8.3
ब--स्टील सपोर्ट	टन	11.4
स--कंक्रीटिंग	ह0घ0मी0	8.3
2--दांयी व्ययवर्तन सुरंग		
अ--खुदाई	ह0घ0मी0	133.7
ब--स्टील सपोर्ट	टन	436.5
स--कंक्रीटिंग	ह0घ0मी0	31.2
3--बांध स्थल उपखंडन		
अ--बांया तट	ह0घ0मी0	126.8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 114 पर)

आजमगढ़ के हरिजन विद्यालयों की सूची जिन्हें 1979–80 में अनुदान दिया गया--

आवर्तक हरिजन विद्यालय	अनुदान की धनराशि
1	2
	रु0
1--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, आजमबांध, बसगित	9,708
2--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, नियमताबाद खेरा	6,750
3--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, इटेली	6,480
4--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, गिरधरपुर	9,696
5--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, मुस्तयाबाद	3,318
6--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, धनियां कुन्डी	9,744
7--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, मुड़ियार	3,848
8--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, शिवरामपुर कुटी	6,818
9--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, भूजही गुल्ली गढ़	6,738
10--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, मीलनापुर	6,51
11--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, बड़ी कोरौली	6,468
12--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, जमोन रसूलपुर	9,698
13--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, समसा	6,488
14--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सुन्धी	10,886
15--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, बलभद्रपुर	6,888
16--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, छिड़ोगोपालपुर	3,660
17--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, धर्मदास पोखरा	6,468
18--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, छितौना	3,600
19--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, विलारी	3,600
20--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पल्हनी	17,142

अनुसंधान सभा

1	2
	रु०
21--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, दुवारी	26,334
22--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सोनहरा	10,572
अनावर्तक विद्यालय--	
1--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, अरसाभार मुंगमास	500
2--आदर्श हरिजन बे० प्राइमरी पाठशाला, ग्राम अवरना पिढ़वाल	200
3--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सुपाह दुबारी	1,150
4--आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पिपरा कछार, भैरोपुर	1,850
5--आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला बाल विद्यालय, खालिसपुर अदरी	750
6--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सेनुराइच	750
7--श्री अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, हंकारीपुर	200
8--आदर्श जूनियर बेसिक विद्यालय, देवनाथपुर	200
9--स्वामी सत्यानन्द हरिजन पाठशाला, मुकुन्द ग्राम	750
10--श्री अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पारापट्टी	200
11--हरिजन बाल विद्यालय, भदाव मालभरी	600
12--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कोल्हखोर	750
13--बेसिक प्राइमरी पाठशाला, रसूलपुर गौरा गूजरपूर	750
14--श्री गांधी सेवा सदन, सरवा	750
15--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, परसुरामपुर, गुम्भरपुर छाऊ	500
16--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, बक्सपुरसावा, सरायमीर	250
17--अम्बेदकर स्मारक हरिजन विद्यालय, गहनी खुर्द	250
18--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पेडरा, सरायमीर	250
19--आदर्श अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, नपुरा नसीरुद्दीनपुर	500
20--हरिजन कन्या प्राइमरी पाठ०, खुदगसिता सरायमीर	500
21--जनता प्राइमरी पाठशाला, असाढ़ानन्दाव	160
22--अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, मुस्तफाबाद	200
23--आदर्श प्राइमरी पाठशाला, राधबापट्टी	1,000
24--हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, नसीरपुर	500
25--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कस्बासराय	250

1	2
	रु०
26--जनता प्राइमरी पाठशाला, करजौली खुरहट	500
27- प्रबुद्ध अम्बेदकर यांत्रिक विद्यालय, जमालपुर	320
28--जनता प्राइमरी पाठशाला, अतरसावां	200
29--महादेवी हरिजन बाल विद्यालय, लंगड़पुर बनकट	750
30--ग्रामोत्थान परिषद्, शिवमंदिर नेवादा	500
31--हरिजन बाल शिक्षा मन्दिर, संदपुर अमालो	150
32--श्री अम्बेदकर हरिजन पाठशाला, करऊत	160
33--श्री अम्बेदकर शिक्षा निकेतन, पंकवलो	200
34--हरिजन प्राइमरी, बुछानपुर	200
35--हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, भोखमपुर	350
36--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, नौनीपुर	750
37--हरिजन ग्रामीण शिक्षा निकेतन, महवारी	500
38--हरिजन मिश्रित बालिका विद्यालय, तुलसीपुर	350
39--बौद्ध प्राइमरी पाठशाला, महगूंपुर, गिठवा	750
40--प्रगतिशील प्राइमरी पाठशाला, भरपुर, पिछवार	500
41--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, झकरीपुर	600
42--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कोराघाटमपुर	160
43--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, नगवाजैरामपुर	200
44--अम्बेदकर प्राइमरी समिति, कमालचक	200
45--हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला, मुस्तफाबाद	500
46--हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, बिष्ठारा	250
47--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, मारूफपुर, निजामाबाद	200
48--अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, बिट्ठलपुर	500
49--हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, पचनीकला	250
50--दयानन्द सर्वोदय प्राइमरी पाठशाला, पकड़ी	200
51--प्राइमरी बाल विद्यालय, पल्हना सदर	600
52--मिश्रित हरिजन प्राइमरी पाठशाला, इब्राहिमपुर	200
53--कपोतर हरिजन पाठशाला, सरयूं	200

1	2
54--आदर्श प्राइमरी पाठशाला, महिखरगपुर	200
55--माध्यमिक प्राइमरी पाठशाला, अमेठी	500
56--जनता प्राइमरी पाठशाला, गढ़हा सराय पलटू	500
57--अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, कटघरा शंकर	400
58--अम्बेदकर बाल निकेतन लैरौदीनवार	600
59--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, ब्राहमणपुर सवरसरवा	750
60--हरिजन आदर्श बाल विद्यालय सिपाह इब्राहिमबाद	160
61--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, जियासड	200
62--प्राइमरी पाठशाला, ठोठिया	200
63--आदर्श विद्यालय, फरीदपुर	160
64--प्राइमरी पाठशाला, कटाई	1450
65--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, डोडीपुर	1000

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 172 का उत्तर पीछे पृष्ठ 121 पर)

राजेन्द्र कुमार गुप्त
सदस्य विधान सभा

फोन 829
सिविल लाइन्स, सीतापुर,
दिनांक 6 अगस्त, 1980

सेवा में,

माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

मान्यवर,

कृपया श्री अभय कुमार सक्सेना के संलग्न प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । ये गन्डक नहर निर्माण खंड-5 देवरिया में कार्य परीक्षण के उपरान्त नियमित अधिष्ठान में ट्रेसर के पद पर नियुक्त हुये थे परन्तु बिना किसी कारण के दर्शाये तथा बिना कनिष्ठ ट्रेसर के सेवा मुक्त किये बिना ही श्री सक्सेना की सेवा समाप्त कर दी गयी ।

तथ्यों के आधार पर आप स्वयं सहमत होगें कि श्री सक्सेना के साथ नियमानुकूल अन्याय किया गया है । अतएव निवेदन है कि इनकी पुनर्नियुक्ति करने की कृपा करें ।

सादर,

भवदीय,
ह0 राजेन्द्र कुमार गुप्त,
सदस्य, विधान सभा
नेता, भारतीय जनता विधान सभा दल ।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मन्त्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

विषयः—वरिष्ठ होने के बावजूद बिना किसी कारण सेवा समाप्त किया जाना तथा अपील किये जाने पर गत नौ वर्षों से निर्णय नहीं ।

महोदय,

प्रार्थी उक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये आपसे निम्न तथ्यों के आधार पर आपसे न्याय प्राप्ति का अनुरोध करता है :—

यह कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 9-2-70 को गण्डक नहर निर्माण खण्ड-5 देवरिया में कार्य परीक्षण के उपरान्त नियमित ट्रेसर के पद पर की गयी थी तथा उसी कार्यालय में दिनांक 15-3-71 को एक अन्य रिक्त ट्रेसर के पद पर किसी अन्य व्यक्ति का नियुक्त किया गया था । दोनों के नियुक्ति पत्र में एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त किये जाने की शर्त लिखी थी ।

दिनांक 18-6-71 को बिना किसी कारण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने एक नोटिस सेवा समाप्त किये जाने के निमित्त निर्गत की जिसके प्रभाव से मेरी सेवा दिनांक 19-7-71 को समाप्त हो गई ।

उक्त अन्याय के प्रति में आज तक अनान्य बार विभाग के विभिन्न अधिकारी गणों को सीधे, विभिन्न विधायकों के माध्यम से सिंचाई मन्त्रियों के माध्यम से मुख्य मन्त्रियों के माध्यम से दे चुका हूं किन्तु इन सभी के बावजूद मुख्य अभियन्ता के कार्यालय निर्णय दे पाने में सक्षम नहीं रहा है ।

ज्ञातव्य हो कि विभाग के ई-4 अनुभाग के वैयक्तिक सहायक महोदय से व्यक्तिगत मिलने पर मात्र यह आश्वासन मिला कि कार्यवाही हो रही है तथा आपके बारे में नीचे के कार्यालय अपनी आख्या नहीं भेजते बताइये कि हम क्या करें ।

ऐसी परिस्थिति में आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के साथ न्याय करने की कृपा करें । जिसके लिये प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा ।

प्रार्थी

अभय कुमार सक्सेना,

436, इच्छा बिहारी सदन,

नया घाट, अयोध्या, फजाबाद ।

प्रतिलिपि सिंचाई मन्त्री महोदय, उत्तर प्रदेश, मुख्य अभियन्ता ई-4, अनुभाग सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रार्थी

अभय कुमार सकसेना

436 इच्छा बिहारी सदन,

नया घाट अयोध्या, फैजाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 125पर)

आजमगढ़ के हरिजन विद्यालयों की सूची जिन्हें 1979–80 में अनुदान दिया गया :

आवंतक हरिजन विद्यालय				अनुदान की धनराशि
1			1	2
				रु०
1	हरिजन	प्राइमरी पाठशाला	आजमा बांध	9708.00
2		,, ,,	नियमताबाद, खारी	6750.00
3		,, ,,	इटेली	6480.00
4		,, ,,	गिरधरपुर	9696.00
5		,, ,,	मुस्तफाबाद	3312.00
6		,, ,,	धनिया कुड़ी	9744.00
7		,, ,,	मोडेपार	3248.00
8		,, ,,	शिवराम पुर कुटी	6818.00
9		,, ,,	भुजही गुल्ली गढ़	6738.00
10		,, ,,	मौलानापुर	6516.00
11		,, ,,	बड़ी करौली	6468.00
12		,, ,,	जमीन रसूल पुर	9696.00
13		,, ,,	समौसा	6488.00
14		,, ,,	सन्धी	10886.00
15		,, ,,	बलभद्र पुर	6888.00
16		,, ,,	चिड़ी गोपालपुर	3660.00
17		,, ,,	धर्मदास पोखरा	6468.00
18		,, ,,	छितौना	3600.00
19		,, ,,	विलारी	3600.00
20		,, ,,	पल्हनी	17142.00
21		,, ,,	दुवारी	26334.00
22		,, ,,	सोनहरा	10572.00

सत्यमेव जयते संसद पुस्तकालय

1	2
	रु0
अनावर्तक विद्यालय--	
1--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, अरूसाभार मूगंमास	500.00
2--आदर्श हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, ग्राम अदरना पिढ़वल	200.00
3--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सुवाह दुबारी	1150.00
4--आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पिपरा कछार मौरौपुर	1250.00
5--आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला, बाल विद्यालय खालिसपुर अवरी	750.00
6--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सनेराइच	750.00
7--श्री अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, हंकारीपुर (हरिजन)	200.00
8--आदर्श जूनियर बेसिक विद्यालय, देवनाथपुर	200.00
9--स्वामी सत्यानन्द हरिजन प्राइमरी पाठशाला, मुकुन्द ग्राम	750.00
10--श्री अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पारीपट्टी	200.00
11--हरिजन बाल विद्यालय, भुवाव मालभरी	600.00
12--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कोल्हौखौर	750.00
13--बेसिक प्राइमरी पाठशाला, रसूलपुर गोरा, गूजरपुर	750.00
14--श्री गांधी सेवा संस्थान प्राइमरी पाठशाला, बाल सेवा सदन संला ..	750.00
15--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, परसुरामपुर गम्भीरपुर, छाऊ	500.00
16--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, बबसपुर तावा सराय-मीर	250.00
17--अम्बेदकर स्मारक हरिजन विद्यालय गहनो खुर्द	250.00
18--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पेडरा, सराय मीर	250.00
19--आदर्श अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, नंधुरा नसीटछीनपुर	500.00
20--हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, खुन्नरिस्ता सराय मीर	500.00
21--जनता प्राइमरी पाठशाला, असादानन्द	160.00
22--अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, मुस्तफाबाद	200.00
23--आदर्श प्राइमरी पाठशाला, राघव पट्टी	1000.00
24--हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, नसीपुर	500.00
25--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कस्बा सराय	250.00

1	2	3
		रु0
26	जनता प्राइमरी पाठशाला, करजोली	500.00
27	प्रबुद्ध अम्बेदकर यात्रिक विद्यालय, जमालपुर	320.00
28	जनता प्राइमरी पाठशाला, उतर गावां	200.00
29	महादेवी हरिजन बाल विद्यालय, लुगडपुर बनकट	750.00
30	ग्रामोत्थान परिषद् शिन्धु मोदन, नेवादा	500.00
31	हरिजन बाल विद्या मन्दिर सैदपुर अमाली	150.00
32	अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, करेऊत	160.00
33	श्री अम्बेदकर विद्या निकेतन, पकवली	200.00
34	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, मढानपुर	200.00
35	हरिजन कन्या प्राठशाला, भीखमपुर	350.00
36	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, नैनीपुर	750.00
37	हरिजन ग्रामीण शिक्षा निकेतन, महवारी	500.00
38	हरिजन मिश्रित बालिका विद्यालय, तुलसीपुर	350.00
39	बौद्ध प्राइमरी पाठशाला, मंहगूपुर विछुआ	700.00
40	प्रगतिशील प्राइमरी पाठशाला, भटपुर पिछवीर	500.00
41	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, ठाकरीपुर	700.00
42	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कोसघाटमपुर	160.00
43	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, नगवा जयरामपुर	200.00
44	अम्बेदकर प्राइमरी समिति कमाल चक	200.00
45	हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला, मुस्तफाबाद	500.00
46	हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, विष्ठारा	250.00
47	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, माहरूफपुर, निजायाबाद	200.00
48	अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, विट्ठलपुर	500.00
49	हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, पवनी कला	250.00
50	दयानन्द सर्वोदय प्राइमरी पाठशाला, पकड़ी	200.00
51	प्राइमरी बाल विद्यालय, पल्हनी सदर	600.00
52	मिश्रित हरिजन प्राइमरी पाठशाला, इब्राहिमपुर	200.00

1	2	3
53	कमोत्तर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सरवां	200.00
54	आदर्श प्राइमरी पाठशाला मईरकमपुर	200.00
55	माध्यमिक प्राइमरी पाठशाला, अमेठा	500.00
56	जनता प्राइमरी पाठशाला, गढहा सराय, पल्टू	500.00
57	अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, कटघूरा शंकर	400.00
58	अम्बेदकर बाल निकेतन लरादोन वार	600.00
59	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, ब्राह्मणपुर, संख सरवा	750.00
60	हरिजन आदर्श बाल विद्यालय, सिपाह इब्राहिमबाद	160.00
61	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, जियासड	200.00
62	बेसिक प्राइमरी पाठशाला, ठाठिया	200.00
63	चण्डादास आदर्श विद्यालय, फरीदपुर	160.00
64	हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कटाई	1450.00
65	अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, डोडोपुर	1000.00

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 184 का उत्तर पीछे पृष्ठ 125 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में विगत तीन वर्ष में डिपोवार बसों के आवंटन का विवरण :

क्रम सं0	रीजन/डिपो का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5
1	बरेली रीजन—			
	बरेली सरल	2	18	7
	बरेली सिटी बस	..	..	..
	बदायूं	4	14	7
	शाहजहांपुर	2	7	6
	पीलीभीत	..	..	3
	हरदोई	..	..	..
2	मुरादाबाद रीजन—			
	मुरादाबाद	..	25	13
	रामपुर	..	2	4
	बिजनौर	..	11	8
3	कुमायूं रीजन—			
	हल्द्वानी	9	4	27
	काठगोदाम	12	2	10
	रानीखेत	8	..	6
	रुद्रपुर	..	4	6
	भुवाली	5	..	6
4	टनकपुर रीजन—			
	पिथौरागढ़	6	5	11
	टनकपुर	10	3	3
5	कानपुर रीजन—			
	चुन्नीगंज	..	12	4
	फतेहपुर	..	4	8

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
	आजादनगर	..	23	..
	जूही	..	..	..
	उन्नाव	..	4	8
6	इटावा रीजन—			
	औरैया	1	2	
	बेवर	..	5	..
	इटावा	..	8	5
	फर्रुखाबाद	6	2	3
	शिकोहाबाद	7	3	5
	झांसी रीजन—	37	14	12
8	लखनऊ रीजन—			
	चारबाग	..	15	10
	कैसरबाग	..	25	7
	लखनऊ सिटी बस	..	21	..
	रायबरेली	..	10	3
	सीतापुर	..	10	..
	अमौसी	..	..	..
9	वाराणसी रीजन—			
	वाराणसी सिटी बस	..	3	2
	वाराणसी रूरल	2	20	15
	जौनपुर	..	15	11
10	आजमगढ़ रीजन—			
	आजमगढ़	..	..	..
	बलिया	1	2	8
	दोहरीघाट	..	..	12
	गाजीपुर	..	..	11
11	गोरखपुर रीजन—			
	गोरखपुर	..	15	7

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
	देवरिया	..	4	8
	बहराइच	..	10	8
	बस्ती	..	11	6
12	इलाहाबाद रीजन—			
	जीरो रोड	..	23	17
	मिर्जापुर	..	12	6
	इलाहाबाद सिटी बस	..	9	2
	झूसी	..	..	2
13	फैजाबाद रीजन—			
	फैजाबाद	14	10	1
	सुल्तानपुर	12	2	4
	प्रतापगढ़	..	3	..
	गोण्डा	..	9	8
	बलरामपुर	..	9	2
	अकबरपुर	..	4	4
14	गाजियाबाद रीजन—			
	बुलन्दशहर	..	18	10
	खुर्जा	..	9	15
	हापुड़	..	9	6
	लोनी	..	15	8
	सिकन्दराबाद	..	1	..
15	अलीगढ़ रीजन			
	अलीगढ़	..	12	9
	एटा	..	8	5
	हाथरस	..	7	6
	कासगंज	..	1	1
16	आगरा रीजन—			
	आगरा फोर्ट	..	21	9

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	ईदगाह	1	18	12
	आगरा सिटी बस	..	10	..
	फाउन्ड्रीनगर	..	..	..
	मथुरा	..	..	..
17	मेरठ रीजन—			
	मेरठ	..	10	11
	सोहराबगेट	1	8	11
	मुजफ्फरनगर	5	15	5
	गढ़	..	3	8
	रुड़की	..	4	5
18	देहरादून रीजन—			
	देहरादून रूरल	3	7	9
	देहरादून हिल	16	..	6
	देहरादून सिटी बस	..	12	..
	सहारनपुर	..	8	9
	हरिद्वार	..	11	11
	कोटद्वार	7	2	7

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 185 का उत्तर पीछे पृष्ठ 125 पर)।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न डिपों की अनुबन्धित बसों की संख्या

क्र0 सं0	डिपो का नाम	बसों की संख्या
1	2	3
1	चारबाग	18
2	कैसरबाग	21
3	रायबरेली	9
4	बाराबंकी	4
5	लखीमपुर	20
6	सीतापुर	5
7	चुन्नीगंज	34
8	उन्नाव	28
9	फतेहपुर	3
10	झांसी	21
11	महोबा	5
12	राठ	2
13	बांदा	9
14	बेवर	9
15	शिकोहाबाद	5
16	औरैया	10
17	फर्रूखाबाद	13
18	इटावा	8
19	मुरादाबाद	26
20	रामपुर	12
21	बिजनौर	10
22	बदायूं	5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
23	शाहजहांपुर	13
24	पीलीभीत	2
25	बरेली	14
26	हल्द्वानी	9
27	रुद्रपुर	1
28	जीरो रोड (इलाहाबाद)	2
29	दोहरीघाट	1
30	बलिया	3
31	आजमगढ़	16
32	फैजाबाद	14
33	सुल्तानपुर	25
34	प्रतापगढ़	3
35	गोंडा	7
36	बलरामपुर	10
37	गोरखपुर	25
38	देवरिया	7
39	बस्ती	5
40	बहराइच	9
41	जौनपुर	16
42	वाराणसी	13
43	फोर्ट (आगरा)	40
44	मथुरा	19
45	ईदगाह	7
46	अलीगढ़	21
47	एटा	24
48	कासगंज	14
49	हाथरस	15
50	गाजियाबाद	41

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
51	सिकन्दराबाद	6
52	हापुड़	6
53	मेरठ	40
54	मुजफ्फरनगर	41
55	रुड़की	5
56	सोहराब गेट	12
57	गढ़	4
58	सहारनपुर	16
59	देहरादून	13
60	हरिद्वार	9
	योग ..	805

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 187 का उत्तर पीछे पृष्ठ 126 पर)

कार्य का विवरण	सूचना निदेशालय लखनऊ को भेजने का संदर्भ	सूचना निदेशक द्वारा विज्ञापन हेतु भेजे गये समाचार पत्रों के नाम	
		संदर्भ	समाचार-पत्र
1—आगरा कैनाल के कि0 मी0 79-2 से 96-00 तक विभिन्न लाटों में (प्रत्येक लाट 600 मी0) पुनरोद्धार हेतु मिट्टी का कार्य लाट 30	सहा0 अभि0 द्वितीय सि0 नि0 ख0 मथुरा पत्रांक 780/टी-1, दिनांक 26-9-79	पत्रांक 3330/सि0-76, दि0 6-10-79	1—स्वराज्य टाइम्स, मथुरा 2—देश धर्म, आगरा
2—आगरा कैनाल रिमोडलिंग हेतु विभिन्न लाटों में मिट्टी का कार्य (प्रत्येक लाट 600 मी0 लम्बाई में) (6 लाट)	सहा0 अभि0 द्वितीय पत्रांक 1010/टी-1, दिनांक 28-11-79	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
3—(1) आगरा नहर के कि0 मी0 96-00 कि0 मी0 110 तक विभिन्न लाटों में (प्रत्येक लाट 1 कि0 मी0) पुनरोद्धार हेतु मिट्टी का कार्य (14 लाट) (2) आगरा नहर के कि0 मी0 110 से 110-40 तक (पुनरोद्धार हेतु मिट्टी का कार्य)	अ0 अ0 पत्रांक 9/कैम्प/क्यू-1, दिनांक 1-10-79	विज्ञापन सं0 3481, दिनांक 27-10-80	1—दैनिक स्वराज्य टाइम्स आगरा एवं अन्य
4—(1) आगरा नहर के कि0 मी0 98 से 99 तक पुनरोद्धार हेतु मिट्टी का कार्य (2) तदेव कि0 मी0 103 से 104 तक (3) कि0 मी0 104 से 105 तक (4) कि0 मी0 105 से 106 तक	अ0 अ0 पत्रांक 3216/टी-5, दिनांक 14-11-79	पत्रांक 3980/दिनांक 22-11-79	1—दैनिक, स्वराज्य टाइम्स आगरा 2—सैनिक, आगरा 3—जनता युग, अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 199 का उत्तर पीछे पृष्ठ 131 पर)

ऐसे नलकूप चालकों की सूची जिनकी वेतन वृद्धियां गत वर्ष 74 से नहीं लगाई गयी है

सर्वश्री—

1—श्री दाता राम

2—रामफल शर्मा

3—ग्रीश चन्द्र

4—मेघा लाल

5—महादेव प्रसाद

6—रवी शंकर

7—हरी नाम

8—विक्रम सिंह

9—राम भरोसे लाल

10—मिहवर दयाल

11—राम लाल

12—जगदीश प्रसाद

13—शिव दयाल

14—अख्तर अली

15—तिनकू लाल

16—राम भरोसे लाल

17—परशादी लाल

18—राम चन्द्र

19—सेतमराम

20—धनेश प्रसाद

21—राम फेरे लाल

22—शमशर बहादुर

23—काशी प्रसाद

24—ओरी लाल

25—राजकुमार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सर्व श्री—

26—राज गोपाल

27—अनवार हुसेन

28—कृष्ण पाल सिंह

29—गेदन लाल

30—सूबेदार सिंह

31—श्याम मुरारी

32—बाबूराम

33—तिलक राम

34—शिवकुमार

35—हुलास राम

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 140 पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण--

1--खंड 2 में मूल अधिनियम में बढ़ायी जाने वाली धारा 7 के खंड (क) की पंक्ति 3 में चिन्ह "(" और शब्द "नलकूप" के बीच चिन्ह "," (कामा) रख दिया गया है।

2--उक्त खंड (क) की पंक्ति 4 में शब्द "कूल" और "बरहा" के बीच चिन्ह "," (कामा) रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ 140 पर)

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण :--

खण्ड 1 के उपखण्ड (2) में शब्द "प्रवृत" के स्थान पर शब्द "प्रवृत्त" रख दिया गया है ।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी "त"

(देखिये पीछे पृष्ठ 140 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण :—

(1) खण्ड 2 की कंडिका (च) (एक) की पंक्ति 3 में शब्द "से प्रारम्भ" के स्थान पर शब्द "प्रारम्भ" रख दिया गया है ।

(2) खण्ड 3 के उपखण्ड (2) (ग) के अन्त में चिन्ह "1" के स्थान पर चिन्ह ";" रख दिया गया है ।

(3) पुनरंकित खण्ड 20 के स्पष्टीकरण की पंक्ति 2 में शब्द "रेंट" के स्थान पर शब्द "रेट" रख दिया गया है ।

(4) पुनरंकित खण्ड 22 के परन्तुक की पंक्ति 2 में अंक "31" के स्थान पर अंक "30" रख दिया गया है ।

(5) पुनरंकित खण्ड 23 की कंडिका (क) के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह ";" रख दिया गया है ।

(6) पुनरंकित खण्ड 24 की पंक्ति 3 में शब्द "अपन जीवन" के स्थान पर शब्द "अपने जीवन" तथा इसी पंक्ति में "ौ" के स्थान पर शब्द "सौ" रख दिया गया है ।

(7) पुनरंकित खण्ड 24 की पंक्ति 4 के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह ";" रख दिया गया है ।

(8) पुनरंकित खण्ड 24 के स्पष्टीकरण की पंक्ति 2 में शब्द "से" और शब्द "अधिकतम" के बीच चिन्ह "," रख दिया गया है ।

(9) पुनरंकित खण्ड 25 की पंक्ति 1 में अंक "25" के स्थान पर अंक "24" रख दिया गया है ।

(10) पुनरंकित खण्ड 26 की पंक्ति 1 में अंक "26" के स्थान पर अंक "25" तथा इसी पंक्ति में शब्द "परिस्थितियां" के स्थान पर शब्द "परिस्थितियों" रख दिया गया है ।

(11) पुनरंकित खण्ड 26 की पंक्ति 3 में अंक "25" के स्थान पर अंक "24" रख दिया गया है ।

(12) पुनरंकित खण्ड 29 के उपखंड (1) की पंक्ति 1 में अंक "32" के स्थान पर अंक "31" रख दिया गया है ।

(13) पुनरंकित खण्ड 60 के उपखण्ड (2) की पंक्ति 1 में अंक "32" के स्थान पर अंक "31" रख दिया गया है ।

नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 191 पर)

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	2	3
2	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री जटा शंकर सिंह तथा श्री नन्दराम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में घोषणा नहीं की :— 1—उन सलाहकारों (मंत्रिपरिषद् के सदस्यों) को बर्खास्त करने की जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थों के लिए पद का दुरुपयोग करने, पद की गरिमा को नष्ट कर कर्मचारियों को स्वयं पीटने तथा असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ रखने आदि के आरोप सार्वजनिक रूप से उजागर हो चुके हैं, 2—अपने मंत्रिपरिषद् की अव्यवहारिक तथा जनहित विरोधी नीतियों और प्रशासनिक अक्षमता के कारण जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर पाने में सरकार की पूर्ण विफलता के सम्बन्ध में, 3—निरन्तर बिगड़ती हुई शान्ति एवं व्यवस्था, रक्षकों (पुलिस) के स्वयं भक्षक बन जाने के कारण प्रदेश के जन जीवन में व्याप्त असुरक्षा को दूर करने के लिये पुलिस प्रशासन को ठीक करने तथा उनको नये तरीके से प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4—वेतन आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न विसंगतियों का निवारण करके न्यूनतम वेतन 500 रुपये रखकर 1:6 के अनुपात से समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करने हेतु,

5—राजकीय सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों में 25 प्रतिशत किराया वृद्धि को वापस लेने,

6—किसान को उसकी उत्पाद का प्रोत्साहक मूल्य दिलाने,

7—सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी तथा चुस्त बनाकर सस्ती दर पर उपभोक्ता वस्तुयें, सुदूर ग्रामीण अंचल तक सुलभ कराने,

8—निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने,

9—एक निर्धारित अवधि तक सरकार द्वारा काम न दे पाने से बेरोजगार रहे व्यक्तियों को भत्ता देने,

10—कृषि फसल के लिए बीमा योजना तत्काल लागू करने,

11—छात्र कल्याण कोष की भांति कंगालों (गरीबी के रेखा के नीचे के व्यक्तियों) की सहायतार्थ दरिद्रनारायण कोष स्थापित करने,

12—आय कर की सीमा तक आमदनी वाले परिवारों की महिलाओं के लिए पूरी शिक्षा निःशुल्क दिये जाने,

13—दहेज विरोधी कानून अधिक कठोर कर उस पर कड़ी कार्यवाही किये जाने,

14—सरकार की यह घोषणा कि गत माहों में बिजली का उत्पादन बढ़ा है तथा लागत कम हुई है उ के बाद भी बिजली के दरों में कमी करने तथा जितनी बिजली खर्च करे मात्र उतना चार्ज लेने की,

15—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		16--कृषि देयों में प्रताड़ना की कार्यवाही रोकने तथा,
		17--संविधान समस्त आरक्षण नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के सम्बन्ध में,
3	श्री भोला लाल, श्री मित्रसेन यादव, श्री ऊदल तथा श्री विद्या सागर नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है :--
		1--विगत बाढ़ और सूखे से हुई प्रदेश के किसानों की क्षति के कारण उनका लगान, सिंचाई और कृषि कार्यों के कर्जे माफ किये जायेंगे ,
		2--प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों पर करोड़ों रुपये टैक्सों के बकाये की वसूली की जायगी ,
		3--प्रदेश के भूमिहीनों की समस्या को हल करने के लिए क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू किया जाय और भूमि चोरों से भूमि छीनी जायगी ,
		4--प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार नवयुवकों तथा लाखों बेरोजगार ट्रेण्ड बी0 टी0 सी0 अध्यापकों को काम दिया जाय और बढ़ी हुयी खेतिहर मजदूरों को मजदूरी दिलायी जाय ,
		5--समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को लागू किया जाय।
		6--शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को काम या काम के बदले बेरोजगारी का भत्ता दिये जाने की गारन्टी की जायगी ,
		7--ग्रामीण बेरोजगारों तथा भूमिहीन परिवारों को काम की गारन्टी दी जायगी तथा विकलांगों को आरक्षण के आधार पर रोजगार देने की नीति का कड़ाई से पालन किया जायगा ,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4 श्री रियासत हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द चौधरी

8—किसानों की फसल इन्श्योरेंस (फसल बीमा) की नीति को लागू किया जायगा तथा उनके उत्पादन लागत मूल्य दिलाने की गारन्टी की जायगी,

9—प्रदेश के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण तथा समान शिक्षा नीति के सिद्धांत लागू किया जायगा,

10—भारतीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग राजनैतिक तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध न किया जायगा,

11—60 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुनिश्चित नीति निर्धारित की जायगी।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

उल्लेख किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का नहीं किया है :—

1—शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता का दिया जाना,

2—प्रदेश के किसानों को उनके कृषि उत्पादन की लागत को आधार बनाकर उचित मूल्य [मिलना] दिया जाना,

3—जनता शासन में चलाये गये ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्न एवं अन्त्योदय योजना,

4—वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बढ़ते हुए रोष एवं असंतोष का सरकार द्वारा निराकरण,

5—प्रदेश के अल्पसंख्यकों, हरिजन, निर्बल वर्ग तथा महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित उचित प्रबन्ध,

6—उर्दू भाषा को प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित किया जाना,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
4	(क्रमशः)	7—प्रदेश के छात्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए असंतोष को समाप्त करने से सम्बन्धित योजना, 8—प्रदेश के श्रमिक वर्ग में सन्तोष और शान्ति व्यवस्था की स्थापना से सम्बन्धित कोई ठोस योजना, 9—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध इस्तेमाल न किये जाने का आश्वासन, 10—प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों से सम्बन्धित किसी विस्तृत एवं ठोस योजना का उल्लेख, 11—दिनांक 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में मुसलमानों के ऊपर पुलिस द्वारा हुए अत्याचार, जिसको शासन की आकर्मण्यता के कारण बाद में साम्प्रदायिक (हिन्दू-मुसलमान) दंगों का रूप कैसे और किसने दे दिया, के लिए एक आयोग की स्थापना, 12—कारपोरेशन्स, महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया तथा ग्राम सभाओं के चुनाव की घोषणा, तथा 13—प्रदेश में बंधवा मजदूरी को समाप्त (करने का उल्लेख) किया जाना ।
5	श्री प्रदीप कुमार यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया :—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1—सरकार की दोषपूर्ण एवं भ्रष्ट वितरण व्यवस्था के कारण गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, रासायनिक खाद, सीमेन्ट आदि जैसी आवश्यक सामग्री सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर जनता के लिये उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप कालाबाजारी फलफूल रही है और आम भुखमरी तथा अभाव की शिकार है,

2—वर्तमान सरकार द्वारा अन्त्योदय योजना और अन्न के बदले काम योजना बन्द कर देने से उसके कार्यकाल में बेरोजगारी और भुखमरी में वृद्धि हुई है,

3—कानून व्यवस्था में ऐसी गिरावट आयी है कि साधारण आदमी सड़क, रेल, बाजार, हाट, शहरी प्रांगण और यहां तक कि अपने घर में सुरक्षित नहीं रह गया है। प्रशासन अपराधों की रोकथाम में न केवल असमर्थ है, बल्कि पुलिस कर्मचारियों में घृणित, बलात्कार, राहजनी और निरपराध लोगों की हत्या में उत्तरोत्तर निर्बाध रूप में वृद्धि हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लां—कानूनियत और मनमानी का राज्य है,

4—समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त पर अमल न करने के कारण तथा अधिकृत वर्ग और साधारण कर्मचारी व जनता के उपलब्धियों में जमीन और आसमान के अन्तर के कारण असन्तुष्ट सरकारी कर्मचारी सड़क पर निकल पड़े हैं और आन्दोलनरत हैं,

5—वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निर्बल वर्ग का उत्पीड़न और शोषण बढ़ा है तथा महिलाओं के शील व सम्मान की सुरक्षा समाप्तप्राय है,

6—वर्तमान सरकार द्वारा उर्वरकों की मूल्य वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए अवंटित बिजली की कटौती द्वारा किसानों पर कुठाराघात किया गया है,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
5	(क्रमशः)	7--किसानों और कारखानों की उपज और वस्तुओं का दाम इस तरह आंका गया कि दो फसलों के बीच में सेर भर अन्न का दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा न बढ़े और रोजमर्रा काम आने वाली वस्तुओं का दाम, लागत खर्च और ढुलाई खर्च-ड्योढ़े से ज्यादा न हो , 8--ऊसर, बंजर तथा फालतू पड़ी हुयी जमीन को खेती लायक बनाने हेतु सरकार खेतिहर सेना भरती करे और खेती लायक सारी भूमि की सिंचाई के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायी जाय , 9--शिक्षा के क्षेत्र में गरीबी और अमीरी का भेद-भाव मिटे , 10--प्रदेश में बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो, सिद्धान्त लागू किया जाय , 11--हरिजनों, आदिवासियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और महिलाओं को जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे सरकारी सेवा, उद्योग, व्यापार में 80 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय , 12--आवास की असाधारण कमी को दूर करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर साधारण लोगों के लिए मकान स्वयं बनाये और प्रोत्साहन भी दे ,
6	श्री सूबेदार सिंह, केदार नाथ सिंह, श्री राम हर्ष राय, श्री रामकृष्ण महेश्वरी श्री अकबाल हुसैन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :-- 1--बढ़ती हुई अराजकता, गुंडागर्दी एवं अपराधों से सुरक्षा की अश्वासन व्यवस्था की जायेगी,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2—बढ़ती हुयी कीमतों को रोकने तथा चोरबाजारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे,

3—सरकारी तंत्र में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा,

4—दायित्वहीन मंत्रिमंडल पर बढ़ रहे अनियंत्रित खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा,

5—कृषकों, मजदूरों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई ठोस उपाय किये जायेंगे,

6—बढ़ती हुई क्षेत्रीय असामनता को दूर करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जायगी,

7—दैवी आपदा से पीड़ित जनता की सहायता के लिये कोई विशेष व्यवस्था की जायगी,

8—ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती भुखमरी तथा रोजगार देने की व्यवस्था की जायगी,

7 श्री राम आसरे वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश में भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी दूर करने के उपाय किये जायेंगे,

2—शांति व्यवस्था की गम्भीर समस्या का हल निकाला जायेगा,

3—अल्प संख्यकों, हरिजनों एवं महिलाओं के साथ होने वाला उत्पीड़न समाप्त किया जायगा,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		4--आवश्यक वस्तुओं को जन साधारण तक पहुंचने के लिए जन-वितरण प्रणाली को निहित स्वार्थों से मुक्त किया जायगा,
		5--किसानों को उनके उत्पादन का उचित कीमत दिलाई जायेगी,
		6--स्वायत्त शासी, राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन भत्तों में उचित न्याय मिलेगा,
		7--उर्दू भाषा को दूसरी राज्य-भाषा का दर्जा दिया जायेगा,
		8--हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगीकरण की दिशा में कदम उठाये जायेंगे,
		9--इसी बीच में कई वर्षों से पड़ी पुरानी ड्रेनों की सफाई एवं नई ड्रेनों की खुदाई की व्यवस्था कराई जायगी,
		10--हिलरायों-पनवरी मार्ग पर गंगा नदी के राजघाट पुल एवं संडीला-मेहदा घाट रोड पर सई नदी के प्रस्तावित पुल के निर्माण कराये जायेंगे,
		11--गत शासन के दौरान निर्मित सम्पर्क मार्गों को पक्का कराकर अन्य प्रस्तावित कार्यों को पूरा कराया जायगा,
		12--उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत बन्दोबस्त में की जा रही अनियमितताओं को दूर किया जायेगा,
		13--सूखा, बाढ़ अति वृष्टि से पीड़ित उक्त पूरे क्षेत्र को सरकारी कर्जों से मुक्त करने एवं अन्य राहत दिये जाने के कार्य किये जायेंगे,
		14--हरिजनों, पिछड़ी जातियों एवं अन्य निर्धन छात्रों को छात्र-वृत्ति दिये जाने की नीति को मजबूती से लागू किया जायगा,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15—उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण, पुरानी लाइनों के जीर्णोद्धार के सशक्त उपाय किये जायेंगे ।

8 श्री चेतराम गंगवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया है—

1—प्रदेश में पिछले वर्ष पड़े अभूतपूर्व सूखे के बावजूद भी कृषकों की वर्ष 1387 फसली के लगान तथा आबपाशी को समाप्त करने तथा दो वर्ष का मुतालबा एकदम वसूल न कर, आसान किस्तों में वसूल करने के सम्बन्ध में ।

2—समस्त प्रदेश में जनता सरकार के जमाने में हुए खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनी कच्ची सड़कों को पक्का करने के सम्बन्ध में ।

3—डीजल, खाद, उर्वरक, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट तथा दैनिक आवश्यकता की चीजों के दाम पिछले छः मास में सरकार द्वारा अनेकों बार अधिक किये जाने के बावजूद भी सरकार के किसान विरोधी कार्य के सम्बन्ध में ।

4—बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में संथल या नवाबगंज में चीनी मिल को अविलम्ब स्थापित करने या लाइसेन्स दिये जाने की घोषणा ।

5—बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में एक डिग्री कालेज सरकारी स्तर पर खोले जाने की घोषणा,

6—जिला बरेली के ब्लाक भदपुरा को, जो प्रदेशों में अत्यधिक पिछड़ा है, के विकास की घोषणा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		7—जिला बरेली में तहसील नवाबगंज के ग्राम क्योलड़िया, जो ब्लाक मुख्यालय भी है, को ग्राम किसनापुर होकर मौजा बाजार ग्राम से जोड़ने की घोषणा ।
		8—बरेली नगर, जिसकी आबादी 10 लाख के लगभग है, को नगर महापालिका बनाने की घोषणा ।
		9—जिला बरेली के भटपुरा ब्लाक के मुख्यालय ग्राम क्योलड़िया पर पुलिस थाना स्थापित करने की घोषणा ।
		10—जिला बरेली के ग्राम क्योलड़िया में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की घोषणा ।
		11—प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों, हत्याओं एवं राहजनी आदि वारदातों पर नियंत्रण पाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने तथा पुलिस जनों की ज्यादतियों, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार पर काबू पाने हेतु नागरिक सेल, जिसका मुख्य अधिकारी स्थानीय विधायक हों, की घोषणा ।
		12—बरेली जिला चिकित्सालय में पिछले दो वर्ष से अनेकों बार डाक्टरों द्वारा, विधायकों, पत्रकारों, मरीजों तथा नर्सों आदि को पीटे जाने उनके साथ झगड़ा करने तथा अवैधानिक तरीके से हड़ताल करने और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर उनको दवा न देने के बावजूद भी दोषी चिकित्सकों, के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।
		13—रुहेलखण्ड डिवीजन में सिंचाई विभाग में अंग्रेजी शासन काल से चले आ रहे चकबन्दी नामक व्यवस्था, जिसमें किसान को जिला नहर से आबपाशी किये हो सिंचाई महसूल देना पड़ता है, की समाप्ति की घोषणा ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

14--प्रदेश भर में कृषि कार्य हेतु शहरी क्षेत्र की तरह 20 घंटा बिजली देने की घोषणा ।

15--शासन में जिला स्तर पर तहसील थाने एस0 डी0एम0 के कार्यालयों, लेखपाल तथा थाने के दीवान, असलाह बाबू ग्राम सेवक, भूमि विकास बैंक तथा सहकारी जिला बैंक और जिलाधिकारी द्वारा तहसील तथा पुलिस के अधीक्षक द्वारा थानों को नीलाम कर अर्थात पैसे लेकर तहसीलदार बनाने तथा इन्चार्ज बनाने की गलत परम्परा को मिटाने की घोषणा तथा उल्लिखित सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को मिटाने तथा समाप्त करने की घोषणा ।

9 बनीराम वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जावे :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में--

1--प्रदेश के अत्यधिक वर्षा, बाढ़, सूखा एवं ओला से लगातार तीन वर्षों से प्रभावित इटावा जनपद के किसानों का स्थगित लगान आबपाशी एवं सहकारी ऋणों को माफ किये जाने एवं अन्य ऋणों का सूद माफ किये जाने की घोषणा नहीं की है,

2--मिट्टी के तेल, डीजल, शक्कर, सीमेंट के मूल्यों में जो विधान सभा चुनाव के पश्चात् अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उसे कम करने एवं उनकी आपूर्ति का आश्वस्त करने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है,

3--प्रदेश में व्यवसाय पूरक शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की है,

4--इटावा जनपद की यमुना, चम्बल, सेंगुर एवं अरिन्द नदियों की तलहटी की ऊंची नीची भूमि को समतल करवाये जाने एवं उसमें सिंचाई के साधन जुटाये जाने हेतु घोषणा नहीं की है,

5--औरैया एवं बिधूना तहसील में गरीबी मिटाने हेतु गरीबों को रोजगार देने हेतु कोई घोषणा नहीं की है,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		6--किसानों की फसलों का बीमा कराये जाने की घोषणा नहीं है,
		7--पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, मंडी समितियों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तिथियां घोषित नहीं की है,
		8--शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवार को पेंशन की सुविधा देने की घोषणा नहीं की है,
		9--प्रदेश में निर्बल वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास व्यवस्था की घोषणा नहीं की है,
		10--बेरोजगार निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु श्रम के बदले अनाज देने के कार्य-क्रमों को पुनः चालू करने हेतु घोषणा नहीं की है,
		11--18 वर्ष के आयु के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने हेतु कोई घोषणा नहीं है,
		12--इटावा जनपद के औरैया एवं विधूना तहसीलों में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु घोषणा नहीं की है,
		13--इटावा जनपद के कस्बा दिबियापुर अथवा पाता स्टेशन के निकट जिसका सर्वे हो चुका है, उर्वरक कारखाना स्थापित करने की घोषणा नहीं है,
		14--इटावा जनपद में बढ़ती हुई डकैतियों पर रोक लगाये जाने हेतु घोषणा नहीं की है,
		15--इटावा जनपद में ऊसर भूमि सुधारयोजना अतिशीघ्र लागू करने की घोषणा नहीं है,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16--इटावा जनपद की औद्योगिक नगरी दिबियापुर को अन्य औद्योगिक नगरों के समान बिजली देने की घोषणा नहीं की गयी है,

17--सन् 1980 की जनगणना को आधार वर्ष मान कर विद्युत् वितरण की घोषणा नहीं है,

18--इण्टरमीडिएट बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के 2 माह पूर्व से परीक्षाओं के अन्त तक शहरी और देहाती क्षेत्र में समान एवं नियमित रूप से विद्युत् वितरण की घोषणा नहीं की है ।

19--इटावा जनपद की बरबरी बकरी एवं भदावरी भैंस के नस्ल की घोषणा नहीं की है,

20- खेतों एवं घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली की दरों में कमी की घोषणा नहीं की गयी है ।

21--औरैया एवं बिधूना तहसीलों की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की घोषणा नहीं की है,

22--इटावा ब्रांच (नहर) की दाहिनी पटरी दिबियापुर से झींझक तक व कखाऊतू माइनर की दाहिनी पटरी को कखाऊतू से सोहरीपुर तक तथा हरचन्दपुर राजबहा की दाहिनी पटरी अछल्दा से दिबियापुर तक एवं बसुन्दरा एवं बूढ़ादाना, राजबहों की दाहिनी पटरियों को पक्का कराने की जो आवागमन के एक मात्र साधन है, घोषणा नहीं की है,

23--दिबियापुर बिधूना मार्ग को पक्का कराये जाने की घोषणा नहीं की है ।

24--बिजली की कमी को दूर करने की कोई तात्कालिक व्यवस्था की घोषणा नहीं की है ।

25--बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिये जाने की घोषणा नहीं की है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		26--यूरिया की बोरी 50 रु0 में एवं डी0ए0पी0 की बोरी 100 रु0 में उपलब्ध कराये जाने की घोषणा नहीं की है ।
		27--बुवाई के पहले गेहूं, धान, गन्ना आदि का दाम निर्धारित करने की घोषणा नहीं की है ।
		28--गेहूं की कीमत 200 रु0, धान की कीमत 150 रु0 एवं गन्ने की कीमत 30 रु0 घोषित नहीं की है ।
		29--प्रदेश की बिगड़ती हुई शांति-व्यवस्था को सुधारने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने की घोषणा नहीं की गई है ।
		30--काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों को पक्का कराये जाने की घोषणा नहीं की है ।
		31--यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पर पुल बनाये जाने की घोषणा नहीं है ।
		32--बाढ़-पीड़ित क्षेत्र विद्यार्थियों को समूचे सत्र 1980-81 में निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की घोषणा नहीं की गई है।
		33--इटावा जनपद में बढ़ती हुई राजनैतिक हत्याओं के रोकथाम की घोषणा नहीं है ।
10	श्री राम सागर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1--खेती के काम में आने वाली वस्तुओं के बढ़ रहे दामों पर तुरन्त रोक लगाई जाये तथा किसानों द्वारा उत्पादित सामानों का उचित मूल्य दिया जायेगा ।

2--डाका, राहजनी, हत्याओं की हो रही व्यापक घटना को रोका जाये एवं हरिजन, अल्पसंख्यक, औरतों पर आये दिन हो रहे जुर्म को समाप्त किया जाये तथा बलात्कार काण्ड को रोकने की तत्काल समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

3--परिवहन में बढ़े हुए किराये को समाप्त किया जाये तथा जनपद बाराबंकी की सड़कों पर चल रही अनियमित बसों को हटा कर सड़कों पर सरकारी बसों की समुचित व्यवस्था की जाये ।

4--जनपद बाराबंकी में रामसनेही घाट-हैदरगढ़ एवं फतेहपुर में डिग्री कालेजों की व्यवस्था की जायेगी ।

5--बाराबंकी से सुबेहा वाया देवीगंज सड़क एवं सड़क से संबन्धित रारी एवं गोमती नदी का पुल यथाशीघ्र बनवा दिया जायेगा ।

6--जनपद बाराबंकी के सिद्धौर, असन्द्रा, मवैया (ब्लाक बनी कोटर) में तुरन्त पुरुष एवं महिला चिकित्सालय की व्यवस्था की जायेगी ।

7--तहसील रामसनेही घाट, बाराबंकी में अर्सफपुर, मवैय, धनोली, तिलकपुरवा, बहरेला, गांवों में कृषकों को सिंचाई हेतु राजकीय नलकूपों की व्यवस्था की जायेगी ।

8--राजकीय महिला इन्टर कालेज, बाराबंकी का भवन बनवाया जायेगा ।

9--जनपद बाराबकी में बढ़ रहे गृह अनुदान की व्यापक अनियमितताओं तथा रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जायेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		10--प्रदेश की आम जनता को शक्कर एवं मिट्टी के तेल न मिलने की शिकायत की समुचित व्यवस्था करके दूर किया जायेगा ।
		11--तहसील रामसनेही घाट के 3 हजार आबादी वाले ग्राम अहमदपुर में तुरन्त जू0 हा0 स्कूल की व्यवस्था की जायेगी ।
11	श्री हरिवंश सहाय तथा नन्द किशोर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है :--
		(1) हाई स्कूल तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने तथा प्रदेश में चल रहे अनेक पब्लिक स्कूलों को बन्द किए जाने का,
		(2) शिक्षित एवं गैर शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को काम देने या बेरोजगारी का भत्ता देने की घोषणा,
		(3) दस बीघे तक लगान माफ किए जाने तथा सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था किये जाने का,
		(4) आर्थिक असमानता दूर करने के लिए दाम नीति की घोषणा तथा प्रत्येक वस्तु के दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से ज्यादा नहीं होने के सम्बन्ध में,
		(5) कानून एवं लोक संगठन के द्वारा हर परिवार को मकान लायक जमीन देने की,
		(6) सभी उद्योगों में मालिकों, मजदूरों एवं उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व रहने की,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(7) किसानों के खेतों को पानी पहुंचाने की योजना के सम्बन्ध में,

(8) हाई स्कूल एवं इन्टर के विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण करने का,

(9) भ्रष्टाचार, बेइमानी, घूसखोरी एवं भाई–भतीजावाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कार्य क्रम लागू करने का,

(10) भूमिहीन खेत मजदूरों, गरीबों एवं अनाथ बच्चों को पढ़ाई व पालन पोषण के लिए समुचित व्यवस्था करने का,

(11) सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था करने का,

(12) काम के बदले अनाज योजना बन्द कर दिया गया है उसे चालू करने का,

(13) प्रदेश में बिगड़ी हुई शान्ति–व्यवस्था में सुधार के लिए,

(14) देवरिया जनपद में पूर्वांचल कृषि विश्वविद्यालय खोलने का,

(15) देवरिया जनपद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात करने का,

(16) देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में कागज का कारखाना एवं भाटपाररानी में मसाले का कारखाना खोलने का,

(17) देवरिया जिले के छोटी गंडक नदी में चनुकी, बड़सांव एवं सठियांव मे पक्का पुल बनाने का,

(18) देवरिया जनपद के भाटपाररानी में सरकारी पहिया डिग्री कालेज एवं भटनी व बनकटा में हाई स्कूल खोलने का,

(19) देवरिया जनपद में नूनखार, घांटी, भिगारी, बंगरा भवानी छापर, रामपुर, सोहनपुर, काधरा मे सरकारी अस्पताल खोलने का,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		(20) किसानों को दिन में बिजली देने की बात का,
		(21) कृषकों के फसलों का बीमा योजना चालू करने का,
		(22) देवरिया जिले के भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में,
		(23) बेसिक शिक्षकों की दशा में सुधार हेतु उचित कदम उठाने का,
		(24) देवरिया जनपद में 40 पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं निर्बल लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है उसकी सी0 बी0 आई0 की जांच करने का,
		(25) पेयजल संकट को दूर करने का,
		(26) देवरिया जनपद के ओद्योगीकरण हेतु सर्वेक्षण एवं वित्तीय सहायता का तथा
		(27) गौरी बाजार (देवरिया) एवं देसही देवरिया में कारखाना लगाने का।
12	श्री मोती लाल देहलवी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :—
		1—मुख्य मंत्री ने अपने इस उद्घोषणा का "कि वह बजट सत्र के पूर्व विधान सभा का चुनाव लड़कर विधान सभा में आयेंगे", का पालन नहीं किया,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2—भ्रष्ट, अनुपयुक्त एवं अक्षम मंत्रियों को मंत्रिमण्डल से हटाये जाने के सम्बन्ध में,

3—किसानों की लगातार तीन फसलों की बर्बादी के कारण स्थगित लगान, सिंचाई तथा अन्य कर्जों को माफ करने के सम्बन्ध में,

4—किसानों को यथावश्यक मात्रा तथा कम रेट पर खाद, बीज, डीजल, मिट्टी का तेल व चीनी तथा सीमेंट और बिजली देने के बारे में,

5—बसों के किराये में हुई वृद्धि को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

6—जीवनयापन की परेशानियों और जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम निरन्तर बढ़ते रहने पर चिन्ता व्यक्त कर उन्हें जनता पार्टी के शासनकाल के स्तर पर शीघ्र लाने के सम्बन्ध में,

7—निरन्तर बढ़ती हुई डकैती, चोरी, राहजनी, हत्याओं तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम न कर पाने पर चिन्ता व्यक्त कर जनता की सुरक्षा का कोई युक्ति संगत विकल्प रखने के बारे में,

8—जनता पार्टी एवं लोकदल के शासनकाल में स्वीकृत सड़कों को बनवाने व अर्द्ध निर्मित सड़कों को पूरा कराने तथा मिट्टी पड़ी हुई सड़कों पर क्रमशः खड़ंजा और डामर कराने के सम्बन्ध में,

9—किसानों द्वारा उत्पादित माल का उचित दाम दिलाने,

10—वर्षों से खुदे हुए बम्बों में पानी न देने का खेद न व्यक्त कर, उनमें पानी दिलाने,

11—बरसाती पानी भरने से फसलों को बर्बादी का अनुभव करने तथा पानी निकास की समुचित व्यवस्था कराने,

1	2	3
		12--किसानों को फसलों का बीमा कराने, 13--देहातों में महिलाओं के लिए शौचालय (शहरों की भांति पाखाने) बनाने । 14--गांवों में पीने वाले पानी तथा रोशनी की व्यवस्था करने, 15--देहातों में दवाखाने व दवाओं की समुचित व्यवस्था करने तथा प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करने, 16--प्रत्येक गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने तथा प्रत्येक खेत को समुचित पानी देने की व्यवस्था करने, 17--अध्यापकों की दशा सुधारने तथा 18--अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे को पूरा कराने की विधि के बारे में ।
13	श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :-- 1--श्री सुखपाल पान्डेय, भू0 पू0 विधायक, बस्ती पर दिनांक 15 जनवरी, 1981 को परशुरामपुर के थानाध्यक्ष और स्थानीय गुन्डों की साजिश से कातिलाना हमले की निष्पक्ष जांच किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कराने और सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निलम्बित करने का उल्लेख नहीं किया है । 2--श्री सुखपाल पांडेय, भू0 पू0 विधायक, बस्ती की सुरक्षा का उल्लेख नहीं किया है ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

3--विकास क्षेत्र मनवापुर, जनपद बस्ती की सात न्याय पंचायतें, बिस्कोहर, बिजौरा, सोहना, सिकटा, डोकम, रमुआपुर जगतराम तथा चिताही के सभी गांवों में 24 जनवरी, 1981 को ओला वृष्टि से हुई क्षति पूर्ति तथा राहत कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

4--तहसील डुमरियागंज के परगनाधिकारी के भ्रष्टाचार की खुली जांच कराने तथा सरकारी धन का अपने निजी इस्तेमाल में पेट्रोल और जीप के माध्यम से करने तथा चाना के दुकानदारों से रिश्वत लेने तथा न्यायालय में न बैठने का उल्लेख नहीं किया है ।

5--राप्ती नदी के सिगांरजोत घाट पर पीपे का पुल तथा कुवानों नदी के चन्द्रदीप घाट पर लकड़ी के पुल का बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

6--डुमरियागंज की जितनी सड़कों पर पिछले 3 वर्षों में मिट्टी का कार्य हुआ उन पर खड़ंजा लगाने एवं पुलिया बनवाने तथा जिन सड़कों पर खड़ंज का काम हो गया है उन्हें पक्का करने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

7--अभी हाल ही में ग्राम करमहिया में जो थाना सोनहा जनपद बस्ती के अन्तर्गत आता है, हरिजनों का घर जला देने तथा उन्हें आतंकित करने के मामले में एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद में कोई कार्यवाही न करने का उल्लेख नहीं किया है ।

8--डुमरियागंज तहसील के सर्वांगीण विकास की कोई ठोस योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

9--परगनाधिकारी, डुमरियागंज द्वारा तहसील के जनहित कार्यों की उपेक्षा करने तथा तहसील की प्रगति में बाधक होने के बाद भी उन्हें निलम्बित करके जांच करने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		10--तहसील डुमरियागंज की चकबन्दी कराने तथा उस समय तक नहर न निकालने जब तक कटौती करके सम्पूर्ण गांव से जमीन न ली जाय, का कोई उल्लेख नहीं किया है ।
		11--ग्राम हरैया थाना रुदौली में गरीब अल्पसंख्यकों के घर फूंक देने और लूटपाट करने से उत्पन्न समस्या से क्षतिपूर्ति का कोई उल्लेख नहीं किया है ।
		12--डुमरियागंज तहसील में तथाकथित गुन्डों के जो अपने को नेता कहते हैं, आतंक को समाप्त कर आम जनता को राहत दिलाने तथा उनके द्वारा की जा रही बड़े पैमाने पर चीनी की चोरी को रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।
		13--पूर्व सरकारों द्वारा बनाये गये सड़कों पर जो अधूरी है, पुनः कार्य शुरू करने का उल्लेख नहीं किया है ।
		14--डुमरियागंज तहसील में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया है ।
14 श्री दिवाकर विक्रम सिंह		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये : परन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में--
		1--बस्ती जनपद के रुधौली-खिरा मार्ग, जो गत 12 वर्षों से पिचरोड है, पर आमी नदी पर छबिया घाट का पुल निर्माण कराने का और पिछड़े क्षेत्र में यातायात की सुविधा की सरकार द्वारा अनदेखी करने का कोई उल्लेख नहीं है तथा 12 वर्षों से आज तक जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण करके मार्ग का निर्माण कराया गया था, उन्हें मुआवजा न दिये जाने के बारे में दोषी कर्मचारियों को दन्डित करने तथा गरीब किसानों को मुआवजा दिलाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

2--बस्ती जनपद के तहसील बांसी में जहां सरजू नहर योजना निर्माणाधीन है, के उन गांवों में जहां चकबन्दी चल रही या अभी समाप्त हुई है पुनः चक निर्धारण कराने तथा नहर हेतु सभी खातेदारों की भूमि में से अनुपात में भूमि छोड़ने की कोई चर्चा नहीं की गई है ।

3--पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की सुविधा हेतु बस्ती जनपद के--

(1) लोहरौली-ठकुराई से जंगल शहर, हुमअरब घाट होते हुए राजघाट-सुपौला मार्ग,

(2) केसवापुर से गुनाखोर, भगौसा, अमरडोमा, पिपरा प्रथम, मनैतापुर, होते हुए खेसरहा मार्ग,

(3) असनहरा पोखरा से मनिकौरा, सेमरहना होते हुये मंसिना गांव सम्पर्क मार्ग,

(4) कोहरा से मुंगरहा (विकास खन्ड रुधौली) सम्पर्क मार्ग, तथा

(5) रुदौली-डुमरियागंज मार्ग से मसिना होते हुए पथरा बाजार सम्पर्क मार्ग,

का निर्माण कराने का कोई चर्चा नहीं है ।

4--ग्रामीण जन क्षेत्र में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रुदौली जनपद बस्ती में एक महिला चिकित्सालय तथा रुदौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण कराने तथा 20 शैय्याओं का निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

5--समुचित सिंचाई सुधा उपलब्ध कराने हेतु बस्ती जनपद के विकास खंडों रुधौली साँथा तथा बेसरहा में राजकीय नलकूपों के निर्माण कराने की कोई चर्चा नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

1	2	3
		6—ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बस्ती जनपद के ग्राम रुधौली (विकास खंड रुधौली), सांथा (विकास खंड सांथा) तथा राजेडीहा एवं धर्म सिहवा बाजार (विकास खेसरहा) में पेयजल योजना निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
		7—बुनकरों को सुविधा प्रदान करने हेतु—
		(i) सांथा में एक सूत डिपो खोलने तथा
		(ii) मेंहदूना में विद्युतीकरण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
		8—बस्ती जनपद के सिरसिया घाट (विकास खंड रुधौली) पर पाइल पुल बनवाने का कोई उल्लेख नहीं है।
		10—श्री सुखपाल पांडेय, भू0 पू0 विधायक, बस्ती की हत्या का षड़यंत्र परशुरामपुर थाने की पुलिस एवं स्थानीय गुंडों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किये जाने का आरोप परन्तु वहां के थानेदार के विरुद्ध न्यायिक जांच कराने तथा श्री सुखपाल पांडेय की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।
15	श्री मित्रसेन यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		1—जनपद फैजाबाद को मंडलीय स्तर की सभी सुविधायें प्रदान की जायेंगी तथा मेडिकल कालेज एवं स्टेडियम और शैक्षणिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाय और अयोध्या में सरजू नदी पर रेलवे पुल का निर्माण किया जायगा,
		2—फैजाबाद जनपद की तहसील बीकापुर के अन्तर्गत मलेथू कनावाँ मार्ग पर और अमानीगंज गदुरहा ड्याटी मार्ग के तमसा नदी के पुल का निर्माण किया जाय और तमसा और विसुही नदी को गहरा कराने की योजना को लागू किया जायगा,

उत्तर प्रदेश

3—फैजाबाद जनपद के औद्योगिक विकास की सुनिश्चित योजना की जाय और जल निकासी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जायगा ।

16 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातें नहीं कहीं हैं:—

1—वर्तमान शासन की गलत नीतियों के कारण महंगाई, अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, हरिजनों को प्रताड़ित करने आदि भावना में काफी वृद्धि हुई है इसके रोकथाम हेतु कारगर उपाय नहीं बताये गये हैं,

2—अल्पसंख्यक मुसलमानों पर पुलिस द्वारा बर्बर आक्रमण किया गया है जिसका उदाहरण मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि जनपद है ।

3—अराजक तत्वों का बोल-बाला हो गया है । पुलिस कुख्यात डकैतों को न मारकर पिछड़ी व हरिजन जातियों को मुठभेड़ दिखाकर सरकार के संकेत पर मार रही है जबकि इनमें अधिकांश लोग निरपराध हैं या इतने बड़े दंड के लायक नहीं रहे हैं ।

4—जनता पार्टी व लोक दल द्वारा किये गये जनहित के कार्य व पिछड़े एवं हरिजनों के पक्ष में हुए कार्यों का जिक्र न करते हुए काम के बदले अनाज योजना के स्वरूप बदलने के पीछे पिछले सभी कार्य ठप करके असंतोष पैदा किया जा रहा है ।

5—मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों, गैर शिक्षकों की नियुक्तियों में पिछड़ी व हरिजन जातियों को दिये गये आरक्षण, जो लोकदल शासन में हुआ था, के न पालन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		6—प्रदेश में बाढ़ व बरसात से ध्वस्त मकानों के अपर पात्र लोगों को घर गिराई का अनुदान दिया गया । मात्र कुछ स्थानों पर ऐसा किया गया । जनपद गोरखपुर में इसके प्रति काफी असंतोष है । कम धनराशि देकर कागजों में अधिक चढ़ा दिया गया है और गरीबों, अनाथों, विकलांगों को जाड़े में कंबल नहीं दिया गया ।
		7—महाराजगंज तहसील जो गोरखपुर में है में आज तक टाउन एरिया नहीं घोषित की गई तथा वहां पर जल कल की योजना एवं उद्योग धंधे लगाने की कोई खास बात नहीं कही गई ।
		8—निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना में बनी सड़कों को मरम्मत कराते हुए पुलों/पुलियों की व्यवस्था करते हुए पक्का कराने एवं अधूरी सड़कों को पूरा कराने पर कुछ नहीं कहा गया ।
		9—क्षेत्र महाराजगंज में पकड़ी, चौक, बागापार, लक्ष्मीपुर एकड़गा एवं हरखपुरा में मानव अस्पताल बनवाने पर कुछ नहीं कहा गया है ।
		10—गंडक नहर के अन्तर्गत होने वाले पुलों नहरों आदि के कार्य जो महाराजगंज में हो रहे हैं उनमें काफी खुली लूट है इस सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला गया है ।
		11—परगनाधिकारी महाराजगंज, गोरखपुर के भ्रष्ट व अनियमित कार्यों पर कुछ नहीं कहा है जिसके संरक्षण में कई मिनी बसें चल रही हैं ।
		12—सीमेंट का वितरण ब्लाकों के माध्यम से कराया जायगा और बंटवारा बी० डी० ओ० द्वारा होना चाहिए इस पर कुछ नहीं कहा गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17 श्री ऊदल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया:—

1—आज पूरे प्रदेश में डकैतों के आतंक से सैकड़ों घर प्रत्येक मास में लूटे जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर डकैतों द्वारा लूट के साथ-साथ हत्यायें भी की जा रही हैं। इतना ही नहीं फरवरी, 80 से लेकर अब तक रेल-गाड़ियों, बसों, ट्रकों को लूटा गया है और हत्यायें की गयी है। इसको रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाया जाना,

2—फरवरी, सन् 80 से 15 फरवरी, 81 के बीच वाराणसी जिले में बढ़ती हुई डकैतियों एवं हत्याओं को रोकने हेतु तथा डकैत विरोधी किसी अभियान चलाने की चर्चा न करना तथा जिस थाने में डकैतियां एवं हत्यायें हुई हैं उनके थानेदारों के खिलाफ किसी कार्यवाही का संकेत देना,

3—सिंचाई के क्षेत्र में शारदा सागर तथा दोहरी पम्प कैनाल पूरक योजना एवं दूसरी त्रुटिपूर्ण प्रणालियों में सुधार न करने के बारे में बिना मुआवजा दिये किसानों की फसलों को उखाड़ने एवं नहरों को बिना री-माडलिंग किये पानी छोड़कर किसानों की फसलों को बर्बाद करना उदाहरण हेतु केराकत तहसील, जौनपुर तथा आजमगढ़ एवं सिगरामऊ कोहरीपुर, जिला जौनपुर तथा शारदा सागर की केराकत माइनर के जौनपुर गांव लहंगपुर वगैरह एवं चारों, हिरामनपुर, पति-राजपुर, बेलारी आदि को जलमग्न करके हजारों एकड़ रबी की फसल को नुकसान पहुंचाने के बारे में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
17--(क्रमशः)		4--शारदा सागर की नई नहरों के निर्माण जैसे बाबतपुर राजबहा, वाराणसी के क्षेत्र वरुणा नदी के दक्षिण एवं नाद नदी के उत्तर नलकूप लगाने से रोकना एवं सभी गांवों का मनमानी तरीके से गजट कर देना और नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों के क्षेत्रों में माइनरों के लिए नक्शे बनाना तथा किसानों को आतंकित करना
		5--सिंचाई विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण योजनाओं को बनाने से रोकना एवं नहरी क्षेत्रों जैसे नाद नदी के उत्तर वाराणसी में तथा और जगहों में जो टेल पर हैं ट्यूबवेल लगाने की योजना के सम्बन्ध में,
		6--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़कों एवं पुलियों का ठीक से निर्माण न करने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में,
		7--जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग के मुहम्मदपुर से आजमगढ़ तक एवं वाराणसी-चन्नवक-आजमगढ़ मार्ग पर रद्दी कच्चे पावर की गिट्टी जिसमें मिट्टी एवं पत्थर का चूरा आधा होगा इस पर रोक लगाने एवं जांच करने के सम्बन्ध में,
		8--वाराणसी जिले में फूलपुर-सिंघौरा, मार्ग, 2-कठिरांव बापा-कुवार-झनही मार्ग, 3--हसनपुर-दांदूपुर महिमापुर मार्ग, 4-बड़ागांव-रामेश्वर मार्ग को जल्द से जल्द सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्का बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9—सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा बावतपुर–जमालपुर मार्ग को कुवार से आगे न बनाने के सम्बन्ध में एवं कुवार ताड़ी, बरही नेवादा में न तो वायी-पास बनाने और न बाजार के अन्दर से ही सड़क का निर्माण पिछले 6 वर्षों से न कराने के सम्बन्ध में,

10—कछवा बड़ा गांव मार्ग वाराणसी में कमसेठी से अनेही तक के टुकड़े को अब तक पक्का न करने के सम्बन्ध में,

11—बड़ागांव, कुड़ी, चिलबिला, कुरुमार्ग वाराणसी को सरकार द्वारा बनाने के सम्बन्ध में जबकि मुख्य अभियन्ता का प्रस्ताव सन् 1980 से शासन के यहां पड़ा हुआ है,

12—शिवदारपुर–भदोही मार्ग वाराणसी में सेवापुरी से पक्का कर डामर की सड़क न बनाने के सम्बन्ध में,

13—भदोही वाराणसी नगरपालिका क्षेत्र में जौनपुर चीन्ह जाने वाली सड़क तथा भदोही बाई–पास को न बनाने के सम्बन्ध में,

14—भदोही नगर से स्टेशन रोड जाने वाली सड़क को न बनाने के सम्बन्ध में,

15—रामपुर–गोपालापुर मार्ग जौनपुर में वसूही नदी में पुल न बनाने के सम्बन्ध में,

16—भगारी बावतपुर से सिघौरा मार्ग वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
17—(क्रमशः)		17—वाराणसी जिले में बरुणा नदी में कछवां–बड़ागांव मार्ग पर सेतु निगम द्वारा त्रुटिपूर्ण नीचा तथा कम चौड़ा पुल बनाकर छोड़ दिया है उसमें दो ताखा उत्तर तरफ बनवा कर न चालू करना एवं त्रुटिपूर्ण बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में,
		18—नाद नदी में स्थान सुरहो ब्लाक पिंडरा तथा स्थान गांव सरांय जिला वाराणसी में पुल न बनाने के सम्बन्ध में,
		19—ब्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी में कुन्डी नाला में स्थान मनिपुर में पुल का न बनाना,
		20—लड़कियों की शिक्षा के प्रसार में कम से कम प्रत्येक ब्लाक में राजकीय हाई स्कूल का खोलना,
		21—अनिवार्य प्रा० शिक्षा को लागू न करने के सम्बन्ध में,
		22—स्थान सिघौरा, मंगारी, पिंडरा, ब्लाक पिंडरा एवं दादूपुर कठिगांव, ताडीयाकुलार ब्लाक, बड़ागांव, वाराणसी में कन्या राजकीय हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,
		23—बुनकरों को सस्ता रेशम, सूत उपलब्ध कराने एवं उनके द्वारा तैयार कपड़ों को बेचने से संरक्षण एवं बाजार तथा हैण्डलूम विकास के लिए कोई योजना न तैयार करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

24—जल निगमों एवं जन संस्थानों की त्रुटिपूर्ण योजनाओं चाहे शहरी क्षेत्रों की हों या देहाती उनको ठीक करने एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने तथा करोड़ों के खर्चे की जांच न करने के सम्बन्ध में तथा लागत मूल्य से कम उपलब्धता के बारे में,

25—उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् एवं न्योडा सहित 12 आवास विकास प्राधिकरणों के कार्यों की जांच करने के सम्बन्ध में, उदाहरण हेतु लखनऊ आवास विकास प्राधिकरण में जितने मकान व प्लाट बनाये गये और बेचे गये हैं उनसे कई गुना अधिकारियों, कर्मचारियों तथा दूसरे मदों के ऊपर खर्चा करने के सम्बन्ध में किसी न्यायाधीश से या कमेटी द्वारा जांच न कराने के सम्बन्ध में,

26—गन्ना के विकास के लिए नई गन्ना किस्मों के अनुसंधान एवं गन्ना क्षेत्रों के किसानों को सही गन्ना बीज देने के सम्बन्ध में,

27—किसानों की उपज गन्ना, गेहूं, धान, तेलहन, जूट, मूंगफली, आलू आदि का लाभकारी मूल्य जो उपज की लागत को देखकर तय करने के सम्बन्ध में एवं सरकार द्वारा खरीद न करने के सम्बन्ध में,

28—इस वर्ष किसानों को 30 रुपये क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को मूल्य न देने के सम्बन्ध में,

29—महंगाई को रोकने तथा औद्योगिक पैदावार लोहा, सीमेंट, ट्रैक्टर, छड़, चमड़ा, कृषि यंत्र, कोल्हू, कल, चारा कटाई मशीन वगैरह के दामों में बेतहाशा वृद्धि के बारे में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
17—(क्रमशः)		30—सन् 80 में मसाला, तेल, साबुन, चाय, टूथपेस्ट, वगैरह के दामों में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई रोकने के सम्बन्ध में कुछ कारगर उपाय का संकेत न करना,
		31—उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से 50 फीसदी लोगों का स्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		32—नाद नदी के दोनों किनारे एवं बरुणा नदी के उत्तरी किनारे तथा कुछ खास-खास स्थानों में ब्लाक पिंडरा एवं बड़ागांव के गांवों क्रमशः कामापुर, चितौरा, छतांव, विक्रमपुर दक्षिणी एवं नदीप, बसंतपुर दक्षिण, चेहरा बिन्दा, पत्तूपुर, कठिराव, करमाई, पुरमलहध, असबालपुर, सराय देवराई, कछिया पिडरा पूर्वी एवं पिडरा पश्चिमी, राजपुर पूर्वी, बड़ेपुरा बेलवां, कोईलार, अंसुआ, सेरवानीपुर, बुलझा हरेहूं एवं लखमीपुर तथा मधुमक्खियों, महिमापुर, दुर्जनपुर में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में,
		33—प्राइमरी पाठशाला, मरुई, रामनगर, चुप्पीपुर, समोगरा-चितौरा असवालपुर, ब्लाक पिडरा एवं कुसुमुरा, अमिलों, धनजयपुर, लखमीपुर बरजो, ब्लाक बड़ागांव में इमारत न बनवाने के सम्बन्ध में,
		34—जू0 हा0 स्कूल, किरतपुर ब्लाक पिडरा एवं जू0 हाई स्कूल कुवार तथा कन्या जूनियर हाई स्कूल सिसवा ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी की इमारत न बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

35—उर्दू की नीति की उपेक्षा को ठीक करने तथा जहां कम से कम 100 छात्र-छात्रायें हों, वहाँ प्रा० पाठशाला के रहते हुए उर्दू-हिन्दी के माध्यम से स्कूल खोलने के सम्बन्ध में जैसे बरहा नेवादा, दादूपुर, कुंडी चिलबिला, बसनी, बड़ागांव ब्लाक बड़ागांव एवं पिंडरा, मंगारी सिघोरा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों का सरकारी सर्वेक्षण अलग से उर्दू हिन्दी माध्यम से स्कूल न खोलने के सम्बन्ध में तथा खाना पूर्ति के लिए जो अध्यापक उर्दू नहीं जानते बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी द्वारा उर्दू पढ़ाने हेतु पोस्टिंग करना ।

18 श्री हरी किशन श्रीवास्तव

तथा

श्री मुख्तार अनीस

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:—

1—वर्तमान उत्तर प्रदेश के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई तथा असुरक्षा की भावना की चर्चा नहीं की,

2—किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की महंगाई पर चिन्ता नहीं प्रकट की, तथा

3—जनता पार्टी एवं लोक दल के शासन की विकास की अधूरी योजनाओं को वर्तमान शासन द्वारा पूरा न करने पर चिन्ता नहीं व्यक्त की है ।

19 श्री विद्यासागर नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

1—पिछड़ेपन, शासकीय उपेक्षा तथा पूंजीवादी लूट से ग्रसित राज्य के पर्वतीय अंचल के आठ पर्वतीय जनपदों के द्रुतगति से विकास हेतु पृथक् पर्वतीय राज्य की स्थापना किये जाने का जिक्र नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
19—(क्रमशः)		2—इस तथ्य का जिक्र नहीं किया कि शिक्षण सत्र प्रारम्भ हुए सात मास से अधिक समय व्यतीत हो गया है किन्तु अभी तक पर्वतीय विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र में एक भी नई शिक्षण संस्था बेसिक से डिग्री कालेज तक को खोलने अथवा उनका उच्चीकरण करने की घोषणा नहीं की है ।
		3—इस बात का जिक्र नहीं किया कि पर्वतीय प्रदेश के अन्दर इस सरकार ने बजट पास कर दिये जाने के बाद भी एक भी विकास कार्य नहीं शुरू करवाया । जिन मोटर मार्गों पर कार्य पिछले सरकार के शासनकाल से जारी था उसे ठप्प करवा दिया गया है । एक भी नये पुल, अस्पताल, पेयजल योजना, सिंचाई की गूल आदि के लिये किसी भी पर्वतीय जनपद में धनराशि नहीं भेजी गई है और सरकार ने अपनी अकर्मण्यता का परिचय दिया है ।
		4—इस बात का जिक्र नहीं किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में राज्य शक्ति का उपयोग अभूतपूर्व पैमाने पर वनों का संहार करने के लिए किया जा रहा है पर्वत शृंखलायें वृक्ष विहीन हो गई है भू-स्खलन, बाढ़, आंधी, तूफान पर्वतीय जीवन का अंग बन गये हैं । सरकार की ओर से पूंजीवादी लूट के शिकार बेगुनाह, बेपनाह इंसानों के जीवन अथवा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । सरकार ने जखंड दो गड्डा, बहेड़ा ज्ञानसू तथा एंगड गांव व जोतों में प्रभावित होने वाले लोगों की सहायता के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5—इस बात का जिक्र नहीं किया कि ज्योति झील के भू-स्खलन में अपने प्राणों की बाजी लगाकर सुरक्षा कार्य करने वाले सैनिक, असैनिक कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक न देकर सरकार ने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है ।

6—इस बात का जिक्र नहीं किया कि देवप्रयाग क्षेत्र आज भी सामन्ती पिछड़ेपन का स्थिति में अपने दिन काट रहा है और पर्वतीय विकास मंत्री उक्त क्षेत्र में विकास कार्यों का संचालन नहीं होने दे रहे हैं । दोगी, भरपुर, भरदार, लोस्तू, जेरवाली, बांगर धंघास, डागर, कड़ाकोट, हिसरियार वाले जैसे अनेक क्षेत्रों का अलगाव दूर कर उन्हें मोटरीय यातायात सुलभ करने हेतु सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

7—इस बात नहीं किया कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में माननीय विधायकों के अधिकारों का क्रमशः हनन हुआ और विधायकों के पत्रों तक के उत्तर विभागों के द्वारा नहीं दिये गये हैं ।

8—इस बात का जिक्र नहीं किया कि पृथक् पर्वतीय कैडर का निर्माण न कर सरकार अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कैथान सभा
पटेरा पटेरा